Excellence Award
Presented to
Punjab & Sind Bank
For excellent Performance on different Parameters
In making
"PRADHAN MANTRI JAN DHAN YOJNA"
a grand success

Total Business Crosses
₹ 1,50,000 Crore

ANNUAL REPORT
वार्षिक रिपोर्ट
2014 - 15

Proud to be associated with

MAKE IN INDIA

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

प्रधानमंत्री जन-धन योजना
मेरा खाता भाग्य विधाता

੧ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)

पी.एस.बी

Punjab & Sind Bank
(A Govt. of India Undertaking)

Where service is a way of life

निदेशक मंडल / Board of Directors

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री जतिन्दरबीर सिंह, आई.ए.एस.
Chairman & Managing Director
Sh. Jatinderbir Singh, I.A.S.

कार्यकारी निदेशक
श्री मुकेश कुमार जैन
Executive Director
Sh. Mukesh Kumar Jain

श्री एस.आर. मेहर
Sh. S.R. Mehar

श्री प्रदीप्त. के. जेना
Sh. Pradipta K. Jena

श्री महेश कुमार गुप्ता
Sh. Mahesh Kumar Gupta

श्री संजय वर्मा
Sh. Sanjay Verma

श्रीमति अनीता कर्णावर
Smt. Anita Karnavar

श्री एम.एस. सारंग
Sh. M.S. Sarang

श्री सुखेन पाल बबूता
Sh. Sukhen Pal Babuta

विषय–सूची / Contents

		पृष्ठ संख्या / Page No.
1.	उल्लेखनीय तथ्य / Highlights	2
2.	निदेशक मंडल / Board of Directors	3
3.	नोटिस / Notice	4-15
4.	निदेशक मंडल की रिपोर्ट / Directors' Report	16-43
5.	विशेष आयोजन/उपलब्धियाँ / Special Events / Achievements	44
6.	कॉर्पोरेट प्रबंधन रिपोर्ट / Corporate Governance Report	45-93
7.	बासल–II व बासल–III के अंतर्गत प्रकटीकरण / Disclosure under Basel - II & Basel - III	94-161
8.	वित्तीय विवरणियां / Financial Statements:	
	स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट / Independent Auditors' Report	162-165
	तुलन–पत्र / Balance Sheet	166-167
	लाभ–हानि खाता / Profit & Loss Account	166-169
	अनुसूचियाँ / Schedules	170-233
	नकदी प्रवाह विवरण–पत्र / Cash Flow Statement	234-235
9.	प्रॉक्सी प्रारुप / Proxy Form	236-237
10.	उपस्थिति पर्ची / Attendance Slip	238-239

उल्लेखनीय तथ्य / Highlights

रुपए लाखों में / Rupees. in lacs
दिनांक 31.03.2015 को / As on 31.03.2015

1.	जमा Deposits	8671472
2.	सकल अग्रिम Gross Advances	6479642
3.	प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम Priority Sector Advances	2023356
4.	सकल निवेश Gross Investments	2679169
5.	शुद्ध लाभ Net Profit	12135
6.	आस्तियों पर प्रतिफल (%) Return on Assets (%)	0.13%
7.	शुद्ध एनपीए अनुपात (%) Net NPA Ratio (%)	3.55 %
8.	पूंजी पर्याप्तता अनुपात (%) (बेसल–II) Capital Adequacy Ratio (%) (Basel-II)	11.88%
9.	पूंजी पर्याप्तता अनुपात (%) (बेसल–III) Capital Adequacy Ratio (%) (Basel-III)	11.24%

बोर्ड निदेशक / Board of Directors

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री जतिन्दरबीर सिंह, आई.ए.एस.

Chairman & Managing Director
Sh. Jatinderbir Singh, I.A.S.

कार्यकारी निदेशक
श्री मुकेश कुमार जैन

Executive Director
Sh. Mukesh Kumar Jain

निदेशक / Directors

श्री एस.आर. मेहर
Sh. S.R. Mehar

श्री प्रदीप्त. के. जेना
Sh. Pradipta K. Jena

श्री महेश कुमार गुप्ता
Sh. Mahesh Kumar Gupta

श्री संजय वर्मा
Sh. Sanjay Verma

श्रीमति अनीता कर्णावर
Smt. Anita Karnavar

श्री एम.एस. सारंग
Sh. M.S. Sarang

श्री सुखेन पाल बबूता
Sh. Sukhen Pal Babuta

महाप्रबंधक / General Managers

श्री आई.एस. भाटिया
Sh. I.S. Bhatia

श्री एम.जी. श्रीवास्तव
Sh. M.G. Srivastava

श्री दीपक मैनी
Sh. Deepak Maini

श्री एस.पी.एस. कोहली
Sh. S.P.S. Kohli

श्री जी.एस. ढ़ल्ल
Sh. G.S. Dhall

श्री डी.डी. शर्मा
Sh. D.D. Sharma

श्री वीरेन्द्र गुप्ता
Sh. Varinder Gupta

श्री एस.सी. क्वात्रा
Sh. S.C. Kwatra

श्री आर.पी.एस. खुराना
Sh. R.P.S. Khurana

श्री जी.एस. नारंग
Sh. G.S. Narang

श्री हरविन्दर सिंह
Sh. Harvinder Singh

लेखा परीक्षक / Auditors

मैसर्स बी.के. श्राफ एण्ड कं.
M/s B.K. Shroff & Co.

मैसर्स आर. कोठारी एण्ड कं.
M/s R. Kothari & Co.

मैसर्स तिवारी एण्ड एसोशिएटस
M/s Tiwari & Associates

मैसर्स ढ़िल्लों एण्ड एसोशिएटस
M/s Dhillon & Associates

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)
प्रधान कार्यालय : 21–राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली 110008

नोटिस

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक के शेयरधारकों की पॉचवीं वार्षिक सामान्य बैठक इंडिया इंटरनेशनल सेन्टर, 40 – मैक्समूलर मार्ग, लोधी एस्टेट, नई दिल्ली–110003 में सोमवार, 29 जून 2015 को प्रातः 10.00 बजे आयोजित की जाएगी। इसमें निम्नलिखित कारोबार संचालित होंगेः

मद सं.

1. बैंक के 31 मार्च 2015 के लेखा परीक्षित तुलन–पत्र, 31 मार्च 2015 का लाभ–हानि लेखा, लेखों में समाहित अवधि में कार्यनिष्पादन तथा कार्यकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन–पत्र एवं लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार–विमर्श, अनुमोदन व स्वीकार करने हेतु।

2. वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए लाभांश का अनुमोदन व घोषणा ।

यह भी सूचित किया जाता है कि वार्षिक सामान्य बैठक में ई–वोट/वोट देने के पात्र शेयरधारकों के नामों का पता लगाने के लिए अंतिम तिथि (कट ऑफ डेट) 22.06.2015 निर्धारित की है। (क) वार्षिक सामान्य बैठक के सिलसिले में शेयर–धारकों के रजिस्टर तथा बैंक की शेयर ट्रांस्फर बुक दिनांक 23.06.2015 से 29.06.2015 तक, जिसमें दोनो दिन सम्मिलित हैं बंद रहेगी तथा (ख) पाचवी वार्षिक सामान्य बैठक में घोषित अंतिम लाभांश, यदि कोई है तो प्राप्त करने वाले शेयरधारकों की पात्रता का निर्धारण किया जाएगा।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 15 मई, 2015

जतिन्दरबीर सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

Punjab & Sind Bank

(A Government of India Undertaking)

Head Office : 21 – RAJENDRA PLACE, NEW DELHI -110008

NOTICE

Notice is hereby given that the Fifth Annual General Meeting of Shareholders of Punjab & Sind Bank will be held on Monday, the 29th June, 2015 at 10.00 a.m. at India International Centre, 40-Max Mueller Marg, Lodi Estate, New Delhi-110003 to transact the following business:

Item No.

1. To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2015, Profit & Loss account for the year ended 31st March 2015, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

2. To approve and declare dividend for the financial year 2014-15.

Notice is also given that the Bank has fixed 22.06.2015 as the 'Cut-Off date' to ascertain names of shareholders who shall be entitled to e-vote / vote at the Annual General Meeting and to receive dividend. Further, the Register of shareholders and the share transfer books of the Bank will remain closed from 23.06.2015 to 29.06.2015 (both days inclusive) in connection with (a) the Annual General Meeting and (b) to determine the entitlement of shareholders to receive dividend declared, if any, at the Fifth AGM.

By Order of the Board of Directors

Place : New Delhi
Date : 15th May 2015

Jatinderbir Singh
Chairman & Managing Director

टिप्पणियाँ

1. **प्रॉक्सी की नियुक्ति**

बैठक में भाग लेने और मतदान के लिए पात्र शेयर–धारक अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने एवं मत देने के लिए प्रॉक्सी की नियुक्ति करने हेतु पात्र होगा/होगी तथा प्रॉक्सी को बैंक का शेयरधारक होना अनिवार्य नहीं है।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर व बैठक) विनियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार पंजाब एण्ड सिंध बैंक के किसी अधिकारी या कर्मचारी को प्रॉक्सी नियुक्त नहीं किया जा सकता। विनियमों के विनियम 70(vi) के अनुसार प्रॉक्सी को दिए गए लिखत द्वारा व्यक्तिगत रूप से बैठक में मतदान का अधिकार नहीं होगा जिससे लिखत संबंधित है।

प्रॉक्सी फार्म (अनुलग्नक–ए) तभी प्रभावी होगा जब वह पंजाब एण्ड सिंध बैंक, प्रधान कार्यालय, लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग, बैंक के शेयर कक्ष, 21–राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली–110008 में वार्षिक समान्य बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् दिनांक 24.06.2015 (बुधवार) को सायं 5 बजे अथवा बैंक के कार्य–घंटों के समाप्त होने से पूर्व प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ मुख्तारनामा या अन्य अधिकार पत्र यदि कोई है, जोकि हस्ताक्षरित है अथवा नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित है सत्य–प्रति के रूप में प्रस्तुत की जाए बर्शते यह मुखतारनामा अथवा अधिकार पत्र पूर्व में बैंक के पास जमा है तथा रजिस्टर्ड है ।

2. **अधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति**

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर व बैठक) विनियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार पंजाब एण्ड सिंध बैंक के किसी अधिकारी या कर्मचारी को अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

कोई भी व्यक्ति जो किसी कंपनी या निगमित निकाय जोकि बैंक का शेयरधारक है, के विधिवत् प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लेने अथवा वोट देने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक उसे एक यथाविधि अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने संबंधी संकल्प की एक प्रति उस बैठक के अध्यक्ष, जिसमें यह पारित किया गया था, द्वारा प्रमाणित किया गया हो, बैठक की तारीख से 4 दिन पूर्व अर्थात् 24.06.2015 (बुधवार) को सायं 5 बजे या इससे पहले पंजाब एण्ड सिंध बैंक, प्रधान कार्यालय, लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग, शेयर कक्ष, 21–राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली–110008 में प्राप्त हो जाना चाहिए।

3. **पंजीकरण, उपस्थिति पर्ची तथा प्रवेश पर्ची**

शेयरधारकों को बैठक में भाग लेने की सुविधा प्रदान करने हेतु दिनांक 29.06.2015 को प्रातः 9.00 बजे पंजीकरण बैठक स्थल पर आरंभ होगी। शेयरधारकों को पंजीकरण औपचारिकताओं को पूर्ण करने हेतु बैठक में समय से पहले उपस्थित होने का अनुरोध है।

शेयरधारकों की सुविधा हेतु इस नोटिस के साथ उपस्थिति पर्ची तथा उपस्थिति पास (अनुलग्नक–'बी') संलग्न है। शेयरधारकों/प्रॉक्सी धारकों/अधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि उपस्थिति पर्ची भर कर, उसमें दर्शाए गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर कर, इसे बैठक स्थल पर सौप दें। इसके पश्चात ही उन्हें प्रवेश पर्ची जारी की जाएगी। शेयरधारक के प्रॉक्सी/अधिकृत प्रतिनिधि जैसी भी स्थिति हो प्रॉक्सी/अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थिति पर्ची पर प्रॉक्सी या अधिकृत प्रतिनिधि जो भी स्थिति हो अंकित करेगा। शेयरधारकों/प्रॉक्सी–धारक/प्राधिकृत प्रतिनिधियों को सूचित किया जाता है कि बैठक में प्रवेश का अधिकार सत्यापन/जाँच, जैसा भी आवश्यक समझा जाएगा, के पश्चात होगा, और उनको वैध पहचान जैसे मतदाता पहचान पत्र/नियोक्ता पहचान पत्र/पैन कार्ड/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस आदि को साथ में लाने की सलाह दी जाती है।

4. **शेयर अंतरण एजेन्टों के साथ पत्र–व्यवहार**

शेयरधारक, जिनके पास शेयर भौतिक स्थिति में हैं, से उनके ई–मेल पते, डाक पते, बैंक विवरण आदि में हुए परिवर्तनों, यदि कोई है तो, उसकी सूचना बैंक के शेयर अंतरण एजेंट को निम्न पते पर दी जाए:

लिंक इनटाइम इंडिया प्रा.लि.
यूनिट–पंजाब एण्ड सिंध बैंक,
44, कम्प्युनिटी सेन्टर, दूसरी मंजिल, नारायणा औद्योगिक क्षेत्र, फेज–I
नजदीक पी.वी.आर. नारायणा, नई दिल्ली–110 028.
फोन 011 41410592, 41410593
ई–मेलः delhi@linkintime.co.in

शेयरधारक जिनके पास शेयर अभौतिक रूप में हैं, से अनुरोध है कि वे अपने ई-मेल पते, डाक पते, बैंक विवरण में परिवर्तन/अद्यतन यदि हो तो, अपने डिपाजिटॉरी सहभागी को सारा संप्रेषण इलैक्ट्रॉनिक माध्यतम से प्राप्ति करने के लिए सूचित करें।

NOTES

1. APPOINTMENT OF PROXY:

A Shareholder entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself/herself and such proxy need not be a shareholder of the Bank.

No person shall be appointed as a proxy who is an officer or employee of Punjab & Sind Bank as per provisions of Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2008. As per the regulation 70 (vi) of Regulations, the grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.

The Proxy Form (Annexure-'A') in order to be effective must be received at Punjab & Sind Bank, Head Office Accounts & Audit Department, Shares Cell, 21-Rajendra Place, New Delhi-110 008, at least four days before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank at 5.00 p.m. on 24.06.2015 (Wednesday) together with the Power of Attorney or other authority, if any, under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate unless such Power of Attorney or other authority has been previously deposited and registered with the Bank.

2. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE :

No person shall be appointed as authorised representative who is an officer or employee of Punjab & Sind Bank as per provisions of Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2008.

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a company or any other Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the Resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been received at Punjab & Sind Bank, Head Office Accounts & Audit Department, Shares Cell, 21-Rajendra Place, New Delhi-110 008, at least four days before the date of the Annual General Meeting, i.e. on or before the closing hours of the Bank at 5.00 p.m. on 24.06.2014 (Wednesday).

3. REGISTRATION, ATTENDENCE SLIP AND ENTRY SLIP:

In order to facilitate the shareholders attending the meeting, Registration process will commence from 9.00 a.m. on 29.06.2015, at the venue. Shareholders are requested to be present for the meeting well in advance, to complete the Registration formalities.

For the convenience of the shareholders, attendance slip and entry pass is annexed (Annexure-'B') to this notice. Shareholders/ Proxy Holders/Authorised Representatives are requested to fill in, affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue and thereafter entry slip shall be issued to them. Proxy/Authorised Representative of a shareholder should state on the attendance slip as 'Proxy' or 'Authorised Representative' as the case may be. Shareholders / Proxy holders / Authorised Representatives may note that the admission to the meeting will be subject to verification / checks, as may be deemed necessary and they are advised to carry valid proof of identity viz., Voters ID Card / Employer Identity Card / Pan Card / Passport / Driving license etc. Ballot paper for poll will be issued against surrendering of entry pass.

4. COMMUNICATION WITH THE SHARE TRANSFER AGENT:

Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes/update, if any, in their email address, postal address, bank details etc. to Share Transfer Agent of the Bank at the following address to receive all communication through electronic mode:

Link Intime India Pvt Ltd.

Unit: Punjab & Sind Bank

44, Community Centre, 2nd Floor, Naraina Industrial Area, Phase-I,

Near PVR Naraina, NEW DELHI-110 028

Ph: 011 41410592, 41410593

email: delhi@linkintime.co.in

Shareholders holding shares in dematerialised form are requested to intimate changes/ update, if any, in their email address, postal address, bank details etc. to their depository participants, to receive all communication through electronic mode.

5. लाभांश का भुगतान

बैंक के निदेशक मण्डल नें अपनी दिनांक 12.05.2015 को आयोजित बैठक में वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए प्रत्येक 10/– रुपए के इक्विटी शेयर के लिए अंतिम लाभांश 0.60 रुपए (0.60 रुपए) की अनुशंसा की। निदेशक मण्डल द्वारा संस्तुति तथा 5वीं सामान्य बैठक के अनुमोदित लाभांश का भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा।

क. दिनांक 22.06.2015 को कारोबार समय की समाप्ति पर नेशनल सैक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. (एनडीएसएल) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रुप में धारित शेयरों के सभी लाभार्थी स्वामियों को।

ख. दिनांक 22.06.2015 के कार्यकाल की समाप्ति अर्थात् 5.00 बजे तक या उससे पहले बैंक/बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट अर्थात् लिंक इनटाईम इंडिया प्रा. लि. के पास दर्ज शेयर हस्तांतरण अनुरोध के संबंध में वैध हस्तांतरण प्रभावी करने के पश्चात् भौतिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में सभी सदस्यों को।

ग. 5वीं वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि से 30 दिन के अंदर पात्र शेयरधारकों को लाभांश वितरित किया जाएगा।

6. लाभांश अधिदेश/डाक पते में परिवर्तन

क. इलैक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए लाभार्थी शेयरधारकों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उनके संबंधित डिपोजिटरी खाते में पंजीकृत बैंक विवरणों को बैंक द्वारा लाभांश का भुगतान करने के लिए उपयोग में लाया जाएगा। बैंक अथवा इसका रजिस्टर एवं शेयर हस्तांतरण एजेंट , इलैक्ट्रॉ निक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से सीधे ही प्राप्त ऐसे किसी अनुरोध पर कार्रवाई नहीं करेगा जो बैंक विवरणों अथवा बैंक अधिदेश से संबंधित होंगे। ऐसे परिवर्तनों की सूचना केवल उनके डिपोजिटरी सहभागी को ही दी जानी चाहिए।

ख. भौतिक रूप से शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि यदि उनके पते तथा बैंक विवरण में कोई परिवर्तन हो, तो इसकी सूचना तत्काल बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट अर्थात लिंक इनटाईम इंडिया प्रा.लि. को दें। इलैक्ट्रॉ निक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को अपने पते में किसी प्रकार के परिवर्तन की सूचना अवश्य ही अपने संबंधित सहभागी डिपोजिटरी को देनी चाहिए। बैंक अथवा बैंक के रजिस्ट्रार एव शेयर हस्तांतरण एजेंट को सूचना देने की आवश्यकता नहीं है।

ग. सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैंक अथवा बैंक के रजिस्ट्रार एव शेयर हस्तांतरण एजेंट के साथ किसी भी प्रकार के पत्र व्यवहार में अपने संबंधित फोलियो नंबर(उनके लिए जिनके पास शेयर भौतिक रूप में है) और अपना डीपी आईडी/ग्राहक आईडी नंबर (उनके लिए जिनके पास शेयर इलैक्ट्रॉनिक रूप में हैं) का अवश्य उल्लेख करें।

7. भुगतान/दावा न किए गए लाभांश, यदि कोई हो

जिन शेयरधारकों ने अपने पिछले लाभांश वारंटों का नकदीकरण नहीं लिया है वे बैंक के शेयर ट्रांस्फर एजेंट से दर्शाए गए पते पर या 21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली–110 008 में बैंक के शेयर कक्ष से संपर्क करें।

8. फोलियों का समेकन

जिन शेयरधारकों के पास एक से अधिक खातों में अपने समरूप नाम से शेयर हैं, उनसे अनुरोध है कि वे लिंक इनटाईम इंडिया प्रा. लि. (आर.टी.ए.) को शेयर प्रमाण–पत्रों के साथ ऐसे खातों के लेजर फोलियो के साथ सूचित करें ताकि बैंक एक खाते मे सभी धारित शेयरों का समेकन करने में सक्षम हो सके। पृष्ठांकन संबंधी आवश्यक कार्रवाई करने के बाद, सदस्यों के शेयर प्रमाण–पत्र यथा समय लौटा दिए जाएंगे।

9. शेयर धारकों से अनुरोध

शेयरधारकों/प्रॉक्सी धारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे वार्षिक सामान्यत बैठक में वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रति साथ लेकर आए। वार्षिक सामान्य बैठक में वार्षिक रिपोर्ट की कोई प्रति वितरित नहीं की जाएगी।

10. शेयर धारकों के मताधिकार

अधिनियम की धारा 3(2ई) में दिए गए प्रावधानों की शर्तों के अनुसार केंन्द्र सरकार के अलावा, बैंक का कोई भी शेयरधारक अपने द्वारा धारक शेयर, बैंक के सभी शेयर धारकों के कुल मताधिकार का 10 प्रतिशत से अधिक शेयर, रखता है तो वह मताधिकार का पात्र नहीं होगा।

बैंक सभी शेयरधारकों को एजेंडा मदों के लिए ई–वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रहा है। वा.सा.बै. की ई–वोट–वोट की पात्रता की अंतिम दिनांक (कट ऑफ डेट) 22.06.2015 है। ई–वोटिंग की अवधि 26.06.2015 को पूर्वाह्न 10.00 बजे प्रारंभ होगी और 28.06.2015 को अपराह्न 5.00 बजे तक होगी। इसके पश्चाएत ई–वोट नहीं की जा सकेगी। लॉगइन आईडी, पासवर्ड, पद्यति अनुबंध में दी गई है।

5. PAYMENT OF DIVIDEND

The Board of Directors of the Bank in its meeting held on 12.05.2015 recommended a dividend of Rs.0.60 (paise sixty only) per equity share of Rs. 10/- each fully paid up, for the financial year 2014-15. Dividend as recommended by the Board of Directors, on approval and declaration at the Fifth Annual General Meeting will be paid as under:

a. To all beneficial owners in respect of shares held in electronic form as per the data as may be made available by the National Securities Depository Services Ltd. (NSDL) / Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) as of the close of business hours on 22.06.2015.

b. To all the members in respect of shares held in physical form after giving effect to valid transfers, if any, in respect of transfer requests lodged with the Bank/ Bank's Share Transfer Agent, i.e., Link Intime India Pvt. Ltd. on or before the close of business hours, i.e. 5.00 p.m. on 22.06.2015.

c. The dividend will be distributed to the eligible shareholders within thirty days from the date of Fifth Annual General Meeting.

6. DIVIDEND MANDATE / CHANGE OF ADDRESS

a. Beneficial Owners holding shares in electronic form are hereby informed that Bank particulars registered against their respective depository account will be used by the Bank for payment of dividend. The Bank or its Share Transfer Agent can not act on any request received directly from the shareholders holding shares in electronic form for any change of bank particulars or bank mandate. Such changes are to be advised only to their Depository Participant.

b. Shareholders holding shares in physical form are requested to advise any change of address, bank details immediately to the Bank's Share Transfer Agent, i.e. Link Intime India Pvt. Ltd. Shareholders holding shares in electronic form must send the advice about change in address, bank details to their respective Depository Participant only and not to the Bank or Bank's Share Transfer Agent.

c. Shareholders are requested to invariably quote their respective folio number/s (for those holding shares in physical form) and their respective DP ID / Client ID number (for those holding shares in electronic form) in any correspondence with the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.

7. UNPAID/UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY

The shareholders who have not encashed their dividend warrants for the previous years are requested to approach the Banks' Share Transfer Agent at aforesaid address or at Banks' Shares Cell at Head Office, 21- Rajendra Place, New Delhi-110008.

8. CONSOLIDATION OF FOLIOS:

The shareholders, who are holding shares in identical order of names in more than one folio, are requested to intimate to Link Intime India Pvt. Ltd. (RTA), the ledger folio of such accounts together with the share certificate(s) to enable the Bank to consolidate all the holdings into one folio. The share certificate(s) will be returned to the Shareholders after making necessary endorsement in due course.

9. REQUEST TO SHAREHOLDERS:

Shareholders / Proxy holders / Authorised Representatives are requested to bring their copies of the Annual Report to the Annual General Meeting. No copy of the Annual report shall be provided at the venue of the Annual General Meeting.

10. VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS:

In terms of the provisions of Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 no shareholder of the Bank, other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him / her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

The Bank is offering e-voting facility for agenda items to all shareholders. The Cut-off date for eligibility to e-vote/vote at AGM is 22.06.2015. The e-voting period shall commence on 26.06.2015 from 10.00 a.m. and end on 28.06.2015 up to 5.00 p.m. beyond which shareholders cannot e-vote. Details for log-in ID, password, procedure is annexed.

जिन शेयरधारकों ने ई–वोट किया है वार्षिक सामान्य बैठक में भाग ले सकते हैं किंतु पोल में भाग नहीं ले सकते। यदि उन्होंने पोल के माध्यम से वोट किया तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

शेयर कक्ष

शेयरधारकों को तीव्र एवं प्रभावी सेवा प्रदान करने के लिए बैंक ने प्रधान कार्यालय में शेयर कक्ष की स्थापना की है। शेयरघारक निम्न पते पर किसी प्रकार की सहायता के लिए संपर्क कर सकते हैं–

कंपनी सचिव,

पंजाब एण्ड सिंध बैंक,

प्रधान कार्यालय, लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग (शेयर कक्ष)

21–राजेन्द्र प्लेस, प्रथम तल, नई दिल्ली–110008

टेलिफोन : 011–25782926, 25812922

ई–मेल : **complianceofficer@psb.co.in**

अन्य जानकारी

शेयरधारक कृपया जान लें कि सभा में किसी भी प्रकार का उपहार/उपहार कूपन नहीं दिया जाएगा।

कड़ी सुरक्षा के कारणों से हाल के भीतर ब्रीफ केस, खाद्य पदार्थ तथा निजी वस्तुएं ले जाना मना है। इसलिए बैठक में उपस्थित होने वाले सभी व्यक्ति अपने सामान की सुरक्षा की व्यवस्था स्वयं करें।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 15 मई, 2015

जतिन्दरबीर सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

The shareholders who have e-voted can participate in the AGM but cannot participate in poll. Incase they vote through poll, the same will not be considered.

SHARES CELL

In order to facilitate quick and efficient service to the shareholders, the Bank has set up a Shares cell at its Head Office, New Delhi, Shareholders may contact this Cell at the under mentioned address for any assistance :

The Company Secretary,

Punjab & Sind Bank,

Head Office, Shares Cell, Accounts & Audit Department,

21 Rajendra Place, 1st floor, New Delhi-110008

Telephone : 011-25782926, 25812922

E-mail : **complianceofficer@psb.co.in**

OTHER INFORMATION

Shareholders may kindly note that no gift/gift coupons will be distributed at the meeting.

Due to strict security reasons, brief cases, eatables and other belongings are not allowed inside the hall. Persons attending the meeting are, therefore, advised to make their own arrangements for the safe keeping of their articles.

By Order of the Board of Directors

Place : New Delhi
Date : 15th May 2015

Jatinderbir Singh
Chairman & Managing Director

ई-वोटिंग

पंजाब एण्ड सिंध बैंक की पाँचवीं वार्षिक सामान्य बैठक के लिए ई-वोटिंग

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के अनुसार, बैंक पॉचवीं वार्षिक सामान्य बैठक में अपने शेयरधारकों को सीडीएसएल के माध्यम से ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करेगा।

सदस्यों हेतु इलैक्ट्रोनिक विधि से वोटिंग हेतु निर्देश निम्नानुसार हैं : -

(i) दिनांक 26.06.2015 को प्रातः 10 बजे मतदान अवधि जारी होगी और दिनांक 28.06.2015 को सायंकाल 5.00 बजे समाप्त हो जाएगी। इस अवधि के दौरान बैंक का शेयरधारक जिसके पास अंतिम तिथि 22.06.2015 को शेयर भौतिक रूप में अथवा अभौतिक रूप में हैं, अपना मतदान ईलैक्ट्रॉनिक रूप से कर सकता है। उसके बाद सीएसडीएल द्वारा मतदान प्रक्रिया रोक दी जाएगी।

(ii) शेयरधारकों को ई.वोटिंग साईट www.evotingindia.com पर मतदान हेतु लॉग ऑन करना चाहिए।

(iii) शेयरधारक पर क्लिक करें।

(iv) अब अपना यूजर पासवर्ड प्रविष्ट करें।

क. सीएसडील हेतु – 16 अंकों की हिताधिकारी आईडी।

ख. एनएसडीएल हेतु – 8 स्वरूप की डीपी आईडी के बाद 8 अंकों की ग्राहक आईडी।

ग. भौतिक रूप में शेयर धारक अपनी पंजीकृत फोलियों संख्या प्रविष्ट करें।

(v) दर्शायी गई ईमेज को प्रविष्ट करें और लॉगइन पर क्लिक करें।

(vi) यदि आपके पास शेयर अभौतिक रूप में हैं और आपने www.evotingindia.com पर लॉगऑन कर दिया है और पूर्व में किसी कंपनी हेतु मतदान कर दिया है तो अपना वर्तमान पासवर्ड का प्रयोग करें।

(vii) यदि आप प्रथम वार मतदान कर रहे हैं तो निम्न दिए गए कदमों का अनुसरण करेः

	डीमेट रूप तथा भौतिक रूप में शेयरधारकों हेतु
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10 अंकों का अल्फा-न्यूमेरिक पैन प्रविष्ट करें (यह डीमेट शेयरधारकों और भौतिक शेयरधारकों दोनों के लिए लागू है)
जन्म-तिथि	डीमेट खाते में या कंपनी के डीमेट खाते के रिकॉर्ड के अनुसार या फोलियो में दिन/माह/वर्ष रूप में अपनी जन्मतिथि प्रविष्ट करें।
लाभांश बैंक विवरण	डीमेट खाते में या कंपनी के डीमेट खाते/ फोलियो में दर्ज रिकॉर्ड के अनुसार अपना लाभांश बैंक विवरण प्रविष्ट करें। • कृपया जन्मतिथि या लाभाँश बैंक विवरण लॉगइन करने हेतु करें। यदि विवरण डिपॉजिटरी या कंपनी के पास पंजीकृत नही हैं तो कृपया लाभांश बैंक विवरण फील्ड में सदस्य आईडी/फोलियों संख्या जैसा कि (iv) में उल्लेखित है, प्रविष्ट करें।

(viii) इन विवरणों को प्रविष्ट करने के पश्चात्, "SUBMIT" टेब पर क्लिक करें।

(ix) सदस्य जिनके पास भौतिक रुप में शेयर हैं, सीधे सेलेक्शन स्क्रीन पर सीधे पहुँच सकते हैं। जबकि सदस्य जिनके पास डीमेट रुप में शेयर हैं "पासवर्ड क्रिएशन विकल्प" में पहुँचेंगे जहाँ उनके द्वारा लॉगिन पासवर्ड, नए पासवर्ड स्थान में बदल कर देना आवश्यक है। कृपया ध्यानपूर्वक नोट करें कि यह पासवर्ड, डीमेट धारकों द्वारा, किसी भी कंपनी, जिसमें वह वोट देने के लिए समर्थ है, जबकि वह कंपनी जिसमें CDSL द्वारा ई-वोटिंग करवाती हो, प्रयोग किया जा सकता है। आपको गंभीरता से सलाह दी जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा अपने पासवर्ड को गोपनीय रखें।

(x) सदस्य जिनके पास शेयर भौतिक रूप में हैं, विवरण का केवल उपयोग इस नोटिस में ई-मतदान हेतु दिए गए मसौदे में किया जा सकता है।

(xi) पंजाब एण्ड सिंध बैंक हेतु "EVSN" पर क्लिक करें जिसको आप मतदान करना चाहते हैं।

(xii) वोटिंग पृष्ठ पर आप रिजोल्यूशन विवरण के समक्ष हाँ/नहीं का विकल्प, वोटिंग के लिए देखेंगे। आवश्यक हाँ अथवा नहीं, विकल्प का चुनाव करें। हाँ का विकल्प, प्रस्ताव के प्रति आपकी सहमति सूचित करता है तथा नहीं का विकल्प, प्रस्ताव के प्रति आपकी असहमति सूचित करता है।

E-Voting

E-Voting for the Fifth Annual General Meeting of Punjab & Sind Bank

In terms of Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Bank shall provide facility of e-Voting, through CDSL, to the shareholders for the Fifth AGM.

The instructions for shareholders voting electronically are as under:

(i) The voting period begins on 26.06.2015 at 10.00 a.m. and ends on 28.06.2015 at 5.00 p.m. During this period shareholders' of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date 22.06.2015, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

(ii) The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.

(iii) Click on Shareholders.

(iv) Now Enter your User ID

a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,

b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,

c. Members holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered.

(v) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.

(vi) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier voting of any company, then your existing password is to be used.

(vii) If you are a first time user, follow the steps given below:

	For Members holding shares in Demat Form and Physical Form
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders)
DOB	Enter the Date of Birth as recorded in your demat account or in the company records for the said demat account or folio in dd/mm/yyyy format.
Dividend Bank Details	Enter the Dividend Bank Details as recorded in your demat account or in the company records for the said demat account or folio. • Please enter the DOB or Dividend Bank Details in order to login. If the details are not recorded with the depository or company please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (iv).

(viii) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.

(ix) Members holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

(x) For Members holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.

(xi) Click on the EVSN for Punjab & Sind Bank on which you choose to vote.

(xii) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.

(xiii) यदि आप सभी प्रस्तावों को देखना चाहते हैं तब "रिजोल्यूशन फाइल लिंक" को क्लिक करें।

(xiv) वोट करने के प्रस्ताव को चुनने के पश्चात SUBMIT पर क्लिक करें । एक पुष्टि बॉक्स वहाँ दिखेगा, यदि आप पुष्टि करना चाहते हैं तो "OK" पर क्लिक करें और यदि अपना वोट बदलना चाहते हैं तो CANCEL पर क्लिक करें और इसप्रकार आप अपना वोट बदल सकते हैं।

(xv) यदि आप प्रस्ताव पर एक बार अपना वोट कर देते हैं तब आपको उसे बदलने की अनुमति नहीं होगी।

(xvi) आप अपने द्वारा किए गए मतदान का प्रिंट भी मतदान पृष्ठ पर "प्रिंट लेने हेतु यहा क्लिक करें" पर क्लिक कर ले सकते हैं।

(xvii) यदि डीमेट खाताधारक अपना परिवर्तित पासवर्ड भूल गया है तब यूजर आईडी और ईमेज स्त्यान कोड को प्रविष्ट करें और भूले हुए पासवर्ड पर क्लिक करें तथा प्रणाली द्वारा मांगे गए विवरण को प्रविष्ट करें।

(xviii) अवैयक्तिक शेयरधारक तथा अभिरक्षकों हेतु नोट

- अवैयक्तिक शेयरधारक (जैसे वैयक्तिक से अलग, हिंदू संयुक्त परिवार, एनआरआई आदि) और अभिरक्षकों को www.evotingindia.com लॉगइन करना होगा और कॉर्पोरेट के रूप में स्वयं को पंजीकृत कराना होगा।
- पंजीकरण की स्कैन कॉपी जिस पर संस्था की मोहर तथा हस्ताक्षर होने चाहिए, को helpdesk.evotingindia@cdslindia.com पर ई–मेल कर देना चाहिए।
- लॉगइन विवरण प्राप्त होने के बाद ंकउपद लॉगइन और पासवर्ड का उपयोग कर अनुपालन यूजर क्रिएट कर लेना चाहिए। अनुपालन यूजर खाता(ओं) को लिंक करने मे समर्थ होगा जिसके लिए वो मतदान करना चाहते हैं।
- सभी खातों की सूची helpdesk.evotingindia@cdslindia.com को मेल कर देनी चाहिए और खातों की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद, वो मतदान करने में समर्थ होंगे।
- अभिरक्षक के पक्ष में उनके द्वारा जारी पॉवर ऑफ अटार्नी और बोर्ड संकल्प की स्कैनड प्रति, यदि कोई है, को पीडीएफ प्रारूप में प्रणाली में अपलोड करना चाहिए ताकि छानबीन करने वाला उसको सत्यापित कर सके।

(xix) व्यक्तियों जिन्होंने शेयर खरीदे हैं और नोटिस को प्रेषित करने के बाद भी ई–वोटिंग हेतु उपरोक्त प्रक्रिया अपना सकते हैं।

नोटः किसी भी सदस्य के पास वोट देने का एक ही विकल्प है या तो वह भोतिक रूप से मतदान करे या ई–वोटिंग करे। यदि कोई सदस्य ई–वोटिंग का विकल्पि चुनता है, तो वह फिर भोतिक मतदान नहीं कर सकेगा। यद्यपि कोई सदस्य भोतिक रूप से तथा ई–वोटिंग द्वारा वोट करता है तो ऐसी स्थिति में ई–वोटिंग द्वारा किया गया मत मान्य होगा और भौतिक मतदान पर ध्यान नहीं दिया जाएगा या नजरअंदाज किया जाएगा। यद्यपि जिस शेयरधारक ने ने ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दिया है वह सामान्य बैठक में सहभागिता कर सकता है किंतु पोल में वोट नहीं कर सकता।

श्री रमेश कुमार कोछड़ को, कंपनी सेक्रेटरी (सीवी नं. 10818) को इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रक्रिया के लिए अंकेक्षक नियुक्तक किया गया है, जो पक्ष या विपक्ष में डाले गए वोटों की रिपोर्ट तैयार करेंगे तथा इसे बैठक संपन्न् होने के तीन दिनों के भीतर अध्यक्ष, वार्षिक सामान्य बैठक को संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

घोषित परिणाम के साथ अंकेक्षक की रिपोर्ट को बैंक की वेबसाइट तथा सीडीएसएल की वेबसाइट पर अध्यक्ष द्वारा परिणाम की घोषणा के तुरंत बाद डाल दिया जाएगा।

पर्याप्त वोट की प्राप्ति पर संकल्प को वार्षिक सामान्य बैठक के दिन पारित माना जाएगा।

बैठक की सूचना www.psbindia.com पर भी प्रदर्शित है।

यदि ई–वोटिंग के संदर्भ में आपका कोई प्रश्न अथवा जिज्ञासा है तो बार–बार पूछे जाने वाले ("FAQs") पर जाएं तथा सहायता अनुभाग के अंतर्गत www.evoting@cdsindia.com पर ई–वोटिंग मेनुअल उपलब्ध है या helpdesk.evoting@cdsindia.com को ई–मेल करें या श्री वेनसिसलॉस फुरटेडो (Wenceslaus Furtado), डिप्टी प्रबंधक, CDSL, 16वां माला, पी.जे. टॉवर, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुम्बई–400001, दूरभाष नं. 18002005533 या श्री भारत भूषण, एसोशिएट उपाध्यक्ष, लिंक ईनटाइम प्रा. इंडिया लिमिटेड, 44, कम्यूनिटी सेंटर, द्वितीय तल, नरायणा औद्योगिक क्षेत्र, फेज–1, नई दिल्ली–28 दूरभाष नं. 011–41410592,41410593 या delhi@linkintime.co.in को ई–मेल करें।

(xiii) Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.

(xiv) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.

(xv) Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

(xvi) You can also take out print of the voting done by you by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.

(xvii) If Demat account holder has forgotten the changed password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.

(xviii) Note for Non – Individual Shareholders and Custodians

- Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodian are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves as Corporates.
- A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- After receiving the login details a compliance user should be created using the admin login and password. The Compliance user would be able to link account(s) for which they wish to vote on.
- The list of accounts should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
- A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.

(xix) Person who have acquired shares and become members after despatch of notice may also use the above given procedure for remote e-voting.

Note: In case member(s) cast their vote both via Physical Ballot and e-voting, then voting done through e-voting shall prevail and voting done by Physical Ballot will be ignored. However, shareholder(s) who have casted their vote through e-voting can participate in General Meeting but cannot vote in poll.

Mr. Ramesh Kumar Kochar, Practicing Company Secretary (CP No. 10818) has been appointed as the Scrutinizer to the electronic voting process and for poll at the Annual General Meeting, who shall prepare and submit its report of the votes cast in favour or not in favour/ against, to the Chairman of the Annual General Meeting within 3 days of the conclusion of the meeting;

The results declared along with the Scrutinizer's report shall be placed on the website of the Bank and on the website of CDSL immediately after the result is declared by the Chairman;

Subject to receipt of the sufficient votes, the resolution(s) shall be deemed to be passed on the date of the Annual General Meeting;

Notice of the meeting is also displayed at www.psbindia.com and www.cdslindia.com.

In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call Mr. Wenceslaus Furtado, Deputy Manager, CDSL, 16th floor, P.J Tower, Dalal Street, Fort, Mumbai-400001, Phone-18002005533 or Call Mr. Bharat Bhushan, Associate Vice President, Link Intime India Pvt. Ltd, 44-Community Centre, 2nd floor, Naraina Indl Area, Phase-I, New Delhi-28 Phone-41410592, 41410593 or write an email to delhi@linkintime.co.in.

निदेशक मंडल रिपोर्ट 2014–15

निदेशक मंडल दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट, तुलन–पत्र तथा लाभ–हानि खाते को हर्ष के साथ प्रस्तुत करता है।

आर्थिक परिदृश्यः

जैसे कि 2011 में कुल जनगणना दर्ज की गई, जिसकी भविष्यवाणी की गई थी, की तुलना में देश की कुल जनसंख्या 1.21 अरब थोड़ी अधिक है। लेकिन जनसंख्या वृद्धि दर में 1991 से 2001 की 1.97 प्रतिशत तथा 2001 और 2011 के मध्य प्रति वर्ष 1.64 प्रतिशत है, में कमी आई है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने आंकलन किया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की ट्रेन्ड/भावी वृद्धि दर जोकि वर्ष 2011–12 से 2013–14 के दौरान औसतन 5.3 प्रतिशत रही, उसके बाद नीचे गिरती रही और वर्तमान में 4.7 प्रतिशत है।

अपने वृद्धि दर के इतिहास तथा कार्यनिष्पादन को ध्यान में रखते हुए यानि संसार की तुलना में, हम निश्चित रूप में कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में 9 प्रतिशत या अधिक वृद्धि की संभावना है। इस लिए, वर्तमान में हम अपनी संभावना से कम वृद्धि कर रहे हैं और इसके विपरीत उत्पादकता अंतर को बंद कर रहे हैं (अर्थात् वास्तविक वृद्धि घटा संभाव्य वृद्धि), हमारी उच्चतम प्राथमिकता होनी चाहिए। अगली प्राथमिकता संभाव्य वृद्धि का मार्ग होना चाहिए। यद्यपि, हमारी अर्थव्यवस्था के सम्मुख कुछ बुनियादी समस्याएं हैं और भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य संबंधित अभिकरण उपक्रम उपचारात्मक उपाय कर रहे हैं।

2014–15 हेतु मेडियन ने जीडीपी के 4.4% वित्तीय घाटे की भविष्यवाणी की जिसको 4.1% से 5.5% की सूचनात्मक क्षेत्र में बताया। वर्तमान में अंतरिम बजट में घोषणा अनुसार अनुमानित 4.1% से थोड़ी अधिक है। आर्थिक सहायता बिल अधिक होने की संभावना से वित्तीय घाटे का होना वास्तविक है।

यद्यपि, 2013 के अंत में 6% बिंदुओं की महगाई दर में कमी होने के कारण अर्थव्यवस्था में सुधार आया है और करंट खाते के जमा में जीडीपी के 6.7% के उच्च स्तर में कमी आई जोकि वर्ष 2014–15 में 1% की अनुमानित है। विदेशी मुद्रा के प्रवाह से रुपए में स्थिरता आई है और भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य संबंधित अभिकरण उपक्रम के उपायों से 12 तिमाही की गिरावट के बाद वास्तविक जीडीपी में 2013–14 से 7.2% की वृद्धि हो रही है।

अगले वित्तीय वर्ष में कृषि क्षेत्र में 3.3% की वृद्धि की आशा है। योजनाकर्ता अपेक्षा करते हैं कि वर्ष 2014–15 में उद्योग क्षेत्र के अंदर 3.3% की भावी वृद्धि के साथ क्रांती आएगी। औद्योगिक वृद्धि का 1.8% (न्यूनतम) से 4.4% (अधिकतम) के बीच का आंकलन है। जब कि वर्ष 2014–15 में सेवा क्षेत्र के कार्यनिष्पादन में 7.0% की वृद्धि दर बनी रहने की संभावना है।

वित्तीय वर्ष– 2015 में तिमाही वृद्धि में सुधार की आशा है। औद्योगिक क्षेत्र में अच्छा कार्य–निष्पादन दिखाई दिया है, सेवा क्षेत्र के कार्य–निष्पादन में भी मध्यम वृद्धि की आशा है।

आर्थिक क्षेत्रः

- मुद्रा नीति में सरलता लाई गई है, परिणाम स्वरूप, सीपीआई मुद्रास्फीति परियोजना वर्ष के अंत तक 5 प्रतिशत पर है,
- मुद्रास्फीति को 6% से कम रखने के लिए भा.रि.बैंक के साथ मौद्रिक नीति संरचना समझौता किया गया है।
- वर्ष 2015–16 में जीडीपी की वृद्धि को 8 से 8.5% के बीच रखने की परियोजना है।
- तदनुसार, 3.0% के वित्तीय घाटा लक्ष्य आगामी 2 वर्ष की अपेक्षा 3 वर्षों में प्राप्त कर लिया जाएगा। वर्ष 2015–16, 2016–17 व 2017–18 में वित्तीय घाटा लक्ष्य क्रमशरू 3.9%, 3.5%, 3.0% रखा गया है।

बैंक चुनौतियों का सामना बड़े साहस से कर रहा है परंतु आस्ति गुणवत्ता पूरे वर्ष में बैंक के लिए एक गंभीर मुद्दा बना रहा तथा जमा के उच्च मूल्य, कम आय तथा कम कुल ब्याज मार्जिन सहित लाभप्रदता पर प्रभाव बना हुआ है।

कार्य–निष्पादन परिणाम

कुल व्यापार

दिनांक 31.03.2014 को बैंक के रु. 142588 करोड़ की तुलना में वर्ष 31.03.2015 की समाप्ति पर बैंक के कुल व्यापार में 6.26% की वृद्धि दर्ज की गई जोकि रु. 151511 रहा।

लाभ

वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान रु. 300.63 करोड़ की तुलना में बैंक ने वर्ष 2014–15 के दौरान रु.121.35 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया। वर्ष 2013–14 के 0.35% की तुलना में आस्तियों पर प्रतिफल 0.13% रहा।

DIRECTORS' REPORT 2014-15

The Board of Directors have pleasure in presenting Annual Report of the Bank along with the Balance Sheet & Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 2015.

ECONOMIC OUTLOOK

The country's total population, as recorded in Census 2011, at 1.21 billion, is slightly more than what was forecast. But the population growth rate has decelerated from 1.97 per cent per annum between1991 and 2001, to 1.64 per cent per annum between 2001 and 2011. Reserve Bank of India estimates that the trend/potential growth rate of the Indian economy, which averaged around 5.3 per cent during 2011-12 to 2013-14, dipped gradually thereafter and presently stands at about 4.7 per cent.

Looking at our growth history and our performance vis-à-vis the rest of the World, we can definitely say that the Indian economy has the potential to grow at 9 per cent and above. Therefore, we are currently growing below our potential and closing this negative output gap (i.e., actual growth minus potential growth) should be our highest priority. The next priority would be to raise the potential growth path. However, there are some fundamental problems facing our economy and Government, RBI and other concerned agencies undertaking corrective measures.

The median forecast for fiscal deficit as a percent of GDP for 2014-15 was put at 4.4%, with an indicative range of 4.1% to 5.5%. This is slightly higher than the 4.1% estimate announced recently in the interim budget. The possibility of subsidy bill overshooting leading to a fiscal slippage remains real.

However, the State of economy has improved with decline in inflation by over 6% points since late 2013 and downfalls of current account deficit from a peak of 6.7% of GDP (in Q3 2013) to an estimated 1% in 2014-15.Foreign portfolio flows have stabilized the rupee and with the Government, RBI and other concerned agencies undertaking number of measures real GDP has been growing at 7.2% since 2013-14 after a newly 12 quarter phase of declaration.

Agriculture sector is expected to grow by 3.3% in the next fiscal year. Respondents expect the industry sector to recoup, with a projected growth of 3.3% in 2014-15. The industrial growth estimate ranges between 1.8% (minimum) and 4.4% (maximum). Meanwhile, service sector performance is expected to remain consistent with a growth rate of 7.0% in 2014-15.

The quarterly growth is expected to improve in FY15. Industrial sector is likely to see a better performance, the performance of services sector is also expected moderate growth.

State of Economy:

- CPI inflation projected at 5% by the end of the year, consequently, easing of monetary policy.
- Monetary Policy Framework Agreement with RBI, to keep inflation below 6%.
- GDP growth in 2015-16, projected to be between 8 to 8.5%.
- Accordingly, journey for fiscal deficit target of 3% will be achieved in next 3 years rather than 2 years. The fiscal deficit targets are 3.9%, 3.5% and 3.0% in FY 2015-16, 2016-17 & 2017-18 respectively.

Bank faced the challenges bravely but still throughout the year, asset quality remained a serious cause of concern for the bank and there has been pressure on the profitability with high cost of deposit, low income and lower Net Interest Margin.

WORKING RESULTS

TOTAL BUSINESS

During the year ended 31.03.2015, total Business of the Bank recorded an increase of 6.26% at Rs.151511 crore as compared to Rs.142588 crore as on 31.03.2014.

PROFIT

The Bank recorded a Net Profit of Rs.121.35 crore for the year 2014-15 as compared to that at Rs.300.63 crore during the FY 2013-14. The Return on Assets (ROA) stood at 0.13% as compared to that at 0.35% in the year 2013-14.

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के परिणामों की प्रमुख बातें राशि लाखों में			
	समाप्त वर्ष		प्रतिशत में परिवर्तन
	31.03.2015	31.03.2014	
ब्याज की आय	858855	797271	7.72
अन्य आय	42875	42728	0.34
कुल आय	901730	83999	7.35
कुल व्यय	824185	759945	8.45
परिचालन लाभ	77545	80055	(3.14)
शुद्ध लाभ	12135	30063	(59.63)
आस्तियों पर प्रतिफल	0.13%	0.35%	–––
शुद्ध ब्याज मार्जिन (एन.आई.एम.)	1.80%	1.88%	–––
सकल अनर्जक आस्तियां %	4.76%	4.41%	––––
शुद्ध अनर्जक %	3.55%	3.35%	–––
पूंजी पर्याप्तता अनुपात (%) (बॉसल II)	11.88%	12.10%	–––
पूंजी पर्याप्तता अनुपात (%) (बॉसल III)	11.24%	11.04%	–––
प्रति शेयर आय (रु.)	3.59	10.69	–––

पूंजी एवं आरक्षितियाँ

सेबी आई.सी.डी.आर. अधिनियम के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक/वित्त–मंत्रालय से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् बैंक ने वर्ष के दौरान रु. 10/– प्रति शेयर के अनुसार 3,04,36,252 ईक्वटी शेयरों को भारतीय जीवन बीमा निगम को रु. 59.14 प्रति शेयर की निर्णीत दर पर अधिमान निर्गम आधार पर जारी किया है।

सेबी आई.सी.डी.आर. अधिनियम के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक/वित्त मंत्रालय से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् बैंक ने भारत सरकार द्वारा धारित रु. 200 करोड़ के बेमियादी गैर संचयी अधिमान शेयर (पीएनसीपीएस), रु. 200 करोड़ के बेमियादी संचयी अधिमान शेयर (पीसीपीएस), तथा रु. 160 करोड़ के नवोन्मेषी बेमियादी ऋण लिखित (आईपीडीआई) को विनिमेय कर रु. 10/– अंकित मूल्य के 9,46,90,563 इक्विटी शेयरों को अधिमान आधार पर जारी एवं आबंटित किया।

तदनुसार, बैंक की ईक्वटी शेयर पूंजी रु. 125.13 करोड़ से बढ़ कर रु. 400.41 करोड़ हो गई और शेयर प्रीमियम में रु. 614.06 करोड़ (प्राप्त शेयर प्रीमियम रु.614.87 करोड़ घटा शेयर निर्गम व्यय रु. 0.81 करोड़) से बढ़ कर रु. 1318.04 करोड़ हो गई।

दिनांक 31.03.2014 को बैंक की निवल मालियत रु. 4180.40 करोड़ से बढ़ कर दिनांक 31.03.2015 को रु.4811.56 करोड़ हो गई।

दिनांक 31.03.2015 को बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बॉसल III) 11.24% है जोकि निर्धारित न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात 9% के विरुद्ध है।

गैर–जमानती प्रतिदेय बांडः (टीयर–II की पूंजी हेतु गौण ऋण)

वर्ष के दौरान, बैंक ने रु. 40.00 करोड़ के टीयर II बांड का भुगतान किया जिसके कारण दिनांक 31.03.2015 को टीयर II बांड का कुल बकाया रु. 1,325.00 करोड़ था।

जमा वृद्धि

बैंक की कुल जमा राशियों में 31 मार्च, 2015 को 2.34% की वृद्धि हुई जिससे रु. 1984.55 करोड़ की संवृद्धि के साथ यह रु. 86714.71 करोड़ हो गई जोकि दिनांक 31.03.2014 को रु. 84730.16 करोड़ थी। दिनांक 31.03.2015 को बैंक की औसत जमा लागत 8.21% रहा जोकि विगत वर्ष 8.22% था।

अग्रिम

दिनांक 31.03.2015 को बैंक के कुल अग्रिम 11.99% की वृद्धि के साथ रु. 57857.74 करोड़ रहे जोकि दिनांक 31.03.2014 को रु. 57857.74 करोड़ थे। दिनांक 31.03.2015 के अनुसार अग्रिमों पर औसत प्रतिफल 11.12% रहा जोकि विगत वर्ष 11.34% था।

HIGHLIGHTS OF RESULTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2015 (Rs in Lac)			
	Year Ended		%age change
	31.03.2015	31.03.2014	
Interest Income	858855	797271	7.72
Other Income	42875	42728	0.34
Total Income	901730	839999	7.35
Total Expenditure	824185	759945	8.45
Operating profit	77545	80054	(3.14)
Net Profit	12135	30063	(59.63)
ROA	0.13%	0.35%	---
Net Interest Margin (NIM)	1.80%	1.88%	---
Gross NPA	4.76%	4.41%	---
Net NPA	3.55%	3.35%	---
Capital Adequacy Ratio(Basel II)	11.88%	12.10%	---
Capital Adequacy Ratio (Basel III)	11.24%	11.04%	---
EPS (Rs.)	3.59	10.69	---

CAPITAL & RESERVE

During the year, the Bank has issued 3,04,36,252 Equity Shares of Rs.10/- each to Life Insurance Corporation of India by way of Preferential Issue at a price of Rs.59.14 per share determined as per SEBI ICDR Regulation after taking necessary approval from RBI/ MOF.

Perpetual Non Cumulative Preference Shares (PNCPS) of Rs.200 crore, Perpetual Cumulative Preference Shares (PCPS) of Rs.200 crore and Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI) of Rs.160 crore held by Government of India have been converted into 9,46,90,563 Equity Shares of Rs.10/- each by way of Preferential Issue at a price of Rs.59.14 per share determined as per SEBI ICDR Regulation after taking necessary approval from RBI/ MOF.

Accordingly, the Equity Share Capital of the Bank has increased by Rs.125.13 crore to Rs.400.41 crore and Share Premium has increased by Rs.614.06 crore (Share Premium Received Rs.614.87 crore minus Share Issue Expenses Rs.0.81 crore) to Rs.1318.04 crore.

The Net Worth of the Bank has improved from Rs.4180.40 crore as on 31.03.2014 to Rs.4811.56 crore as on 31.03.2015.

The Capital Adequacy Ratio (Basel III) of the Bank is 11.24% as on 31.03.2015 against the minimum stipulated requirement of 9%

UNSECURED REDEEMABLE BONDS: (Subordinated Debts for Tier –II Capital)

During the Year, the Bank has redeemed Tier II Bonds of Rs.40.00 crore. Thereby, total outstanding of Tier II Bonds was Rs.1325.00 crore.

DEPOSIT GROWTH

The total deposit of the Bank registered a growth of 2.34% with Net accretion of Rs.1984.55 crore to reach at Rs.86714.71 crore as on March 31, 2015 from Rs.84730.16 crore as on March 31, 2014. The average cost of deposit of the bank stood at 8.21% as compared to 8.22% in previous year.

ADVANCES

The Bank's Advances increased by 11.99% from Rs.57857.74 crore as on 31.03.2014 to Rs.64796.42 crore as on 31.03.2015. The average yield on Advances stood at 11.12% as on 31.03.2015 compared to 11.34% during the last year.

प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम

बैंक ने राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के विभिन्न लक्ष्यों जिनमें कृषि, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम, आवास, शिक्षा, कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक समुदायों हेतु सूक्ष्म–ऋण शामिल हैं को पूर्व की भांति जारी रखा है।

बैंक के प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम में रु. 2554 करोड़ की वृद्धि हुई जो कि 31.03.2014 के रु.17680 करोड़ से बढ़कर 31.03.2015 को रु. 20234 करोड़ हो गए। इस प्रकार इसमें वार्षिक आधार पर 14.45 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

विशेष कृषि–ऋण योजना (एसएसीपी)

बैंक ने वित्त–वर्ष 2014–15 में विशेष कृषि–ऋण योजना (एसएसीपी) के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य रु. 8290 करोड़ का 104% रु. 8654 करोड़ का संवितरण करते हुए लक्ष्य प्राप्त किया।

रुपए किसान डेबिट कार्ड

वर्ष 2014–15 के दौरान बैंक ने दिनांक 31.03.2015 तक 160563 केसीसी धारकों को एटीएम समर्थित रुपए किसान डेबिट कार्ड जारी किए तथा 99.38% पात्र क्रेडिट कार्ड धारकों को कवर किया गया।

अल्पसंख्यक समुदाय हित

निर्धारित अल्पसंख्यक समुदायों को रु. 7658.59 करोड़ के अग्रिम आंबटित किए गए तथा यह प्राथमिकता क्षेत्र को कुल अग्रिम के निर्धारित स्तर 15% के विरुद्ध 37.85% है।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो को अग्रिम

कमजोर वर्ग समूहों को अग्रिम रु. 5857 करोड़.थे। एएनबीसी द्वारा कमजोर वर्गों को निर्धारित 10% का लक्ष्य प्राप्त किया।

नए आयाम

- ✓ ईलेक्ट्रॉनिक डिलवरी चैनल में अधिक प्रसार करने हेतु वर्ष 2014–15 में बैंक ने 260 नए ए.टी.एम. स्थापित किए हैं। दिनांक 31.03.2014 के 1008 ए.टी.एम. की तुलना में दिनांक 31.03.2015 को बैंक के कुल ए.टी.एम. 1268 हैं।
- ✓ बैंक ने ए.टी.एम में द्विभाषी रसीद की प्रिटिंग को लागू कर दिया है।
- ✓ बैंक ने पूरे देश में 8 बैंक नोट स्वीकार करने की मशीन को इ–लॉबियों में स्थापित किया है।
- ✓ बैंक ने 360 कैपेक्स ए.टी.एम. में देखने में असमर्थ (बातचीत करने की सुविधा के साथ) हेतु सॉल्यूशन को लागू किया है। शेष ए.टी.एम. में इसे लागू करने की प्रक्रिया में है।
- ✓ पंजाब राज्य में मिल मालिकों हेतु मिलर कार्ड जारी किया है। (कुल 316 कार्ड जारी किए गए)
- ✓ रुपए डेबिट कार्ड से ऑनलाइन खरीदने के लिए बैंक में रुपए इ–कामर्स लागू किया है।
- ✓ बैंक ने वर्ष 2014–15 के दौरान 126 नई शाखाएं खोली हैं। जिनमें से 59 शाखाएं वित्तीय समावेशन के अंतर्गत खोली गई हैं।
- ✓ वयोवृद्ध ग्राहकों की सुविधा हेतु बैंक ने ''वृद्धजन विशेष सम्मान योजना'' की शुरुआत की है।
- ✓ प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम पर ई–बुक का संकलन और प्रकाशन किया गया।
- ✓ कार्यक्षेत्र कर्मियों हेतु दस्तावेज़ीकरण सहित एमएसई बुकलेट जारी की गई।
- ✓ कृषि क्षेत्र में ऋण को बढ़ावा देने हेतु नई पीएसबी किसान सुविधा योजना चलाई गई।
- ✓ फिनेकल के माध्यम से फसल ऋण पर प्रणाली जनित ब्याज आर्थिक सहायता कार्यान्वित की गई।
- ✓ 29 एमएसएमई विशेष शाखाओं की संख्या में वृद्धि हेतु 22 सामान्य शाखाओं को एमएसई विशेष शाखा श्रेणी में वर्गीकृत किया गया। इस प्रकार, इन शाखाओं की संख्या 51 हो गई।
- ✓ तीन आरसेटी में से दो बैंक के अपने नए परिसर में स्थानान्तरित हो गए।

PRIORITY SECTOR ADVANCES

Bank continues to accord top priority to varied goals under national priorities, including Agriculture, Micro & Small Enterprises, Housing, Education, Micro-credit, Weaker sections, SC/STs and Minority communities

Priority Sector advances of the Bank increased by Rs. 2554 Crore (14.45%) from Rs.17680 Crore as on 31.3.2014 to Rs. 20234 Crore as on 31.3.2015.

SPECIAL AGRICULTURE CREDIT PLAN (SACP)

Bank has disbursed Rs. 8654 crore under Special Agriculture Credit Plan (SACP) achieving 104% of target of Rs 8290 Crore for the financial year 2014-15.

RUPAY KISAN DEBIT CARDS

During the year 2014-15, the bank issued ATM enabled 'RuPay Kisan Debit Cards' to 160563 KCC holders covering 99.38% of eligible KCC holders till 31.03.2015.

WELFARE OF MINIORITY COMMUNITY

Advances to specified minority communities aggregated to Rs.7658.59 crore accounting for 37.85% of the total priority sector advances against the stipulated target of 15%.

ADVANCES TO ECONOMICALLY WEAKER SECTION

Bank's advances to weaker section aggregated to Rs. 5857 crore, achieved target of 10% of ANBC.

NEW INITIATIVES

- ✓ To widen the spread of Electronic Delivery Channels, the Bank has installed 260 new ATMs during the year 2014-15. Total number of ATMs of the Bank as on 31.03.2015 is thus 1268 as compared to 1008 as on 31.03.2014
- ✓ Bank has implemented bilingual receipt printing (Hindi & English) in ATMs
- ✓ Bank has installed 8 Bunched Note Acceptor machines in e-lobbies across the Country.
- ✓ Bank has implemented solution for Visually Impaired (Talking facility) in 360 Capex ATMs. Implementation of the same in the remaining Capex ATMs is under process.
- ✓ Introduced Miller Card for Millers of Punjab State. (Total of 316 cards were issued).
- ✓ Implemented RuPay e-commcerce in the Bank for online purchases through Rupay Debit Card.
- ✓ Bank has opened 126 new branches during the year 2014-15. Out of these, 59 branches have been opened under Financial Inclusion.
- ✓ To facilitate the aging customers, the Bank has launched a scheme "VRIDHJAN VISHESH SAMMAN YOJNA".
- ✓ E-Book on Priority Sector Lending compiled and published.
- ✓ MSE Booklet including documentation issued for field functionaries.
- ✓ Bank introduced new scheme "PSB Kisan Suvidha Scheme" for boosting Term Lending to agriculture sector.
- ✓ The system generated Interest Subvention on Crop Loan implemented through Finacle.
- ✓ In addition to existing 29 specialized MSME branches, 22 more general branches have been categorized as specialized MSME branch, taking the total to 51.
- ✓ Out of three, two RSETIs moved in newly constructed Bank's own premises.

ऋण निगरानी

भारतीय रिज़र्व बैंक/भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार ही ऋण निगरानी विभाग ऋण आस्ति पोर्टफोलियो को दिशा–निर्देश दे रहा है जिससे कि कॉर्पोरेट बिजनेस प्लान को बनाए रखा जा सके।

उच्च मूल्य खातों की सही तथा प्रभावशाली निगरानी हेतु तथा नयी चूक गिरावट पर नियंत्रण रखने के लिए वर्ष 2013 में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया जोकि तब ही से प्रधान कार्यालय स्तर के उच्च मूल्य खातों की निगरानी करता है। निगरानी को और अधिक मजबूत बनाने के लिए, आंचलिक कार्यालय स्तर पर भी अलग से नियंत्रण कक्ष बनाए गए जोकि रुपए 5.00 लाख से रुपए 50.00 लाख तक के सभी मानक उधार खातों की निगरानी करेगा।

ऋण उत्कृष्टता को चूक तथा हानि से बचाए रखने के लिए व्यक्तिगत बैंकिंग तथा सीडीआर के अंतर्गत आने वाले ऋण आस्तियों को जोकि अर्थव्यवस्था में गिरावट से दबाव में हो और जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता हो, को समयानुसार नवीनीकरण करने का उत्तरदायित्व लिया जाता है।

उपरोक्त के परिशिष्ट में बैंक के द्वारा बढावा देने के लिए विभिन्न नीतियाँ बनाई गयी हैं जिसके द्वारा अन्य बातों के साथ दबाव में आयी आस्तियों के पुनर्जीवन के लिए अर्थव्यवस्था में वित्तीय संकट से पूर्व में ही निबटान तथा उबारने के लिए तंत्र को कार्यान्वित करना, स्वीकृत प्रस्ताव के लिए त्वरित कदम उठाना तथा ऋणदाता के लिए अच्छी वसूली, लचीली संरचना के द्वारा पुनर्वित्त संबंधी निर्देश देना, ऐसे उधारकर्ता जो कि असहयोगी उधारकर्ता हैं उनका वर्गीकरण करना तथा सूचना देना आदि है।

प्रधानमंत्री जन–धन योजना

28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री जन–धन योजना का राष्ट्रीय स्तर पर लोकार्पण–एक मिशन के रूप मे सारगर्भित वित्तीय समावेशन प्लान जिसके अंतर्गत दिनांक 26.01.2015 तक समयबद्ध तरीके से, शत–प्रतिशत, छोटे–से–छोटे व्यक्ति का बैंक में खाता खुलना सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री जन–धन योजना, भारत सरकार की एक सर्वोत्कृष्ट परियोजना है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री के स्तर पर, प्रत्येक व्यक्ति को इस परियोजना में सम्मिलित करने हेतु हमारे बैंक को , एक परिवार में कम से कम एक खाता खोलने के लिए नियत किया गया है। दिनांक 26.01.2015 तक, सभी परिवारों की पहुँच, उनके घर के पाँच किलोमीटर की सीमा में बैंकिंग सेवाएं प्राप्त करने के लिए, होनी चाहिए।

वर्तमान प्रधानमंत्री जन–धन योजना में पिलर 1 फेस जोकि दिनांक 16.08.2014 से 26.01.2015 तक है, में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

- बैंकिंग सुविधाओं तक वैश्विक पहुँच
- वित्तीय साक्षरता योजना
- आधारभूत बैंकिंग खाता विधान
- माइक्रो बीमा

पिलर 2 में निम्नलिखित सम्मिलित हैं–

- अनियोजित सेक्टर पेंशन योजनाएं जैसे कि अटल पेंशन योजना
- माइक्रो क्रेडिट उपलब्धि (रुपए 5000.00 की ओवरड्राफ्ट सुविधा)

उत्कृष्टता अवार्ड–

दिनांक 25.02.2015 को प्रधानमंत्री जन–धन योजना के मापदंडों को पूरा करने पर, बैंक ने उत्कृष्टता अवार्ड प्राप्त किया। यह अवार्ड माननीय केन्द्रीय मंत्री श्री कलराज मिश्रा द्वारा दिया गया।

प्रधानमंत्री जन–धन योजना के अंतर्गत हमारे बैंक ने प्रगति की है जो इस प्रकार है :

- सभी 961 एसएसए तथा 535 वार्डों में सर्वेक्षण पूर्ण हो गया है।
- सर्वेक्षण के अनुसार सभी परिवार, एक परिवार में एक खाता खोलने की योजना में सम्मिलित हो गए है।
- बैंक में दिनांक 15.08.2014 से दिनांक 31.03.2015 तक प्रधानमंत्री जन–धन योजना के अंतर्गत 12.39 लाख खाते खोले गए हैं तथा उन्हें 12.03 लाख रुपए कार्ड जारी किए है।
- बैंक इन सभी खातों में आधार जोड़ रहा है तथा अब तक प्रधानमंत्री जन–धन योजना के अंतर्गत 6.13 लाख (49 प्रतिशत) खातों मे आधार जोड़ दिया गया है।
- बैंक सभी खाता धारकों को पासबुक जारी कर रहा है तथा अब तक 11.70 लाख (94.5 प्रतिशत) पासबुक ग्राहकों को जारी कर दी गई हैं।
- बैंक ने 383 बैंक मित्रों की सफलतापूर्वक नियुक्ति की है, जिन्हें विशेष रूप से गाँवों मे कार्य करने के लिए पीओएस मशीनें दी गई हैं। दिनांक 31.03.2015 तक पीओएस मशीनों के द्वारा बैंक मित्रों ने सफलतापूर्वक लगभग 0.62 लाख नामांकन तथा 1.22 लाख लेन–देन किए हैं।

CREDIT MONITORING

Credit Monitoring Department continues to give direction to its Loan Assets portfolio so that it is in conformity with Corporate Business Plan , in line with RBI/Government of India directions.

For proper and effective monitoring of High value acccounts and to check fresh slippages, the Control Room set up in the year 2013, has since stabilised and monitoring high value accounts at HO level. To further strengthen the monitoring, seperate Control Rooms have now been set up at Zonal Offices level to monitor all standard borrowal accounts from Rs. 5.00 lac upto Rs. 50.00 lac .

Timely restructuring of loan assets, which were under stress due to economic downturn and required financial support under Sole Banking as well as CDR, has also been undertaken, to prevent slippage and impairment in credit quality.

In order to suppliment the aforesaid, various policy related initiatives have also been taken by the Bank which inter-alia include implimentation of Framework for Revitalising Distressed Assets in the Economy for Early Recognition of Financial Distress, Prompt Steps for Resolution and Fair Recovery for lenders, guidelines on refinance by way of flexible structuring/ take-out financing, Classification and reporting of borrower as non-cooperative borrower etc.

PRADHAN MANTRI JAN DHAN YOJNA

PM launched “Pradhan Mantri Jan Dhan Yojna (PMJDY) on 28th August 2014 nation wide - a comprehensive Financial Inclusion Plan on Mission Mode and fixed time lines were set for 100% coverage of SSAs and opening of accounts upto 26.01.2015. PMJDY is a flagship project of Government of India and it has been decided at the level of Hon’ble Prime Minister to cover every habitation in SSA’s allotted to our Bank by opening of atleast one bank account per household. All the households should have access to Banking services within 5 km area by 26th January 2015.

The present PMJDY scheme cover following in Pillar 1 phase from 16.08.2014 to 26.01.2015

- Universal access to banking facilities
- Financial Literacy Programme
- Providing Basic Banking account
- Micro Insurance

In Pillar 2 following will be covered

- Unorganized sector pension schemes like ‘Atal Pension Scheme’
- Micro Credit availability (Overdraft facility of Rs.5000/.)

Excellence Award:-

Bank has won an Excellence Award for Achievement in PMJDY parameters on 25.03.2015. The Award was given by Shri Kalraj Mishra, Union Cabinet Minister (MSME) .

Bank is making a good progress under PMJDY as under:-

- Survey in all 961 SSAs and 535 Wards is completed
- All households as per Survey report have since been covered by opening at least one account per household.
- Bank has opened nearly 12.39 lac accounts under PMJDY and issued 12.03 lac RuPay cards to them from 15.08.2014 to 31.03.2015.
- Bank is also doing Aadhaar seeding in these accounts and as on 31.03.2015, 6.13 lac (49%) accounts are Aadhaar seeded under PMJDY
- Bank is issuing passbooks to account holders and as on 31.03.2015, 11.70 lac (94.5%) passbooks have been issued to the customers.
- Bank has successfully appointed its own 383 BCAs, provided them with PoS machines to work exclusively in the villages. Nearly 0.62 lac enrollments have been done through PoS machines and about 1.22 lac transactions have been done successfully by BCAs, upto 31.03.2015.

- ए.ई.पी.एस. (आधार आधारित भुगतान योजना), पीओएस मशीनों पर कार्यान्वित कर दी गई है तथा रुपए कार्ड का पीओएस मशीनों पर प्रयोग भी प्रचलन में हो, यह कार्य प्रक्रिया में है।
- प्रधानमंत्री जन–धन योजना के खातों में प्राप्त दिशा–निर्देशों के अनुसार बैंक रुपए 5000.00 की ओवरड्राफ्ट सुविधा के कार्यान्वयन की प्रक्रिया कर रहा है।
- आधार आधारित तथा खाता आधारित, दोनों ही प्रकार के खातो में सब्सिडी भुगतान की प्रत्यक्ष प्राप्ति।
- दिनांक 15.11.2014 से DBTL में कुल 20.54 लाख प्रविष्टयाँ तथा कुल रु. 71.46 करोड़ बैंक को प्राप्त हुए हैं।

खुदरा विपणन

बैंक ने खुदरा ऋण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए, उसे "निश" क्षेत्र घोषित किया है। खुदरा ऋण खंड के अंतर्गत उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बाजार के अनुकूल बनाने के लिए 800 खुदरा ऋण कैंपस के आयोजन सहित विपणन के लिए विशिष्ट उपाय किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त,आवास ऋण, ऑटो ऋण तथा उपभोक्ता ऋण, उधारकर्ताओं के लिए "फेस्टिवल बोनान्ज़ा स्कीम"का शुभारंभ किया गया। वर्ष के दौरान विशेष रूप से युवा स्टाफ के लिए एक नया खुदरा ऋण उत्पाद जिसका नाम "पीएसबी फैमिली बॉण्डिंग स्कीम" है, का भी आरंभ किया गया।

इस वर्ष के दौरान खुदरा ऋणों में सर्वोच्च प्रदर्शन करने वालों के लिए एक प्रोत्साहन योजना भी प्रारंभ की गई।

पिछले वर्ष की तुलना में, इस वर्ष के दौरान खुदरा ऋण के संवितरण में 52 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई।

दिनांक 31.03.2015 को खुदरा ऋण, सकल अग्रिमों का 25 प्रतिशत था।

साथ ही बैंक ने विभिन्न विकास प्राधिकरणों जैसे कि डीडीए, पुडा, गमाडा आदि में, बयाना राशि को फाइनेंस करने की योजना में भागीदारी की तथा उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त किए।

आस्ति गुणवत्ता

बैंक ने अनर्जक आस्तियों पर नियंत्रण के लिए अनेक प्रयास किए हैं तथा विधिक साधनों एवं बातचीत पर आधारित समझौतों सहित वसूली के सभी उपलब्ध साधनों का प्रयोग किया है। बैंक ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों का प्रभावी रूप से प्रयोग किया है। बैंक ने इस वित्तीय वर्ष में विभिन्न केंद्रों पर वसूली कैम्पों का आयोजन किया। वर्ष के दौरान बैंक की वसूली प्रबंधन योजना के अतिरिक्त गैर–निष्पादित खातों के कृषि क्षेत्र के अंतर्गत अनर्जक आस्तियों के निपटान हेतु तथा असुरक्षित तकनीकी बट्टे–खातों के निपटान हेतु दो अल्पावधि योजनाओं का निरूपण किया गया। सभी 1371 मामलों का रु.97.42 में निपटान हुआ।

वर्ष के दौरान गैर–निष्पादित खातों में बैंक की वसूली अच्छी रही। वसूली के लिए किए गए अथक तथा केन्द्रित प्रयासों के फलस्वरूप रु. 832.52 करोड़ की तकनीकी बट्टा खातों में वसूली सहित कुल रु. 73.21 करोड़ रु.की वसूली की जा सकी।

बैंक नए गैर–निष्पादित खातों में बढ़ोतरी को रोकने में सफल रहा है जिसके परिणामस्वरूप कुल तथा निवल एनपीए दिनांक 31.03.2014 के 2553.52 करोड़ रूपए तथा 1110.38 करोड़ रुपए की अपेक्षा रु. 3082.19 करोड़ तथा रु.2266 करोड़ रहा।

31.03.2015 को गैर–निष्पादित आस्तियों की सकल एवं निवल स्थिति पिछले वर्ष की तुलना में निम्नानुसार है –

(राशि करोड़ में)

एनपीए	31.03.2014 की स्थिति अनुसार		31.03.2015 की स्थिति अनुसार	
सकल	2553.52	4.41%	3082.19	4.76%
निवल	1918.60	3.35%	2266.00	3.55%

दिनांक 31.03.2015 को बैंक का प्रावधान सुरक्षा अनुपात (तकनीकी बट्टा खातों सहित) 46.81% रहा।

निवेश प्रबंधन तथा विदेशी विनिमय

3103.2015 को बैंक की कॉरपोरेट क्षेत्र की आवश्यकता, जोखिम संग्रह एवं निवेश नीति के अनुरूप निवेश–सूची सरंचना सहित बैंक का सकल निवेश रू. 26791.69 करोड़ था।

सरकारी प्रतिभूतियों तथा गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात में व्यापारिक गतिविधियों के कारण प्रतिभूति विक्रय से लाभ मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के रुपए 125.37 से बढ़कर 31.03.2015 को समाप्त वर्ष में रुपये 133.66 करोड़ गया।

वर्ष 2014–15 में विदेशी मुद्रा अंतरण में विनिमय लाभ रु. 26.51 करोड़ रहा (विदेशी मुद्रा कोष)

- AEPS (Aadhaar Enabled Payment System) has already been implemented on PoS machines and the Bank is in the process of implementing RuPay card inter-operability on the PoS machines.
- Now the Bank is in the process of implementing Overdraft facility of Rs.5000/- in PMJDY accounts, as per the guidelines.
- Directly receiving subsidies/payments (including DBTL) into the account based on both Aadhaar number and account.
- In DBTL, Bank has received a total number of 20.54 lac entries w.e.f. 15.11.2014 and total amount received is Rs. 71.46 crore.

RETAIL MARKETING

The Bank accorded top priority to Retail Lending and declared it as 'Niche' area, the products under the Retail Lending segment have been customized to be competitive in the market, undertook specific marketing initiatives including organization of more than 800 Retail Lending Camps.

Further, Festival Bonanza Scheme was launched for Housing Loan, Auto Loan and Consumer Loan borrowers. A new Retail Lending product exclusively for younger staff of the Bank named "PSB Family Bonding Scheme" was launched during the year.

An incentive scheme for the top performers in Retail Lending in the field was also launched during the year.

The growth in fresh Retail disbursement lending was above 52% over previous year.

Retail Lending Outstanding grew at the rate of 25% over previous Year.

Further, the Bank participated in the booking schemes launched by various Development Authorities viz. DDA, PUDA, GMADA for financing of the earnest money and received an encouraging response.

ASSETS QUALITY

The Bank continued to make concerted efforts to contain NPAs and has used all available tools of recovery including negotiations, settlements and legal means. The provisions of "The Securitization & Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act -2002" were used effectively. The Bank also organized Recovery Camps during the year at various centers. During the year, two short term schemes for settlement of NPAs were formulated under Agriculture Sector and unsecured T.W.O. accounts apart from Bank's Recovery Management Policy. In all 1371 cases were settled at Rs. 97.42 crore.

The performance of the Bank under recovery of NPAs during the year continued to be good. The aggressive and focused efforts could result in the total recovery of over Rs. 832.52 crore including recovery of Rs. 73.21 crore in Technically Written Off Accounts.

Bank has been able to contain fresh slippage. As a result our gross NPAs and net NPAs as on 31.03.2015 have been contained at Rs. 3082.19 crore and Rs. 2266.00 crore respectively against Rs. 2553.52 crore and Rs. 1918.60 crore as on 31.03.2014.

The position of Gross and Net NPAs as on 31.03.2015 vis-à-vis previous year is as under;

(Rs. in crore)

NPA	As on 31.03.2014		As on 31.03.2015	
Gross	2553.52	4.41 %	3082.19	4.76%
Net	1918.60	3.35 %	2266.00	3.55%

The Provision Coverage Ratio of the Bank (including T.W.O.A/cs), as on 31.03.2015 stood at 46.81 %

INVESTMENT & FOREIGN EXCHANGE

The Bank's total gross investment as on 31.03.2015 was Rs 26791.69 Crore, with a portfolio composition consistent with the corporate requirement, risk perception, and investment policy of the Bank.

The profit on sale of securities for the year has increased from Rs. 125.37 crore for year ended March 2014 to Rs. 133.66 crore for the year ended 31.03.2015 on account of trading activities in G-sec and Non SLR securities.

Exchange profit in Forex transactions for the year 2014-15 was Rs 26.51 crore (forex treasury).

जोखिम प्रबंधन

बैंक ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसके जोखिम, परिभाषित जोखिम क्षमता के भीतर हैं और उनकी पर्याप्त रूप से निगरानी की जाती है, एक सुदृढ़ एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली को कार्यरूप दिया है। बैंक में जोखिम क्षमता तथा प्रभावी जोखिम प्रबंधन कायम करने का संपूर्ण उत्तरदायित्व बैंक के निदेशक मंडल एवं बैंक के शीर्षस्थ प्रबंधन पर है।

निम्नलिखित शीर्षस्थ समितियों के माध्यम से जोखिम प्रबंधन किया जाता है :

1. जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) एक बोर्ड स्तरीय समिति।
2. ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी)
3. आस्ति एवं देयताएं प्रबंधन समिति(एएलसीओ)
4. संचालगत जोखिम प्रबंधन समिति(ओआरएमसी)
5. बाजार जोखिम प्रबंधन समिति (एमआरएमसी)
6. आईसीएएपी के अनुसार पूंजीगत योजना समिति

ये समितियाँ जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी)/निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सम्यक मार्गदर्शी निर्देशों तथा नीतियों की परिधि में अपना काम करती है।

नीति–तंत्र

बैंक के समक्ष जोखिमों का मापन, प्रबंधन एवं नियंत्रण करने के लिए बैंक ने निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीतियाँ तथा कार्यविधियाँ बनाई हैं।

बैंक के समस्त प्रकार के जोखिम के विश्लेषण करने के उद्देश्य से एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की गई है। अन्य महत्वपूर्ण जोखिम नीतियों में आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) नीति, ऋण जोखिम प्रबंधन नीति, बाजार ऋण प्रबंधन नीति, परिचालनगत जोखिम प्रबंधन (ओआरएम) नीति, व्यवसाय निरंतरता योजना (बीसीपी) व आपदा उद्धार प्रबंधन (डीआरएम) नीति, स्ट्रेस टेस्टिंग नीति, ऋण जोखिम कम करने संबंधी तकनीकों की प्रयोग नीति तथा संपार्श्विक प्रबंधन, आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (आईएसीसीपी)। जोखिम प्रबंधन समितिध्बोर्ड के द्वारा वार्षिक आधार पर नीतियों की समीक्षा की जाती है।

बैंक का बेसल–II के साथ अनुपालन

भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियामक दिशा–निर्देशों के अनुसार बैंक ने 31.03.2009 की प्रभावी तिथि से नए पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क को अपनाया है। बेसल–II के आधार पर बैंक ने पूंजी प्रभार की संगणना के लिए ऋण जोखिम हेतु मानक दृष्टिकोण, बाजार जोखिम हेतु रूपांतरित अवधि दृष्टिकोण तथा परिचालनगत जोखिम हेतु मूल संकेतक दृष्टिकोण को अपनाया है। बैंक ने बेसल–II के दिशा–निर्देशों को कार्यान्वित किया है और सीआरएआर की संगणना शुरु की है तथा यह जून, 2013 से प्रभावी है। बैंक के निदेशक मंडल द्वारा सीआरएआर की तिमाही आधार पर समीक्षा की जाती है। बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार बेसल–II के अंतर्गत उन्नत दृष्टिकोण की ओर अग्रसर होने के लिए तैयार है। बेसल–II के उन्नत दृष्टिकोण की ओर अग्रसर होने तथा बेसल–III के दिशा–निर्देशों के कार्यान्वयन हेतु बैंक में विस्तृत संकलन जोखिम प्रबंधन उद्यम प्रक्रिया (ईआईआरएमएस) की स्थापना हेतु एक परामर्शदाता की नियुक्ति की गई है।

आई.सी.ए.ए.पी.नीति

बेसल–II व बेसल–III – पिलर 2– पर्यवेक्षणीय समीक्षा एवं मूल्यांकन प्रक्रिया (एसआरईपी) विषयक, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुपालन में यह सुनिश्चित करने के लिए कि पूंजी आवश्यकता का मूल्यांकन, बैंक के आकार, जटिलता का स्तर, जोखिम प्रोफाइल तथा संचालन की परिधि के अनुरूप है, आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) नीति तैयार की गई है। विभिन्न अवशिष्ट जोखिमों का निर्धारण किया जाता है तथा जहाँ अपेक्षित हो वहाँ अतिरिक्त पूँजी उपलब्ध कराई जाती है। वर्तमान तथा अनुमानित वित्तीय–पूंजीगत स्थिति के विश्लेषण तथा गुंजाइश के आधार पर बैंक की पूँजीगत पर्याप्तता का निर्धारण किया जाता है।

विभिन्न स्ट्रेस परिस्थितियों से होने वाले संभावित प्रभावों का बैंक की लाभप्रदता की क्षमता के संदर्भ में आघात सहन करने तथा बैंक की पूँजी पर इसके परवर्ती प्रभाव के मूल्यांकन के लिए स्ट्रेस टैस्ट अभ्यास भी किया जाता है। आईसीएएपी परिणाम तिमाही आधार पर तैयार किया जाता है तथा जोखिम प्रबधन समिति (आरएमसी) द्वारा इसकी समीक्षा की जाती है।

प्रकटीकरण

बेसल–II व बेसल–III, पिलर– 3– 'बाजार अनुशासन' विषयक, भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शी निर्देशों के अनुपालन में बैंक के निदेशक–मंडल द्वारा विधिवत् अनुमोदित प्रकटीकरण नीति लागू की गई है और इस नीति के अनुसार तिमाही/छमाही/वार्षिक आधार पर इन्हें बैंक की वेबसाइट/वार्षिक रिपोर्ट में प्रदर्शित किया जाता है।

RISK MANAGEMENT

The Bank has put in place a robust and integrated Risk Management system to ensure that the risks assumed by it are within the defined risk appetites and are adequately monitored. The overall responsibility of setting the Bank's risk appetite and effective risk management rests with the Board and apex level management of the Bank.

Risk is managed through following Apex committees viz.

1. Risk Management Committee (RMC)- a Board level subcommittee
2. Credit Risk Management Committee (CRMC)
3. Asset and Liabilities Management Committee (ALCO)
4. Operational Risk Management Committee (ORMC)
5. Market Risk Management Committee (MRMC) and
6. Capital Planning Committee as per ICAAP

These committees work within the overall guidelines and policies approved by the Risk Management Committee (RMC) / Board.

POLICY FRAMEWORK

The Bank has Board approved policies and procedures in place to measure, manage and control various risks that the Bank is exposed to.

Integrated Risk Management Policy has been formulated with the objective of analyzing the overall risk profile of the bank and to integrate all the risks of the Bank. The other important risk policies comprise of Asset-Liability Management (ALM) Policy, Credit Risk Management Policy, Market Risk Management Policy, Operational Risk Management (ORM) Policy, Business Continuity Planning (BCP) & Disaster Recovery Management (DRM) Policy, Stress Testing Policy, Policy on Utilization of Credit Risk Mitigation Techniques & Collateral Management, ICAAP Policy. The policies are reviewed annually by the RMC / Board.

BANK'S COMPLIANCE WITH BASEL-II

In terms of Regulatory Guidelines of Reserve Bank of India, the Bank has adopted the New Capital Adequacy Framework w.e.f. 31.03.2009. Based on Basel II norms, the Bank has adopted Standardized Approach for Credit Risk, Modified Duration approach for Market Risk and Basic Indicator approach for Operational Risk for computing the capital charge. The Bank has also implemented Basel III Guidelines and has started computing CRAR w.e.f. June 2013. The CRAR position of the Bank is reviewed by the Board on quarterly basis. Bank has geared up for moving towards advanced approaches under BASEL II as suggested by RBI. Bank has also appointed a Consultant for setting up Enterprise Wide Integrated Risk Management System (EIRMS) in the Bank for moving to Advance approaches of Basel II and implementation of Basel III Guidelines.

ICAAP POLICY

In compliance with the Reserve Bank of India guidelines on Basel II & Basel III – Pillar 2- Supervisory Review and Evaluation Process (SREP), the Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) Policy has been formulated to assess the capital requirement commensurate with the size, level of complexity, risk profile and scope of operations of the Bank. Various residual risks are assessed and additional capital is provided for wherever required. The capital adequacy of the Bank is assessed based on the analysis of current and projected financial/capital position as well as the headroom available.

Stress Testing exercises are also undertaken to assess the likely impact of various stress situations in relation to capacity of Bank's profitability to absorb the shock and consequent impact on Bank's capital. The ICAAP outcome is prepared on half yearly basis and is reviewed by RMC.

DISCLOSURE:

In compliance with the Reserve Bank of India guidelines on Basel II & Basel III – Pillar 3 – Market Discipline, the Bank has put in place a Disclosure Policy duly approved by the Board and the disclosures on quarterly / Half yearly / Annual basis, as per the policy, are displayed on the Bank's Website / Annual Report.

ऋण जोखिम

ऋण–जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं में इसकी पहचान, आकार, ऋण–कारोबार पर निगरानी व नियंत्रण शामिल हैं। ऋण–जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) द्वारा ऋण–जोखिम तथा नीति–निर्माण का प्रबंधन किया जाता है। इस समिति द्वारा उद्योग, कॉर्पोरेट, खुदरा तथा व्यक्ति/समूह ऋणकर्ताओं की विवेकपूर्ण सीमाओं की निगरानी नियमित रूप से की जाती है।

एक व्यापक ऋण रेटिंग फ्रेमवर्क, जिसे ऋण रेटिंग जोखिम मॉडलों को कॉर्पोरेट तथा खुदरा ऋणों के लिए जोखिम निर्धारण से संबंधित ऋणों का मूल्यांकन तथा ऋण रेटिंग के लिए, उद्योगों/पोर्टफोलियो का अध्ययन एवं विश्लेषण के लिए और ऋण रेटिंग के उत्प्रवासों के लिए प्रयोग किया जा रहा है।

बेसल–II के मानदंडों के विषय में परिचालन स्तर पर जागरूकता फैलाई जाती है तथा पूँजी के अनुकूल प्रयोग तथा संरक्षण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसे निरंतर रूप से बढ़ाया जाता है।

बाजार जोखिम

ब्याज–दरों तथा मुद्रा–दरों में परिवर्तन के फलस्वरूप बैंक का पोर्टफोलियो बाजार जोखिम से प्रभावित होता है।

आस्ति देयता समिति (एएलसीओ) बाजार जोखिम से संबंधित काम–काज की निगरानी करती है। बैंक ने विभिन्न बाजार जोखिम मापन–प्रणाली व साधनों को लागू किया है। विभिन्न परिसीमाओं का कड़ा अनुपालन तथा उल्लंघनों में वृद्धि, यदि कोई हो, का उचित अनुसरण किया जाता है। इसके अतिरिक्त एक मध्यस्थ कार्यालय भी बना हुआ है।

सुस्थापित तरलता प्रबंधन तंत्र है जोकि देय होने पर, बैंक के समस्त भुगतान दायित्वों को पूरा करने के सामर्थ्य को संरक्षित करता है। यह बैंक की तरलता जोखिम को पहचानने, मापने तथा संचालन करने के लिए बनाया गया है।

बैंक, विनियामक दिशा–निर्देशानुसार रूपांतरित अवधि पद्धति का उपयोग करके मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार बाजार जोखिम प्रभार की संगणना करता है। बैंक अपने विदेशी विनिमय पोर्टफोलियो पर भी जोखिम मूल्य (वीएआर) की गणना करता है।

बैंक, संभाव्य घटनाओं से उत्पन्न तरलता और ब्याज–दर जोखिमों से होने वाले संभावित जोखिमों को उजागर करने के लिए, समय–समय पर स्ट्रेस टेस्ट अभ्यास करता है। विभिन्न जोखिम कारकों के कारण खाते पर हुए आघात का प्रभाव, जिसके कारण बदतर स्थिति उत्पन्न हो सकती है, का अध्ययन किया जाता है और उसके प्रभाव को दूर करने के लिए संभाव्य हल निकाले जाते हैं।

परिचालनगत जोखिम

परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) परिचालनों से जुड़े जोखिमों से संबंधित मामलों पर निगरानी रखती है और आकस्मिक/अनिवार्य स्थितियों में व्यवसाय की सतत/पुनः स्थापना सुनिश्चित करती है। वर्तमान में परिचालनगत जोखिम संबंधी पूँजी प्रभार मूल संकेतक दृष्टिकोण के अनुसार संगणित किया जाता है। बैंक परिचालनगत जोखिम की संरचना को मजबूत करने की दिशा में कार्य कर रहा है ताकि परिचालनगत ऋण जोखिम (ओआरएम) प्रणाली परिचालनगत जोखिम पूँजी की गणना के उन्नत दृष्टिकोण की ओर अग्रसर होने में समर्थ हो सके।

मानव संसाधन विकास

31.03.2015 को संवर्ग वार स्टाफ की संख्या निम्नानुसार रही :

श्रेणी	31 मार्च, 2014	31 मार्च, 2015
अधिकारी	6062	6409
लिपिक	2029	2113
अधीनस्थ स्टाफ	779	658
कुल	8870	9180

महिला रोजगार :–

31.03.2015 को हमारे कुल 9180 स्टाफ सदस्यों में से 2082 महिलाएं हैं जो कुल संख्या का 22.68% बनती हैं।

आरक्षित श्रेणी के कार्मिकों को रोजगार :–

बैंक समाज के अन्य पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जाति, जनजाति संबंधित व्यक्तियों के हित एवं विकास के प्रति संवैधानिक सुरक्षा तथा सामाजिक लक्ष्य के प्रति बचनबद्ध है। बैंक भारत सरकार द्वारा संपूर्ण भारत में आरक्षित पदों तथा स्थानीय भर्तियों में आरक्षण नीति के संबंध में निर्धारित दिशा–निर्देशों का अनुपालन करता है।

CREDIT RISK

Credit risk management processes involve identification, measurement, monitoring and control of credit exposures. Credit risk and its policy formulation is managed by Credit Risk Management Committee (CRMC). It regularly monitors prudential caps in different loan segments including industry, corporate, retail and individual/group borrowers.

Comprehensive credit rating framework comprising of Credit Risk Rating Models for Corporate and Retail Loans, pricing of loans linked to risk assessment and credit rating, study & analysis of industries/portfolio, migration of credit ratings is undertaken.

Awareness of Basel II norms at the operating level is created and continuously enhanced to achieve the aim of conservation and optimum use of capital.

MARKET RISK

The Bank's portfolio is exposed to market risk on account of changes due to interest rates and currency rates.

The Asset and Liabilities Management Committee (ALCO) is overseeing the functions relating to market risk. The Bank has put in place a variety of market risk measurement systems and tools. Strict adherence to various limits and proper escalation of breaches, if any, are followed. Moreover, a Mid Office is also in place.

The Liquidity Management Framework is well established, which safeguards the ability of the Bank to meet all payment obligations when they become due. It is designed to identify measure and manage the liquidity risk position of the Bank.

The Bank is computing the market risk capital charge as per the Modified Duration approach, by using Modified duration method, as per the regulator's guidelines. The Bank also calculates Value at Risk (VaR) on its foreign exchange portfolio.

The Bank periodically undertakes stress test exercise to highlight the potential risks, on account of liquidity & interest rate risk that may arise due to events that are rare but plausible. The impacts of shock on account of different risk factors that may generate worst case scenario are studied and to counter the impact possible solutions are derived.

OPERATIONAL RISK

The Operational Risk Management Committee (ORMC) oversees the matters relating to risks associated with operations and ensures the continuity / restoration of business in the event of contingency / exigencies. Presently, capital charge on operational risk is calculated as per Basic Indicator Approach. The Bank is in the process of strengthening its ORM Framework & ORM systems so as to be able to migrate to advance approaches of calculation of Operational Risk Capital.

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

The cadre wise staff strength as on 31.03.2015 is as under:-

Category	31st March 2014	31st March 2015
Officers	6062	6409
Clerks	2029	2113
Sub-staff	779	658
Total	8870	9180

WOMEN IN EMPLOYMENT: -

Out of the total strength of 9180 as on 31.03.2015, the women employees are 2082 constituting 22.68% of the total strength.

EMPLOYMENT TO RESERVED CATEGORY EMPLOYEES:-

Bank is committed to the constitutional safeguard and social objectives for the development and welfare of persons belonging to SC, ST and other backward classes of the society. The Bank observes all guidelines stipulated by the Govt. of India in respect of Reservation Policy for reservation of Posts in all India, local recruitments.

बैंक में अनुसूचित जाति/जनजाति के कार्मिकों के आरक्षण एवं अन्य प्रावधानों की निगरानी करने हेतु एक विशेष एससी/एसटी कक्ष की स्थापना की गई है। बैंक के एससी/एसटी कार्मिकों की सभी संबंधित मामलों में शिकायत निवारण के लिए तथा विभिन्न दिशा–निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए एक कार्यकारी, जोकि महाप्रबंधक स्तर का है, को पदनामित किया गया है।

दिनांक 31.03.2015 को एससी/एसटी कार्मिकों की कुल संख्या क्रमशः 1572 और 533 है। विभिन्न आरक्षित श्रेणियों अर्थात ओबीसी/भूतपूर्व सेवाकर्मी/विकलांग के अधीन कार्मिक संख्या निम्न हैः

श्रेणी	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन–जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	भूतपूर्व सैनिक	शारीरिक विकलाँग
अधिकारी	952	439	994	48	86
लिपिक	420	71	410	136	40
अधीनस्थ स्टाफ	200	23	29	128	14
कुल	1572	533	1433	312	140

मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को आर्थिक सहायता :–

वर्ष 2014–15 के दौरान मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को योजना के अंतर्गत अनुकंपा के आधार पर नौकरी प्रदान करने के स्थान पर अनुग्रह राशि के संबंध में बैंक ने 6 मामलों में कुल 37,21,633/– रुपए की राशि का भुगतान किया।

पदोन्नतियाँ :–

अच्छा काम (Top performers) करने वालों को पुरस्कार के रूप में तथा उन्हें और जिम्मेवार पदों को संभालने के उद्देश्य से बैंक वर्ष–दर–वर्ष लगभग सभी श्रेणियों के स्टाफ सदस्यों की पदोन्नतियाँ नियमित रूप से करता रहता है। आलोच्य वर्ष के दौरान कर्मचारियों की बढ़ती हुई आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उनके कैरियर में तीव्र प्रगति हेतु विशेष अभियान चलाया गया ताकि ऊँची उत्पादकता के प्रति कर्मचारी प्रेरित हो सकें।

वर्ष के दौरान निम्नलिखित पदोन्नतियाँ की गईं :

वर्ग से पदोन्नतियाँ	उमप्र से मप्र	समप्र से उमप्र	मुप्र से समप्र	वप्र से मुप्र	प्रबंधक से व.प्र	अधिकारी से प्रबंधक	लिपिक से अधिकारी	अधीनस्थ से लिपिक	कुल
सामान्य	5	18	35	122	269	741	196	30	1416
विशिष्ट	–	–	–	12	63	9	–	–	84
कुल	5	18	35	134	332	750	196	30	1500

प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास :–

प्रशिक्षण, मानव संसाधन विकास का एक अभिन्न अंग है। बैंकिंग उद्योग में वर्तमान प्रतिस्पर्धी वातावरण में स्टाफ को तकनीक, प्रक्रिया और पद्धति, विधिक पहलुओं में हो रहे विकास की नवीनतम जानकारियों से अवगत कराए रखना बहुत जरूरी हो गया है, विशेष रूप से साथियों के बीच।

प्रशिक्षण और निखार (ग्रूमिंग) ऐसे महत्वपूर्ण कदम होते हैं जिनसे जीवंत संगठनात्मक संस्कृति की रचना करने में मदद मिलती है और कर्मचारी उत्साही हो कर अपना काम बेहतर ढंग से करने के प्रति प्रेरित रहते हैं। इससे कर्मचारियों की योग्यता में वृद्धि करने एवं सही कौशल और ज्ञान में दक्षता हासिल करने में मदद करता है ताकि विभिन्न वर्गों के ग्राहकों की निरंतर परिवर्तित होने वाली व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में वे सक्षम हो सकें। बैंक द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम, बैंक में नए भर्ती हुए कार्मिकों की कार्य–कुशलता एवं ज्ञान में वृद्धि करने में, तथा संगठनात्मक उद्देश्यों के लिए इसकी वर्तमान कार्य शक्ति की स्थिति के पुनर्विन्यास में सहायक सिद्ध हुए, जिससे बैंक, देश के पूर्णतः तकनीकी एवं सेवा प्रदाता बैंक के रूप में परिवर्तित हो सके।

नव नियुक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय द्वारा संबोधित किया गया ताकि वे बैंक के इतिहास, नैतिक मूल्यों, संरचना , व्यवसाय और भावी योजनाओं से परिचित हो सकें। इसका उद्देश्य उन्हें बैंकिंग वातावरण से परिचित करवाना और विहंगावलोकन करवाना था ताकि वे ज्ञान हासिल करने के साथ साथ बैंक की पद्धति से शीघ्रता से जुड़ सकें। उन्हें उनके कैरियर के बारे जागरूक किया गया और बैंक में उनके उत्तराधिकारी योजनाओं के बारे बताया गया। नव–नियुक्त स्टाफ को उन्मुख प्रशिक्षण तथा शाखा स्तर पर अग्रिमों संबंधी प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया।

वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान बैंक ने अपने 50% कार्मिकों को प्रशिक्षण देने का प्रयास किया। इस संदर्भ में 1 अप्रैल, 2014 से 31 मार्च, 2015 के बीच सामान्य बैंकिंग एवं कंप्यूटर व इससे संबंधित 269 प्रशिक्षण कार्यक्रम पीएसबी सैंटर फॉर बैंकिंग रिसर्च एंड ट्रेनिंग, चंडीगढ़, निब्सकॉम नोएडा तथा आँचलिक कार्यालयों में स्थानीय प्रशिक्षणों के माध्यम से आयोजित किए गए। इस दौरान विभिन्न संवर्गों के 7144 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया।

A special SC/ST cell has been set up in the Bank to monitor the Reservation & other provisions for SC/ST employees. An executive in the rank of General Manager has been designated as Chief Liaison Officer for SC/ST employees who ensures compliance of various guidelines pertaining to SC/ST employees & takes care of all matters of grievance redressal of SC/ST employees of the Bank.

The staff strength of SC/ST employees stood at 1572 and 533 respectively on 31.03.2015. The staff strength under various reserved categories viz OBC/EX-SM/PH is as under:-

CATEGORY	SC	ST	OBC	Ex-SM	PH
OFFICERS	952	439	994	48	86
CLERKS	420	71	410	136	40
SUB-STAFF	200	23	29	128	14
Total	1572	533	1433	312	140

FINANCIAL ASSISTANCE TO THE DEPENDENTS OF DECEASED EMPLOYEES:-

During the Financial year 2014-15, the Bank made total payment of Rs 37,21,633/- in 6 cases towards financial assistance to the dependants of the deceased employees under the scheme for the payment of EX Gratia in lieu of appointment on compassionate grounds.

PROMOTIONS: -

Bank is regularly promoting people almost in all cadres year after year to keep on rewarding its top performers and make them assume higher responsibilities. Special drive was made during the year under review to fulfill the growing aspirations of the employees for fast career progression thereby motivating employees for higher productivity.

Following promotions have been affected during the year:-

Promotions From	DGM to GM	AGM TO DGM	CM TO AGM	SRM to CM	MGR TO SRM	OFFICER TO MGR	CLERK To OFFICER	SUBSTAFF To CLERK	TOTAL
General	5	18	35	122	269	741	196	30	1416
Specialist	-	-	-	12	63	9	-	-	84
Total	5	18	35	134	332	750	196	30	1500

TRAINING & HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT:-

Training is an integral part of human resource development. In the current competitive environment in the Banking industry, it is all more important to keep the staff abreast of the latest developments in technology, system and procedures, legal aspects etc., especially amongst the peers.

Training and grooming are important steps in creating a vibrant organizational culture in which employees are encouraged & motivated to perform better. It helps in augmenting the competencies of employees & equip them with the right skills & knowledge for meeting ever changing business needs of customers in different segments. The training programs organized by the Bank are geared towards integrating the new recruits into the Bank & in enhancing the skills, knowledge and for reorienting the attitude of its existing work force to the organizational objectives so as to transform the Bank to a technology & service driven Bank of the country.

Newly recruited POs were addressed by Chairman and Managing Director to introduce them to Bank's history, Ethics, Structure, Business and Future Plans. The objective was to familiarize them with the Banking environment so that they get an overview and adapt to the Bank's system quickly apart from getting the knowledge inputs. They were made familiar with their career & succession plans in the Bank. The newly recruited staff was provided Orientation Training on Advances at Branch Level.

The Bank endeavored to provide training to 50% of its employees during the Financial Year 2014-15. With this in view, 269 programmes were conducted in General Banking & Computer related programmes at CBRT Chandigarh, NIBSCOM, Noida & Locational trainings conducted at Zonal Offices in various fields from 1st April 2014 to 31st March 2015, in which training was imparted to 7144 employees of different cadres.

बैंकिंग उद्योग के तेजी से बदलते परिवेश के साथ उच्चाधिकारियों को संवेदनशील बनाने तथा संस्थान के दृष्टिकोण/लक्ष्य प्राप्ति के लिए उनकी नेतृत्व भूमिका के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से नव–पदोन्नत महाप्रबंधकों, उप महाप्रबंधकों, सहायक महाप्रबंधक तथा अन्य उच्चाधिकारियों के लिए जून 2014 में एमआईबीएम, पुणे में एक पॉच दिवसीय प्रबंध विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 60 उच्चाधिकारियों ने सहभागिता की।

इसके अतिरिक्त 180 को शीर्ष स्तरीय प्रशिक्षण दिलवाया गया।

औद्योगिक संबंध :–

बैंक में वर्ष भर औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण रहे। कामगार और अधिकारी यूनियनों के प्रतिनिधियों ने विकास एवं अन्य मुद्दों पर विभिन्न स्तरों पर प्रबंध तंत्र के साथ विचार–विमर्श में भाग लिया तथा इनके समाधान के लिए प्रयत्न भी किए गए। स्टाफ सदस्यों द्वारा उठाए गए परिवादों के निवारण के लिए वित्त–मंत्रालय से प्राप्त दिशा–निर्देशों के अनुसार परिवाद निवारण समिति का गठन भी किया गया।

सीधी भर्ती :–

वित्तीय वर्ष 2014–15 में सेवा निवृत्ति की चुनौतियों, निरंतर व्यापार वृद्धि, तथा शाखाओं के तीव्र विस्तार को ध्यान में रखते हुए बैंक की विविध मानवशक्ति की आवश्यकता को देखते हुए विशेषज्ञ एवं परिवीक्षाधीन दोनों ही संवर्ग के अधिकारियों की भर्ती की गई।

बैंक की भर्ती परियोजना वर्ष 2014–15 के दौरान स्केल II में 6 सीए, स्केल II में 9 विधि अधिकारी, 913 परिवीक्षाधीन अधिकारी, स्केल I में 53 कृषि क्षेत्र अधिकारी, स्केल I में 5 मानव संसाधन/औद्योगिक संबंध अधिकारी तथा लिपिक वर्ग में 448 सिंगल विंडो ऑपरेटर–ए ने बैंक में कार्यग्रहण किया।

कार्मिक कल्याण

विकासशील गतिविधियों में प्रभावी सहभागिता करने हेतु कार्मिकों को उत्साहित एवं प्रोत्साहित करने के लिए बैंक की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं हैं। वर्ष 2014–15 के दौरान, बैंक की कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी

- दिनांक 31.03.2015 को बैंक की सभी शाखाएं/कार्यालय कोर बैंकिंग सॉल्यूशन पर कार्य कर रही हैं।
- 1449 शाखाओं में आरटीजीएस और एनईएफटी के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक निधि अंतरण सुविधा उपलब्ध है।
- सीबीएस परिवेश में कार्मिकों की लॉग–इन प्रमाणीकरण में बॉयोमैट्रिक आधारित प्रमाणीकरण को लागू किया गया है ताकि पासवर्ड चोरी/ सीबीएस यूजर्स की शेयरिंग के कारण हो रही धोखाधड़ी की घटनाओं को रोका जा सके। वर्तमान में बैंक फिनेकल यूजरों हेतु बॉयोमैट्रिक प्रमाणीकरण की सुविधायुक्त है। सभी नई शाखाएं बॉयोमैट्रिक प्रमाणीकरण के परिवेश में खोली जा रही हैं।
- दिनांक 28.08.2014 को बैंक ने अंतर्बैंक निधि अंतरण सेवाएं एनयूयूपी का प्रयोग करते हुए यूएसएसडी सुविधा आरंभ की है जोकि दो निधि अंतरण विकल्पोः पी2पी (मोबाईल से मोबाईल) और पी2ए (मोबाईल से खाता) के साथ है। ग्राहक इस सुविधा के माध्यम से अपने खाते तक पहुँच बना सकते हैं और 24X7 के आधार पर बगैर लॉगइन किए अंतर बैंक निधि अंतरण कर सकते हैं।
- दिनांक 28.08.2014 को बैंक ने यूनीक आईडेन्टीफिकेशन ऑथिरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) के आधार आधारित "अपने ग्राहक को जानिए (ई–केवाईसी)" सेवा आरंभ की है। यह सेवा सभी बॉयोमैट्रिक प्रणाली आधारित शाखाओं में उपलब्ध है।
- पाँच इ–लॉबियों को खोला गया है।

आंतरिक नियंत्रण

बैंक के सुस्थापित निरीक्षण एवं लेखा परीक्षण विभाग (आई.ए.डी.) संस्थागत कार्य–निष्पादन, वित्तीय अनुशासन के रख–रखाव, आंतरिक/बाह्य लेखा परीक्षकों की टीम के माध्यम से बैंक में उत्पादकता स्तरों को चेक करने को सुनिश्चित करता है। निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा विभाग का निरंतर लक्ष्य इसके प्रभावी आंतरिक क्रिया–विधि के द्वारा बैंक के हितों की आर.बी.आई.ए. तथा शाखाओं/कार्यालयों का निरीक्षण पूर्ण करके की जाती है ताकि धोखाधड़ी के मामलों को कम से कम किया जा सके।

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (ओ.सी.बी.) जिसकी वित्तीय वर्ष 2014–15 में 8 बैठकें हुई, बैंक की आंतरिक लेखा परीक्षा के निरीक्षण के साथ–साथ प्रबंधकर्ताओं की लेखा परीक्षा समिति (ए.सी.ई.) का भी निरीक्षण करती है जोकि बैंक के लेखा परीक्षण संबंधी कार्यों का निरीक्षण करने हेतु प्रथम स्तर की समिति है।

वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान बैंक की 808 शाखाओं का जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षण, 435 शाखाओं को समवर्ती लेखा परीक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत लाया गया। 591 शाखाओं में सूचना प्रणाली के लेखा परीक्षण किए गए तथा आंचलिक कार्यालयों और प्रधान कार्यालयों के विभाग प्रबंधन लेखा परीक्षण एवं निरीक्षण के विषय रहे।

With a view to sensitize the top executives of our the Bank with the fast changing scenario in the Banking Industry and to assume leadership role to carry forward the institution's vision/goals, a five days Management Development Programme for newly promoted GMs, DGMs, AGMs and other executives was conducted in June 2014 at NIBM, Pune. 60 Executives attended the same.

Besides 180 Officers were also imparted training at Apex Level.

INDUSTRIAL RELATIONS: -

The industrial relations in the Bank remained cordial throughout the year. The representatives from Workers and Officers unions participated in various discussions on developmental and other issues with the management at various levels and efforts were made to resolve the same. A grievance Redressal Committee has also been formulated as per the guidelines received from Ministry of Finance to redress the grievances raised by staff members.

DIRECT RECRUITMENT: -

The Bank launched a special recruitment drive to cater to the challenges of superannuation, sustained business growth and rapid branch expansion in the FY 2014-15. Recruitment of both the Specialist Officers and Probationary Officers was done to address the diverse manpower requirement of the Bank.

During the year, 6 CAs in Scale II, 9 Law Officers in Scale –II, 913 Probationary Officers, 53 AFO in Scale –I, 5 HR/IR Officers in Scale I and 448 Single Window Operators-A in Clerical cadre have joined the Bank under Bank's Recruitment Project 2014-15.

STAFF WELFARE

In order to motivate and encourage the staff for effective participation in development activities, the Bank is maintaining various welfare schemes for the staff. During 2014-15, welfare schemes of the bank were successfully implemented.

INFORMATION TECHNOLOGY

- As on 31.03.15, all the branches/ offices are on Core Banking Solution.
- Electronic fund transfer facility through RTGS & NEFT is available in 1449 branches.
- Biometric based Authentication for employees' login into CBS application has been introduced to prevent the incidence of frauds taking place on account of password theft/sharing of CBS users. Bank is presently enabled for Biometric Authentication for Finacle users. All the new branches are being opened in the ambit of Biometric Authentication.
- Bank launched Inter-bank fund transfer service USSD facility using NUUP on 28.08.2014, with two fund transfer options: P2P (Mobile to Mobile) and P2A (Mobile to Account). Through this facility customers can access their bank accounts and make interbank fund transfers on 24*7 basis without logging in through the portal.
- Bank on 28.08.2014 launched an Aadhaar Based 'Know Your Customer (E-KYC) Service' of Unique Identification Authority of India (UIDAI). The service is available in all the branches using Biometric system.
- Five e-lobbies have since been opened

INTERNAL CONTROLS

The well-established Inspection & Audit Deptt (IAD) ensures review of institutional performance, to maintain financial discipline, check productivity levels in the Bank through the teams of internal/external auditors. The IAD constantly aims at checking the inherent risks through its effective control mechanism, to protect the Bank's interest by conducting RBIA and Inspection of branches/offices and Endeavour to minimize perpetration of frauds.

The Audit Committee of the Board (ACB), which met on 8 occasions during FY 14-15, oversees the Internal Audit function of the Bank as well as the functioning of the Audit Committee of Executives (ACE), which is a first tier Committee to oversee Inspection and Audit function in the bank.

During FY 2014-15, Risk Based Internal Audit was conducted in 808 branches of the Bank,435 branches were brought under Concurrent Audit System; the Information System Audit was conducted in 591 branches and Zonal Offices and Departments at Head Office have been subjected to Management Audit & Inspection.

निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा विभाग ग्राहकों की शिकायतों/परिवादों के निवारण की भी निगरानी कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान 1432 शिकायतें प्राप्त हुई जिसमें से 1349 शिकायतों का निवारण हो गया। बैंकिंग लोकपाल ने बैंक के विरुद्ध 5 आदेश पारित किए, जिनमें से बैंक ने एक के विरुद्ध अपील दायर करने का निर्णय लिया।

निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा विभाग ने वर्ष के दौरान "विधिक लेखा परीक्षण नीति" बनाई ताकि बेहतर पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जा सके और इस प्रकार भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्यक्षेत्र कर्मी प्रमुख विषय पर सही नियंत्रण बना सके।

संक्षेप में, निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा विभाग भारत सरकार, नियामक तथा बैंक बोर्ड के द्वारा निर्धारित कार्य–प्रणाली और प्रक्रिया का प्रभावी रूप से निगरानी कर रहा है।

अनुपालन क्रिया–कलाप

दिनांक 01/10/2009 से अनुपालन कक्ष का उन्नयन पूर्णतः अनुपालन विभाग के रूप में हो गया है।

वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान एक बृहत् अनुपालन–नीति का मसौदा तैयार किया गया जिसकी समीक्षा वर्ष 2014–15 में की गई। वर्ष के दौरान ऑचलिक कार्यालयों/प्रधान कार्यालय के विभागों के अनुपालन मैनुअल बनाए/अद्यतन किए गए। प्र.का.योजना एवं विकास विभाग द्वारा भी बैंक का परिचालन मैनुअल बनाया गया तथा इसे बैंक की इन्ट्रानेट साइट पर डाल दिया गया।

बैंक में अनुपालन क्रिया–कलापों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 20 अप्रैल, 2007 के परिपत्र द्वारा जारी किए गए विभिन्न दिशा–निर्देशों का विभाग द्वारा अनुपालन किया गया। वर्ष के दौरान बैंक ने सुनिशचित किया है कि सांविधिक/विनियामक तथा कोई भी अन्य अनिवार्य अपेक्षित सूचना विनियामक/भारत सरकार अथवा अन्य किसी भी प्राधिकरण को भेज दी गई है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान जारी किए गए भा.रि.बैंक के सभी परिपत्रों तथा आंतरिक दिशा–निर्देशों की मुख्य–मुख्य बातों को मासिक आधार पर तैयार किया गया और स्टाफ के संदर्भ के लिए इन्हें बैंक की इन्ट्रानैट साइट पर डाला गया।

अनुपालन विभाग ने ऑचलिक कार्यालय, शाखाओं तथा विभागों को अपने परिचालन मैनुअलों के माध्यम से क्रमानुसार करने हेतु अथक प्रयास किए हैं। इन क्रिया–कलापों की जॉच वार्षिक अनुपालन लेखा परीक्षा के जरिए नियमित रूप से तथा नियमित अंतरालों पर कुछेक शाखाओं की आकस्मिक प्रति–जॉच द्वारा की जाती है।

जन–संपर्क एवं प्रचार–प्रसार

वित्तीय–वर्ष 2014–15 के दौरान बैंक ने जन–समुदाय के बीच तथा कॉरपोरेट स्तर पर अच्छी छवि बनाने के लिए एक सुनियोजित नीति अपनाई है तथा बैंक ने संपूर्ण भारतवर्ष के नागरिकों को ध्यान में रखते हुए प्रिंट मीडिया द्वारा अपने उत्पादों, संविदाओं, वित्तीय तथा अन्य डिस्प्ले/सूचनाओं को विभिन्न समाचार–पत्रों, पत्रिकाओं, स्मारिकाओं में प्रकाशित कर ख्याति प्राप्त की है।

बैंक ने अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रमों जैसे कि सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट, जवाहर लाल नेहरू हॉकी टूर्नामेंट, टी–20 किक्रेट टूर्नामेंट तथा भाई वीर सिंह साहित्य सदन के वार्षिक आयोजन में आउटडोर प्रचार सामग्री अर्थात् बैनरों व होर्डिंगों के प्रायोजन तथा प्रदर्शन से बैंक की पहुँच का विस्तार किया। बैंक ने अपने वाल कैलेंडर, 2015 के माध्यम से भी बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की जिसको ग्राहकों और शुभचिन्तकों के बीच में बहुतायत से बांटा गया।

इन सभी कार्यों द्वारा बैंक को पुनः राष्ट्र सेवा हेतु स्वयं को समर्पित करने का सुअवसर मिला तथा प्रचार–प्रसार के स्तर पर आशातीत ख्याति प्राप्त हुई।

सतर्कता

वर्ष के दौरान, निरोधात्मक के साथ–साथ दंडात्मक सतर्कता के कई प्रयास किए ताकि सतर्कता प्रशासन को मजबूती प्रदान की जा सके।

सतर्कता निर्देशिका को अद्यतित किया गया और वर्ष के दौरान संशोधित निर्देशिका का विमोचन किया गया। श्री जे.एम. गर्ग, सतर्कता आयुक्त के कर–कमलों द्वारा अद्यतित सतर्कता निर्देशिका का विमोचन हुआ।

अनुशासनात्मक कार्रवाई से संबंधित 6 महीने से अधिक अनिर्णीत मामलों में कमी लाने, केवल एकल अंक में लाने के लिए नहीं अपितु न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए विशेष प्रयास किए गए और जिसके कारण, हम लंबित मामलों को एकल अंक पर रखने में समर्थ हुए हैं। विगत चार वर्षों के तुलनात्मक आंकड़े निम्न प्रकार हैं –

	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15
6 माह से अधिक अवधि हेतु लंबित जाँच	19	12	03	07	01

जैसे कि अभियोग चलाने की स्वीकृति में अनिर्णय की बात है, यह संतोषजनक है कि दिनांक 31.03.2015 को अभियोग चलाने की संस्वीकृति हेतु कोई भी मामला बैंक में अनिर्णीत नही है। सी.बी.आई. से प्राप्त ऐसे सभी मामलों में, बैंक ने या तो अभियोग चलाने हेतु संस्वीकृति प्रदान कर दी है अथवा वैध कारणों के साथ और जहाँ आवश्यक हो, माननीय आयोग के हस्तक्षेप से संस्वीकृति देने से मना कर दिया है।

The Inspection and Audit Department is also monitoring redressal of the customer grievances/complaints. During FY 2014-15, 1432 complaints were received, of which 1349 complaints have been disposed off. The Banking Ombudsman passed 5 awards against the Bank out of which the Bank has preferred appeal against one award.

During the year the Inspection and Audit Department formulated 'Legal Audit Policy' to ensure better supervision & thus covering an important aspect to exercise proper control by the field functionaries to fall in line with RBI directives.

To summarize, Bank's Inspection and Audit Department has been effectively monitoring the compliance of Systems and Procedures laid down by Bank's Board, the Regulator and Government of India.

COMPLIANCE FUNCTION

The compliance cell was upgraded into a full-fledged Compliance Department wef.01/10/2009.

A comprehensive Compliance-policy was drafted during FY 2013-14, which was reviewed during 2014-15. Further, Compliance Manuals of Zonal Offices and Various HO Departments were drafted/updated during the year. HO P&D Department also drafted the Functional Manual of the bank and placed it on the intranet site of the bank.

The Bank has followed various guidelines issued by RBI regarding Compliance Functions in bank. During the year, the bank has ensured that Statutory/Regulatory and any other mandatory information required to be sent to the Regulator/GOI or any other Authority has been sent. Further, gists of all RBI circulars and Internal guidelines, issued during the FY 2014-15, were prepared month-wise and placed on the intranet site of the bank for reference of the staff.

It was also ensured that the functioning of Branches, Zonal Offices and Departments is synchronized with their Functional Manuals. This functioning has been regularly checked through Annual Compliance Audits and random cross-checking of some of the branches at regular intervals.

PUBLIC RELATION AND PUBLICITY

During the financial year 2014-15, the Bank adopted a multi-media strategy to build up its image in Public and at the corporate level and accordingly publicity was made through the print media by release of its product, tender, financial and other display/ notice ads in different newspapers, magazines and souvenirs targeting various audiences all over the country.

Bank also used outdoor publicity tools i.e. Sponsorship and Display of Banners & Hoardings on events of high publicity value e.g. Surjit Hocket Tournament, Jawahar Lal Nehru Hockey Tournament ,T20 Cricket Tournament and Annual function of Bhai Vir Singh Sahitya Sadan facilitated extension of outreach of the Bank. Bank also received immense publicity through the Bank's Wall Calendar 2015 which was widely distributed among clients and well wishers of the Bank.

Bank got huge publicity by way of coverage of its press releases by the print media. All these activities facilitated the Bank to rededicate itself to the service of the nation and enabled it to earn a well deserved mileage on the publicity front.

VIGILANCE

During the year, number of initiatives on Preventive as well as on Punitive Vigilance were taken to strengthen the vigilance administration.

The Vigilance Manual was updated and revised Manual was released during the year. The updated Vigilance Manual was released by Shri J.M.Garg, Vigilance Commissioner.

Special thrust was given, to bring down the pendency of disciplinary action cases more than 6 months old, not only to a single digit but to a minimum possible level, as evident from the last four year position given as under:

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
Pending inquiries more than 6 months old	19	12	03	07	01

As regards, pending cases of sanction for prosecution, it is matter of satisfaction that no case is pending for sanction of prosecution as on 31.03.2015 in the Bank. In all such cases received from CBI, the Bank had either given the sanction for prosecution or has declined the sanction for prosecution with the valid reasons and after intervention by Hon'ble Commission, where required.

सभी स्तरों पर हमारी निरंतर निगरानी से सकारात्मक परिणाम आए हैं जैसे कि शिकायतों के अनिर्णीत मामले विशेषकर सी.वी.सी./डी.एफ.एस/सी.बी.आई. से प्राप्त शिकायतों में कमी आई है जोकि नीचे दिए गए आँकड़ों/टेबिल से परिलक्षित हो रहा हैः–

	31.03.2011	31.03.2012	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2015
सी.वी.सी. द्वारा भेजी गई शिकायतें	10	07	02	02	01*

बैंक में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने पर जोर देने और निरंतर निगरानी करने के कारण, धोखाधड़ी में काफी कमी आई है जैसा कि नीचे की टेबल से परिलक्षित है। यह सत्य है कि अधिकतर बैंकों और वित्तीय संस्थानों में विगत 3/4 वर्षों में धोखाधडी के मामलों में काफी अधिक वृद्धि हुई है जब कि हम बैंक में धोखाधड़ी के बढ़ते रुझान को कम करने में समर्थ हुए हैं।

(रु. करोड़ो में)

	2012–13	2013–14	2014–15
	राशि	राशि	राशि
सूचित की गई धोखाधड़ी	102.94	68.93	30.99

नए आर.डी.ए. (नियमित अनुशासनात्मक कार्रवाई के मामले) तथा प्रभावी आंतरिक नियंत्रण के साथ, मामलों की संख्या में काफी कमी आई है।

दिनांक 31 मार्च को	2013	2014	2015
अनिर्णीत सतर्कता मामले	133	75	70

हम निरोधात्मक सतर्कता पर अधिक बल दे रहे हैं और संस्था के अंदर स्टाफ सदस्यों के बीच हमारे निरोधात्मक सतर्कता उपायों/जागरुकता पूर्ण प्रयासों से आरोप पत्र जारी करने की संख्या में समय के साथ कमी आई है। यह नीचे की टेबल से परिलक्षित होता है कि वर्ष 2012–13 में जारी 151 आरोप पत्रों के विरुद्ध वर्ष 2014–15 में मात्र 63 अधिकारियों को सतर्कता कारणों से आरोप पत्र दिए गए।

	2012–13	2013–14	2014–15
जारी आरोप पत्र	151	102	63

सुरक्षा

बैंक की संगठनात्मक संरचना में सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से स्थापित है। प्र.का.सुरक्षा विभाग, बैंक के सभी करेंसी चेस्टों एवं शाखाओं में सुरक्षा व्यवस्था की नियमित समीक्षा करता है तदनुसार, बैंक में प्रबल सुरक्षा परिदृश्य बनाने हेतु सुरक्षा प्रबंधनों की गति को तेज किया गया है ताकि बैंक की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी ,आधुनिक तथा अबाध सुरक्षा प्रणाली बनाने के लिए मजबूत किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक/भारतीय बैंकिंग संघ के दिशा–निर्देशों के अनुसार आवश्यक एवं अनिवार्य सुरक्षा प्रबंधन की व्यवस्था बैंक की लगभग सभी शाखाओं में उपलब्ध करवाई गई है।

आँचलिक सुरक्षा अधिकारियों द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के प्रबंधन का मूल्यांकन करने के लिए नियमित अंतराल पर शाखाओं का सुरक्षा परीक्षण किया गया तथा आवश्यकतानुसार इन सुरक्षा प्रबंधनों को मजबूत करने के लिए परामर्श दिया गया व कानून प्रवर्तन एजेन्सियों एवं प्रशासनिक कार्यालयों से तालमेल स्थापित किया गया। इसके अतिरिक्त, मुख्य सुरक्षा अधिकारी एवं अन्य सुरक्षा अधिकारियों ने करेंसी चेस्टों का सुरक्षा परीक्षण किया और साथ ही अतिसंवेदनशील शाखाओं का भी आकस्मिक निरीक्षण किया गया।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा–निर्देशानुसार, बैंक के सभी करेंसी चेस्टों की पँहुच नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ किया गया है। करेंसी चेस्टों के स्ट्रांग रूम तक पहुच हेतु एक नियोजित नियत्रंक कार्यप्रणाली कार्यरत है तथा करेंसी चेस्ट के वॉल्ट रूम में आने जाने का विधिवत् रिकार्ड रखा गया है।

सभी शाखा कार्यालयों एवं करेंसी चेस्टों में सुरक्षा अलार्म सिस्टम स्थापित है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुरूप अधिकांश करेंसी चेस्टों में स्ट्रांग रूम स्थापित किए गए है।

बैंक के पास कुल 12 करेंसी चेस्ट है तथा 11 करेंसी चेस्टों पर सुरक्षा हेतु पुलिस गार्ड की तैनाती की गई है। बैंक ने बाहरी स्त्रोतों से, डी.जी.आर. द्वारा प्रायोजित एक निजी सुरक्षा एजेंसी से अपने भिलाई स्थित करेंसी चेस्ट की दिन–रात निगरानी हेतु सुरक्षा सेवाएं ली है तथा यह प्रयास किया जा रहा है कि इस करेंसी चेस्ट पर सशस्त्र पुलिस गार्ड की तैनाती की जाए। बैंक की सभी शाखाओं में सशस्त्र पुलिस गार्डों की तैनाती की गई है तथा नकदी प्रेषण का कार्य सशस्त्र सुरक्षा गार्ड की पहरेदारी में किया जाता है।

करेंसी चेस्ट/शाखाओं में तैनात शस्त्रधारी गार्डों को वार्षिक आधार पर फायरिंग अभ्यास सहित प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है तथा सभी सुरक्षा अधिकारियों को वर्ष में एक बार सुरक्षा संबंधी नया प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

Further, monitoring at all levels has yielded positive result as pendency of complaints especially received from CVC / DFS / CBI, has reduced significantly, as is evident from the data / table given below :

	31.03.2011	31.03.2012	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2015
Pending CVC referred Complaints	10	07	02	02	01*

With constant monitoring and emphasis on strengthening the internal control mechanism in the Bank, there is considerable decline in fraud, as is evident from the table below. In view of the fact that when almost all the Banks and Financial Institutions are having steep increase in frauds during the last 3/4 years, with effective control mechanism, the bank has been able to reverse the upward trend in frauds in the Bank.

(Rs. in crore)

	2012 - 13	2013 - 14	2014 - 15
	Amount	Amount	Amount
Frauds Reported	102.94	68.93	30.99

With effective internal controls, initiation of fresh RDA (Regular Disciplinary Action Cases) cases have declined considerably.

As on 31st March	2013	2014	2015
Vigilance Cases Pending	133	75	70

The bank is focusing more on the preventive vigilance and as a result of preventive vigilance measures / awareness efforts amongst the staff members across the organization, the number of issuance of Charge Sheet has declined over the period, as depicted hereunder:

	2012 - 13	2013 - 14	2014 - 15
Charge Sheet issued	151	102	63

SECURITY

The Bank has a well established Security set-up within the Bank's organizational structure. The H.O. Security department has been regularly reviewing the security arrangements at all the Currency Chests and branches and accordingly strengthening the security arrangements to meet prevailing security scenario with effective, modern and unobstructed Security Systems. All the essential and mandatory security arrangements in terms of RBI/ IBA guidelines are provided at almost all branches.

The Zonal Security Officers periodically carry-out Security audit of branches to assess the security arrangements in vogue and recommend implementation of additional preventive security measures wherever desired. They maintain close liaison with the law enforcing and administrative authorities. Besides, the Chief Security Officer and other officials from Head Office are also carrying out the security audit of the Currency Chests and also undertake random visits of the vulnerable branches of the Bank.

The Access Control System at all the Bank's Currency Chests has been strengthened in terms of RBI guidelines. A proper system of regulating access to Currency Chest Strong Rooms and proper records of entry into / exit from the Vault Room of the chest is being maintained.

Security Alarm Systems are installed at all branches and currency chests. Strong Room conforming to RBI specification are provided at majority of the branches.

The Bank has a total of 12 (twelve) currency chests. Police guards have been provided at 11 currency chests. The Bank has outsourced round the clock guarding of Bhilai Currency Chest to a Private Security Agency sponsored by DGR. Efforts are continuing for deployment of Armed Police Guards at this Currency Chest. All the branches of the Bank are provided with armed guards and all the cash remittances are escorted by the armed guards.

Training, including firing practice, for Armed Guards deployed at currency chests / branches is imparted on an annual basis. Also, all the security officers undergo refresher training on security once in a year.

समस्त करेंसी चेस्टों तथा चिह्नित की गई 507 उच्च जोखिम व अतिसंवेदनशील शाखाओं में सी.सी.टी.वी. निगरानी पद्धति संस्थापित करवा दी गई है, भय अनुभूति, नकदी की मात्रा तथा कीमती बहुमूल्य वस्तुऐं एवं निरंतर निगरानी की आवश्यकता के मद्देनजर शेष शाखाओं में भी चरणबद्ध रूप से सी.सी.टी.वी. निगरानी पद्धति संस्थापित कर दी जाएगी।

राजभाषा कार्यान्वियन

वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान बैंक में भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वियन एवं राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग के प्रचार–प्रसार में आशातीत प्रगति की गई। कुल 71 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, जिनमें 986 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया। इसके अतिरिक्त 715 शाखाओं में डैस्क प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा 2123 कार्मिकों को हिंदी के प्रयोग का प्रशिक्षण तथा कंप्यूटर पर यूनिकोड प्रशिक्षण भी दिया गया। बैंक में राजभाषा के प्रयोग की स्थिति की समीक्षा करने के उद्देश्य से कुल 609 शाखाओं कार्यालयों के राजभाषा के प्रयोग संबंधी निरीक्षण किए गए। वर्ष के दौरान बैंक के विभिन्न कार्यालयों / शाखाओं मे भारत सरकार, वित्त–मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग के निर्देशानुसार, "आपसी संवाद–सार्थक दिशा" के 461 तथा "मस्तिष्क मंथन" के 266 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

इस वर्ष बैंक को गृह–मंत्रालय द्वारा राजभाषा नीति के श्रेष्ठ कार्यान्वयन हेतु "ख" क्षेत्र "बैंक श्रेणी" के अंतर्गत हमारे बैंक के आँचलिक कार्यालय, चंडीगढ़ ने राजभाषा शील्ड (द्वितीय पुरस्कार) प्राप्त की। बैंक को "ख" क्षेत्र की भारतीय रिज़र्व बैंक की राजभाषा शील्ड(प्रोत्साहन पुरस्कार) भी प्राप्त की। बैंक नराकास, दिल्ली की ओर से भी हमारी हिंदी गृह–पत्रिका "पी.एण्ड एस. बैंक राजभाषा अंकुर" को प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त हुआ। दिल्ली बैंक नराकास के तत्वावधान में विभिन्न बैंकों द्वारा आयोजित अंतर बैंक प्रतियोगिताओं में बैंक के स्टाफ सदस्यों ने 06 पुरस्कार भी प्राप्त किए।

खेल–कूद

बैंक की एक खेल–कूद अकादमी है जो बैंक की हॉकी टीम को राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण देती है। इसके अतिरिक्त, 15 से 18 वर्ष की आयु हेतु एक अकादमी है। वर्ष के दौरान, बैंक की हॉकी टीम ने निम्न राष्ट्रीय टूर्नामेन्ट जीतेः

ऑल इंडिया मार्टियर्स हॉकी टूर्नामेन्ट

बैंक हॉकी टीम तथा हॉकी अकादमी के निम्नलिखित 5 खिलाड़ियों ने वर्ष 2014–15 के दौरान भारतीय हॉकी टीम का विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया है।

श्री रमनदीप सिंह	श्री हरबीर सिंह	श्री सतबीर सिंह
श्री गुरमेल सिंह	श्री हरजोत सिंह	

विभिन्न टीमों के 6 खिलाड़ियों ने बैंक की ओर से इंडियन प्रीमियर लीग में प्रतिनिधित्व किया जिसका आयोजन हॉकी इंडिया द्वारा तथा हीरो ग्रुप की स्पॉन्सरशिप के तहत किया गया।

वर्तमान में बैंक के 3 खिलाड़ी मलेशिया में अजनाल शाह कप 2015 हेतु भारतीय हॉकी टीम में शामिल है।

केरल में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में बैंक के श्री सरवनजीत सिंह, श्री गुरइकबाल सिंह, श्री गौतमपाल सिंह, श्री विक्रमजीत सिंह एवं हॉकी एकेडमी के एक खिलाड़ी ने पंजाब राज्य का प्रतिनिधित्व किया।

विभिन्न अखिल भारतीय एवं अन्य प्रतियोगिताओं में वर्ष 2014–2015(आयु वर्ग 15 से 18 वर्ष) में बैंक की हॉकी अकादमी ने जीते

- अखिल भारतीय बाबा फरीद हॉकी टूर्नामेंट
- अखिल भारतीय सतगुरू जगजीत सिंह हॉकी टूर्नामेंट
- अंतर महाविद्यालय हॉकी टूर्नामेंट (हमारे 8 खिलाड़ियों ने लायलपुर खालसा कॉलेज,जालंधर की ओर से खेला)

इसके अलावा अन्य भागेदारी निम्न प्रकार हैः

हमारी हॉकी एकेडमी के श्री जसकरण सिंह ने पंजाब राज्य हॉकी टीम की ओर से सीनियर व जूनियर वर्ग में प्रतिनिधित्व किया।

केरल राज्य में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में हमारे बैंक के श्री संजीव कुमार (ऑलम्पियन) पंजाब टीम के मुख्य कोच थे।

अखिल भारतीय अंतर्महाविद्यालय हॉकी चेम्पियनशिप में हमारे बैंक के 4 खिलाड़ियों ने प्रतिनिधित्व किया एवं रजत पदक जीता।

समायोजन

वित्तीय–वर्ष– 2014–15 के दौरान दिनांक 31.03.2015 तक आईबीआर व डीडी का कुल बकाया 99 प्रतिशत तक कम किया गया। पिछली बकाया प्रविष्टियों को कम करने के लिए भी प्रयास जारी हैं।

Keeping in view the threat perception, volume of cash and valuables handled and need for continuous surveillance, CCTV Surveillance System have been installed at all the Currency chest / branches and 507 identified High Risk and vulnerable branches in the first phase. CCTV systems shall be installed at the remaining branches in a phased manner.

IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE

During the financial year 2014-15, the Bank made significant progress in implementation of Official Language Policy of Govt. of India for promoting and propagating the use of Official Language in the Bank. A total of 71 workshops were organized, in which 986 personnel were trained. Besides this, in 715 Hindi Desk Training Programmes, 2123 staff members were imparted training for using official language and Unicode training on Computers. With the aim of reviewing the progress of Official Language, inspections were conducted in 609 Branches/Offices. During the year, as per directions of the Finance Ministry, Rajbhash Vibhag, 461 "Aapsi Samvad-SarthakDisha" and 266 "MastishkManthan", programmes were organized in different offices/branches of the Bank.

This year the Bank won Rajbhasha Shield (IInd prize) from Ministry of Home Affairs for implementation of Official Language Policy in Bank's B region in Bank's category. The Bank also won Rajbhasha Shield (consolation prize) from Reserve Bank of India. Apart from this, Delhi Town Official Language Implementation Committee (TOLIC), awarded Consolation Prize to our Bank In-House Hindi Magazine "Rajbhasha Ankur". Bank staff members also won six prizes in various interbank competitions organized by different banks under auspices of Delhi Bank TOLIC.

SPORTS

The Bank has a Sports Academy which nurtures the Bank's Hockey Team at National Level, besides Hockey Academy for age group of 15-18 years. During the year, the Bank's Hockey Team won the following National Tournament:

- All India Martyrs Hockey Tournament

The following players of the Bank's Hockey Team and Hockey Academy have represented Indian Hockey Team in various International Tournaments during the year 2014-15:

Sh. Ramandeep Singh	Sh. Harbir Singh	Sh. Satbir Singh
Sh. Gurmail Singh	Sh. Harjot Singh	

6 players represented Indian Premier League from different teams which was organized by Hockey India with the sponsorship of HERO Group.

Presently 3 players are in the Indian Hockey Team for Azlan Shah Cup 2015 at Malaysia.

Savajit Singh, Guriqbal Singh, Gautampal Singh, Vikramjit Singh & one player from Hockey academy represented Punjab state in National Games held at Kerala.

Team from the Bank's Hockey Academy (Age Group 15 to 18 Years) won the following tournaments during 2014-15

- All India Baba Farid Hockey Tournament
- All India Sat Guru Jagjit Singh Hockey Tournament
- Inter College Hockey Tournament (Our 8 players played for Lyallpur Khalsa College, Jalandhar)

Apart from these, other contributions are as under:

Sh. Jaskaran Singh of Banks' academy represented both Senior & Junior Nationals from Punjab State Hockey Team.

Sh. Sanjeev Kumar (Olympian) of our Bank was the Chief Coach of Punjab Team at National Games held at Kerala.

4 players represented GNDU Hockey Team in All India University Hockey Championship and won the Silver medal.

RECONCILIATION

Total outstanding in IBR & DD as on 31.03.2015 has been reduced by 99% during the financial year 2014-15. The efforts are being continued to reduce the old outstanding entries also.

सामान्य प्रशासन

इस वर्ष विभिन्न निर्माण परियोजनाएं जैसे स्टॉफ प्रशिक्षण कॉलिज, रोहिणी, बैंक हाऊस भवन, नई दिल्ली का नवीकरण और नोएडा परियोजना का कार्य प्रगति में है तथा इस वर्ष इसके पूर्ण होने की संभावना है। फोर्ट, मुम्बई तथा गुड़गॉव में निर्माण पहले ही पूर्ण हो गया है और पूर्वी किदवाई नगर तथा पोसंगीपुर में कार्य प्रगति पर है।

बोर्ड निदेशकों का नियोजन

31 मार्च, 2015 के अनुसार बैंक बोर्ड में सात अन्य निदेशकों– वित्त–मंत्रालय, भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रतिनिधियों, गैर–आधिकारिक निदेशक (सनदी लेखाकार श्रेणी), दो शेयरधारक निदेशकों तथा दो अंश–कालिक गैर–आधिकारिक निदेशकों के अतिरिक्त दो पूर्ण कालिक निदेशकों जैसे– अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा एक कार्यकारी हैं।

बैंक मामलों के नियंत्रण एवं कार्य निगरानी हेतु नियोजित बोर्ड की विभिन्न समितियों की सूची नीचे दी गई है

- प्रबंधन समिति
- लेखा परीक्षा समिति
- जोखिम प्रबंधन समिति
- बड़ी राशियों की धोखाधड़ियों की निगरानी हेतु समिति
- सतर्कता समिति
- ग्राहक सेवा समिति
- अंशधारक संबंध समिति
- सूचना प्रौद्योगिकी योजना समिति
- नामांकन समिति
- मानव संसाधान समिति
- बोर्ड की पुनर्विचार/समीक्षा समिति
- पारिश्रमिक समिति
- कार्यकारियों की पदोन्नति पर बोर्ड समिति
- वसूली की निगरानी हेतु समिति
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में मतदान द्वारा शेयरधारक निदेशक की चुनाव समिति

अन्य बोर्ड की समितियों की बैठकों के अतिरिक्त, वर्ष 2014–15 के दौरान बोर्ड निदेशकों की नौ बैठकें, बोर्ड की प्रबंधन समिति की बारह बैठकें तथा लेखा परीक्षा समिति की नौ बैठकें आयोजित की गईं।

वर्ष 2014–15 के दौरान बैंक के बोर्ड निदेशकों के नियोजन में निम्नलिखित परिवर्तन हुएः

समावेशन

श्री एम.एम. दौला को बैंक के निदेशक मंडल में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा अधिसूचित पत्र दिनांक 07.05.2014 संख्या एफ.नं. 6/3/2012–बीओ.I के माध्यम से नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

श्री एस.आर. मेहर को बैंक के निदेशक मंडल में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा अधिसूचित पत्र दिनांक 24.09.2014 संख्या एफ.नं. 6/3/2012–बीओ.I के माध्यम से नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

दिनांक 01.07.2014 को श्री एम.एस. सारंग को बैंक के शेयरधारकों का निदेशक नियुक्त किया गया।

दिनांक 01.07.2014 को श्री एस.पी. बबूता को बैंक के शेयरधारकों का निदेशक नियुक्त किया गया।

सेवानिवृतियाँ

- श्री एस.सी. दास, वित्त मंत्रालय के नामित निदेशक दिनांक 07.05.2014 तक बैंक के बोर्ड में रहे।
- श्री एस.पी. बबूता ने शेयर धारकों के निदेशक के रूप में दिनांक 02.06.2014 को अपना कार्यकाल पूर्ण किया।
- श्री एन. राजेन्द्रन ने शेयर धारकों के निदेशक के रूप में दिनांक 02.06.2014 को अपना कार्यकाल पूर्ण किया।
- श्री सुरेश ठाकुर ने गैर–अधिकारिक निदेशक के रूप में दिनांक 12.07.2014 को अपना कार्यकाल पूर्ण किया।
- श्री संजीव अरोड़ा ने गैर–अधिकारिक निदेशक के रूप में दिनांक 14.07.2014 को अपना कार्यकाल पूरा किया।

GENERAL ADMINISTRATION

Various building projects viz staff Training College, Rohini, renovation of the Bank House building, Noida are in progress and likely to be completed in the next year 2015-16. Construction work at Fort Mumbai and Gurgaon has already been completed and work at East Kidwai Nagar and Possangipur is in progress.

CONSTITUTION OF BOARD OF DIRECTORS

As on 31st March 2015, the Board comprised of two Whole Time Directors viz Chairman & Managing Director and one Executive Director besides seven other Directors including representatives from Ministry of Finance, Reserve Bank of India, Non Official Director (Chartered Accountant Category), two Share Holders Directors and two Part Time Non Official Directors.

Various Committees constituted under the Board as listed below, oversee the functioning and control the affairs of the bank:

- Management Committee
- Audit Committee
- Risk Management Committee
- Committee for Monitoring of Large Value Frauds
- Vigilance Committee
- Customer Service Committee
- Stakeholders Relationship Committee
- IT Strategy Committee
- Nomination Committee
- HR Committee
- Committee of Board on Appellate/Reviewing Authority
- Remuneration Committee
- Committee of Board on Executives' Promotion
- Committee for Monitoring of Recovery
- Election of Shareholders Director Committee Voting by Public Sector Bank

During the year 2014-15, Nine meetings of the Board of Directors, Twelve meetings of the Management Committee and Nine meetings of the Audit Committee of the Board were held, besides Meetings of other committees of the Board.

The constitution of Bank's Board of Directors underwent following changes during the year 2014-15:

INCLUSIONS

- Sh. M M Dawla was nominated as MOF Nominee Director of the Bank vide Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi Notification No.F.No. 6/3/2012-BO-I dated 07.05.2014.
- Sh. S R Mehar was nominated as MOF Nominee Director of the Bank vide Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi Notification No.F.No. 6/3/2012-BO.1 dated 24.09.2014.
- Sh. M S Sarang was appointed as Share Holder Director of the Punjab & Sind Bank on 01.07.2014
- Sh. S P Babuta was appointed as Share Holder Director of the Punjab & Sind Bank on 01.07.2014

CESSATIONS

- Sh. S C Das MOF Nominee Director was on the Board of the Bank up to 07.05.2014.
- Sh. S P Babuta completed his term as Share Holders Director on 02.06.2014
- Sh. N Rajendran completed his term as Share Holders Director on 02.06.2014
- Sh. Suresh Thakur completed his term as Non Official Director on 12.07.2014
- Sh. Sanjeev Arora completed his term as Non Official Director on 14.07.2014

- श्री एम.एम. दौला ने गैर–अधिकारिक निदेशक के रूप में दिनांक 24.09.2014 को अपना कार्यकाल पूर्ण किया।
- श्री एस.पी.एस. विर्क ने दिनांक 22.11.2014 को कामगार निदेशक के रूप में अपना कार्यकाल पूर्ण किया।
- श्री किशोर कुमार साँसी, बैंक के कार्यकारी निदेशक को वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 31.12.2014 संख्या एफ.नं. 4/4/2013–बीओ–I (i) द्वारा विजया बैंक के प्रबंध निदेशक तथा सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया।

निगमित प्रशासनः

बैंक अच्छे निगमित प्रशासन के लिए प्रतिबद्ध है तथा इसे और अधिक मजबूत करने का निरंतर प्रयास कर रहा है ताकि संगठन में सभी स्तर पर और अधिक पारदर्शिता व बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जा सके। बैंक की कार्य–प्रणाली, बैंक के पारदर्शी स्वामित्व सरंचनाएं जोखिम प्रबंधन कार्य–प्रणाली में सुधार, सुनियोजित तरीके से शक्तियों को सौंपना, जवाबदेही तथा निरीक्षण एवं लेखा–परीक्षा प्रभाग तथा सांविधिक केन्द्रीय लेखा–परीक्षकों द्वारा किए गए विस्तृत लेखा कार्यों को दर्शाती है। इनके कार्यों में बोर्ड द्वारा की जाने वाली संतोषजनक बोर्ड प्रक्रियाओं तथा निरीक्षण कार्य सम्मिलित है।

बैंक निगमित प्रशासन के मामले में सम्बन्धित सेबी तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा–निर्देशों का पालन करता है जिसकी जांच सांविधिक केन्द्रीय लेखा–परीक्षकों द्वारा की जाती है।

निदेशकों की जिम्मेदारियाँः

निदेशकों ने पुष्टि की है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखाबंदी की तैयार करने में –

- लागू लेखा–मानकों के साथ–साथ मानक सामग्री से सम्बन्धित उचित व्याख्या, यदि कोई है तो, का पालन किया गया है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुरूप बनाई गई लेखांकन नीतियों को लगातार लागू किया गया है।
- वित्तीय–वर्ष के अंत में तथा 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के कार्यकलापों का वास्तविक तथा उचित विवरण प्रस्तुत करने हेतु यथोचित निर्णय तथा पूर्वानुमान लगाए गए।
- भारत में बैंकों पर लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार लेखा अभिलेखों के उचित एवं पर्याप्त अनुरक्षण हेतु उचित तथा पर्याप्त ध्यान रखा गया तथा खातों को चालू संस्थान के आधार पर तैयार किया जाता है।

सांविधिक लेखा परीक्षण

जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित है, बैंक ने मैसर्स बी.के. श्राफ एण्ड कंपनी, कोलकाता मैसर्स आर. कोठारी एण्ड कंपनी, कोलकाता मैसर्स तिवारी एण्ड एसोशिएटस, नई दिल्ली तथा मैसर्स ढ़िल्लों एण्ड एसोशिएटस, चंडीगढ़ को समाप्त वर्ष मार्च, 2015 के लेखांकन वर्ष हेतु नियुक्त किया है।

अभिस्वीकृतियाँः

बैंक का निदेशक मण्डल मूल्यवान ग्राहकों, शेयर धारकों, शुभचिंतकों और बैंक के भारत तथा विदेशों में उनके संवाददाताओं के संरक्षण, सदभावना एवं समर्थन के लिए धन्यवाद देता है।

निदेशक मण्डल बैंक के कामकाज के लिए भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड(सेबी), स्टॉक एक्सचेंजों, विभिन्न राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थानों और बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखा–परीक्षकों से प्राप्त मूल्यवान और समय पर सलाह, मार्गदर्शन तथा सहयोग को कृतज्ञता के साथ स्वीकार करता है।

निदेशक मण्डल वर्ष के दौरान सभी स्तरों पर बैंक की प्रगति हेतु स्टाफ–सदस्यों के बहुमूल्य योगदान के लिए भरपूर सराहना करता है तथा आशा करता है कि आने वाले वर्षों में बैंक को निगमित लक्ष्यों की प्राप्ति में इनका सतत् सहयोग प्राप्त होता रहेगा।

निदेशक मंडल हेतु तथा उनकी ओर से

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 12 मई, 2015

जतिन्दरबीर सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

- Sh. M M Dawla MOF Nominee Director was on the Board of the bank up to 24.09.2014
- Sh. S P S Virk completed his term as Workman Director on 22.11.2014.
- Sh. Kishore Kumar Sansi, Executive Director of the Bank was appointed as Managing Director & CEO, Vijaya Bank vide Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi Notification No. F.No.4/4/2013-BO-I (i) dated 31.12.2014.

CORPORATE GOVERNANCE

The Bank is committed to good Corporate Governance and is constantly striving to further strengthen the same to ensure greater transparency and better coordination at all levels in the Organization. The working of the Bank reflects transparent ownership structure, improved risk management practices, well defined delegation of powers, accountability and an elaborate audit function carried out by both its Inspection & Audit Division and by independent Statutory Central Auditors.

Bank has complied with the guidelines of RBI and SEBI on the matters relating to Corporate Governance which have been examined by the Statutory Central Auditors.

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENTS

The Directors confirm that in the preparation of the Annual Accounts for the year ended 31st March, 2015:

- The applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any.
- The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India, were consistently applied.
- Reasonable and prudent judgment and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit of the bank for the year ended on 31st March, 2015.
- Proper and sufficient care was taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws Governing Banks in India and the accounts have been prepared on a going concern basis.

STAUTORY AUDIT

As approved by Reserve Bank of India, bank has appointed M/s B K Shroff & Co., Kolkata, M/s R Kothari & Co., Kolkata; M/s Dhillon & Associates, Chandigarh and M/s Tiwari & Associates, New Delhi as Statutory Central Auditors for the accounting year ended March 2015.

ACKNOWLEDGEMENTS

The Board of Directors of the Bank thanks valued customers, shareholders, well-wishers and correspondents of the Bank in India and abroad for their goodwill, patronage and continued support.

The Directors also acknowledge with gratitude the valuable and timely advice, guidance and support received from Government of India, Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges of various State Governments, Financial Institutions and the Statutory Central Auditors of the Bank in the functioning of the Bank.

The Directors place on record their deep appreciation for the valuable contribution of the members of the staff at all levels for the progress of the Bank during the year and look forward to their continued co-operation in realization of the Corporate goals in years ahead.

For and on behalf of the Board of Directors

Place : New Delhi
Date : 12th May 2015

Jatinderbir Singh
Chairman & Managing Director

विशेष आयोजन
एवं
उपलब्धियाँ

SPECIAL EVENTS
AND
ACHIEVEMENTS

विशेष आयोजन / उपलब्धियाँ
Special Events / Achievements

1 स्वच्छ भारत अभियानः

पंजाब एण्ड सिंध बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) श्री जतिंदरबीर सिंह, (आईएएस) ने अपने सहयोगी कार्यकारी निदेशक श्री किशोर सॉसी के साथ, भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान की कड़ी के रूप में पंजाब एण्ड सिंध बैंक के प्रधान कार्यालय नई दिल्ली से सफाई अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान का संचालन, अखिल भारतीय स्तर पर किया गया जिसमें बैंक के सभी आंचलिक कार्यालय तथा शाखाएं सम्मिलित हुई। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (CMD) द्वारा सभी कर्मचारियों से स्वच्छता के इस संदेश को फैलाने का और इस अभियान को निरंतरता के आधार पर चलाए रखने का आह्ववान भी किया गया। उन्होंने पंजाब एण्ड सिंध बैंक को 'द बैंक ब्यूटिफुल' बनाने का आह्ववान किया।

Swachch Bharat Abhiyan:

Shri Jatinderbir Singh, IAS Chairman & Managing Director, along with Executive Director of the Bank Shri Kishore Sansi launched the cleanliness campaign at Head Office of the Punjab & Sind Bank in New Delhi as a part of Swachch Bharat Abhiyan undertaken by the Government of India. This campaign has been launched in all the Branches and Zonal Offices of the Bank all over the country. Mr. Singh also exhorted all the employees to spread this message of cleanliness and to carry on the mission on an ongoing basis. He gave the clarion call for building up the Punjab & Sind Bank as "The Bank Beautiful".

2 पी.एम.जे.डी.वाई के मापदंडों की उपलब्धि के लिए उत्कृष्टता पुरस्कारः

पंजाब एण्ड सिंध बैंक, प्रधानमंत्री जन–धन योजना के मानदंडों की उपलब्धि के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार का विजेता रहा। यह पुरस्कार एफआईटीएस (फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री ट्रेड एण्ड सर्विस), नई दिल्ली के द्वारा दिनांक 25.03.2015 को आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्योग मंत्री, माननीय श्री कलराज मिश्रा के कर–कमलों द्वारा प्रदान किया गया। बैंक को आबंटित गाँवों तथा वार्डों में एक परिवार में एक खाता खोलकर पंजाब एण्ड सिंध बैंक 100% परिवारों को पहले ही कवर कर चुका है। बैंक, खातों को आधार से जोड़ने तथा शून्य शेष खातों को रूपए खातों में परिवर्तित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

Excellence Award for achievement of PMJDY parameters:

Punjab & Sind Bank Won an Excellence Award for achievement of PMJDY (Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana) parameters on 25.03.2015 at a function hosted by FITS (Federation of Industry Trade & Services), in New Delhi. The award was received through hands of Hon'ble Shri Kalraj Mishra, Union Cabinet Minister for MSME. Punjab & Sind Bank has already covered 100 % of households by opening one account per household in allotted villages & wards. Bank is focusing on increasing Aadhaar Seeding in the accounts and converting zero balance accounts into rupee accounts.

विशेष आयोजन / उपलब्धियाँ
Special Events / Achievements

3 पंजाब एण्ड सिंध बैंक ने एग्री टेक प्रदर्शनी, 2014 में सहभागिता की:

बैंक ने चंडीगढ़ में आयोजित की गई एग्री टेक प्रदर्शनी, 2014 में सहभागिता की। बैंक के मेगा ऋण अभियान के अंतर्गत बैंक के अधिकारीगण आ रहे किसानों को कृषि, उद्योग एवं खुदरा ऋण उत्पादों के विषय में जानकारी देते हुए।

Punjab & Sind Bank participates in Agri Tech 2014 Exhibition:

The Bank participates in Agri Tech 2014 exhibition held at Chandigarh. Bank officials apprising the visiting farmers about Agriculture, Industry and Retail lending products under Bank's Mega Credit Campaign.

4 पंजाब एण्ड सिंध बैंक ने बैंक की हाकी टीम का सम्मान किया:

श्री जतिंदरबीर सिंह, आई.ए.एस., अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, बैंक की हाकी टीम को सम्मानित करते हुए। बैंक की हाकी टीम को नई दिल्ली मे आयोजित 51 जवाहर लाल नेहरु सीनियर हाकी टूर्नामेंट में उप विजेता की ट्राफी प्रदान की गई।

Punjab & Sind Bank felicitates Bank's Hockey Team:

Sh. Shri Jatinderbir Singh, IAS Chairman & Managing Director, Punjab & Sind Bank felicitating Bank's Hockey Team. The Team was awarded Runner up trophy in 51st Jawahar Lal Nehru Senior Hockey Tournament held in New Delhi.

विशेष आयोजन / उपलब्धियाँ
Special Events / Achievements

5 आंचलिक कार्यालय, लखनऊ में बैंक मित्रों के साथ गोष्ठी करते हुए बैंक के वरिष्ठ अधिकारीगण।

Senior Executives of the Bank having meeting with 'Bank Mitras' at Zonal Office Lucknow.

6

खुदरा ऋण कैंपः

दिनांक 30.01.2015 से सम्पूर्ण भारत में 800 से अधिक खुदरा व्यापार कैंपो का आयोजन किया गया। वर्ष के दोरान खुदरा ऋणों के सवितरण में 52% तथा कुल बकाया में 25% की वृद्धि हुई।

Retail Lending Camps:

To boost retail lending, more than 800 Retail Lending Camps organized by the Bank across the country from 30.01.2015. Retail lending increased by 52% in disbursement and 25% in net outstanding during the year.

7 भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉ.रघुराम राजन, वर्ष 2012–13 की 'ख' क्षेत्र की राजभाषा शील्ड(प्रोत्साहन पुरस्कार) बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री जतिंदरबीर सिहं, आई ए एस को प्रदान करते हुए।

Sh. Jatinderbir Singh, IAS Chairman & Managing Director receiving Rajbhasha Shield of area "B" for the year 2012-13 from Dr Raghuram Rajan, Governor, Reserve Bank of India.

8 रुपे कार्ड जारी करने के अवसर पर रुपए सशक्तिकरण की पहचान बनाने हेतु भारत के राष्ट्रपति माननीये श्री प्रणब मुखर्जी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री जतिंदरबीर सिहं, आई ए एस को शील्ड और प्रतीक प्रदान करते हुए।

Shri Pranab Mukherjee, Hon'ble President of India presenting Shield & Memento to Sh. Jatinderbir Singh, IAS Chairman & Managing Director in recognition of the impetus to Rupay on the occasion of launch of Rupay Card.

विशेष आयोजन / उपलब्धियाँ
Special Events / Achievements

9 बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री जतिंदरबीर सिंह, आई.ए.एस. ने बेगोवाल, धर्मकोट बग्गा तथा बटाला गाँवों के व्यवसाय प्रतिनिधि क्षेत्र का दौरा किया। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय के साथ गुरदासपुर जिले के बटाला में व्यवसाय प्रतिनिधि(बीसी) चित्र में दिखाई दे रहे हैं।

Sh. Jatinderbir Singh, IAS, Chairman & Managing Director visits BC locations of village Begowal,Dharamkot Bagga and Batala. Seen in the picture with CMD are some BCs of Batala Distt. Gurdaspur.

11 श्री मुकेश कुमार जैन, कार्यकारी निदेशक महोदय ने जालंधर जिले के धीरपुर में स्थित व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) क्षेत्र का दौरा किया जहाँ ग्रामीणों की उपस्थिति में एईपीएस लेन–देनों तथा ई–केवाईसी एनरोलमेंट किए गए। श्री डी.डी. शर्मा, महाप्रबंधक (एच.आर.डी.) भी चित्र में दिखाई दे रहे हैं।

Sh. Mukesh Kumar Jain, Executive Director visits BC location of Dhirpur Distt.Jalandhar where AEPS transanctions and e-KYC enrollments were done in the presence of rural gathering. Sh. D.D. Sharma, General Manager(HRD) also seen in the picture.

10 पीएसबी ने भारतीय महिला के सशक्तिकरण हेतु प्रगतिशील कदम उठाया है और कुछ शाखाओं को "सभी महिला शाखा" बनाया है।

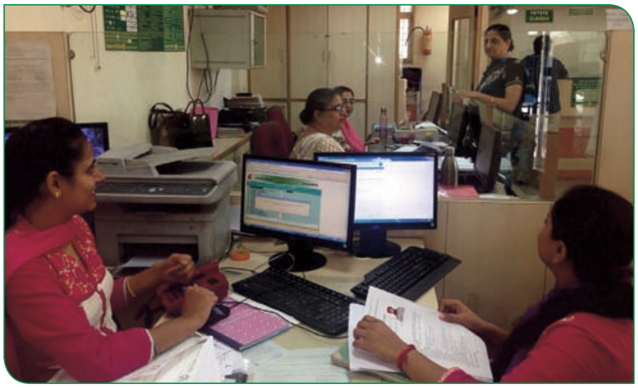

Punjab & Sind Bank takes a progressive step towards women empowerment by setting up some "All Women Branches".

12 बैंक के कार्यकारियों के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम का आयोजन एनआईबीएम, पुणे में किया गया। चित्र में, श्री जतिंदरबीर सिंह, आई.ए.एस., अध्यक्ष एंव प्रबंध निदेशक, सहभागियों के साथ दिखाई दे रहे हैं।

Bank arranged a Management Development Programme for Executives of the Bank at NIBM,Pune. Seen in the picture Sh.Jatinderbir Singh,IAS,and Chairman & Managing Director along with the participants.

कॉर्पोरेट प्रबंधन रिपोर्ट

2014 - 15

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

2014 - 15

कॉर्पोरेट प्रबंधन रिपोर्ट 2014–15

आचार संहिता

1. प्रबंधन संहिता के संबंध में बैंक – दर्शन

बैंक उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु संसाधनों के इष्टतम उपयोग के साथ अधिकतम प्रतिफल प्राप्त करने तथा सभी स्तरों पर कार्यनिष्पादन को सुनिश्चित करते हुए, शेयर–धारकों के हितों की रक्षा करते हुए तथा उनके मूल्यों में अभिवृद्धि के लिए अपने सतत् प्रयास जारी रखेगा। बैंक न केवल सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा अपितु स्वेच्छापूर्वक कड़ी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पद्धतियों को निष्पादित करते हुए, उनका पालन भी करेगा। बैंक प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृषता हासिल करने हेतु नैतिक मूल्यों के उच्च मानकों, पारदर्शिता तथा अनुशासित दृष्टिकोण अपनाने में विश्वास रखता है। बैंक सर्वोत्तम कार्यशैली को अपनाने के लिए वचनबद्ध है। बैंक अपने सभी साझेदारों जिनमें शेयरधारक, ग्राहक, सरकार तथा व्यापक तौर पर आमजन भी शामिल हैं, को अधिकतम लाभ पहुचाने हेतु सघन प्रयास करता रहेगा।

बैंक एक सूचीबद्ध निकाय है जो एक कंपनी नहीं है अपितु बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1980 अर्थात् बैंककारी कंपनी अर्जन अधिनियम के तहत निकाय कॉर्पोरेट है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित होता है, अतः स्टॉक एक्सचेंजो के साथ किए गए सूचीयन करार के संशोधित उपखंड 49 के प्रावधानों का उस सीमा तक पालन करेगा जहां तक बैंककारी कंपनी उपक्रमों का (अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1980 के प्रावधानों और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का उल्लंघन नहीं होता है।

2. निदेशक मंडलः

2.1 निदेशक मंडल का स्वरूप

निदेशक मंडल का गठन बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 यथा संशोधित तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1980 (यथा संशोधित) के प्रावधानों द्वारा शासित होता है।

31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुरूप निदेशक मंडल का स्वरूप निम्नानुसार हैः

क्रम सं.	नाम	पदनाम	31.03.2015 को धारित बैंक के शेयरों की संख्या	बैंक की उपसमितियों की सदस्यता की संख्या	बैंक के अलावा कंपनियों में निदेशक के रूप में सेवाओं की संख्या	बैंक के अलावा अन्य कंपनियों के बोर्ड की उप–समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता की संख्या	टिप्पणियां (बैंक/अन्य कंपनियों में नियुक्ति का स्वरूप)
1.	श्री जतिन्दरबीर सिंह, आई.ए.एस.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	शून्य	11	1	शून्य	+
2.	श्री एम.के. जैन	कार्यकारी निदेशक	शून्य	11	शून्य	शून्य	*
3.	श्री एस.आर. मेहर	निदेशक–वित्त मंत्रालय द्वारा नामित	शून्य	11	शून्य	शून्य	**
4.	श्री पी.के. जेना	निदेशक–भा.रि.बैं. द्वारा नामित	शून्य	7	शून्य	शून्य	@
5	श्री महेश कुमार गुप्ता	गैर–आधिकारिक निदेशक –सनदी लेखाकार निदेशक	शून्य	4	शून्य	शून्य	***
6.	श्री सुखेन पाल बबूता	गैर–आधिकारिक निदेशक (शेयरधारक निदेशक)	500	3	3	शून्य	$
7.	श्री एम.एस. सारंग	गैर–आधिकारिक निदेशक (शेयरधारक निदेशक)	1100	3	1		#
8.	श्री संजय वर्मा	गैर–आधिकारिक निदेशक	शून्य	8	शून्य	शून्य	++
9.	श्रीमति अनिता कर्णावर	गैर–आधिकारिक निदेशक	शून्य	5	शून्य	शून्य	+++

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE (2014-15)

1. BANK'S PHILOSOPHY ON CODE OF GOVERNANCE :

The Bank shall continue its endeavor to enhance its shareholders' value by protecting their interest by ensuring performance at all levels, and maximizing returns with optimal use of resources in its pursuit of excellence. The Bank shall comply with not only the statutory requirements, but also voluntarily formulate and adhere to a set of strong Corporate Governance practices. The Bank believes in setting high standards of ethical values, transparency and a disciplined approach to achieve excellence in all its sphere of activities. The Bank is also committed to follow the best practices. The Bank shall strive hard to best serve the interests of its stakeholders comprising shareholders, customers, Government and society at large.

The Bank is a listed entity, which is not a company but body corporate under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 and is regulated by Reserve Bank of India. Therefore the Bank shall comply with the provisions of Revised Clause 49 of the Listing Agreement entered into with Stock Exchanges to the extent it does not violate the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 and the Guidelines issued by Reserve Bank of India in this regard.

2. BOARD OF DIRECTORS

2.1 Composition of the Board:

The composition of Board of Directors of the Bank is governed by the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, as amended and the Nationalized Banks Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, as amended.

The composition of Board of Directors of the Bank as on 31st March, 2015 is as under:

Sr. No	Name	Position Held	No. of equity shares of the Bank held as on 31.03.2015	No. of member ship in Sub Committees of the Bank	No. of Directorship held in other Companies i.e. Other than the Bank.	No of Membership/ Chairmanship held in Sub Committees of the Board in Other Companies	Remarks (nature of appointment in the Bank / other Companies)
1	Sh. Jatinderbir Singh, I.AS	Chairman & Managing Director	NIL	11	1	NIL	+
2.	Sh M.K.Jain	Executive Director	NIL	11	NIL	NIL	*
3.	Sh S. R. Mehar	Director – MOF Nominee Director	NIL	11	NIL	NIL	**
4.	Sh P.K. Jena	Director – RBI Nominee Director	NIL	7	NIL	NIL	@
5.	Sh.Mahesh Kumar Gupta	Non-Official Director (CA-Cat)	NIL	4	NIL	NIL	***
6.	Sh.Sukhen Pal Babuta	Non-Official Director (Shareholder Director)	500	3	3	NIL	$
7.	Sh. M S Sarang	Non-Official Director (Shareholder Director)	1100	3	1	NIL	#
8.	Sh. Sanjay Verma	Non-Official Director	NIL	8	NIL	NIL	++
9.	Smt. Anita Karnavar	Non-Official Director	NIL	5	NIL	NIL	+++

+ वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 31 जनवरी, 2014 सं. एफ.नं. 4/7/2013–बीओ–I की शर्तों के अनुरूप पूर्णकालिक निदेशक (पदनामित अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक) अर्थात पदग्रहण करने की तिथि 01.02.2014 या बाद में और दिनांक 31.12.2017 तक यानि कि अपनी अधिवर्षिता की तिथि तक या आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो।

* वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 05 अगस्त, 2013 सं. एफ.नं. 4/5/2012–बीओ–I की शर्तों के अनुरूप 05 वर्ष हेतु पूर्णकालिक निदेशक अर्थात पदग्रहण करने की तिथि या आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो।

** वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 24 सितंबर, 2014 सं. एफ.नं. 6/3/2012–बीओ–I, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 उपधारा (3) के खंड (बी) के तहत तुरंत प्रभाव से एवं अगले आदेश तक निदेशक नियुक्त।

@ वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 31 मई, 2013 सं. एफ.नं. 6/34/2013–बीओ–I, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 उपधारा (3) के खंड (सी) के तहत तुरंत प्रभाव से एवं अगले आदेश तक निदेशक नियुक्त।

*** वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 30 जनवरी, 2013 सं. एफ.नं.6/16/2013–बीओ–I, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा (3जी) के तहत अधिसूचना से 3 वर्ष तक एवं/या अगले आदेश तक जो भी पहले हो, अंशकालिक गैर–आधिकारिक सांविधिक लेखाकार की श्रेणी के अंतर्गत निदेशक नियुक्त।

$ शेयरधारको के मध्य से, केंद्रीय सरकार के अलावा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 (3)(i) जोकि राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन एवं विभिन्न प्रावधानों) योजना 1980 तथा पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयरों एवं बैठकों) से संबंधित अधिनियम 66(i), अधिनियम, 2008 खंड 9 (4) के तहत अधिसूचना से 3 वर्ष तक की अवधि अर्थात् दिनांक 01.07.2014 से निदेशक नियुक्त।

शेयरधारको के मध्य से, केंद्रीय सरकार के अलावा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 (3) (i) जोकि राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन एवं विभिन्न प्रावधानों) योजना 1980 तथा पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयरों एवं बैठकों) से संबंधित अधिनियम 66(i), अधिनियम, 2008 खंड 9 (4) के तहत अधिसूचना से 3 वर्ष तक की अवधि अर्थात् दिनांक 01.07.2014 से निदेशक नियुक्त।

++ वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 12 अगस्त , 2013 सं. एफ.नं.6/16/2011–बीओ–I, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा (3एच) एवं (3–ए) के तहत अधिसूचना से 3 वर्ष तक एवं या अगले आदेश तक जो भी पहले हो, अंशकालिक गैर–आधिकारिक निदेशक नियुक्त।

+++ वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 30 जनवरी, 2014 सं. एफ.नं.6/56/2013–बीओ–I, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा (3एच) एवं (3–ए) के तहत अधिसूचना से 3 वर्ष तक एवं या अगले आदेश तक जो भी पहले हो, अंशकालिक गैर–आधिकारिक निदेशक नियुक्त।

2.2 वर्ष के दौरान निदेशकों की नियुक्ति/कार्य-समाप्ति

वर्ष 2014–15 के दौरान बैंक के निदेशक मंडल के गठन में निम्न परिवर्तन हुएः

(क) नियुक्ति –

» श्री एम.एम. दौला को बैंक के निदेशक मंडल में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा अधिसूचित पत्र दिनांक 07.05.2014 संख्या एफ.नं. 6/3/2012–बीओ.I के माध्यम से नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

» श्री एस.आर. मेहर को बैंक के निदेशक मंडल में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा अधिसूचित पत्र दिनांक 24.09.2014 संख्या एफ.नं. 6/3/2012–बीओ.I के माध्यम से नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

» दिनांक 01.07.2014 को श्री एम.एस. सारंग को बैंक के शेयरधारकों का निदेशक चुना गया।

» दिनांक 01.07.2014 को श्री एस.पी. बबूता को बैंक के शेयरधारकों का निदेशक चुना गया।

+ Appointed in terms of GOI MOF letter No F.No.4/7/2013-BO-I dated 31st January 2014 as a whole time Director (designated as Chairman & Mg. Director) w.e.f. the date of taking charge on or after 01.02.2014 and upto 31.12.2017 i.e. the date of his attaining the age of superannuation or until further orders, whichever is earlier.

* Appointed in terms of GOI MOF letter No F.No.4/5/2012-BO-I dated 5th August 2013 as Executive Director for a period of five years from the date of his taking over charge of the post , or until further orders, whichever is earlier.

** Appointed as Director in terms of GOI MOF letter No F.No.6/3/2012-BO-I dated 24th September 2014 under clause (b) of sub section (3) of section 9 of the The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 with immediate effect and until further orders.

@ Appointed as Director in terms of GOI MOF letter No F.No.6/34/2013-BO-I dated 31st May 2013 under clause (c) of sub section 3 of Section 9 of Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 with immediate effect and until further orders.

*** Appointed as part-time non-official Director under chartered accountant category in terms of GOI MOF letter No F.No 6/16/2013-BO-I dated 30th January 2013 under of sub section (3g) of Section 9 of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 for a period of three years from the date of notification and / or until further orders, whichever is earlier.

$ Elected from amongst the shareholders, other than the Central Government, in terms of Section 9 (3) (i) of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 read with Clause 9 (4) of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1980 and Regulation 66 (i) of Punjab & Sind Bank (Shares & Meetings) Regulations,2008 for a period of 3 years, i.e. from 01.07.2014.

Elected from amongst the shareholders, other than the Central Government, in terms of Section 9 (3) (i) of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 read with Clause 9 (4) of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1980 and Regulation 66 (i) of Punjab & Sind Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2008 for a period of 3 years, i.e. from 01.07.2014.

++ Appointed as part-time non-official Director in terms of GOI MOF letter No F.No.6/16/2011-BO-I dated 12th August 2013 under of sub section (3h) and (3-A) of Section 9 of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 for a period of three years from the date of notification of his appointment or until further orders, whichever is earlier.

+++ Appointed as part-time non-official Director in terms of GOI MOF letter No F.No.6/56/2013-BO-I dated 30th January 2014 under of sub section (3h) and (3-A) of Section 9 of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 for a period of three years from the date of notification of her appointment or until further orders, whichever is earlier.

2.2 **Appointment / Cessation of Directors During The Year:**

The constitution of Bank's Board of Directors underwent the following changes during the year 2014-2015:

[A] Appointment:

◊ Sh. M M Dawla was nominated as MOF Nominee Director of the Bank vide Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi Notification No.F.No. 6/3/2012-BO-I dated 07.05.2014.

◊ Sh. S R Mehar was nominated as MOF Nominee Director of the Bank vide Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi Notification No.F.No. 6/3/2012-BO.1 dated 24.09.2014

◊ Sh. M S Sarang was elected as Director from amongst the Shareholders of Punjab & Sind Bank on 01.07.2014

◊ Sh. S P Babuta was elected as Director from amongst the Shareholders of Punjab & Sind Bank on 01.07.2014

(ख) वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त/त्यागपत्र देने वाले निदेशक

» श्री एस.सी. दास, वित्त मंत्रालय के नामित निदेशक दिनांक 07.05.2014 तक बैंक के बोर्ड में रहे।
» श्री एस.पी. बबूता ने शेयर धारकों के निदेशक के रूप में दिनांक 02.06.2014 को अपना कार्यकाल पूर्ण किया।
» श्री एन. राजेन्द्रन ने शेयर धारकों के निदेशक के रूप में दिनांक 02.06.2014 को अपना कार्यकाल पूर्ण किया।
» श्री सुरेश ठाकुर ने गैर–आधिकारिक निदेशक के रूप में दिनांक 12.07.2014 को अपना कार्यकाल पूर्ण किया।
» श्री संजीव अरोड़ा ने गैर–आधिकारिक निदेशक के रूप में दिनांक 14.07.2014 को अपना कार्यकाल पूर्ण किया।
» श्री एम.एम. दवाले ने गैर–आधिकारिक निदेशक के रूप में दिनांक 24.09.2014 को अपना कार्यकाल पूर्ण किया।
» श्री एस.पी.एस. विर्क ने दिनांक 22.11.2014 को कामगार निदेशक के रूप में अपना कार्यकाल पूर्ण किया।
» श्री किशोर कुमार साँसी, बैंक के कार्यकारी निदेशक को वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 31.12.2014 संख्या एफ.नं. 4/4/2013–बीओ–I (i) द्वारा विजया बैंक के प्रबंध निदेशक तथा सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया।

2.3 वर्ष 2014–15 के दौरान नियुक्त निदेशकों का परिचयः

(क) श्री एम.एम, दौला

क्र.सं.	ब्यौरा	विस्तृत विवरण
1.	पूरा नाम	श्री एम.एम. दौला
2.	पिता का नाम	श्री अब्दुल मान
3.	जन्म तिथि एवं आयु	25.02.1963 तथा 52 वर्ष
4.	वर्तमान पता	286, लक्ष्मी बाई नगर, नई दिल्ली
5.	ई–मेल पता	usboa-dfs@nic.in
6.	शैक्षिक योग्यता	एम.कॉम., एमबीए
7.	निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	वित्त–मंत्रालय, नामित निदेशक
8.	अनुभव	केंद्रीय सरकार की सेवाओं में अनुभव
9.	अन्य निदेशक पदो का विवरण, यदि कोई है	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर में सरकार के नामित निदेशक

(ख) श्री एस.आर. मेहर

क्र.सं.	ब्यौरा	विस्तृत विवरण
1.	पूरा नाम	श्री सेवा राम मेहर
2.	पिता का नाम	श्री रामजी लाल
3.	जन्म तिथि एवं आयु	02.03.1962 53 वर्ष
4.	वर्तमान पता	मकान नं. 773, सैक्टर–3, आर.के. पुरम, नई दिल्ली
5.	ई–मेल पता	sewa.mehar66@nic.in
6.	शैक्षिक योग्यता	एम.ए.
7.	निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	वित्त मंत्रालय नामित निदेशक
8.	अनुभव	केंद्रीय सेवाओं में 28 वर्ष का अनुभव
9.	अन्य निदेशक पदों का विवरण, यदि कोई है	––

[B] Directors out going / resigned during the year:

- Sh. S C Das MOF Nominee Director was on the Board of the Bank up to 07.05.2014.
- Sh. S P Babuta completed his term 3as Share Holders Director on 02.06.2014
- Sh. N Rajendran completed his term as Share Holders Director on 02.06.2014
- Sh. Suresh Thakur completed his term as Non Official Director on 12.07.2014
- Sh. Sanjeev Arora completed his term as Non Official Director on 14.07.2014
- Sh. M M Dawla MOF Nominee Director was on the Board of the Bank up to 24.09.2014
- Sh. S P S Virk completed his term as Workman Director on 22.11.2014.
- Sh. Kishore Kumar Sansi, Executive Director of the Bank was appointed as Managing Director & CEO, Vijaya Bank vide Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi Notification No. F.No.4/4/2013-BO-I (i) dated 31.12.2014.

2.3 **Profiles of directors appointed during 2014-15:**

[A] Shri M M Dawla

SNO.	PARTICULARS	DETAIL
1.	FULL NAME	Sh. M M Dawla
2.	FATHER'S NAME	Sh. Abdul Mannan
3.	DATE OF BIRTH & AGE	25.02.1963 & 52 Years
4.	PRESENT ADDRESS	286, Luxmi Bai Nagar, New Delhi
5.	EMAIL ADDRESS	usboa-dfs@nic.in
6.	EDUCATIONAL QUALIFICATION	M Com, MBA
7.	NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	MOF DIRECTOR
8.	EXPERIENCE	Experience in Central Govt. Service
9.	PARTICULARS OF OTHER DIRECTORSHIP (if any)	Govt. Nominee Director in State Bank of Mysore

[B] Shri S R Mehar

SNO.	PARTICULARS	DETAIL
1.	FULL NAME	Sh. Sewa Ram Mehar
2.	FATHER'S NAME	Sh. Ramji Lal
3.	DATE OF BIRTH & AGE	02.03.1962 53 years
4.	PRESENT ADDRESS	House 773, Sector-3, R.K. Puram, New Delhi
5.	EMAIL ADDRESS	sewa.mehar66@nic.in
6.	EDUCATIONAL QUALIFICATION	M.A.
7.	NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	MOF DIRECTOR
8.	EXPERIENCE	28 years Experience in Central Govt. Service
9.	PARTICULARS OF OTHER DIRECTORSHIP (if any)	-

(ग) श्री एम.एस. सारंग

क्र.सं.	**ब्यौरा**	**विस्तृत विवरण**
1.	पूरा नाम	श्री मंजीत सिंह सारंग
2.	पिता का नाम	श्री संतोख सिंह
3.	जन्म तिथी एवं आयु	29.12.1947 67 वर्ष
4.	वर्तमान पता	मकान नं. 256, सैक्टर–10, चंडीगढ़
5.	ईमेल पता	sarangpsb@gmail.com
6.	शैक्षिक योग्यता	एम.एससी.(ऑनर्स)
7.	निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	शेयरधारक निदेशक
8.	अनुभव	43 वर्ष
9.	अन्य निदेशक पदो का विवरण, यदि कोई है	पंजाब स्टेट ग्रेन प्रोक्यूरमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(घ) श्री एस.पी. बबूता

क्र.सं.	**ब्यौरा**	**विस्तृत विवरण**
1.	पूरा नाम	सुखेन पाल बबूता
2.	पिता का नाम	स्व.श्री राजकुमार बबूता
3.	जन्म तिथी एवं आयु	11.10.1963 52 वर्ष
4.	वर्तमान पता	मकान संख्या–240, सैक्टर 21–ए, चंडीगढ़
5.	ईमेल पता	spbabuta@hotmail.com
6.	शैक्षिक योग्यता	सनदी लेखाकार – एफसीए, डीआईएसए (आईएसए), एसीएफइ
7.	निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	शेयधारकों का निदेशक
8.	अनुभव	28 वर्ष
9.	अन्य निदेशक पदो का विवरण, यदि कोई है	मैसर्स एसयूएएस एडयूकेशनल फाउन्डेशन (प्रा.) लिमिटेड, मैसर्स निओ एस्कॉट हेल्थ सर्विसेस(प्रा.) लि., मैसर्स हिमालयन ब्यूटी प्रोडक्ट (प्रा.) लि.

2.4 बोर्ड बैठकें :

वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान, बोर्ड की निम्न तिथियों पर कुल 09 बैठकें हुई जोकि राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1980 में निर्धारित शर्त 12 की न्यूनतम 06 बैठकों के विरुद्ध है।

10.05.2014	17.07.2014	12.08.2014	19.09.2014	18.10.2014
11.11.2014	20.12.2014	06.02.2015	18.03.2015	

[C] Shri M S Sarang

SNO.	PARTICULARS	DETAIL
1.	FULL NAME	Sh. Manjit Singh Sarang
2.	FATHER'S NAME	Sh. Santokh Singh
3.	DATE OF BIRTH & AGE	29.12.1947 67 years
4.	PRESENT ADDRESS	House No. 256, Sector-10, Chandigarh
5.	EMAIL ADDRESS	sarangpsb@gmail.com
6.	EDUCATIONAL QUALIFICATION	M.Sc. (Hons)
7.	NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	SHAREHOLDERS' DIRECTOR
8.	EXPERIENCE	43 years
9.	PARTICULARS OF OTHER DIRECTORSHIP (if any)	Punjab State Grains Procurement Corporation Limited

[D] Shri S P Babuta

SNO.	PARTICULARS	DETAIL
1.	FULL NAME	Shri Sukhen Pal Babuta
2.	FATHER'S NAME	Late Sh. Raj Kumar Babuta
3.	DATE OF BIRTH & AGE	11.10.1963 52 Years
4.	PRESENT ADDRESS	H.NO. 240 Sector 21-A, Chandigarh
5.	EMAIL ADDRESS	spbabuta@hotmail.com
6.	EDUCATIONAL QUALIFICATION	CHARTERED ACCOUNTANT -FCA, DISA(ISA), ACFE
7.	NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	SHAREHOLDERS' DIRECTOR
8.	EXPERIENCE	28 Years
9.	PARTICULARS OF OTHER DIRECTORSHIP (if any)	M/s SUAS Educational Foundation (P) Ltd., M/s Neo Ascot Health Services (P) Ltd., M/s Himalyan Beauty Products (P) Ltd.

2.4 BOARD MEETINGS:

During the Financial Year 2014-15, total 9 Board Meetings were held on the following dates as against minimum of 6 meetings prescribed under Clause 12 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980.

10.05.2014	17.07.2014	12.08.2014	19.09.2014	18.10.2014
11.11.2014	20.12.2014	06.02.2015	18.03.2015	

उपर्युक्त निदेशक मंडल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण निम्न है जो उनके कार्यकाल से संबद्ध हैः

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की
श्री जतिन्दरबीर सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2014 से 31.03.2015	9	9
श्री के.के. सांसी – कार्यकारी निदेशक	01.04.2014 से 31.12.2014	7	7
श्री एम.के. जैन – कार्यकारी निदेशक	01.04.2014 से 31.03.2015	9	9
श्री एम.एम. दौला – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	07.05.2014 से 24.09.2014	4	2
श्री एस.आर. मेहर – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	24.09.2014 से 31.03.2015	5	3
श्री पी.के. जेना – भा.रि.बैं. नामित निदेशक	01.04.2014 से 31.03.2015	9	7
श्री महेश कुमार गुप्ता – गैर–आधिकारिक निदेशक	01.04.2014 से 31.03.2015	9	7
श्री एन. राजेन्द्रन – गैर–आधिकारिक निदेशक	01.04.2014 से 02.06.2014	1	1
श्री सुरेश ठाकुर – गैर–आधिकारिक निदेशक	01.04.2014 से 12.07.2014	1	1
श्री संजीव कुमार अरोड़ा– गैर–आधिकारिक निदेशक	01.04.2014 से 14.07.2014	1	1
श्री एस.पी.एस. विर्क – कामगार निदेशक	01.04.2014 से 22.11.2014	6	6
श्री संजय वर्मा – गैर–आधिकारिक निदेशक	01.04.2014 से 31.03.2015	9	6
श्रीमति अनिता कर्णावर – गैर आधिकारिक निदेशक	01.04.2014 से 31.03.2015	9	8
श्री एम.एस. सारंग – शेयरधारक निदेशक	01.07.2014 से 31.03.2015	8	7
श्री एस.पी. बबूता – शेयरधारक निदेशक	01.04.2014 से 02.06.2014 व 01.07.2014 से 31.03.2015	9	9

2.5 आचार संहिताः

निदेशक मंडल तथा प्रमुख प्रबंधन कार्मिक अर्थात् निदेशकों एवं निदेशक से एक रैंक नीचे, जिनमें सभी महाप्रबंधक सम्मिलित हैं, हेतु स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्धता करार के खंड 49 की अनुपालना में आचार संहिता को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। उक्त आचार संहिता का बैंक की वेबसाइट www.psbindia.com पर अवलोकन किया जा सकता है। निदेशक मंडल के सभी सदस्यों एवं महाप्रबंधकों ने आचार संहिता के प्रति सहमति व्यक्त कर दी है।

3. सामान्य बैठकः

शेयरधारकों की आयोजित की गई अंतिम तीन आम सामान्य बैठकों का विवरण निम्न प्रकार हैः

स्वरूप	दिन तथा दिनांक	समय	स्थल
ए.जी.एम.	शनिवार 23.06.2012	9.00 बजे प्रातः	एयर फोर्स ऑडिटोरियम, सुब्रोतो पार्क, नई दिल्ली–110010
ए.जी.एम.	बुधवार 26.06.2013	9.00 बजे प्रातः	इंडिया इंटरनेशनल सेन्टर, 40–मैक्स मुलर मार्ग, लोधी इस्टेट, नई दिल्ली–110003
ए.जी.एम.	सोमवार 30.06.2014	9.00 बजे प्रातः	इंडिया इंटरनेशनल सेन्टर, 40–मैक्स मुलर मार्ग, लोधी इस्टेट, नई दिल्ली–110003
ई.जी.एम.	सोमवार 11.03.2013	9.00 बजे प्रातः	एयर फोर्स ऑडिटोरियम, सुब्रोतो पार्क, नई दिल्ली–110010
ई.जी.एम.	शनिवार 21.12.2013	9.00 बजे प्रातः	इंडिया इंटरनेशनल सेन्टर, 40–मैक्स मुलर मार्ग, लोधी इस्टेट, नई दिल्ली–110003
ई.जी.एम.	शुक्रवार 19.09.2014	10.00 बजे प्रातः	इंडिया इंटरनेशनल सेन्टर, 40–मैक्स मुलर मार्ग, लोधी इस्टेट, नई दिल्ली–110003

कोई भी विशेष प्रस्ताव विगत् तीन ए.जी.एम. में स्वीकृत नहीं किया गया।
डाक मत के द्वारा विगत् वर्ष में कोई विशेष प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया गया।
डाक मत के माध्यम से किसी भी प्रस्ताव को स्वीकृत कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Board Meetings held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
SH. JATINDERBIR SINGH - CMD	01.04.2014 to 31.03.2015	9	9
SH. K.K.SANSI - ED	01.04.2014 to 31.12.2014	7	7
SH.M.K.JAIN - ED	01.04.2014 to 31.03.2015	9	9
SH. M.M.DAWLA- MOF Nominee Director	07.05.2014 to 24.09.2014	4	2
SH.S.R.MEHAR- MOF Nominee Director	24.09.2014 to 31.03.2015	5	3
SH. P.K.JENA- RBI Nominee Director	01.04.2014 to 31.03.2015	9	7
SH. MAHESH KUMAR GUPTA- Non-Official Director	01.04.2014 to 31.03.2015	9	7
SH. N.RAJENDRAN- Shareholders' Director	01.04.2014 to 02.06.2014	1	1
SH.SURESH THAKUR – Non Official Director	01.04.2014 to 12.07.2014	1	1
SH.SANJEEV KUMAR ARORA - Non Official Director	01.04.2014 to -14.07.2014	1	1
SH.S.P.S.VIRK –Workman Director	01.04.2014 to 22.11.2014	6	6
SH.SANJAY VERMA – Non Official Director	01.04.2014 to 31.03.2015	9	6
SMT.ANITA KARNAVAR – Non Official Director	01.04.2014 to 31.03.2015	9	8
SH.M.S.SARANG- Shareholders' Director	01.07.2014 to 31.03.2015	8	7
SH.S.P.BABUTA –Shareholders' Director	01.04.2014 to 02.06.14 & 01.07.2014 to 31.03.2015	9	9

2.5 **Code of Conduct:**

The Code of Conduct for Board of Directors and key Management Personnel i.e. Directors & one rank below Director comprising all General Managers has been approved by the Board of Directors in compliance of Clause 49 of the Listing Agreement with Stock Exchanges. The said Code of Conduct is hosted on Bank's website www.psbindia.com. All the Board Members and General Managers have since affirmed the compliance of the Code.

3. **General Meeting:**

Details of last three General Body Meetings of the shareholders held are given below:

Nature	Day & Date	Time	Venue
AGM	Saturday 23.06.2012	9.00 a.m.	Air Force Auditorium, Subroto Park, New Delhi-110 010
AGM	Wednesday 26.06.2013	9.00 a.m.	India International Centre, 40-Max Mueller Marg, Lodhi Estate, New Delhi-110003
AGM	Monday 30.06.2014	9.00 a.m.	India International Centre, 40-Max Muller Marg, Lodhi Estate, New Delhi-110003
EGM	Monday 11.03.2013	9.00 a.m.	Air Force Auditorium, Subroto Park, New Delhi-110 010
EGM	Saturday 21.12.2013	9.00 a.m.	India International Centre, 40-Max Mueller Marg, Lodhi Estate, New Delhi-110003
EGM	Friday 19.09.2014	10.00 a.m.	India International Centre, 40-Max Mueller Marg, Lodhi Estate, New Delhi-110003

No Special Resolution was passed in the previous three AGMs.
No Special Resolution was passed last year through postal ballot.
No Special Resolution is proposed to be conducted through postal ballot.

3.1. वार्षिक सामान्य बैठकः

बैंक के शेयरधारकों की चौथी वार्षिक सामान्य बैठक 30 जून, 2014 को नई दिल्ली में आयोजित हुई जिसमें निम्न निदेशक उपस्थित थेः

श्री जतिन्दरबीर सिंह	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री एम.के. जैन	कार्यकारी निदेशक
श्री के.के. सांसी	कार्यकारी निदेशक
श्री महेश कुमार गुप्ता	निदेशक
श्री सुरेश ठाकुर	निदेशक
श्री संजीव कुमार अरोड़ा	निदेशक
श्री एस.पी.एस. विर्क	निदेशक

3.2. असाधारण सामान्य बैठक :

दिनांक 19.09.2014 को बैंक की असाधारण सामान्य बैठक भारत सरकार (जी.ओ.आई.), वित्तीय संस्थानों, एल.आई.सी., जी. आई.सी. और इसकी सहायक कंपनियों के लिए इक्विटी शेयरों को अधिमान आधार पर आबंटित और जारी करने पर विचार करने एवं स्वीकृत करने का विशेष प्रस्ताव पास करने के लिए आयोजित की गई । बैंक की असाधारण सामान्य बैठक में पारित प्रस्ताव की शर्तों के अनुसार रु.10/– अंकित मूल्य के 9,46,90,563 इक्विटी शेयरों को अधिमान आधार पर आबंटित किया गया (रु. 200 करोड़ के बेमियादी गैर संचयी अधिमान शेयर (पीएनसीपीएस), रु. 200 करोड़ के बेमियादी संचयी अधिमान शेयर (पीसीपीएस), तथा रु. 160 करोड़ के नवोन्मेषी बेमियादी ऋण लिखित (आईपीडीआई) को विनिमय करने पर) और तथा भारतीय जीवन बीमा निगम को नकद भुगतान पर रु. 10/– अंकित मूल्य के 3,04,36,252 इक्वटी शेयरों को दिनांक 30.09.2014 को अधिमान आधार पर रु. 59.14 (रु. 49.14 के प्रीमियम सहित) पर आबंटित किया गया।

4. निदेशकों की समिति :

बैंक के निदेशक मंडल ने कॉरपोरेट गवर्नेंस तथा जोखिम प्रबंधन प्रणाली पर भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा–निर्देशानुसार कार्यनीति के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर निगरानी रखने के लिए निदेशकों की विभिन्न समितियों का गठन किया है। बोर्ड कमेटी की बैठकों के दौरान प्रबंधन वर्ग मानव संसाधन/औद्योगिक संबंध के परिचालन, निष्पादन विकास पर विचार–विमर्श के साथ–साथ क्षेत्रीय विकास, उत्पादन के कार्य निष्पादन, अवसरों, चुनौतियों, जोखिमों और उससे संबंधित आवश्यकताओं के विश्लेषण पर जोर दिया है। निदेशक मंडल द्वारा गठित महत्वपूर्ण समितियां निम्न हैं–

क्र.सं.	समिति का नाम
1.	निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति (एमसी)
2.	बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)
3.	बड़ी राशि की धोखाधड़ी निगरानी संबंधी समिति
4.	सतर्कता समिति
5.	जोखिम प्रबंधन समिति
6.	ग्राहक सेवा समिति
7.	पारिश्रमिक समिति
8.	अंशधारक संपर्क समिति
9.	नामांकन समिति
10.	सूचना प्रौद्योगिकी योजना समिति
11.	कार्यपालकों की पद्दोन्नति पर निदेशकों की समिति
12.	अपील/समीक्षा प्राधिकारी पर निदेशकों की समिति
13.	मानव संसाधन विकास समिति
14.	वसूली की निगरानी समिति
15.	शेयरधारक निदेशक चुनाव समिति – सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में मतदान

3.1. **Annual General Meeting :**

The Fourth Annual General Meeting of the shareholders of the Bank was held on 30th June, 2014 at New Delhi, where the following Directors were present :

Sh. Jatinderbir Singh	Chairman and Managing Director
Sh. M.K.Jain	Executive Director
Sh. K.K.Sansi	Executive Director
Sh. Mahesh Kumar Gupta	Director
Sh. Suresh Thakur	Director
Sh. Sanjiv Kumar Arora	Director
Sh. S.P.S.Virk	Director

3.2. **Extra Ordinary General Meeting :**

Extra Ordinary General Meeting of the Bank was held on 19.09.2014 to consider and pass a Special Resolution for preferential issue of equity shares to the Government of India [GOI], Financial Institutions, LIC of India, GIC of India and its subsidiary companies. In terms of resolution passed at the EGM, Government of India was allotted 9,46,90,563 equity shares of Rs. 10/- each @ Rs.59.14 including a premium of Rs.49.14 per share aggregating to Rs.560,00,00,000 (by way of conversion of Innovation Perpetual Debt Instruments for Rs.160 crore, Perpetual Cumulative Preference Shares for Rs.200 crore and Perpetual Non-Cumulative Preference Shares for Rs. 200 crore held by the Govt. of India) and were allotted to the Govt. of India and Life Insurance Corporation of India was allotted 3,04,36,252 equity shares of Rs. 10/- each @ Rs.59.14 including a premium of Rs.49.14 per share for cash on 30.09.2014 on preferential basis.

4. **COMMITTEE OF DIRECTORS:**

The Board of Directors of the Bank has constituted various Committees of Directors to look into different areas of strategic importance in terms of Reserve Bank of India and Government of India guidelines on Corporate Governance and Risk Management. The Management lays emphasis on the analysis of sectoral development, segment / product performance, opportunities, threats, risks & associated concern, besides operational performance & development of HR / IR in the discussions during the Board / Committee Meetings. The important Committees of the Board are as under:

SNo	Name of the Committee
1.	Management Committee of the Board (MC)
2.	Audit Committee of Board (ACB)
3.	Committee for Monitoring Large Value Frauds
4.	Vigilance Committee
5.	Risk Management Committee
6.	Customer Service Committee
7.	Remuneration Committee
8.	Stakeholders Relationship Committee
9.	Nomination Committee
10.	I T Strategy Committee
11.	Committee of the Board on Executives' Promotions
12.	Committee of the Board on Appellate / Reviewing Authority
13.	HR Committee
14.	Committee for Monitoring of Recovery
15.	Election of Shareholder Director Committee-Voting by Public Sector Bank

4.1. निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति :

बोर्ड की प्रबंधन समिति का गठन वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किए गए संशोधनों के साथ पठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1980 (यथा संशोधित) के खंड – 13 के अनुसरण में किया गया है जो अत्यधिक महत्वपूर्ण कारोबारी मामले तथा अधिक राशि के ऋण प्रस्ताव मंजूर करने, समझौता–बट्टा खाता प्रस्ताव, पूंजीगत एवं राजस्व व्यय की स्वीकृति, परिसर, निवेश, दान आदि पर विचार करती है।

समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यकारी निदेशक और धारा 9(3)(सी) एवं 9(3)(जी) के तहत भारत सरकार द्वारा नामित निदेशकों तथा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9(3) की उपधारा (ई)(एफ)(एच) व (आई) के अधीन नियुक्त निदेशकों में से तीन निदेशकों का समावेश है।

31 मार्च, 2015 को समिति की संरचना इस प्रकार है–

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री जतिन्दरबीर सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2.	श्री एम.के. जैन – कार्यकारी निदेशक
3.	श्री प्रदिप्ता कुमार झा – भा.रि.बैं. नामित निदेशक
4.	श्री सुखेन पाल बबूता – गैर–आधिकारिक निदेशक
5.	श्री संजय वर्मा – गैर–आधिकारिक निदेशक

वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान बोर्ड की प्रबंधन समिति की निम्नांकित तिथियों पर 12 बैठक का आयोजन हुआ :

09.05.2014	20.06.2014	17.07.2014	12.08.2014	20.09.2014
18.10.2014	21.11.2014	20.12.2014	27.12.2014	06.02.2015
18.03.2015	28.03.2015			

निदेशक सदस्यों की उनके कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उक्त बैठकों में उनकी उपस्थिति संबंधी विवरण निम्न है–

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की
श्री जतिन्दरबीर सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2014 से 31.03.2015	12	11
श्री के.के. सांसी – कार्यकारी निदेशक	01.04.2014 से 31.12.2014	9	9
श्री एम.के. जैन – कार्यकारी निदेशक	01.04.2014 से 31.03.2015	12	12
श्री पी.के. जेना – भा.रि.बैं. नामित निदेशक	30.01.2014 से 31.03.2015	12	9
श्री महेश कुमार गुप्ता	01.04.2014 से 06.02.2015	9	7
श्री सुखेन पाल बबूता	01.04.2014 से 10.05.2014 06.02.2015 से 31.03.2015	4	4
श्री संजीव कुमार अरोड़ा	01.04.2014 से 14.07.2014	2	2
श्री संजय वर्मा	01.04.2014 से 13.06.2014 23.11.2014 से 31.03.2015	6	4
श्री सुरेश ठाकुर	01.04.2014 से 12.07.2014	2	2
श्री एस.पी.एस. विर्क	17.07.2014 से 22.11.2014	5	5
श्री एम.एस. सारंग	17.07.2014 से 16.01.2015	7	6
श्रीमति अनिता कर्णावर	17.07.2014 से 16.01.2015	7	6

4.1. **Management Committee of the Board:**

In pursuance of Clause 13 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 (as amended) read with the amendments made by the Ministry of Finance, Government of India, a Management Committee of the Board has been constituted to consider various business matters of material significance like sanction of high value credit proposals, compromise / write-off proposals, sanction of capital and revenue expenditure, premises, investments, donations etc.

The Committee mandate to consist of Chairman and Managing Director , Executive Director and Directors nominated by Government of India under Section 9 (3) (c) and besides three Directors from amongst those appointed under sub section (e) (f) (h) and (i) of section 9(3) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980.

The composition of the committee as on 31st March 2015 is as under:

SNo	Name of the Director
1.	Sh. Jatinderbir Singh- Chairman & Managing Director
2.	Sh. M.K.Jain – Executive Director
3.	Sh Pradipta.K. Jena – RBI Nomiinee Director
4.	Sh Sukhen Pal Babuta – Non-Official Director
5.	Sh. Sanjay Verma– Non-Official Director

During the Financial Year 2014-15, the Management Committee of the Board met on 12 occasions on the following dates:

09.05.2014	20.06.2014	17.07.2014	12.08.2014	20.09.2014
18.10.2014	21.11.2014	20.12.2014	27.12.2014	06.02.2015
18.03.2015	28.03.2015			

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
Sh. Jatinderbir Singh– CMD	01.04.2014 to 31.03.2015	12	11
Sh. K.K.Sansi– ED	01.04.2014 to 31.12.2014	9	9
Sh. M.K.Jain– ED	01.04.2014 to 31.03.2015	12	12
Sh. P K Jena-RBI Nominee	01.04.2014 to 31.03.2015	12	9
Sh. Mahesh Kumar Gupta	01.04.2014 to 06.02.2015	9	7
Sh. Sukhen Pal Babuta	01.04.2014 to 10.05.2014, 06.02.2015 to 31.03.2015	4	4
Sh. Sanjiv Kumar Arora	01.04.2014 to 14.07.2014	2	2
Sh. Sanjay Verma	01.04.2014 to 13.06.2014 23.11.2014 to 31.03.2015	6	4
Sh. Suresh Thakur	01.04.2014 to 12.07.2014	2	2
Sh. S.P.S.Virk	17.07.2014 to 22.11.2014	5	5
Sh. M S Sarang	17.07.2014 to 16.01.2015	7	6
Smt. Anita Karnavar	17.07.2014 to 16.01.2015	7	6

4.2. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)

बैंक ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मूल सिद्धांतों के अनुरूप और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसरण में, बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति गठित की है। एक गैर कार्यकारी निदेशक जोकि सनदी लेखाकार है, समिति का अध्यक्ष है।

31.03.2015 को समिति की संरचना इस प्रकार हैः

1.	श्री महेश कुमार गुप्ता – निदेशक (अध्यक्ष)
2.	श्री एम.के. जैन – कार्यकारी निदेशक
3.	श्री एस.आर. मेहर – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक
4.	श्री पी.के. जेना – भा.रि.बैं. नामित निदेशक
5.	श्री एस.पी. बबूता – शेयरधारक निदेशक

वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान बोर्ड की एसीबी की 08 अवसरों पर बैठके निम्नलिखित तिथियों पर आयोजित की गईः

15.04.2014	09.05.2014	12.08.2014	19.09.2014	11.11.2014	27.12.2014
06.02.2015	17.03.2015				

निदेशक सदस्यों की उनके कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उक्त बैठकों में उनकी उपस्थिति विवरण निम्न हैः

क्र.सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की
1.	श्री सुखेन पाल बबूता	17.07.2014 से 31.03.2015	6	5
2.	श्री एम.एम. दौला–वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	07.05.2014 से 24.09.2014	2	1
3.	श्री के.के. सांसी–कार्यकारी निदेशक	01.04.2014 से 31.12.2014	6	6
4.	श्री एम.के. जैन–कार्यकारी निदेशक	01.04.2014 से 31.03.2015	8	8
5.	श्री एस.सी. दास–वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	01.04.2014 से 07.05.2014	1	1
6.	श्री एस.आर. मेहर–वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	24.09.2014 से 31.03.2013	4	3
7.	श्री पी.के. जेना–भा.रि.बैंक नामित निदेशक	01.04.2014 से 31.03.2015	8	7
8.	श्री महेश कुमार गुप्ता–(अध्यक्ष दिनांक 01.04.2014 से 17.07.2014 तथा 06.02.2015 से 31.03.2015)	01.04.2014 से 17.07.2014 06.02.2015 से 31.03.2015	3	3
9.	श्री संजीव कुमार अरोड़ा	01.04.2014 से 14.07.2014	2	2
10.	श्री संजय वर्मा (अध्यक्ष–दिनांक 17.07.2014 से 06.02.2015)	17.07.2014 से 06.02.2015	5	4

लेखा परीक्षा समिति का, अन्य बातों के साथ–साथ, प्रमुख कार्य बैंक की वित्तीय सूचना प्रणाली की समीक्षा और आकलन करना है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय विवरणियां सही, उपयुक्त और विश्वसनीय हैं। यह समिति बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले तिमाही/वार्षिक वित्तीय विवरणियों की प्रबंधन के साथ समीक्षा करती है।

4.2. Audit Committee of Board (ACB):

The Bank, in consonance with the fundamentals of Corporate Governance and in pursuance of directives of the Reserve Bank of India, has constituted an Audit Committee of the Board. A Non-Executive Director, who is a Chartered Accountant, is the Chairman of the Committee.

The composition of the Committee as on 31st March, 2015 is as under:

(i)	Sh Mahesh Kumar Gupta - Director (Chairperson)
(ii)	Sh M.K.Jain – Executive Director
(iii)	Sh S R Mehar – Director (MOF)
(iv)	Sh P. K.Jena – RBI Nominee Director
(v)	Sh S P Babuta - Share Holder Director

During the Financial Year 2014-15, the Audit Committee of the Board (ACB) met on 08 occasions on the dates given below:

15.04.2014	09.05.2014	12.08.2014	19.09.2014	11.11.2014	27.12.2014
06.02.2015	17.03.2015				

The details of attendance of the Directors at the Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Sr. No	Name of the Director	Period	Meeting held during their tenure	Meeting attended
1.	Sh Sukhen Pal Babuta	17.07.2014 to 31.03.2015	6	5
2.	Sh.M.M.Dawla- MoF Nominee Director	07.05.2014 to 24.09.2014	2	1
3.	Sh. K K Sansi - ED	01.04.2014 to 31.12.2014	6	6
4.	Sh. M K Jain - ED	01.04.2014 to 31.03.2015	8	8
5.	Sh. S C DAS-MoF Nominee Director	01.04.2014 to 07.05.2014	1	1
6.	Sh S.R.Mehar– MoF Nominee Director	24.09.2014 to 31.03.2015	4	3
7.	Sh P.K.Jena- RBI Nominee Director	01.04.2014 to 31.03.2015	8	7
8.	Sh Mahesh Kumar Gupta (Chairperson w.e.f. 01.04.2014 to 17.07.2014 & 06.02.2015 to 31.03.2015)	01.04.2014 to 17.07.2014, 06.02.2015 to 31.03.2015	3	3
9.	Sh.Sanjiv Kumar Arora	01.04.2014 to 14.07.2014	2	2
10.	Sh. Sanjay Verma (Chairperson w.e.f. 17.07.2014 to 06.02.2015)	17.07.2014 to 06.02.2015	5	4

The main functions of Audit Committee inter-alia include assessing and reviewing the financial reporting system of the Bank to ensure that the financial statements are correct, sufficient and credible. It reviews and recommends to the Management the quarterly / annual financial statements before their submission to the Board.

यह लेखा परीक्षा समिति दिशा–निर्देश देती है तथा बैंक के समग्र लेखा परीक्षा कार्यो की समीक्षा करती है जिसमें संगठन परिचालन तथा आंतरिक लेखा परीक्षा की गुणवत्ता नियंत्रण, कार्य आंतरिक नियंत्रण दोष और बैंक की आंतरिक निरीक्षण व्यवस्था, बैंक की सांविधिक/बाह्य लेखा परीक्षा संबंधी अनुवर्ती कार्रवाई तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण सम्मिलित है।

समिति आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग की संरचना, इसकी स्टाफ संरचना की समीक्षा भी करती है और किसी महत्वपूर्ण खोज के संबंध में आंतरिक लेखा परीक्षकों/निरीक्षकों के साथ विचार–विमर्श तथा उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करती है। यह बैंक की वित्तीय व जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा भी करती है।

सांविधिक लेखा परीक्षा के संदर्भ में लेखा परीक्षा समिति, वार्षिक/तिमाही वित्तीय खातों एवं रिपोर्टों को अंतिम देने से पूर्व, केंद्रीय सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ विचार–विमर्श करती है। यह समिति लांग फार्म ऑडिट रिपोर्ट (LFAR) की विभिन्न मदों पर अनुवर्ती कार्रवाई भी करती है।

4.3 बड़ी राशि के धोखाधड़ी मामलों की निगरानी समितिः

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने पत्र दिनांक 14 जनवरी, 2004 सं. आरबीआई/2004.5. डीबीएस.एफजीवी(एफ) नं.1004/23.04.01ए/2003–04 के माध्यम से धोखाधड़ी का पता लगाने, नियामक तथा प्रवर्तन एजेंसियों को उसकी सूचना और धोखाधड़ी के अपराधी पर कृत्य के विरूद्ध कार्रवाई जैसे विभिन्न पहलुओं में विलम्ब के विषय में सूचित किया था। अतः यह सुझाव दिया गया कि बोर्ड की एक उप समिति गठित की जाए जो कि केवल 1 करोड़ के रूपए और उससे ऊपर की राशि की धोखाधड़ी संबंधी मामलो की निगरानी तथा अनुवर्ती कार्रवाई का कार्य ही करेगी। बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति सामान्यतः धोखाधड़ी के सभी मामलों की निगरानी जारी रखेगी।

समिति के मुख्य कार्यो में अन्य बातों के साथ–साथ 1 करोड़ रूपए और उसके ऊपर की राशि की धोखाधड़ी की निगरानी तथा समीक्षा सम्मिलित है ताकि

» धोखाधड़ी के आपराधिक कृत्य में प्रणालीगत खामियों का पता लगाने और उन पर नियंत्रण करने के उपाय किए जा सके।

» धोखाधड़ी के पता लगाने में विलंब के कारणों की पहचान तथा बैंक एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के उच्च प्रबंधकों को उसकी रिपोर्टिंग।

» सीबीआई/पुलिस जांच–पड़ताल की प्रगति तथा वसूली की स्थिति। सुनिश्चित करना कि धोखाधड़ी के सभी मामलों में सभी स्तरों पर स्टाफ उत्तरदायित्व का परीक्षण हो और स्टाफ पर कार्रवाई यदि अपेक्षित हो तो अविलंब हो।

» धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति के निवारण हेतु की गई उपचारात्मक कार्रवाई की प्रभावोत्पादकता की समीक्षा यथा आंतरिक नियंत्रण को सशक्त करना

» धोखाधड़ी के खिलाफ निवारक उपायों को सशक्त करने हेतु यथावश्यक अन्य उपायों को करना।

31 मार्च, 2015 को समिति की संरचना निम्न हैः

क्र.सं.	निदेशक का नाम
(i)	श्री जतिन्दरबीर सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(ii)	श्री एम.के. जैन – कार्यकारी निदेशक
(iii)	श्रीमति अनिता कर्णावर – गैर–आधिकारिक निदेशक
(iv)	श्री महेश कुमार गुप्ता – गैर–आधिकारिक निदेशक
(v)	श्री संजय वर्मा – गैर–आधिकारिक निदेशक
(vi)	श्री एस.आर. मेहर – निदेशक (वित्त मंत्रालय)

वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान समिति की 4 बैठके आयोजित की गई जिनका विवरण निम्न हैः

09.05.2014	18.07.2014	19.12.2014	17.03.2015

The Audit Committee provides directions and oversees the operations of total audit functions of the Bank including the organization, operation and quality control of internal audit, internal control weaknesses and inspection within the Bank and follow-up of the suggestions of Statutory/External audit of the Bank and RBI inspections.

The Committee also reviews the adequacy of internal control systems, structure of internal audit department, its staffing pattern and hold discussions with the internal auditors / inspectors on any significant finding and follow-up action thereon. It further reviews the financial and risk management policies of the Bank.

As for Statutory Audit, the Audit Committee interacts with the Statutory Central Auditors before finalization of Quarterly / Year to date / Annual Financial Results and Reports. It also maintains follow up on various issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR).

4.3 **Committee for Monitoring of Large Value Frauds:**

Reserve Bank of India vide its letter No.RBI/2004.5.DBS.FGV(F)No.1004/23.04.01A/2003-4 dated 14th January, 2004 informed about the delay in various aspects of frauds like detection, reporting to regulatory and enforcement agencies and action against the perpetrators of the frauds. It was therefore, suggested to constitute a Sub-committee of the Board, which would be exclusively dedicated to monitor and follow up of fraud cases of Rs.1.00 crore and above. The Audit Committee of the Board will continue to monitor all the cases of frauds in general.

The major functions of the Committee, inter-alia, include monitoring and review of all the frauds of Rs.1.00 crore and above so as to:

◊ Identify the systemic lacunae if any that facilitated perpetration of the fraud and put in place measures to plug the same

◊ Identify the reasons for delay in detection, if any, reporting to top management of the Bank and RBI

◊ Monitor progress of CBI/Police investigation and recovery position Ensure that staff accountability is examined at all levels in all the cases of frauds and staff side action, if required, is completed quickly without loss of time

◊ Review the efficacy of the remedial action taken to prevent recurrence of frauds, such as strengthening of internal controls and

◊ Put in place other measures as may be considered relevant to strengthen Preventive measures against frauds.

The composition of the Committee as on 31st March, 2015 is as under:

Sr. No.	Name of the Director
1.	Shri Jatinderbir Singh- CMD
2.	Shri M.K Jain – Execuitve Director
3.	Smt. Anita Karnavar – Non Official Director
4.	Shri Mahesh Kumar Gupta- Non- Official Director
5.	Shri Sanjay Verma- Non- Official Director
6.	Shri S.R.Mehar – Director (MOF)

The Committee met four times during the Financial Year 2014-15 as per the details below:

09.05.2014	18.07.2014	19.12.2014	17.03.2015

निदेशकों का उनकी अवधि के दौरान उपस्थिती का विवरण इस प्रकार है:

नाम	कार्यकाल	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों में सहभागिता
श्री जतिन्दरबीरसिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2014 से 31.03.2015	4	4
श्री के.के. सांसी – कार्यकारी निदेशक	17.07.2014 से 31.12.2014	2	2
श्री एम.के. जैन – कार्यकारी निदेशक	17.07.2014 से 31.03.2015	3	3
श्री महेश कुमार गुप्ता–गैर – आधिकारिक निदेशक	01.04.2014 से 31.03.2015	4	3
श्री एस.आर. मेहर – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	24.09.2014 से 31.03.2015	2	1
श्री एम.एम. दौला – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	07.05.2014 से 24.09.2014	1	0
श्री सुखेन पाल बबूता–गैर – आधिकारिक निदेशक	01.04.2014 से 02.06.2014	1	1
श्री संजय वर्मा–गैर – आधिकारिक निदेशक	01.04.2014 से 31.01.2015	4	1
श्री एस.पी.एस. विर्क – कामगार निदेशक	03.06.2014 से 22.11.2014	1	1
श्री एस.सी. दास – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	01.04.2014 से 07.05.2014	0	0
श्रीमति अनिता कर्णावर – गैर–आधिकारिक निदेशक	23.11.2014 से 31.03.2015	2	2

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने पत्र दिनांक 16.09.2009 सं. डीबीएस.सीओ.एफआरएमसी. नं. 7/23.04.001/2009–10 द्वारा सूचित किया है कि धोखाधड़ी के मामलों में आवश्यक कार्रवाई करने हेतु प्रभावी जांच की जाए और इसकी तुरंत सूचना सही प्राधिकारी को दी जाए। भारतीय रिज़र्व बैंक की सलाह पर, बैंक ने प्रधान कार्यालय निरीक्षण विभाग के अंतर्गत् 1 करोड़ रूपए और उससे ऊपर के मामलों का विशेष कार्य करने हेतु केंद्रीय सघन परिचालन इकाई की स्थापना की है।

दिनांक 12.12.2012 के बोर्ड संकल्प संख्या 20214 के अनुसार, एक स्वतंत्र नए विभाग "धोखाधड़ी निगरानी विभाग" की दिनांक 07.02.2013 को एक ही स्थान पर स्थापना की गई है ताकि किए गए प्रयासों में किसी प्रकार की कोताही और कमी न हो सके। पूर्व में धोखाधड़ी के मामलों की दो स्थानों पर देखभाल की जाती थी अर्थात् रु.1 करोड़ एवं उससे ऊपर के मामलों को प्रधान कार्यालय निरीक्षण विभाग जबकि रु.1 करोड़ से कम राशि के मामलों की देखभाल प्र.का. सतर्कता विभाग द्वारा की जाती थी। नए प्रावधान से धोखाधड़ी के मामलों की नजदीक से निगरानी, पुराने धोखाधड़ी के मामलों पर तुरंत कार्रवाई और प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई के साथ बार–बार होने वाली धोखाधड़ी को रोकने हेतु निरोधात्मक उपाय किए जा सकेंगे और जिससे भारतीय रिज़र्व बैंक को समय से धोखाधड़ी की सूचना दी जा सकेगी।

बोर्ड की विशेष समिति (एस.सी.बी.) के निर्देशों के अनुसार, धोखाधड़ी के मामलों में हो रही वृद्धि के कारण विशेषकर जहाँ संपत्ति को प्रतिभूति के रूप में रखा जाता है, एक समिति का गठन किया गया है। संपत्ति का मूल्यांकन, हक विलेख की वास्तविकता और बहुविध बंधीकरण ऐसे पहचाने गए मुख्य क्षेत्र हैं।

4.4 सतर्कता समिति :

वित्त मंत्रालय के पत्र दिनांक 24.10.1990 सं. 10/12/90/सतर्कता/सीवीओ की शर्तो के अनुरूप, बैंक ने सतर्कता संबंधी कार्यो की समीक्षा के दृष्टिकोण से, सतर्कता अनुशासन संबंधी मामलों के तुरंत निपटान हेतु प्रभावी निगरानी औजार के रूप में बोर्ड की एक सतर्कता समिति का निम्न सदस्यों के साथ गठन किया है।

श्री जतिन्दरबीर सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री एम.के. जैन – कार्यकारी निदेशक
श्री पी.के. जेना – भारतीय रिज़र्व बैंक नामित निदेशक
श्री एस.आर. मेहर – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक

वित्तीय वर्ष 2014–15 में समिति की निम्न तिथियों पर बैठके हुई:

17.07.2014	19.09.2014	19.12.2014	17.03.2015

The details of attendance of directors during their tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri Jatinderbir Singh-CMD	01.04.2014 to 31.03.2015	4	4
Shri K.K.Sansi – Executive Director	17.07.2014 to 31.12.2014	2	2
Shri M.K.Jain – Executive Director	17.07.2014 to 31.03.2015	3	3
Shri. Mahesh Kumar Gupta- Non-Official Director	01.04.2014 to 31.03.2015	4	3
Shri S.R Mehar – MOF Nominee Director	24.09.2014 to 31.03.2015	2	1
Shri M.M Dawla - MOF Nominee Director	07.05.2014 to 24.09.2014	1	0
Shri Sukhen Pal Babuta – Non Official Director	01.04.2014 to 02.06.2014	1	1
Shri. Sanjay Verma – Non official Director	01.04.2014 to 31.01.2015	4	1
Shri S.P.S Virk –Workmen Director	03.06.2014 to 22.11.2014	1	1
Sh. S C Das- MOF Nominee Director	01.04.2014 to 07.05.2014	0	0
Smt. Anita Karnavar - Non official Director	23.11.2014 to 31.03.2015	2	2

RBI, vide letter No. DBS. CO. FrMC. No. 7/23.04.001/2009-10 dated 16.09.2009 had advised to initiate necessary action in respect of effective investigation in fraud cases and prompt reporting to appropriate authority. The Bank has since then set up a Centralized Dedicated Operating Unit under the aegis of HO Inspection Department to undertake distinct functions relating to frauds above Rs. 1.00 crore as advised by RBI.

In terms of Board Resolution no. 20214 dated 12.12.2012, a new independent Deptt named 'Fraud Monitoring Department' has been working since 07.02.2013 at one place, leaving no scope to overlapping and duplicity of effort. Earlier, fraud cases were dealt at two places viz the large value fraud of Rs. one crore & above at HO. Inspection Deptt, where as frauds below the amount of Rs. one crore were being dealt by HO. Vigilance Deptt. The new set up resulted in close monitoring of fraud cases, faster closure of old fraud cases and effective follow up and implementation of preventive measures to check the recurrence of frauds & improvement in timely reporting of frauds to RBI.

In terms of the directions of Special Committee of Board (SCB), a Committee has also been formed in view of increasing trend of frauds particularly in those cases where property is kept as security. The identified vulnerable areas are valuation of property, genuineness of the title deeds and multiple mortgages.

4.4 **Vigilance Committee**

With a view to make the review of vigilance work an effective instrument of monitoring the speedy disposal of vigilance disciplinary cases, a Vigilance Committee of the Board has been setup in the Bank in terms of Ministry of Finance letter No.10/12/90/VIG/CVOs dated 24.10.1990 with following members:

Shri Jatinderbir Singh- CMD
Shri M.K. Jain – Executive Director
Shri P.K.Jena - RBI Nominee Director
Shri S.R.Mehar - MOF Nominee Director

The Committee met four times during the Financial Year 2014-15 as per the details below:

17.07.2014	19.09.2014	19.12.2014	17.03.2015

निदेशक सदस्यों की उनके कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उक्त बैठकों में उनकी उपस्थिति संबंधी विवरण निम्न है–

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की
श्री जतिन्दरबीर सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2014 से 31.03.2015	4	4
श्री के.के. सांसी – कार्यकारी निदेशक	01.04.2014 से 31.12.2014	3	3
श्री एम.के. जैन – कार्यकारी निदेशक	01.04.2014 से 31.03.2015	4	4
श्री पी.के. जेना – भा.रि. बैंक नामित निदेशक	01.04.2014 से 31.03.2015	4	4
श्री एम.एम. दौला – वित्त मंत्रालय नामित निवेशक	07.05.2014 से 24.09.2014	2	1
श्री एस.आर. मेहर – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	24.09.2014 से 31.03.2015	2	1
श्री एस.सी. दास – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	01.04.2014 से 07.05.2014	0	0

4.5. जोखिम प्रबंधन समिति :

बैंक ने समस्त जोखिमों की समीक्षा एवं मूल्यांकन करने के लिए बोर्ड स्तर की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है।

समिति मुख्य तीन जोखिम क्रियाओं जैसे ऋण जोखिम, बाजार जोखिम एवं परिचालन जोखिम की समीक्षा करती है और विषय पर समुचित विचार करती है एवं यदि आवश्यक हो तो सही निर्देश जारी करती है।

दिनांक 31 मार्च, 2015 को समिति की संरचना निम्न है:

श्री जतिन्दरबीर सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री एम.के. जैन – कार्यकारी निदेशक
श्री पी.के. जेना – निदेशक (भा.रि. बैंक नामित)
श्री संजय वर्मा – गैर–आधिकारिक निदेशक
श्रीमति अनिता कर्णावर – गैर–आधिकारिक निदेशक

वित्तीय वर्ष 2014–15 में समिति की निम्न तिथियों पर बैठके हुई:

09.05.2014	17.07.2014	19.12.2014	17.03.2015

निदेशक सदस्यों की उनके कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उक्त बैठकों में उनकी उपस्थिति संबंधी विवरण निम्न है–

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की
श्री जतिन्दरबीर सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2014 से 31.03.2015	4	4
श्री के.के. सांसी – कार्यकारी निदेशक	01.04.2014 से 31.12.2014	3	3
श्री एम.के. जैन – कार्यकारिक निदेशक	01.04.2014 से 31.03.2015	4	4
श्री पी.के. जेना – निदेशक (भा.रि. बैंक नामित)	17.07.2014 से 31.03.2015	2	2
श्री संजीव कुमार अरोड़ा – गैर–आधिकारिक निदेशक	01.04.2014 से 14.07.2014	1	1
श्री राजेन्द्रन नारायण – गैर–आधिकारिक निदेशक	01.04.2014 से 02.06.2014	1	0
श्री संजय वर्मा – गैर–आधिकारिक निदेशक	01.04.2014 से 31.03.2015	4	1
श्रीमति अनिता कर्णावर – गैर–आधिकारिक निदेशक	03.06.2014 से 31.03.2015	3	3

बैंक ने एक वास्तविक जोखिम प्रबंधन के ढ़ाचे का गठन किया है जिसमें जोखिम प्रबंधन संगठन ढ़ाचा, जोखिम सिद्धांत, जोखिम नियंत्रण एवं जोखिम लेखा परीक्षण सम्मिलित हैं जो कि सभी ऋण जोखिम, बाजार जोखिम एवं परिचालन जोखिम आदि को पहचानने, प्रबंधन, निगरानी करने के दृष्टिकोण से है। इसके पीछे मूल लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक के परिचालन में स्थायित्व एवं कार्यक्षमता बनी रहे और बैंक के हितो की सुरक्षा की देखभाल होती रहे।

The details of attendance of the Directors at the Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
Shri Jatinderbir Singh–CMD	01.04.2014 to 31.03.2015	4	4
Shri K.K.Sansi– ED	01.04.2014 to 31.12.2014	3	3
Shri M.K.Jain– ED	01.04.2014 to 31.03.2015	4	4
Shri P.K.Jena– RBI Nominee	01.04.2014 to 31.03.2015	4	4
Shri M.M.Dawla– MOF Nominee Director	07.05.2014 to 24.09.2014	2	1
Shri S.R.Mehar– MOF Nominee Director	24.09.2014 to 31.03.2015	2	1
Shri S C Das – MOF Nominee Director	01.04.2014 to 07.05.2014	0	0

4.5. Risk Management Committee:

The Bank has constituted a Board level Risk Management Committee to review and evaluate the overall risks assumed by the Bank.

The Committee reviews three important risk functions viz. Credit Risks, Market Risks and Operational Risks and takes an integrated view of the subject and impart suitable directions if required.

The composition of the Committee as on 31st March, 2015 is as under:

Shri Jatinderbir Singh- CMD
Shri M.K. Jain – Executive Director
Shri P.K.Jena - RBI Nominee Director
Shri Sanjay Verma- Non Official Director
Smt. Anita Karnavar- Non Official Director

The Committee met four times during the Financial Year 2014-15 as per the details below:

09.05.2014	17.07.2014	19.12.2014	17.03.2015

The details of attendance of the Directors at the Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
Shri Jatinderbir Singh-CMD	01.04.2014 to 31.03.2015	4	4
Shri K.K.Sansi-ED	01.04.2014 to 31.12.2014	3	3
Shri M.K.Jain-ED	01.04.2014 to 31.03.2015	4	4
Shri P.K.Jena – Director (RBI Nominee)	17.07.2014 to 31.03.2015	2	2
Shri Sanjiv Kumar Arora– Non Official Director	01.04.2014 to 14.07.2014	1	1
Shri Rajendran Narayan– Non Official Director	01.04.2014 to 02.06.2014	1	0
Shri Sanjay Verma – Non Official Director	01.04.2014 to 31.03.2015	4	1
Smt.Anita Karnavar - Non Official Director	03.06.2014 to 31.03.2015	3	3

The Bank has set up an appropriate risk management architecture, comprising Risk Management Organizational Structure, Risk Principles, Risk Processes, Risk Control and Risk Audit, all with a view to ideally identify, manage, monitor and control various categories of risks, viz. Credit Risk, Market Risk and Operational Risk, etc. The underlying objective is to ensure continued stability and efficiency in the operations of the Bank and to look after the safety of the Bank.

4.6 ग्राहक सेवा समिति :

(क) बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति :

बैंक ने बोर्ड की एक उप समिति का गठन किया है जो कि 'बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति' के नाम से जानी जाती है। 31 मार्च, 2015 को समिति के निम्न सदस्य हैं–

श्री जतिन्दरबीर सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री एम.के. जैन – कार्यकारी निदेशक
श्री एम.एस. सारंग – शेयरधारक निदेशक
श्री एस.आर. मेहर – निदेशक (वित्त मंत्रालय)

समिति के कार्यो में ग्राहक सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए सुझाव तथा नवोन्मेषी उपायों के लिए प्लेटफार्म का सृजन करना तथा सभी संवर्ग के ग्राहकों हेतु संतुष्टि के स्तर में सुधार करना शामिल है जिसमें साथ–साथ निम्नलिखित का समावेश हैः

i. ग्राहक सेवा पर शीर्ष समिति के रूप में कार्य करती है और सार्वजनिक सेवाओं की प्रक्रिया एवं लेखा परीक्षा कार्यनिष्पादन संबंधी स्थायी समिति के कार्यों की देखरेख करना तथा ग्राहक सेवाओं की स्थायी समिति (सी.पी.पी.ए.पी.एस.) की सिफारिशों के अनुपालन को सुनिश्चित करना।

ii. अधिनिर्णय की तारीख से तीन महीने से अधिक अवधि के गुजर जाने पर भी लागू न किए गए शेष अधिनिर्णयों तथा बैंकिंग लोकपाल द्वारा बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में पायी गई कमियों की स्थिति की समीक्षा करना।

iii. ग्राहक सेवा में गुणवत्ता में वृद्धि लाने हेतु नवोन्मेषी उपाय करना और सभी स्तरों पर ग्राहक संतुष्टि में सुधार करना।

वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान समिति की निम्न तिथियों पर बैठके हुईः

09.05.2014	18.07.2014	18.12.2014	17.03.2015

निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा इस प्रकार हैः

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की
श्री जतिन्दरबीर सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2014 से 31.03.2015	4	4
श्री के.के. सांसी – कार्यकारी निदेशक	01.04.2014 से 31.12.2014	3	3
श्री एम.के. जैन – कार्यकारी निदेशक	01.04.2014 से 31.03.2015	4	4
श्री एस.आर. मेहर – निदेशक (वित्त मंत्रालय)	23.11.2014 से 31.03.2015	2	1
श्री एस.पी.एस. विर्क – कामगार निदेशक	01.04.2014 से 22.11.2014	2	2
श्री सुरेश ठाकुर – गैर–आधिकारिक निदेशक	01.04.2014 से 12.07.2014	1	1
श्री एम.एस. सारंग – शेयरधारक निदेशक	17.07.2014 से 31.03.2015	3	3

(ख) ग्राहक सेवा पर स्थायी समितिः

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार, बैंक के निदेशकों की गठित उप समिति के अतिरिक्त ग्राहक सेवाओं पर एक स्थायी समिति का गठन किया है जिसमें बैंक के 2 महाप्रबंधक एवं समाज के 3 अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति सदस्यों के रूप में सम्मिलित हैं। बैठक की अध्यक्षता, बैंक के कार्यकारी निदेशक द्वारा की जाती है।

समिति के मुख्य कार्य हैं–

(i) बैंक द्वारा ग्राहक केंद्रित उपायों पर विचार करना।

(ii) आंचलिक कार्यालयों से जानकारी प्राप्त कर, उस को बोर्ड की ग्राहक समिति के समक्ष आवश्यक नीति/प्रक्रियात्मक कार्रवाई करने हेतु प्रस्तुत करना जिससे हो रहे परिवर्तनों की सुविधा दी जा सके।

4.6 Customer Service Committee:

(a) Customer Service Committee of the Board

The Bank has constituted a sub-committee of Board, known as 'Customer Service Committee of the Board'. The Committee has the following members as on 31st March, 2015:

1. Shri. Jatinderbir Singh-Chairman & Managing Director
2. Shri M.K.Jain – Executive Director
3. Shri M.S.Sarang – Shareholder Director
4. Shri S.R.Mehar – Director (MOF)

The functions of the Committee include creating a platform for making suggestions and innovative measures for enhancing the quality of customer service and improving the level of satisfaction for all categories of clientele at all times, which inter-alia comprises the following:

i. Act as apex Committee on Customer Service and oversees the functioning of the Standing Committee on Customer Service and also compliance with the recommendations of the Committee on Procedure and Performance Audit on Public Service (CPPAPS).

ii. Review the status of the Awards remaining unimplemented for more than 3 months from the date of Awards and also deficiencies in providing banking services as observed by the Banking Ombudsman.

iii. Mount innovative measures for enhancing the quality of customer service and improving level of customer satisfaction for all categories of clientele

During the Financial Year 2014-15, the Committee met on the following dates

09.05.2014	18.07.2014	18.12.2014	17.03.2015

The details of attendance of the Directors are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
Shri Jatinderbir Singh- CMD	01.04.2014 to 31.03.2015	4	4
Shri K.K. Sansi - ED	01.04.2014 to 31.12.2014	3	3
Shri M.K. Jain - ED	01.04.2014 to 31.03.2015	4	4
Shri S. R. Mehar- Director (MOF)	23.11.2014 to 31.03.2015	2	1
Shri S.P.S. Virk – Workmen Director	01.04.2014 to 22.11.2014	2	2
Shri Suresh Thakur- Non-Official Director	01.04.2014 to 12.07.2014	1	1
Shri M S Sarang- Shareholder Director	17.07.2014 to 31.03.2015	3	3

(b) Standing Committee on Customer Service:

Besides, the Sub Committee of the Board as aforesaid, the Bank has also set up a Standing Committee on Customer Service having two General Managers of the Bank and three other eminent public personalities as members, as per the guidelines of Reserve Bank of India. The Committee is chaired by the Executive Director of the Bank.

Main functions of the committee are:

(i) To take stock of the customer centric measures taken by the Bank.

(ii) To get feedback from the Zonal Offices and put up the same on customer service committee of the Board for necessary Policy / Procedural action facilitate change on an ongoing basis.

4.7 पारिश्रमिक समिति :

भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना दिनांक 09 मार्च, 2007 संख्या एफ नं.20/1/2005–बीओ–I द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों के लिए कार्यनिष्पादन संबंधित प्रोत्साहन की घोषणा की है। यह प्रोत्साहन विगत वर्ष के दौरान विभिन्न अनुपालना रिपोर्टो पर आधारित लक्ष्यों एवं बेंचमार्क के अनुरूप कार्यनिष्पादन मूल्यांकन जिसमें गुणवत्ता एवं मात्रा, दोनो का समावेश है, पर आधारित है। उक्त दिशा–निर्देशों के अनुपालन में वर्ष के दौरान कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन एवं देय अवार्ड हेतु भुगतान की जाने वाली प्रोत्साहन राशि के लिए निदेशक मंडल की पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया है।

समिति की वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान निम्न तिथियों पर बैठकें हुई:

19.09.2014

31.03.2015 को समिति की संरचना इस प्रकार है:

श्री पी.के. जेना – भा.रि. बैंक नामित निदेशक
श्री एम.एस. सारंग – शेयरधारक निदेशक
श्री एस.आर. मेहर – निदेशक (वित्त मंत्रालय)
श्री संजय वर्मा – गैर–आधिकारिक निदेशक

निदेशकों की उपस्थिति का विवरण निम्न प्रकार है:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की
श्री पी.के. जेना – भा.रि.बैंक नामित निदेशक	01.04.2014 से 31.03.2015	1	1
श्री एस.सी. दास – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	01.04.2014 से 07.05.2014	0	0
श्री एम.एम. दौला – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	07.05.2014 से 24.09.2014	1	1
श्री एस.पी.एस. विर्क – कामगार निदेशक)	03.06..2014 से 22.11.2014	1	1
श्री एम.एस. सारंग – शेयरधारक निदेशक	23.11.2014 से 31.03.2015	0	0
श्री संजय वर्मा – गैर–आधिकारिक निदेशक	01.04.2014 से 31.03.2015	1	1
श्री एस.आर. मेहर – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	24.09.2014 से 31.03.2015	0	0
श्री एस.पी. बबूता – शेयरधारक निदेशक	01.04.2014 से 02.06.2014	0	0

4.8 शेयरधारक संबंध समिति

सेबी ने अपने परिपत्र दिनांक 17.04.2014 के द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कार्पोरेट गवर्नेंस से संबंधित सूचीकरण करार के प्रावधानों की समीक्षा की है और कार्पोरेट गवर्नेंस से संबंधित सूचीकरण करार के संशोधित खण्ड 49 को अधिसूचित किया है जोकि दिनांक 01.10.2014 से प्रभावी है। खण्ड 49(VIII)(E) के अनुसार गैर–आधिकारिक निदेशक की अध्यक्षता में "शेयरधारक संबंध समिति" का गठन किया जाएगा जो शेयरधारकों तथा निवेशकों की कोई शिकायत, यदि कोई है, का निवारण करेगी।

दिनांक 12.08.2014 को बैंक ने शेयरधारकों एवं निवेशकों की शिकायते, यदि कोई है, के निवारण के लिए शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति का पुनर्गठन शेयरधारक संबंध समिति के नाम के रूप में किया

31 मार्च, 2015 को समिति की संरचना निम्न प्रकार है:

(i) श्री जतिन्दरबीर सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(ii) श्री एम.के.जैन – कार्यकारी निदेशक
(iii) श्री सुखेन पाल बबूता – शेयरधारक निदेशक
(iv) श्री एम.एस. सारंग – शेयरधारक निदेशक

4.7 Remuneration Committee:

Government of India announced Performance Linked Incentives for Whole Time Directors of Public Sector Banks vide Notification No.F No.20/1/2005-BO.I dated 9th March, 2007. The incentive is based on certain qualitative as well as quantitative parameters fixed for Performance Evaluation Matrix on the basis of the statement of intent on goals and benchmarks based on various compliance reports during the previous financial year. In compliance of the said directives, a Remuneration Committee of the Board was constituted for evaluation of the performance and incentive amount to be awarded / paid during the year.

During the Financial Year 2014-15, the Committee met on the following date:

19.09.2014

The composition of the present Committee as on 31st March, 2015 is as under:

1. Shri P.K. Jena, RBI Nominee Director
2. Shri M.S.Sarang – Shareholder Director
3. Shri S.R.Mehar – Director (MOF)
4. Shri Sanjay Verma, Non-Official Director

The details of attendance of the Directors are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
Shri P.K. Jena, RBI Nominee Director	01.04.2014 to 31.03.2015	1	1
Sh. S.C. Das –MOF Director	01/04/2014 to 07.05.2014	0	0
Sh. M M Dawla- MOF Director	07.05.2014 to 24.09.2014	1	1
Sh. S P S Virk- Workman Director	03.06.2014 to 22.11.2014	1	1
Sh. M.S.Sarang – Shareholder Director	23.11.2014 to 31.03.2015	0	0
Sh. Sanjay verma- Non Official Director	01.04.2014 to 31.03.2015	1	1
Sh. S R Mehar - MOF Director	24.09.2014 to 31.03.2015	0	0
Sh. S P Babuta - Shareholder Director	01.04.2014 to 02.06.2014	0	0

4.8 4.8 Stakeholders Relationship Committee:

SEBI vide Circular dated 17.04.2014, has reviewed the provisions of the Listing Agreement relating to Corporate Governance as per provisions of Companies Act, 2013 and has notified revised Clause 49 of the Listing Agreement relating to Corporate Governance w.e.f. 01.10.2014. Clause 49(VIII)(E) provides that a Committee under the Chairmanship of a non-executive Director named as “Stakeholders Relationship Committee” shall be formed to redress shareholders and investors complaints, if any.

The Shareholders / Investors Grievances Committee to review redressal of shareholders’ and investors’ complaints, if any was reconstituted on 12.08.2014 with name Stakeholders Relationship Committee.

The composition of the Committee as on 31st March 2015 is as under:

(i) Shri Jatinderbir Singh-Chairman & Managing Director
(ii) Shri M.K. Jain - Executive Director - Member
(iii) Shri Sukhen Pal Babuta – Shareholder Director
(iv) Shri M.S.Sarang – Shareholder Director

वित्तीय वर्ष 2014–15 में समिति की निम्न तिथियों पर बैठकें हुई।

09.05.2014	12.08.2014	11.11.2014	06.02.2015

समिति की उक्त बैठक में निदेशकों की उपस्थिति उनके कार्यकाल अनुसार निम्न प्रकार है:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की
श्री जतिन्दरबीर सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2014 से 31.03.2015	4	4
श्री के.के. सांसी – कार्यकारी निदेशक	17.07.2014 से 31.12.2014	2	2
श्री एम.के. जैन – कार्यकारी निदेशक	01.04.2014 से 31.03.2015	4	4
श्री सुखेन पाल बबूता– शेयरधारक निदेशक	01.04.2014 से 02.06.2014 17.07.2014 से 31.03.2015	1 3	1 3
श्री एम.एस. सारंग – शेयरधारक निदेशक	17.07.2014 से 31.03.2015	3	3
श्री एन. राजेन्द्रन – गैर–आधिकारिक निदेशक	01.04.2014 से 02.06.2014	1	0

समिति निवेशकों की शिकायतों के निवारण के लिए समयबद्ध रूप से निगरानी करती है।

वर्ष के दौरान प्राप्त एवं निवारण की गई शिकायतों/निवेदनों की संख्या का सारांश निम्न प्रकार है:

01.04.2014 का शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के दौरान निवारण	31.03.2015 को बकाया
01	17	18	शून्य

दिनांक 31.03.2015 को कोई भी शिकायत लंबित नही थी। कंपनी सचिव को स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण अनुबंध के खंड 47 (ए) के तहत बैंक के अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

4.9 मानव संसाधन समिति

मानव संसाधन विकास समिति का गठन बीआर दिनांक 05.05.2012 संख्या 19841 के द्वारा मानव संसाधन की विकासशील योजनाओं को गति प्रदान करने और विभिन्न यूनियनों तथा एसोशिएसनों के साथ विचार–विमर्श करने हेतु किया गया है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यकारी निदेशक और अन्य कोई सदस्यों के मध्य से बैठक के कोरम के लिए आवश्यक है। बैठक कभी भी आवश्यक हो, की जा सकती है लेकिन तिमाही में कम से कम एकवार आवश्यक है।

दिनांक 31 मार्च, 2015 को समिति संरचना निम्न प्रकार है:

(i) श्री जतिन्दरबीर सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(ii) श्री एम.के. जैन – कार्यकारी निदेशक

(iii) श्री एस.आर. मेहर – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक

(iv) श्री संजय वर्मा – गैर–आधिकारिक निदेशक

(v) श्रीमति अनिता कर्णावर – गैर–आधिकारिक निदेशक

वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान समिति की निम्न तिथियों पर बैठकें हुई:

15.04.2014	18.07.2014	19.09.2014	27.12.2014	17.03.2015

The Committee met on the following dates during the Financial Year 2014-15

09.05.2014	12.08.2014	11.11.2014	06.02.2015

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
Shri Jatinderbir Singh-Chairman & Managing Director	01.04.2014 to 31.03.2015	4	4
Shri K.K. Sansi - Executive Director	17.07.2014 to 31.12.2014	2	2
Shri M.K. Jain - Executive Director	01.04.2014 to 31.03.2015	4	4
Shri Sukhen Pal Babuta - Shareholder Director	01.04.2014 to 02.06.2014 17.07.2014 to 31.03.2015	1 3	1 3
Shri M. S. Sarang – Shareholder Director	17.07.2014 to 31.03.2015	3	3
Shri N. Rajendran- Non- Official Director	01.04.2014 to 02.06.2014	1	0

The Committee monitors the redressal of investors' complaints in a time bound manner.

The summary of number of requests/complaints received and resolved during the year are as under

Pending as on 01.04.2014	Received during the year	Resolved during the year	Pending as on 31.03.2015
01	17	18	NIL

No complaint was pending as on 31.03.2015. Company Secretary has been designated as the "Compliance Officer" of the Bank under Clause 47 (a) of the Listing Agreement with Stock Exchanges.

4.9 HR Committee

The HR Committee has been constituted vide BR No.19841 dated 05.05.2012 for promoting progressive HR plans and to have interaction with various unions and associations. CMD, ED and anyone among the other members is the quorum for meeting. Meeting may be held as and when required but at least once in a quarter.

The composition of the Committee as on 31st March 2015 is as under:

(i) Shri Jatinderbir Singh –IAS-Chairman & Managing Director

(ii) Shri M.K. Jain - Executive Director - Member

(iii) Shri S.R.Mehar-Director (MOF)

(iv) Shri Sanjay Verma-Non Official Director

(v) Smt. Anita Karnavar - Non Official Director

The Committee met on the following dates during the Financial Year 2014-15

15.04.2014	18.07.2014	19.09.2014	27.12.2014	17.03.2015

समिति की उक्त बैठक में निदेशकों की उपस्थिति उनके कार्यकाल अनुसार निम्न प्रकार हैः

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की
श्री जतिन्दरबीर सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2014 से 31.03.2015	5	5
श्री एम.के. जैन – कार्यकारी निदेशक	01.04.2014 से 31.03.2015	5	5
श्री के.के. सांसी – कार्यकारी निदेशक	01.04.2014 से 31.12.2014	4	4
श्री एस.सी. दास – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	01.04.2014 से 07.05.2014	1	1
श्री संजीव कुमार अरोड़ा – गैर–आधिकारिक निदेशक	01.04.2014 से 14.07.2014	1	1
श्री एम.एम. दौला – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	07.05.2014 से 24.09.2014	2	1
श्री एस.पी.एस. विर्क	17.07.2014 से 22.11.2014	2	2
श्री संजय वर्मा	17.07.2014 से 31.03.2015	4	2
श्री एस.आर. मेहर – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	24.09.2014 से 31.03.2015	2	2
श्रीमति अनिता कर्णावर	20.12.2014 से 31.03.2015	2	2

4.10 नामांकन समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/80 की धारा 9(3)(आई) के प्रावधानों के अंतर्गत् राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में चयन हेतु 'फिट एण्ड प्रोपर' मानदंड निर्धारित किए हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप नामांकन समिति गठित करना अपेक्षित है जिसमें निदेशक मंडल में से कम से कम तीन निदेशक (सभी स्वतंत्र/गैर कार्यपालक निदेशक) शामिल हो। उक्त दिशा–निर्देशों की अनुपालना में एक 'नामांकन समिति' का गठन बोर्ड संकल्प दिनांक 10.05.2014 संख्या 21083 के द्वारा निम्न तीन निदेशकों का सदस्य के रूप में एक वर्ष हेतु किया है।

1. श्री संजय वर्मा, निदेशक – समिति के अध्यक्ष
2. श्रीमति अनिता कर्णावर – निदेशक
3. श्री महेश कुमार गुप्ता – निदेशक

दिनांक 16.06.2014 को समिति की बैठक बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत व्यक्ति के निदेशक के रूप में चुने जाने हेतु 'फिट एवं प्रोपर' स्थिति पर गंभीरता से निर्णय लेने के लिए हुई।

4.11 बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी योजना समितिः

सीबीएस परियोजना को लागू करने में तीव्रता लाने के दृष्टिकोण से, समय से पहले और लाभ के विश्लेषण अनुसार, दिनांक 31.03.2015 को बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी समिति के निम्न सदस्य हैः

श्री जतिन्दरबीर सिंह – आई.ए.एस.–अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री एम.के. जैन – कार्यकारी निदेशक
श्री एस.आर. मेहर – निदेशक (वित्त मंत्रालय)
श्री संजय वर्मा – गैर–आधिकारिक निदेशक
श्रीमति अनिता कर्णावर – गैर–आधिकारिक निदेशक

वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान समिति की निम्न तिथियों पर बैठकें हुईः

09.05.2014	11.08.2014	27.12.2014	18.03.2015

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
Shri Jatinderbir Singh-Chairman & Managing Director	01.04.2014 to 31.03.2015	5	5
Shri M.K. Jain - Executive Director	01.04.2014 to 31.03.2015	5	5
Shri K.K. Sansi - Executive Director	01.04.2014 to 31.03.2015	4	4
Shri S C Das-MOF Director	01.04.2014 to 07.05.2014	1	1
Shri Sanjiv Kumar Arora- Non- Official Director	01.04.2014 to 14.07.2014	1	1
Shri M.M Dawla- MOF Director	07.05.2014 to 24.09.2014	2	1
Shri S.P.S Virk	17.07.2014 to 22.11.2014	2	2
Shri Sanjay Verma	17.07.2014 to 31.03.2015	4	2
Shri S.R.Mehar - MOF Director	24.09.2014 to 31.03.2015	2	2
Smt. Anita Karnavar	20.12.2014 to 31.03.2015	2	2

4.10 Nomination Committee:

Reserve Bank of India has laid down "Fit and Proper" criteria to be fulfilled by persons to be elected as directors on the Boards of the Nationalized Banks under the provisions of Section 9(3)(i) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/80. In terms of the guidelines issued by Reserve Bank of India, a Nomination Committee is required to be constituted consisting of a minimum of three directors (all independent/non executive directors) from amongst the Board of Directors. In compliance of the said directives, a “Nomination Committee” was constituted vide Board Resolution no.21083 dated 10.05.2014 with following three directors as members, for a tenure of one year.

1.	Shri Sanjay Verma,Director – Chairman of the Committee
2.	Ms.Anita Karnavar, Director
3.	Shri Mahesh Kumar Gupta, Director

The Committee met on 16.06.2014 to undertake a process of due diligence to determine the ‘Fit & Proper’ status of the persons to be elected as director under Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980.

4.11 IT Strategy Committee of the Board

With a view to take forward IT initiatives and drive other benefits of technologies, IT Strategy Committee of the Board comprising of the following members is in place as on 31.03.2015.

Shri Jatinderbir Singh –IAS-Chairman & Managing Director
Shri M.K. Jain - Executive Director
Shri S.R.Mehar-Director (MOF)
Shri Sanjay Verma-Non Official Director
Smt. Anita Karnavar - Non Official Director

The Committee met on the following dates during the Financial Year 2014-15

09.05.2014	11.08.2014	27.12.2014	18.03.2015

समिति की उक्त बैठक में निदेशकों की उपस्थिति उनके कार्यकाल अनुसार निम्न प्रकार है:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की
श्री जतिन्दरबीर सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.05.2014 से 31.03.2015	3	3
श्री एम.के. जैन – कार्यकारी निदेशक	01.04.2014 से 31.03.2015	4	4
श्री के.के. सांसी – कार्यकारी निदेशक	01.04.2014 से 31.12.2014	3	3
श्री एम.एम.दौला – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	07.05.2014 से 24.09.2014	2	0
श्रीमति अनिता कर्णावर – गैर–आधिकारिक निदेशक	03.06.2014 से 31.03.2015	3	3
श्री राजेन्द्रन नारायण – गैर–आधिकारिक निदेशक	01.04.2014 से 02.06.2014	1	0
श्री संजय वर्मा– गैर– आधिकारिक निदेशक	01.04.2014 से 31.03.2015	4	4
श्री एस.आर. मेहर – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	24.09.2014 से 31.03.2015	2	2

4.12 कार्यपालकों के प्रोमोशनों पर बोर्ड की समितिः

दिनांक 31.03.2015 को वरिष्ठ स्तर पर पदोन्नतियों का कार्य देखने के लिए, निदेशकों की समिति जिसमें कार्यकारी निदेशक (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अनुपस्थिति में) और भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशकों की समिति का गठन किया गया है।

31 मार्च, 2015 को समिति की संरचना निम्न प्रकार है:

श्री जतिन्दरबीर सिंह–अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री पी.के. जेना – भा.रि. बैंक नामित निदेशक
श्री एस.आर. मेहर – निदेशक (वित्त मंत्रालय)

4.13 अपील/समीक्षा पर बोर्ड समितिः

वरिष्ठ प्रबंधन स्तर पर अनुशासनात्मक मामलों की अपील/समीक्षा पर विचार करने हेतु अपील/समीक्षा पर बोर्ड की समिति का गठन किया गया है जिसमें निम्न सदस्य हैं –

श्री पी.के. जेना – भा.रि. बैंक नामित निदेशक
श्री एस.आर. मेहर – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक
श्री महेश कुमार गुप्ता – गैर–आधिकारिक निदेशक

4.14 वसूली की निगरानी करने हेतु समितिः

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, वित्तीय सेवाएं विभाग के पत्र दिनांक 21.11.2012 संख्या एफ.नं. 7/112/2012–बी.ओ.ए. के निर्देशानुसार, निदेशकों की एक समिति जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यकारी निदेशक तथा वित्त मंत्रालय के नामित निदेशक सम्मिलित हैं, का गठन बैंक की वसूली की प्रगति की निगरानी करने के लिए किया गया है।

31 मार्च, 2015 को समिति की संरचना निम्न है –

श्री जतिन्दरबीर सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री एम.के. जैन – कार्यकारी निदेशक
श्री एस.आर. मेहर – निदेशक (वित्त मंत्रालय)

वित्तीय वर्ष 2014–15 में समिति की दिनांक 18.07.2014 को बैठक हुई।

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
Shri Jatinderbir Singh-Chairman & Managing Director	10.05.2014 to 31.03.2015	3	3
Shri M.K. Jain - Executive Director	01.04.2014 to 31.03.2015	4	4
Shri K.K. Sansi - Executive Director	01.04.2014 to 31.12.2014	3	3
Shri M.M Dawla- MOF Nominee Director	07.05.2014 to 24.09.2014	2	0
Smt. Anita Karnavar- Non- Official Director	03.06.2014 to 31.03.2015	3	3
Shri Rajendran Narayan-Non-Official Director	01.04.2014 to 02.06.2014	1	0
Shri Sanjay Verma – Non- Official Director	01.04.2014 to 31.03.2015	4	4
Shri S.R.Mehar - MOF Nominee Director	24.09.2014 to 31.03.2015	2	2

4.12 Committee of the Board on Executives' Promotions:

A Committee of Directors consisting of Executive Director (in the absence of CMD) and the nominee Directors of Government of India and Reserve Bank of India has been formed for dealing with the promotions at senior level.

The composition of the Committee as on 31st March 2015 is as under:

Shri Jatinderbir Singh- Chairman & Managing Director
Shri P.K.Jena-RBI Nominee Director
Shri S.R.Mehar – Director (MOF)

4.13 Committee of the Board on Appellate / Reviewing Authority:

A committee of the Board on Appellate / Reviewing Authority is constituted to consider appeal / review in respect of Disciplinary cases at senior Management level, with the following members as on 31.03.2015:

Sh. P.K.Jena - RBI Nominee Director
Sh. S.R.Mehar - MOF Nominee Director
Sh. Mahesh Kumar Gupta -Non-Official Director

4.14 Committee for Monitoring of Recovery:

A Committee of Directors consisting of Chairman & Managing Director, Executive Director and the nominee Director of Ministry of Finance has been formed to monitor the progress in recovery of the Bank in terms of directions received from Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi,vide their letter no.F.No. 7/112/2012- BOA letter dated 21.11.2012.

The composition of the Committee as on 31st March 2015 is as under:

Shri Jatinderbir Singh- Chairman & Managing Director
Shri M.K. Jain - Executive Director
Shri S.R. Mehar – Director (MOF)

The Committee met on 18.07.2014 during the financial year 2014-15.

समिति की उक्त बैठक में निदेशकों की उपस्थिति उनके कार्यकाल अनुसार निम्न प्रकार है:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की
श्री जतिन्दरबीर सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2014 से 31.03.2015	1	1
श्री एम.के. जैन – कार्यकारी निदेशक	01.04.2014 से 31.03.2015	1	1
श्री के.के. सांसी – कार्यकारी निदेशक	01.04.2014 से 31.12.2014	1	1
श्री एम.एम. दौला – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	07.05.2014 से 24.09.2014	1	0

4.15 शेयरधारक निदेशकों की चुनाव समिति – सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में मतदान :

वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय के पत्र दिनांक 03.04.2012 की शर्तों के अनुसार विभिन्न कंपनियों, वित्तीय संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बैंकों में शेयरधारक निदेशकों के चुनाव में एक उम्मीदवार को समर्थन देने पर निर्णय लेने हेतु बोर्ड की समिति का गठन बोर्ड संकल्प दिनांक 05.05.2012 संख्या 19840 द्वारा किया गया।

31 मार्च, 2015 को समिति की संरचना निम्न है –

श्री जतिन्दरबीर सिंह – आई.ए.एस. – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री एम.के. जैन – कार्यकारी निदेशक
श्री एस.आर. मेहर – निदेशक (वित्त मंत्रालय)
श्री संजय वर्मा – गैर–आधिकारिक निदेशक

4.16 शेयर अंतरण समिति :

पांच कार्यपालकों की समिति जिसमें एक मुख्य महाप्रबंधक, दो महाप्रबंधक, एक सहायक महाप्रबंधक हैं एवं एक पखवाड़े में शेयरों का विप्रेषण/अंतरण/प्रेषण का अनुमोदन कंपनी सचिव द्वारा किया जाता है। बोर्ड की होने वाली बैठक में शेयर अंतरण समिति का कार्यवृत बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। वर्ष 2014–15 के दौरान शेयर अंतरण समिति की 28 बैठके आयोजित की गई। शेयर अंतरण समिति की कार्रवाई बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। बैंक यह सुनिश्चित करता है कि शेयरों के प्रस्तुतीकरण की दिनांक से 15 दिन के अंदर सभी शेयरों का अंतरण हो जाए।

5. निदेशकों का पारिश्रमिक :

गैर–कार्यकारी निदेशकों की यात्रा तथा ठहरने पर होने वाले व्यय सहित परिश्रमिक का भुगतान, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (यथा संशोधित) की धारा 17 में उल्लिखित शर्तों के अनुरूप, समय–समय पर केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से जारी किए गए निर्धारणों के अनुसार किया जा रहा है।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यकारी निदेशक को पारिश्रमिक का भुगतान वेतन के रूप में भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाता है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यकारी निदेशक को भुगतान किए गए पारिश्रमिक कार्य निष्पादन संबंद्ध प्रोत्साहन का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

क) वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान वेतन एवं एरियर्स का भुगतान :

क्र.सं.	नाम	पदनाम	राशि (रू.)
1.	श्री जतिन्दरबीर सिंह	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	20,03,405.72
2.	श्री एम.के. जैन	कार्यकारी निदेशक	16,61,398.35
3.	श्री के.के. सांसी	कार्यकारी निदेशक	12,45,638.55

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
Shri Jatinderbir Singh- Chairman & Managing Director	01.04.2014 to 31.03.2015	1	1
Shri M.K. Jain - Executive Director	01.04.2014 to 31.03.2015	1	1
Shri K.K. Sansi - Executive Director	01.04.2014 to 31.12.2014	1	1
Shri M.M.Dawla - MOF Nominee Director	07.05.2014 to 24.09.2014	1	0

4.15 Election of Shareholder Directors Committee-Voting by Public Sector Bank:

In terms of Ministry of Finance, Department of Financial Services letter date 03.04.2012 a committee of Board for taking decision on supporting the candidates in election as Shareholder Directors in various companies, Financial institutions and PSU Banks was constituted as per Board resolution number 19840 dated 05.05.2012.

The composition of the Committee as on 31st March, 2015 is as under:

1. Shri Jatinderbir Singh- IAS- Chairman & Managing Director
2. Shri M.K.Jain – Executive Director
3. Shri S.R. Mehar – Director (MOF)
4. Shri Sanjay Verma – Non- Official Director

4.16 Share Transfer Committee:

A committee of five officials comprising of one CGM, two GMs, one AGM and the Company Secretary approved demat/ remat/transfer/transmission of shares at least once in a fortnight. The minutes of the Share Transfer Committee are placed before the Board in the forthcoming meeting. Twenty eight meetings of the Share Transfer Committee were held during the financial year 2014-15. The Bank ensures that all the transfer of shares is affected within a period of fifteen days from the date of their lodgment.

5. REMUNERATION OF DIRECTORS:

The remuneration including traveling and halting expenses to Non-Executive Directors which are being paid as stipulated by the Central Government in consultation with Reserve Bank of India from time to time in terms of Clause 17 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (as amended).

The Chairman & Managing Director and Executive Directors are being paid remuneration by way of salary as per rules framed by the Government of India. The details of remuneration and Performance Linked Incentives paid to Chairman and Managing Director and Executive Director/s is detailed below:

A. Salary including Arrears paid during the Financial Year 2014-15:

Sr. No	Name	Designation	Amount (Rs.)
1	Shri Jatinderbir Singh	Chairman & Managing Director	20,03,405.72
2	Shri M.K. Jain	Executive Director	16,61,398.35
3	Shri K.K. Sansi	Executive Director	12,45,638.55

वर्ष 2014–15 के दौरान गैर–कार्यकारी निदेशकों को दिया गया बैठक सहभागिता शुल्क निम्नानुसार है (पूर्ण कालिक निदेशकों एवं भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक को किसी प्रकार का बैठक सहभागिता शुल्क देय नही है) :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	भुगतान की गई राशि (रू.)
1.	श्री सुखेन पाल बबूता	1,60,000
2.	श्री महेश कुमार गुप्ता	1,45,000
3.	श्री संजीव कुमार अरोड़ा	40,000
4.	श्री एम.एस. सारंग	1,30,000
5.	श्री सुरेश ठाकुर	25,000
6.	श्री एन. राजेन्द्रन	10,000
7.	श्री एस.पी.एस. विर्क	1,15,000
8.	श्री संजय वर्मा	1,50,000
9.	श्रीमति अनिता कर्णावर	1,65,000
	कुल योग	**9,40,000**

6. **प्रकटीकरण :**

(क) बैंक का ऐसा कोई विशेष संबंधित पार्टी लेन–देन नहीं है जहाँ बैंक के व्यापक हितों के टकराव की संभावना बनती हो।

(ख) बैंक की वेबसाईट https://www.psbindia.com / PSBPOLICY_Related_partyTransactions.pdf में संबंधित पार्टी प्रविष्टियां नीति उपलब्ध है।

(ग) बैंक पर विगत् तीन वर्षो के दौरान पूंजी बाजार से संबद्ध किसी भी मामले में किसी भी विनियामक प्राधिकारी अर्थात् स्टॉक एक्सचेंज और/अथवा सेबी द्वारा किसी नियम, निर्देशों एवं दिशा–निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए, न तो कोई दंड लगाया गया है और नही ही किसी प्रकार की भर्त्सना की गई है।

(घ) बैंक की 'विसल ब्लोअर पॉलिसी' परिचालित है और किसी भी व्यक्ति को इसे देखने से रोका नही गया है।

7. **अनिवार्य एवं गैर–अनिवार्य आवश्यकताएं :**

बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजों जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध है, के साथ किए गए सूचीयन करार के संशोधित खंड 49 में यथा उपबंधित सभी लागू अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

गैर–अनिवार्य आवश्यकताओं के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार हैः

क्र.सं.	गैर–अनिवार्य आवश्यकताएं	कार्यान्वयन की स्थिति
1.	एक गैर–कार्यपालक अध्यक्ष कंपनी के व्यय पर अध्यक्ष के कार्यालय का रखरखाव करने का पात्र हो सकता है और दायित्व निर्वाहन में किए गए व्यय की प्रतिपूर्ती प्राप्त करने हेतु पात्र है।	लागू नही, क्योकि अध्यक्ष का पद कार्यपालक का पद है।
2.	अंतिम 6 माह के दौरान, महत्वपूर्ण घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय कार्य–निष्पादन की छमाही घोषणा को शेयर धारकों को भेजी जा सकती है।	शेयरधारकों की सूचना हेतु तिमाहीध्अर्ध–वार्षिक/वार्षिक वित्तीय परिणामों को स्टॉक एक्सचेंज भेजा जाता है, प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाता है और शेयरधारकों की जानकारी हेतु/बैंक की वेबसाईट www.psbindia.com पर भी उपलब्ध कराया जाता है।
3.	कंपनी को अनक्वालिफाइड वित्तीय विवरणियों की व्यवस्था की ओर जाना चाहिए।	बैंक की वित्तीय विवरणियां अनक्वालिफाइड होती है।
4.	कंपनी बाहरी व्यक्ति को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/सी.ई.ओ. के पद पर नियुक्त कर सकती है।	भारत सरकार द्वारा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की शर्तों के अनुरूप अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की नियुक्ति की जाती है।
5.	आंतरिक लेखाकार सीधे तौर से लेखा परीक्षण समिति को रिपोर्ट कर सकते हैं।	निरीक्षण विभाग द्वारा आंतरिक लेखाकारों की रिपोर्टों को सीधे तौर पर लेखा परीक्षण समिति के समक्ष रखा जाता है।

The Sitting Fee paid to the Non-Executive Directors during the Year 2014-15 is as under: (No sitting fee is payable to whole time directors and director representing Government. of India):

Sr.No	Name of the Director	Amount Paid in Rs.
1	Sh Sukhen Pal Babuta	1,60,000
2.	S. Mahesh Kumar Gupta	1,45,000
3	Sh Sanjiv Kumar Arora	40,000
4	Sh. M S Sarang	1,30,000
5	Sh Suresh Thakur	25,000
6	Sh N. Rajendran	10,000
7	Sh S.P.S. Virk	1,15,000
8	Sh. Sanjay Verma	1,50,000
9	Smt. Anita Karnavar	1,65,000
	TOTAL	**9,40,000**

6. DISCLOSURES:

a) There is no materially significant Related Party Transaction that may have potential conflict with the interests of the Bank at large.

b) Related Party Transactions Policy is available on website of the Bank at https://www.psbindia.com/PSBPolicy_Related_PartyTransactions.pdf

c) No penalties and strictures have been imposed on the Bank by the Stock Exchange and /or SEBI for non-compliance of any law, guidelines and directives, on any matters related to capital markets, during the last three years.

d) Bank has Whistle Blower Policy in place and no personnel have been denied access.

7. MANDATORY AND NON-MANDATORY REQUIREMENTS:

The Bank has complied with all applicable mandatory requirements as per Clause 49 of the Listing Agreement entered into with Stock Exchanges where Bank's shares are listed. The extent of implementation of non-mandatory requirements is as under:

Sr. No	Non-mandatory requirement	Status of Implementation
1.	A non-executive Chairman may be entitled to maintain a Chairman's Office at the company's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties.	Not Applicable, since the Chairman's position is Executive.
2.	A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six months, may be sent to each household of shareholders.	Quarterly/Half yearlyYearly financial results are sent to Stock Exchanges, published in leading newspapers and are also placed on Bank's website www:psbindia.com for information of the shareholders.
3.	Company may move towards a regime of unqualified financial statements.	The financial statements of the Bank are unqualified.
4.	The Company may appoint separate persons to the post of Chairman and Managing Director/CEO.	Chairman and Managing Director is appointed by Govt. of India in terms of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980.
5.	The Internal Auditor may report directly to the Audit Committee.	Internal audit reports are directly placed before the Audit Committee by Inspection Department.

8. संप्रेषण के साधन :

बैंक, विकसित सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार के साधनों के माध्यम से अपने सदस्यों और हितधारकों को उनके हितों से संबद्ध जानकारियों के विषय में सूचित करने की आवश्यकता को समझता है।

बैंक के वित्तीय परिणामों को निदेशक मंडल की बैठक में उनके अनुमोदन के पश्चात, बैठक की समाप्ति पर तत्काल उन स्टॉक एक्सचेंजो को प्रस्तुत किया जाता है जहां पर बैंक की प्रतिभूतियाँ सूचीबद्ध हैं। यह परिणाम न्यूनतम दो समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करवाए जाते हैं (एक हिंदी और दूसरा अंग्रेजी), जैसा भी आवश्यक हो।

बैंक के तिमाही/वर्ष दर वर्ष/वार्षिक परिणामों की प्रति बैंक की वेबसाईट– http://www.psbindia.com पर उपलब्ध है।

बैंक के इक्वटी शेयर भारत में निम्न प्रमुख दो स्टॉक एकेसचेंजों पर सूचीबद्ध हैं :

1. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लि.
फिरोज जीजीभोय टॉवर्स,
25वां तल, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुम्बई 400001
बीएसई कोडः 533295

2. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.
एक्सचेंज प्लाजा
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुम्बई 400051
एनएसई कोडः पीएसबी–ईक्यू

एनएसडीएल, सीडीएसएल को अभिरक्षा शुल्क और बीएसई, एनएसई को एक्सचेंज में सूचीबद्ध सभी प्रतिभूतियों के सूचीकरण शुल्क का आज तक का भुगतान कर दिया गया है।

9.1 प्रतिभूतियों का अभौतिकीकरण :

सेबी की अनिवार्य अभौतिक सूची के अंतर्गत् बैंक के शेयर आते हैं और बैंक ने अपने शेयरों के अभौतिकीकरण हेतु नेशनल सिक्योरिटी सर्विसेज (इंडिया) लि. (एनएसडीएल) तथा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) के साथ करार किया है। शेयरधारक, एनएसडीएल अथवा सीडीएसएल के पास अपने शेयरों को अभौतिकीकृत करवा सकते हैं।

31 मार्च, 2015 को बैंक के पास 40,04,11,027 इक्वटी शेयर है जिनमें से 40,04,05,089 शेयर अभौतिक रूप में धारित हैं जिनका विवरण निम्नानुसार हैः

धारिता का स्वरूप	**शेयरों की संख्या**	**प्रतिशत**
भौतिक	5938	0.0015
अभौतिक		
एन.एस.डी.एल.	72345315	18.0678
सी.एस.डी.एल.*	328059774	81.9307
उप–योग	400405089	99.9985
कुल योग	400411027	100.0000

* इनमें भारत सरकार द्वारा धारित 31,88,22,775 ईक्विटी शेयर सम्मिलित हैं।

9.2 ईलैक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाएं (ई.सी.एस.)

ईलैक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाएं (ई.सी.एस.) भुगतान की आधुनिक प्रणाली है जिसमें संबंधित निवेशक के खाते में लाभांश/ब्याज आदि की राशि सीधे तौर पर जमा की जाती है। बैंक ने शेयरधारकों को सभी केंद्रों पर जहाँ भारतीय रिज़र्व बैंक के अधीन राष्ट्रीय ई.सी.एस./ई.सी.एस. सुविधाएं उपलब्ध हैं, पर सेवा का लाभ उठाने का विकल्प दिया है।

9.3 इलेक्ट्रॉनिक शेयर अंतरण प्रणाली तथा निवेशकों की शिकायतों का निवारण :

बैंक सुनिश्चित करता है कि सभी शेयरों का अंतरण संबंधी समस्त कार्य, उनकी प्रस्तुति की तारीख से पंद्रह दिन के अंदर विधिवत रूप से संपन्न हो जाए। बोर्ड ने शेयरों के अंतरण एवं अन्य संबंधित मामलों की निगरानी एवं समीक्षा करने हेतु शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति एवं शेयर अंतरण समिति का गठन किया है। ये समितियां नियमित अंतराल पर बैठके आयोजित करती हैं और निवेशक–शिकायतों की स्थिति की समीक्षा करती हैं।

8. MEANS OF COMMUNICATION:

The Bank recognizes the need for keeping its shareholders and stakeholders informed of the events of their interests through present advanced information technology and means of communication.

The financial results of the Bank are submitted to the stock exchanges, where the securities of the Bank are listed, immediately after the conclusion of the Board Meeting approving the same. The results are published in minimum two newspapers (one English and one Hindi) as required.

The quarterly / year to year / Annual Financial Results of the Bank are hosted on the Bank's website: http://www.psbindia.com.

The Bank's equity shares are listed on the following major Stock Exchanges in India :

1) Bombay Stock Exchange Ltd.,
Phiroze Jeejeebhoy Towers
25th Floor, Dalal Street, Fort, Mumbai 400 001
BSE CODE : 533295

2) National Stock Exchange of India Ltd.
"Exchange Plaza" Bandra Kurla Complex, Bandra,(East)
Mumbai 400 051
NSE CODE : PSB-EQ

Custodial fee to NSDL, CDSL and listing fees to BSE, NSE in respect of all securities listed with the exchange(s) has been paid till date.

9.1 Dematerialisation of Securities :

The shares of the Bank are under compulsory demat list of SEBI and the Bank has entered in to Agreements with National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for dematerialization of Bank's shares. Shareholders can get their shares dematerialized with either NSDL or CDSL.

As on March 31, 2015 the Bank has 40,04,11,027 Number of Equity Shares of which 40,04,05,089 Shares are held in dematerialized form, as per the detail given below.

Nature of Holding	Number of shares	Percentage
Physical	5,938	0.0015
Dematerialized		
NSDL	7,23,45,315	18.0678
CDSL *	32,80,59,774	81.9307
Sub-Total	40,04,05,089	99.9985
Total	**40,04,11,027**	**100.0000**

* includes 31,88,22,775 equity shares held by the Government of India.

9.2 Electronic Clearing Services (ECS) :

Electronic Clearing Services is a modern method of payment where the amounts of dividend/interest etc., are directly credited to the bank accounts of the Investors concerned. The Bank has offered the services to the shareholders with an option to avail the facility at all the centers covered by Reserve Bank of India under its ECS/NECS facility.

9.3 Electronic Share Transfer System & Redressal of Investors' Grievances:

The Bank ensures that all transfer of Shares are duly affected within a period of fifteen from the date of their lodgment. The Board has constituted Stakeholders Relationship Committee to monitor and review the progress in redressal of shareholders'/ investors' grievances and Shares Transfer Committee to consider transfer of Shares and other related matters. The Committee meets at regular intervals and reviews the status of Investors' Grievances.

बैंक ने मैसर्स लिंक इनटाईम इंडिया प्रा. लि. को अपने रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट के रूप में नियुक्त किया है जिसका कार्य शेयर अंतरण, लाभांश भुगतान, शेयरधारकों के अनुरोध को अभिलेखित करना, निवेशकों की शिकायतों का समाधान के अलावा शेयर/बांड जारी करने संबंधी अन्य गतिविधियों को सुनिश्चित करना है।

निवेशक अपने अंतरण विलेख/अनुरोध/शिकायतों को निम्न पते पर रजिस्ट्रार को प्रेषित कर सकता हैः

मैसर्स लिंक इनटाईम इंडिया प्रा. लि.
(इकाई : पंजाब एण्ड सिंध बैंक)
44, कम्यूनिटी सेंटर, द्वितीय तल, नारायणा औद्योगिक क्षेत्र, फेज–I,
पी.वी.आर. नारायणा के पास, नई दिल्ली–110028
दूरभाषः (011) 41410592 से 0594
फैक्सः (011) 41410591
ई मेलः delhi@linkintime.co.in

बैंक ने शेयर कक्ष की स्थापना प्रधान कार्यालय, 21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली–110008 में की है, जहां शेयरधारक अपने अंतरण विलेख/अनुरोधों/शिकायतों को समाधान हेतु निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं –

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
प्र.का. लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग
(शेयर कक्ष) 21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली –110008
दूरभाषः (011) 25782926, 25728930, 25812922
फैक्सः (011) 25781639
ई–मेलः comlianceofficer@psb.co.in

(उक्त ई–मेल आई.डी. को निवेशकों की शिकायतों हेतु स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीबद्ध करार के खंड 47(एफ) के अधीन नामित किया गया है)

10. निलंब खाते में आबंटियों के अदावा शेयरों के संबंध में स्थिति की रिपोर्ट(31.03.2015)

क्र.सं.	विवरण	एनएसडीएल इन 301330–21335661	सीडीएसएल 1601010000399414
1.	वर्ष के आरंभ में पीएसबी अदावी उचंत खाते में पड़े हुए शेयरों की संख्या	1272	1230
2.	शेयर अंतरण के लिए आए शेयर धारकों की संख्या और शेयर धारकों की संख्या जिनके शेयरों को उचंत खाते से अंतरित किया गया	––	––
3.	वर्ष के अंत में पीएसबी अदावी उचंत खाते में पड़े हुए शेयरों की संख्या	1272*	1230*

* प्रमाणित किया जाता है कि इन शेयरों के वोटिंग अधिकारों पर तब तक रोक रहेगी जब तक कि इन शेयरों का असली स्वामी दावा नही करता है।

11. कॉर्पोरेट गवर्नेंस

बैंक ने उन पद्धतियों, परंपराओं एवं संहिताओं को अपनाया है और उनका पालन कर रहा है जो बैंक के हितधारकों एवं जमाकर्ताओं को गुणवत्तापूर्ण कार्पोरेट गवर्नेंस का आश्वासन प्रदान करता है। बैंक की पारदर्शी स्वामित्व संरचना, सुव्यवस्थित कार्यपालक प्रबंधन संरचना, संतोषजनक जोखिम प्रबंधन पद्धतियां, बोर्ड एवं वरिष्ठ प्रबंधन की नियुक्तियों में पारदर्शिता, विस्तृत एवं परिष्कृत लेखा कार्यविधि जो कि निरीक्षण प्रभाग तथा स्वतंत्र लेखाकर्मों द्वारा अपनाई जाती है, को परिलक्षित करती है।

12. वित्तीय कैलेंडर

वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल, 2014 से 31 मार्च, 2015	
पाँचवी वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि पाँचवी वार्षिक सामान्य बैठक का समय पांचवी सामान्य बैठक का स्थल	29.06.2015 (सोमवार) 10 बजे प्रातः काल इंडिया इंटरनेशनल केंद्र, 40, मैक्स मुलर मार्ग, लोधी एस्टेट, नई दिल्ली–110003
बहियों को बंद करने की तारीख	23.06.2015 से 29.06.2015
रिकार्ड तिथि (अंतिम लाभांश हेतु पात्रता)	22.06.2015
प्रॉक्सी फार्म प्राप्त करने की अंतिम तारीख	24.06.2015

The Bank has appointed Link Intime India Pvt Ltd as its Share Transfer Agent with a mandate to process transfer of Shares, dividend payments, recording of Shareholders' requests, solution of investors' grievances amongst other activities connected with the issue of Shares.

The Investors may lodge their transfer deeds / requests / complaints with the Share Transfer Agent at following address:

M/s Link Intime India Pvt Ltd
(Unit: Punjab & Sind Bank)
44, Community Centre, IInd floor, Naraina Indl. Area, Phase-I,
Near PVR Naraina, New Delhi-110 028.
Phone : (011) 41410592 to 0594
Fax : (011) 41410591
E Mail : **delhi@linkintime.co.in**

The Bank has established Shares Cell at Head Office, 21,Rajendra Place,New Delhi-110008 wherein the shareholders can mail their requests/complaints for resolution, at the address given below:

Punjab & Sind Bank
Head Office : Shares Cell,
21-Rajendra Place, 1st Floor, New Delhi-110 008.
Telephone : (011) 25782926, 25728930, 25812922
Fax : (011) 25781639
E-mail : **complianceofficer@psb.co.in**

(The aforesaid e-mail ID is exclusively designated for investors' complaints pursuant to Clause 47(F) of the listing agreement with Stock Exchanges)

10. Status report in respect of unclaimed shares of the allottees held in Escrow A/c(31.3.2015):

S. No.	Particulars	NSDL IN301330-21335661	CDSL 1601010000399414
1.	No. of shares lying in PSB Unclaimed Suspense Account in beginning of the year	1272	1230
2.	No. of shareholders who approached for transfer of shares and to whom shares were transferred from Suspense A/c	--	--
3.	No. of shares lying in PSB Unclaimed Suspense Account at the end of the year	1272*	1230*

* Certified that voting rights on these shares shall remain frozen till the rightful owner claims the said shares.

11. Corporate Governance

The Bank has adopted and follows such practices, convention and codes as would provide its financial stakeholders including the depositors, a high level of assurance on the quality of Corporate Governance. The Bank has transparent ownership structure, well-defined executive management structure, satisfactory risk management practices, transparency in appointment and functioning of the Board and Senior Management and an elaborate audit function, carried out both by its Inspection Department and independent audit firms.

12. Financial Calendar

Financial Year 1st April, 2014 to 31st March, 2015	
Date of Fifth Annual General Meeting. Time of Fifth Annual General Meeting Venue of Fifth Annual General Meeting	29.06.2015 (Monday) 10.00 A.M. India International Centre, 40-Max Mueller Marg, Lodhi Estate, New Delhi-110003
Book Closure dates	23.06.2015 to 29.06.2015
Date for entitlement of dividend	22.06.2015
Last Date for receipt of Proxy Forms	24.06.2015

13. 31 मार्च, 2015 को शेयरधारिता स्वरूप

क्र.सं.	विवरण	शेयरधारकों की संख्या	शेयर	इक्विटी का प्रतिशत
1.	भारत सरकार (प्रवर्तक)	1	318822775	79.62
2.	वित्तीय संस्थान/बीमा कंपनियां/बैंक	20	43258965	10.80
3.	विदेशी संस्थागत निवेशक	19	6970363	1.74
4.	कॉरपोरेट निकाय	856	4986536	1.25
5.	व्यैक्तिक निवासी	145717	25034858	6.26
6.	अनिवासी भारतीय	1137	927545	0.23
7.	विदेशी कॉर्पोरेट निकाय	1	530	0.00
8.	न्यास	14	294186	0.07
9.	समाशोधन सदस्य	71	115269	0.03
	कुल योग	**147836**	**400411027**	**100.00**

13.1 भारत के राष्ट्रपति जो भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते है, को तथा भारतीय जीवन बीमा निगम [एल.आई.सी.] को अधिमान आधार पर इक्विटी शेयरों को आबंटित करना।

दिनांक 19.09.2014 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में बैंक के शेयरधारकों द्वारा पारित विशेष संकल्प के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को भारत सरकार के लिए रु.10/– अंकित मूल्य के 9,46,90,563 ईक्वटी शेयर को रु. 59.14 की दर से जिसमें रु. 49.14 प्रति शेयर का प्रीमियम सम्मिलित है, जिसकी कुल राशि रु.560,00,00,000 (भारत सरकार के रु. 200 करोड़ के बेमियादी गैर संचयी अधिमान शेयर (पीएनसीपीएस), रु. 200 करोड़ के बेमियादी संचयी अधिमान शेयर (पीसीपीएस), तथा रु. 160 करोड़ के नवोन्मेषी बेमियादी ऋण लिखित (आईपीडीआई) को विनिमेय करने पर) भारत सरकार को आबंटित किया और भारतीय जीवन बीमा निगम को रु. 10/– अंकित मूल्य के 3,04,36,252 ईक्वटी शेयरों को अधिमान आधार पर रु. 59.14 (रु. 49.14 के प्रीमियम सहित) पर आबंटित किया।

14. 31 मार्च, 2015 को शेयर धारकों का श्रेणी–वार वितरण

संवर्ग	मामलों की संख्या	मामलों का प्रतिशत	कुल शेयर	राशि (अंकित मूल्य)	राशि का प्रतिशत
1 – 2500	132483	89.86	8498619	84986190	2.12
2501 – 5000	7864	5.32	3011525	30115250	0.75
5001 – 10000	3919	2.65	3060511	30605110	0.76
10001 – 20000	1769	1.20	2588153	25881530	0.65
20001 – 30000	476	0.32	1209066	12090660	0.30
30001 – 40000	237	0.16	847363	8473630	0.21
40001 – 50000	178	0.12	843834	8438340	0.21
50001 – 100000	278	0.19	2026673	20266730	0.51
100001 और अधिक	272	0.18	378325283	378325830	94.49
कुल योग	**147836**	**100.00**	**400411027**	**4004110270**	**100.00**

13. Shareholding Pattern as on 31st March 2015 :

Sr. No.	Description	No. of Share Holders	Shares	% To Equity
1.	Govt. of India (Promoters)	1	318822775	79.62
2.	Financial Institutions/Ins Cos/ Banks	20	43258965	10.80
3.	Foreign Institutional Investors	19	6970363	1.74
4.	Bodies Corporate	856	4986536	1.25
5.	Resident Individuals	145717	25034858	6.26
6.	Non Resident Indians	1137	927545	0.23
7.	Overseas Corporate Bodies	1	530	0.00
8.	Trusts	14	294186	0.07
9.	Clearing Members	71	115269	0.03
	Total	**147836**	**400411027**	**100.00**

13.1. Allotment of Equity Shares to The President of India acting through the Government of India [GOI] and Life Insurance Corporation of India [LIC] on Preferential basis.

In terms of Special Resolution passed by the Shareholders of the Bank in the EGM held on 19.09.2014, 9,46,90,563 equity shares of Rs. 10/- each @ Rs.59.14 including a premium of Rs.49.14 per share aggregating to Rs.560,00,00,000 (by way of conversion of Innovation Perpetual Debt Instruments for Rs.160 crore, Perpetual Cumulative Preference Shares for Rs.200 crores and Perpetual Non-Cumulative Preference Shares for Rs. 200 crores held by the Govt. of India) were allotted to the Govt. of India and 3,04,36,252 equity shares of Rs. 10/- each @ Rs.59.14 including a premium of Rs.49.14 per share for cash were allotted to Life Insurance Corporation of India on 30.09.2014 on preferential basis.

14. Distribution of Shareholders – Category-wise as on 31st March 2015

Category	No. of Cases	% of Cases	Total Shares	Amount(Face Value)	% of Amount
1 – 2500	132483	89.86	8498619	84986190	2.12
2501 – 5000	7864	5.32	3011525	30115250	0.75
5001 – 10000	3919	2.65	3060511	30605110	0.76
10001 – 20000	1769	1.20	2588153	25881530	0.65
20001 – 30000	476	0.32	1209066	12090660	0.30
30001 – 40000	237	0.16	847363	8473630	0.21
40001 – 50000	178	0.12	843834	8438340	0.21
50001 – 100000	278	0.19	2026673	20266730	0.51
100001 & Above	272	0.18	378325283	3783252830	94.49
TOTAL	**147836**	**100.00**	**400411027**	**4004110270**	**100.00**

15. स्टॉक एक्सचेंज में शेयर मूल्य, शेयरों में खरीद-फरोख्त की मात्रा (दिनांक 01.04.2014 से 31.03.2015 तक)

माह	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एन.एस.ई)			बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लि. (बी.एस.ई.)		
	उच्चतम (रू.)	न्यूनतम(रू.)	खरीद-फरोख्त की मात्रा (संख्या)	उच्चतम (रू.)	न्यूनतम (रू.)	खरीद-फरोख्त की मात्रा (संख्या)
अप्रैल, 2014	51.00	43.90	6725557	51.10	43.75	1590286
मई, 2014	73.20	46.15	11187687	73.30	46.20	2656531
जून, 2014	83.80	63.25	12778932	83.90	63.55	3138275
जुलाई, 2014	78.10	63.70	8074208	78.00	64.35	1814094
अगस्त, 2014	65.85	53.40	2911985	65.80	53.50	771658
सितम्बर, 2014	66.00	46.15	7197905	66.00	53.10	1863894
अक्टूबर, 2014	59.80	53.15	4266982	59.60	53.20	1111380
नवम्बर, 2014	67.35	57.55	11911585	67.40	57.80	3364165
दिसम्बर, 2014	64.35	55.00	4506745	64.20	55.15	1073132
जनवरी, 2014	66.20	59.75	4550189	66.20	59.70	1201960
फरवरी, 2014	61.90	53.10	3322628	62.00	53.20	816506
मार्च, 2014	58.20	44.05	2721270	57.90	44.00	949181

16. 31 मार्च, 2015 को शेयरधारकों का भौगोलिक दृष्टि से (राज्यवार) वितरण

क्र.सं.	राज्य	मामले	शेयर	शेयरों की संख्या
1.	अंडमान एवं निकोबार	2	83	0.000
2.	आंध्र प्रदेश	5825	1671269	0.417
3.	अरूणाचल प्रदेश	5	1271	0.000
4.	असम	671	124554	0.031
5.	बिहार	1460	293043	0.073
6.	चंडीगढ़	1052	287481	0.072
7.	छत्तीसगढ़	697	121854	0.030
8.	दादरा एवं नागर हवेली	20	3597	0.001
9.	दमन एवं द्वीप	10	1358	0.000
10.	दिल्ली	13922	323289298	80.739
11.	गोवा	186	26866	0.007
12.	गुजरात	28846	3616242	0.903
13.	हरियाणा	4866	1280255	0.320
14.	हिमाचल प्रदेश	279	46114	0.012
15.	जम्मू एण्ड कश्मीर	235	65095	0.016
16.	झारखंड	1347	206575	0.052
17.	कर्नाटक	6519	1402384	0.350
18.	केरल	1496	483179	0.121
19.	मध्यप्रदेश	4017	837126	0.209
20.	महाराष्ट्र	29922	50305224	12.563
21.	मणिपुर	9	1199	0.000
22.	मेघालय	23	3158	0.001
23.	नागालैंड	24	9364	0.002
24.	उड़ीसा	935	181616	0.045
25.	पांडीचरी	93	22043	0.006

15. Share Price, Volume of Shares Traded in Stock Exchanges (From 01.04.2014 to 31.03.2015)

Month	National Stock Exchange of India Limited (NSE)			Bombay Stock Exchange Ltd. (BSE)		
	Highest (Rs.)	Low	Volume Traded (Nos.)	Highest (Rs.)	Lowest (Rs.)	Volume Traded (Nos.)
APR 2014	51.00	43.90	6725557	51.10	43.75	1590286
MAY 2014	73.20	46.15	11187687	73.30	46.20	2656531
JUN 2014	83.80	63.25	12778932	83.90	63.55	3138275
JUL 2014	78.10	63.70	8074208	78.00	64.35	1814094
AUG 2014	65.85	53.40	2911985	65.80	53.50	771658
SEP 2014	66.00	46.15	7197905	66.00	53.10	1863894
OCT 2014	59.80	53.15	4266982	59.60	53.20	1111380
NOV 2014	67.35	57.55	11911585	67.40	57.80	3364165
DEC 2014	64.35	55.00	4506745	64.20	55.15	1073132
JAN 2015	66.20	59.75	4550189	66.20	59.70	1201960
FEB 2015	61.90	53.10	3322628	62.00	53.20	816506
MAR 2015	58.20	44.05	2721270	57.90	44.00	949181

16. Geographical (State Wise) Distribution of Shareholders as at 31st March, 2015

Sr. No.	State	Cases	Shares	% (No. of Shares)
1.	ANDAMAN & NICOBAR	2	83	0.000
2.	ANDHRA PRADESH	5825	1671269	0.417
3.	ARUNACHAL PRADESH	5	1271	0.000
4.	ASSAM	671	124554	0.031
5.	BIHAR	1460	293043	0.073
6.	CHANDIGARH	1052	287481	0.072
7.	CHATTISGARH	697	121854	0.030
8.	DADRA & NAGAR HAVELI	20	3597	0.001
9.	DAMAN & DIU	10	1358	0.000
10.	DELHI	13922	323289298	80.739
11.	GOA	186	26866	0.007
12.	GUJARAT	28846	3616242	0.903
13.	HARAYANA	4866	1280255	0.320
14.	HIMACHAL PRADESH	279	46114	0.012
15.	JUMMU & KASHMIR	235	65095	0.016
16.	JHARKHAND	1347	206575	0.052
17.	KARNATAKA	6519	1402384	0350
18.	KERALA	1496	483179	0.121
19.	MADHYA PRADESH	4017	837126	0.209
20.	MAHARASHTRA	29922	50305224	12.563
21.	MANIPUR	9	1199	0.000
22.	MEGHALAYA	23	3158	0.001
23.	NAGALAND	24	9364	0.002
24.	ORISSA	935	181616	0.045
25.	PONDICHERRY	93	22043	0.006

26.	पंजाब	4686	1216152	0.304
27.	राजस्थान	13261	1492555	0.373
28.	सिक्किम	4	400	0.000
29.	तामिलनाडू	7212	1534103	0.383
30.	त्रिपुरा	25	5314	0.001
31.	उत्तर प्रदेश	7679	1578575	0.394
32.	उत्तराखण्ड	866	152128	0.038
33.	पश्चिम बंगाल	10470	2251900	0.562
34.	ए.पी.ओ./अन्य	15	1294	0.000
	योग	**146679**	**392512589**	**98.027**
35.	एन.आर.आई.	1157	7898438	1.973
	कुल योग	**147836**	**400411027**	**100.00**

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन से संबंधित लेखा परीक्षकों का प्रमाण-पत्र पंजाब एण्ड सिंध बैंक के सदस्यों हेतु

हमने पंजाब एण्ड सिंध बैंक के स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के साथ सूचीबद्ध करने संबंधी करार के खंड 49 में विनिर्दिष्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के प्रसंग में बैंक द्वारा 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष हेतु कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी अनुपालन स्थिति की जांच की है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन का दायित्व है। हमारी जांच, कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी बाध्यताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही बैंक की वित्तीय विवरणियों के विषय में हमारा अभिमत है।

हम अपनी राय तथा सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने उपरोक्त सूचीबद्ध करार में विनिर्दिष्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी बाध्यताओं का अनुपालन किया है।

हमारा यह भी अभिकथन है कि उक्त अनुपालन का अभिप्राय बैंक की भविष्य की सक्षमता के प्रति यह कोई आश्वासन नही है और न ही यह बैंक के कार्यपालकों के संचालन में प्रबंधन की कुशलता एवं प्रभावपूर्णता के विषय में आश्वासन है।

कृते बी.के. श्राफ एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार

(एल.के. श्राफ)
पार्टनर
एम.नं. 060742
एफआरएन रु 302166ई

कृते आर. कोठारी एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार

(राजेश कुमार)
पार्टनर
एम.नं. 090865
एफआरएन रु 307069ई

कृते तिवारी एण्ड एसोशिएटस
सनदी लेखाकार

(कृष्ण कुमार)
पार्टनर
एम.नं.085415
एफआरएन 002870एन

कृते ढ़िल्लों एण्ड एसोशिएटस
सनदी लेखाकार

(राजेश मल्हौत्रा)
पार्टनर
एम.नं. 090661
एफआरएनः002783एन

दिनांक : 12 मई, 2015
स्थान : नई दिल्ली

26.	PUNJAB	4686	1216152	0.304
27.	RAJASTHAN	13261	1492555	0.373
28.	SIKKIM	4	400	0.000
29.	TAMIL NADU	7212	1534103	0.383
30.	TRIPURA	25	5314	0.001
31.	UTTAR PRADESH	7679	1578575	0.394
32.	UTTARAKHAND	866	152128	0.038
33.	WEST BENGAL	10470	2251900	0.562
34.	APO/ OTHERS	15	1294	0.000
	Total	**146679**	**392512589**	**98.027**
35.	NRI	1157	7898438	1.973
	GRAND TOTAL	**147836**	**400411027**	**100.000**

Auditors' Certificate on Compliance of Conditions of Corporate Governance
To: The Members of Punjab & Sind Bank

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Punjab & Sind Bank, for the year ended on 31st March 2015, as stipulated in Clause-49 of the Listing Agreement of the Bank with Stock Exchanges. i.e. National Stock Exchange of India Limited and Bombay Stock Exchange Limited.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Listing Agreement.

We state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For B. K. Shroff & Co.
Chartered Accountants

(L. K. Shroff)
Partner
M. No. 060742
FRN : 302166E

For R. Kothari & Co.
Chartered Accountants

(Rajesh Kumar)
Partner
M. No. 090865
FRN : 307069E

For Tiwari & Associates
Chartered Accountants

(Krishan Kumar)
Partner
M. No. 085415
FRN : 002870N

For Dhillon & Associates
Chartered Accountants

(Rajesh Malhotra)
Partner
M. No. 090661
FRN : 002783N

Date : May 12, 2015
Place : New Delhi

निदेशक मंडल,
पंजाब एण्ड सिंध बैंक,
नई दिल्ली

महोदय,

विषयः वर्ष 2014–15 हेतु खण्ड 49(II)(ई)(2) के अंतर्गत घोषणा

घोषित किया जाता है कि बैंक के निदेशक मंडल के सदस्य तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध करने संबंधी करार के खण्ड 49(II)(ई)(2) में विनिर्दिष्ट आचार संहिता के प्रसंग में बैंक द्वारा 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तदानुसार अनुपालना की पुष्टि कर दी है। उक्त आचार संहिता को बैंक की वेबसाइट पर भी दर्शाया गया है।

कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 12 मई, 2015

जतिन्दरबीर सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

सी.ई.ओ./सी.एफ.ओ. प्रमाणीकरण

निदेशक मंडल,
पंजाब एण्ड सिंध बैंक,
नई दिल्ली

महोदय,

विषयः वर्ष 2014–15 के लिए सी.ई.ओ./सी.एफ.ओ. प्रमाणीकरण

सूचीबद्धता करार की धारा 49 की अनुपालना में, हम एतद् द्वारा प्रमाणित करते हैं किः

क. हमने वर्ष 2014–15 की वित्तीय विवरणी तथा नकदी प्रवाह विवरणी (समेकित) की संवीक्षा की है तथा हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसारः
   (i) इन विवरणियों में कोई विषयगत अयथार्थ अभिकथन नही है अथवा कोई विषयगत तथ्य छिपाया नही गया है अथवा इनमें कोई भ्रामक अभिकथन शामिल नही किया गया है।
   (ii) ये अभिकथन/विवरण बैंक के कार्यकलापों का सही एवं स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं तथा ये विद्यमान लेखा मानकों, लागू नियमों एवं विनियमों के अनुरूप हैं।

ख. हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार, वर्ष के दौरान बैंक द्वारा ऐसे कोई संव्यवहार नही किए गए जो धोखाधड़ी में लिप्त हो, गैर कानूनी हो अथवा बैंक की आचार संहिता के विरूद्ध हो।

ग. हम वित्तीय रिपोर्टिंग से संबद्ध आंतरिक नियंत्रणों का पूर्ण दायित्व स्वीकार करते हैं। हम यह भी स्वीकार करते हैं कि हमने वित्तीय रिपोर्टिंग की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन/आंकलन किया है तथा हमने लेखा परीक्षकों और लेखा समिति को आंतरिक नियंत्रणों के परिचालन एवं स्वरूप से संबद्ध कमियों यदि कोई है अथवा जो हमारे अभिज्ञान में है एवं हमने इन्हें दूर करने के जो उपाय किए है या प्रस्तावित है, की जानकारी दे दी है।

घ. हमने लेखा परीक्षकों तथा लेखा परीक्षा समिति को निम्नलिखित से अवगत कराया है :
   (i) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन
   (ii) वर्ष के दौरान लेखा नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा इनका उल्लेखवित्तीय विशिष्टियों के नोट्स/टिप्पणियों में कर दिया गया है।
   (iii) हमारी जानकारी में आए धोखाधड़ी संबंधी विशिष्ट मामले तथा उनमें प्रबंधन अथवा किसी कर्मचारी की संलिप्तता जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग भी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में अहम भूमिका हो।

कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक

आई.एस. भाटिया
मुख्य वित्त अधिकारी

कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक

जतिन्दरबीर सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 12 मई, 2015

The Board of Directors
Punjab & Sind Bank
New Delhi

Dear Sirs,

Re: Declaration under Clause 49(II)(E)(2) for 2014-15

It is to declare that all the Board Members and Senior Management Personnel of the Bank have affirmed their compliance of the Code of Conduct for the Financial Year ended on 31st March, 2015 in accordance with clause 49 (II) (E)(2) of the Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges. The said Code of Conduct has been hosted on the Bank's website.

For **Punjab & Sind Bank**

Place : New Delhi
Dated : May 12, 2015

Jatinderbir Singh
Chairman & Managing Director

CEO/CFO Certification

The Board of Directors
Punjab & Sind Bank
New Delhi

Dear Sirs,

Re: CEO/CFO Certification for the year 2014-15

Pursuant to clause 49 of the Listing Agreements, we hereby certify that:

(a) (A) We have reviewed financial statements and the cash flow statement for the year and that to the best of our knowledge and belief :
- (i) these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;
- (ii) these statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

(b) There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.

(c) (C) We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

(d) We have indicated to the auditors and the Audit committee:
- (i) significant changes in internal control over financial reporting during the year;
- (ii) significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and
- (iii) instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the company's internal control system over financial reporting.

For **Punjab & Sind Bank**

I.S. Bhatia
Chief Financial Officer

For **Punjab & Sind Bank**

Jatinderbir Singh
Chairman & Managing Director

Place : New Delhi
Dated : May 12, 2015

बासल II के लिए प्रकटीकरण 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष

तलिका डी एफ–1 अनुप्रयोग का विषय क्षेत्र

गुणात्मक प्रकटीकरण क) इस वर्ग के सर्वोत्तम बैंक का नाम जिस पर रूपरेखा लागू होती है।	बैंक ऐसे किसी वर्ग में नहीं आता है।
ख) नियामक उद्देश्यों के आधार पर तथा लेखों के समेकन में भिन्नताओं का सारांश वर्ग के अंतर्गत आने वाली प्रविष्टियों का संक्षिप्त ब्यौरा (i) जिनका पूर्ण रुप से समेकन किया गया है, (ii) जिनका समानुपातिक आधार पर समेकन किया गया है, (iii) जिन्हें छूट दी गई है, तथा (iv) जिन्हें न तो समेकित किया गया है और न ही छूट दी गई है। (जैसे कोई जोख़िम भारित निवेश)	लागू नहीं
मात्रात्मक प्रकटीकरण क) सभी सहायक कंपनियों की पूंजी में कमियों की कुल राशि जिसे समेकन में सम्मिलित नहीं किया गया अर्थात् जिन्हें घटाया गया है तथा जिनके नाम ऐसी सहायक कंपनियों से हटाए गए हैं।	लागू नहीं
ख) बैंक की कुल राशि (अर्थात् चालू बही मूल्य) जो बीमा कंपनियों में लगी है, उनमें से जो जोख़िम भारित है, उनके नाम, उनके निगमन का संस्थान या आवास, स्वामित्व का अंश तथा यदि भिन्न है तो इन संस्थानों में उनके मताधिकार शक्ति का अंश। इसके अतिरिक्त नियामक पूंजी बनाम छूट के तरीके के प्रयोग से होने वाले मात्रात्मक प्रभाव भी सूचित करें।	लागू नहीं

तालिका डी एफ 2 – पूंजी संरचना

गुणात्मक प्रकटीकरण

लोअर टियर II पूंजी हेतु नियम एवं शर्तें:

बैंक ने लोअर टियर II के माध्यम से गौण ऋणों के रुप में वचन–पत्र के कूपन जारी किए हैं, जिनका भुगतान वार्षिक/अर्धवार्षिक आधार पर किया जाना है। इन बॉण्डस को देशी दर–निर्धारण एजेंसियों से विधिवत् श्रेणी निर्धारित करवाने के बाद जारी किया गया है। सभी बकाया बॉण्डस राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, मुम्बई में सूचीबद्ध हैं। इन बॉण्डस की अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं :

» बॉण्डस की अवधि इनके जारी करने की तिथि से 117 माह से 127 माह के बीच होती है।

» ये प्रपत्र पूर्णतः चुकता, प्रतिभूति रहित तथा अन्य लेनदारों के दावों से गौण हैं, प्रतिबंधी खण्ड से मुक्त हैं और धारक के कहने पर या भारतीय रिज़र्व बैंक की सहमति के बिना भुनाए नहीं जा सकते हैं।

» ये प्रपत्र अपनी अवधि के अंतिम पॉच वर्षों के दौरान 20% प्रतिवर्ष की दर से क्रमिक भुगतान के अधीन हैं। इस प्रकार किए गए भुगतान की राशि को पूॅजी पर्याप्तता उद्देश्यों हेतु टियर II पूंजी में शामिल नहीं किया गया है।

इन प्रपत्रों के निवेशकों के दावों को टियर I पूंजी में शामिल करने के लिए पात्र प्रपत्रों के निवेशकों के दावों से वरीयता प्रदान की गई है तथा अन्य लेनदारों के दावों से गौण माना गया है।

गौण ऋण प्रपत्र, बैंक की टियर I पूंजी के 50% तक सीमित होंगे तथा इन प्रपत्रों के साथ टियर II पूंजी के अन्य संगठक टियर I पूंजी के 100% से अधिक नहीं होंगे।

बैंक ने ऐसी कोई भी अपर टियर II पूंजी तथा नवोन्मेष प्रपत्र जारी नहीं किए हैं, जोकि टियर I पूंजी में समावेश के योग्य हैं।

रू. करोड़

क) टियर 1 पूंजी की राशि, निम्न का अलग से प्रकटीकरण	**राशि**
» प्रदत अंश पूंजी;	400.41
» आरक्षितियाँ;	4407.53
» नवोन्मेषी प्रपत्र;	0.00
» अन्य पूंजी प्रपत्र;	0.00
» **उप योग**	**4807.94**
» घटाएंः टियर I पूंजी से कम की गई राशियाँ जिसमें साख और ख्याति शामिल हैं	0.39
कुल टियर I पूंजी	**4807.55**

BASEL II DISCLOSURES – YEAR ENDED 31ST MARCH 2015

Table DF 1 – SCOPE OF APPLICATION

Qualitative Disclosures (a) The name of the top bank in the group to which the Framework applies.	The Bank does not belong to any group
(b) An outline of differences in the basis of consolidation for accounting and regulatory purposes, with a brief description of the entities within the group (i) that are fully consolidated; (ii) that are pro-rata consolidated; (iii) that are given a deduction treatment; and (iv) that are neither consolidated nor deducted (e.g. where the investment is risk-weighted).	Not Applicable
Quantitative Disclosures (c) The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries not included in the consolidation i.e. that are deducted and the name(s) of such subsidiaries.	Not Applicable
(d) The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted as well as their name, their country of incorporation or residence, the proportion of ownership interest and, if different, the proportion of voting power in these entities. In addition, indicate the quantitative impact on regulatory capital of using this method versus using the deduction.	Not Applicable

Table DF 2 – CAPITAL STRUCTURE

Qualitative disclosures

TERMS & CONDITIONS OF LOWER TIER II CAPITAL:

The Bank has issued Lower Tier II Bonds by way of Subordinated Debts in the form of Promissory Notes at Coupon payable annually / semi-annually. These bonds have been issued after getting them duly rated by the Domestic Rating Agencies. All the outstanding Bonds except issued under series VI & VII are listed at the National Stock Exchange Ltd. Mumbai. The other important features of these bonds are :

- The bonds have a tenor ranging from 117 months to 127 months from date of the issue.
- The instruments are fully paid up, unsecured and subordinated to the claims of other creditors, free of restrictive clauses and not redeemable at the initiative of the holder or without the consent of the RBI.
- The instruments are subjected to progressive discounting @ 20% per year over the last five years of their tenor. Such discounted amounts are not included in Tier – II Capital for Capital Adequacy purposes.

  The claims of the investors in these instruments shall rank superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier I Capital and subordinate to the claims of all other creditors.

  Subordinated debt instruments shall be limited to 50% of Tier I capital of the Bank and these instruments, together with other components of Tier II Capital shall not exceed 100% of Tier I Capital.

  The Bank has not issued any upper Tier II capital and innovative instruments that qualify for inclusion in Tier I capital.

Amt. - Rs/ Crores

(a) The amount of Tier 1 capital, with separate disclosure of	Amount
- Paid-up share capital;	400.41
- Reserves;	4407.53
- Innovative instruments;	0.00
- Other capital instruments;	0.00
- SUB-TOTAL	**4807.94**
- LESS: amounts deducted from Tier 1 capital, including goodwill & investments.	0.39
TOTAL TIER I CAPITAL	**4807.55**

ख) टियर II पूंजी की कुल राशि (टियर II पूंजी से घटाने के बाद बची कुल राशियॉ)	1902.43
ग) उच्च टियर II पूंजी में सम्मिलित होने योग्य ऋण पूंजी प्रपत्र	शून्य
» कुल बकाया राशि	लागू नहीं
» इसमें से चालू वर्ष में उगाही गई राशि	लागू नहीं
» पूंजीगत निधियों के रूप में माने जाने हेतु पात्र राशि	लागू नहीं
घ) न्यून टियर II पूंजी में सम्मिलित होने योग्य गौण ऋण	
» कुल बकाया राशि	1325.00
» इसमें से चालू वर्ष में उगाही गई राशि	शून्य
» पूंजीगत निधियों के रूप में माने जाने हेतु पात्र राशि	1050.00
ड) पूंजी से अन्य कटौतियाँ, यदि कोई हैं तो	शून्य
च) कुल पात्र पूंजी	**6709.98**

तालिका डी एफ 3 – पूंजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने जोखि़म प्रबंधन अनुबंध का कार्यान्वयन करते समय उच्च–कोटि की वैश्विक कार्य–प्रणाली को अपनाने की प्रक्रिया पहले से ही आरम्भ कर दी है जोकि बासल II की रूपरेखा के अनुरूप है।

बासल II से संबंधित विभिन्न मामलों पर ध्यान देने के लिए व्यापक जोखि़म प्रबंधन का गठन किया गया है। जोखि़म भारित आस्तियों, बाजार जोखि़म तथा परिचालन जोखि़म में प्रत्याशित वृद्धि के मद्देनजर बैंक की पूंजीगत आवश्यकताओं को आँकने के लिए तिमाही आधार पर समीक्षा की जाती है।

बैंक हितधारकों, खासकर जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा हेतु एक्सपोज़र, कारोबार आदि के मूल्य में हानि के जोखि़म के लिए पूंजी को गुंजाइश के रूप में रखता है।

वर्तमान एवं भावी कारोबार कार्यकलापों के आधार पर पूंजी आवश्यकताओं को निर्धारित करने के लिए बैंक में उचित प्रणाली कार्यरत है तथा निरंतर उसकी निगरानी की जाती है। बैंक का मानना है कि पूँजी उपलब्धता संपूर्ण प्रक्रिया का केंद्रीय विषय है और इसकी गणना को नीति, रणनीति, कारोबार स्तर/संघटन, पर्यवेक्षी सरोकार एवं प्रकटन मुद्दों से जोड़ा जा सकता है। इस दिशा में बैंक ने आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आई.सी.ए.ए.पी.) का एक अच्छा ढांचा तैयार किया है तथा स्तम्भ 1 पूंजी गणना के अलावा बासल II के स्तम्भ 2 के अंतर्गत भी आवधिक अंतराल पर पूंजी की गणना की जाती है। बैंक ने पूंजी पर्याप्तता पर प्रतिकूल दबाव परिदृश्यों के प्रभाव को आवधिक आधार पर मापने के लिए दबाव जांच नीति बनायी है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुरूप, बैंक ने नए पूंजी पर्याप्तता ढांचा–बासल II को लागू करने के लिए निम्नलिखित अवधारणाओं को अपनाया है :–

- » ऋण जोखि़म के लिए मानकीकृत अवधारणा
- » परिचालनात्मक जोखि़म के लिए मूल सूचक अवधारणा
- » बाजार जोखि़म के लिए मानक अवधि अवधारणा

यद्यपि बैंक ने वर्तमान में उपरोक्त अवधारणाओं को अपनाया है पर इनके आगे की अवधारणाओं की तरफ अग्रसर होने की तैयारी भी शुरू कर दी है।

ऋण जोखि़म हेतु पूंजीगत आवश्यकताएं

	राशि–रूपए/करोड़
» 9% की दर से मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो	4519.69
» प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र	शून्य

बाज़ार जोखि़म हेतु पूंजीगत आवश्यकताएं : मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण

सामान्य बाज़ार जोखि़म पर पूंजी प्रभार	**राशि–रूपए/करोड़**
» ब्याज–दर जोखि़म	159.62
» विदेशी विनिमय जोखि़म (स्वर्ण सहित)	1.35
» इक्विटी जोखि़म	14.34

(b) The total amount of Tier 2 capital (net of deductions from Tier 2 capital)	1902.43
(c) Debt capital instruments eligible for inclusion in Upper Tier 2 capital.	NIL
- Total amount outstanding.	NA
- Of which amount raised during the current year	NA
- Amount eligible to be reckoned as capital funds	NA
(d) Subordinated debt eligible for inclusion in Lower Tier 2 capital	
- Total amount outstanding	1325.00
- Of which amount raised during the current year.	NIL
- Amount eligible to be reckoned as capital funds	1050.00
(e) Other deductions from capital, if any.	NIL
(g) Total eligible capital.	**6709.98**

Table DF 3 - CAPITAL ADEQUACY

Qualitative disclosures

Bank is already geared up to adopt global best practices while implementing risk management stipulations that are in conformity with the Basel II framework.

Comprehensive risk management architecture is in place to address various issues concerning Basel II. A quarterly review is carried out to assess the capital need of the Bank, keeping in view the anticipated growth in Risk Weighted Assets, Market Risk and Operational Risk.

Bank maintains capital as a cushion towards the risk of loss in value of exposure, businesses, etc., to protect the interest of stake holders, more particularly, depositors.

Bank has system in place for assessing the capital requirements based on current and future business activities and monitoring the same on an ongoing basis. The bank considers that capital availability is the central theme in the whole process and its computation is relatable to policy, strategy, business level/composition, and Supervisory concern and Disclosure issues. Towards this, bank has evolved a well laid down Internal Capital Adequacy Assessment Process (I-CAAP) framework and carries out capital calculation under Pillar-2 also of Basel-II at periodical intervals besides Pillar 1 Capital calculation. The bank has formulated Stress Testing policy to measure impact of adverse stress scenarios on the adequacy of capital at periodical intervals.

In line with RBI guidelines, the bank has adopted following approaches for implementation of New Capital Adequacy Framework – Basel II.

- Standardised Approach for credit risk
- Basic Indicator Approach for operational risk
- Standardised Duration Approach for market risk

Though the bank is presently implementing the above Approach, it has started its preparation for moving towards advance approaches.

Capital requirements for credit risk:

	Amt. - Rs/ Crores
- Portfolios subject to standardised approach @ 9%	4519.69
- Securitisation exposures	Nil

Capital requirements for market risk: Standardised duration approach

Capital Charge on account of General Market Risk	**Amt. - Rs/ Crores**
- Interest rate risk	159.62
- Foreign exchange risk (including gold)	1.35
- Equity risk	14.34

परिचालन जोखिम हेतु पूंजीगत आवश्यकताएं :

	राशि–रूपए/करोड़
मूल सूचक दृष्टिकोण	289.93

बैंक हेतु कुल तथा टियर I पूंजी अनुपातः

बासल II के अनुसार कुल पूंजी और जोखिम भारित आस्ति अनुपात	11.88%
बासल II के अनुसार टियर I पूंजी और जोखिम भारित आस्ति अनुपात	8.51%

तालिका डी एफ 4 ऋण जोखिम : सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

क. पिछला बकाया एवं अनर्जक खातों की परिभाषा

बैंक ने गैर–निष्पादित आस्तियों (एन.पी.ए) के वर्गीकरण पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मूल विवेकपूर्ण दिशा–निर्देशों का निम्नानुसार अनुपालन किया हैः

(क) जहाँ मीयादी ऋण के मामले में ब्याज तथा/अथवा मूलधन की किश्त 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय हो।

(ख) स्वीकृत सीमा में आहरण अधिकार के संबंध में यदि खाता लगातार 90 दिनों से अधिक समय के लिए अनियमित बना रहता है, तथा/अथवा अधिविकर्ष /नकद ऋण ओ.डी. सी.सी. के संबंध में तुलन–पत्र की तिथि तक लगातार कोई राशि जमा नहीं होती है अथवा जमा की गई राशि उतनी पर्याप्त नहीं है कि इस अवधि के दौरान नामे किए गए ब्याज को वसूल किया जा सके तो खाता ''अनियमित'' हो जाता है।

(ग) बैंक द्वारा खरीदे गए और भुनाए गए बिलों के मामले में जहाँ बिल 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहे हों।

(घ) अल्प अवधि की फसलों के लिए मूलधन की किश्त अथवा उस पर ब्याज के लिए दो फसली मौसमों तक अतिदेय रहा हो।

(ङ) दीर्घ अवधि की फसलों के लिए मूलधन की किश्त अथवा उस पर ब्याज के लिए एक फसली मौसम तक अतिदेय रहा हो।

(च) प्रतिभूतिकरण के दिनांक 7 मई 2012 के दिशा–निर्देशों की शर्तों के अनुसार प्रतिभूतिकरण लेन–देन के संबंध में यदि नकदी सुविधा की राशि 90 दिनों से अधिक बकाया रहती है।

(छ) व्युत्पन्न सौदों के मामले में, अतिदेय प्राप्तियां जोकि व्युत्पन्न संविदा के सकारात्मक बाजार अंकित मूल्य को प्रदर्शित करती हैं, यदि चुकौती की विनिर्दिष्ट देय तिथि से 90 दिनों तक बकाया रहते हैं।

यहां 'अतिदेय राशि' से अभिप्राय किसी भी ऋण सुविधा के अधीन कोई भी देय राशि से है, यदि बैंक को निर्धारित देय तिथि पर इसका भुगतान नहीं होता है।

जहाँ कहीं किसी तिमाही के दौरान लगाया गया ब्याज उस तिमाही समाप्ति के 90 दिनों के भीतर पूर्ण रुप से अदा नहीं हो जाता और बैंक के लिए अर्जित होने वाली आय रुक जाए तो ऐसे खाते को गैर–निष्पादित आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त बैंक आस्तियों के वर्गीकरण के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निम्नलिखित दिशा–निर्देशों का भी पालन कर रहा है। (क) पुनः संरचित खाते (ख) कार्यान्वयन के अंतर्गत परियोजना जो अधिक समय ले रही है (ग) पोतलदानोत्तर आपूर्ति कर्ता ऋण (घ) निर्यात परियोजना वित्त (ङ) अधिग्रहण वित्त (च) सरकारी गारंटीकृत अग्रिम (छ) बी.आई.एफ.आर./टी.एल.आई. द्वारा अनुमोदित पुनर्वास के अंतर्गत अग्रिम (झ) ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना 2009 के अधीन लिया गया ऋण (ट) वित्तीय आस्तियों को प्रतिभूतिकरण कंपनी/ पुनर्निमाण कंपनी को बेचना (ठ) गैर–निष्पादित वित्तीय आस्तियों का क्रय–विक्रय (ढ) खातों का उन्नयन (ण) तुलन–पत्र की तिथि के समीप नियमित किए गए खाते, आदि।

ख. ऋण जोखिम प्रबंधन तथा उद्देश्य :

बैंक के ऋण जोखिम कारोबार की प्रभावी पहचान, मूल्यांकन, परिमापन तथा प्रबंधन के लिए, बैंक की जोखिम क्षमता के संबंध में अपेक्षित सीमा तक इसे नियंत्रित करना तथा उपलब्ध पूंजी के अनुरूप लाना है। इस प्रक्रिया को करते हुए बैंक के ऋण जोखिम दर्शन का लक्ष्य जोखिम में कमी लाना तथा उसे उस स्तर के भीतर बनाए रखना है जोकि स्टेक होल्डर्स को इक्विटी सहित बैंक के वित्तीय संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ–साथ बैंक का सतत् एवं सुदृढ़ विकास भी सुनिश्चित करता है।

बैंक की योजनागत नीति – ऋण जोखिम :

बैंक की विस्तृत एवं सुपरिभाषित ऋण नीति बनी हुई है, जिसमें नीतिगत आयोजना के विभिन्न आयाम शामिल हैं। ऋण कारोबार तथा सामान्य आर्थिक एवं बाजार परिदृष्य के अनुरूप अग्रिम निवेश सूची में परिवर्तनों की अपेक्षाओं पर निर्भर करते हुए बैंक समय–समय पर ऋण–नीति की समीक्षा करता है। बैंक की ऋण–नीति वर्ष में कम से कम एक बार निदेशक मंडल द्वारा व्यापक समीक्षा के भी अध्याधीन है। बैंक की ऋण नीति में अन्य बातों के साथ निम्नलिखित घटकों का भी ध्यान रखा जाता हैः–

Capital requirements for operational risk:

	Amt. - Rs/ Crores
Basic indicator approach	289.93

Total and Tier 1 capital ratio for the Bank:

Total Capital to Risk Weighted Assets Ratio as per Basel II	11.88%
Tier I Capital to Risk Weighted Assets Ratio as per Basel II	8.51%

Table DF 4 - CREDIT RISK : GENERAL DISCLOSURES

Qualitative Disclosures

A. DEFINITIONS OF PAST DUE AND IMPAIRED:

The Bank follows the basic prudential guidelines issued by the RBI on classification of Non-Performing Asset (NPA) as under :

a) Interest and / or instalment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan.

b) The account remains 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of sanctioned limit / DP for more than 90 days and / or there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, in respect of Overdraft/Cash Credit (OD/CC).

c) The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted.

d) The installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops.

e) The installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops.

f) The amount of liquidity facility remains outstanding for more than 90 days, in respect of a securitization transaction undertaken in terms of guidelines on securitization dated May 7, 2012.

g) In respect of derivative transactions, the overdue receivables representing positive mark-to-market value of a derivative contract, if these remains unpaid for a period of 90 days from the specified due date for repayment.

Here, `Overdue' mean any amount due to the Bank under any credit facility, if it is not paid on the due date fixed by the Bank.

Where the interest charged during any quarter is not serviced fully within 90 days from the end of the quarter, the account is classified as Non-performing asset and ceases to generate income for the bank.

Besides above, Bank also follows the guidelines issued by RBI in respect of classification of assets under a) Restructured accounts, b) Project under implementation involving time overrun, c) Post shipment Suppliers' Credit. d) Export Project Finance, e) Take over Finance, f) Govt. guaranteed Advance, g) Advance under Rehabilitation approved by BFIR / TLI, h) Advances under Debt Waiver & Debt Relief Scheme 2009, i) Sale of Financial Assets to Securitization Company /Reconstruction Company, j) Purchase/ Sale of Non-Performing Financial Assets, k) Up-gradation of accounts, l) Accounts regularized near about the Balance Sheet date etc.

B. CREDIT RISK MANAGEMENT AND OBJECTIVES:

To effectively identify, assess, measure, and manage the credit risk exposure of the Bank, with a view to contain it within desired limits in relation to the risk appetite of the Bank and commensurate with the availability of Capital. In doing so, the Bank's Credit Risk philosophy aims at minimising risk and maintaining it within the levels which shall ensure safety of the Bank's financial resources, including stakeholders' equity and, at the same time, also ensure a steady and healthy financial growth.

STRATEGIC POLICY OF THE BANK - CREDIT RISK:

The Bank has a comprehensive and well defined Loan Policy which covers various aspects of strategic planning. The loan policy of the Bank is reviewed from time to time, depending on requirements of the changes in loan portfolio and general economic and market scenario. The loan policy is also subjected to a comprehensive review by the Board at least once a year. The loan policy of the Bank addresses, among other things:

- विभिन्न उद्योग घटकों तथा ऋणकर्ता श्रेणियों में तर्कसंगत सीमा का निर्धारण एवं नियंत्रण।
- ऋण रेटिंग तथा/अथवा रिटेल घटकों से संबंद्ध जोखि़म रूपरेखा पर आधारित मूल्यांकन।
- ऋणों के मूल्यांकन, स्वीकृति तथा निगरानी एवं ऋण के संवितरण की प्रविधियों के लिए प्रक्रिया एवं प्रणाली से संबंधित मार्गदर्शी निर्देश।
- ऋण रेटिंग फ्रेमवर्क।
- निरीक्षण–तंत्र तथा विनियामक एवं नीतिगत मार्गदर्शी निर्देशों का अनुपालन।

ऋण–जोखि़म प्रबंधन संगठनात्मक ढाँचा :

- ऋण जोखि़म प्रबंधन कार्यों के लिए बैंक के संगठनात्मक ढ़ांचे के शीर्षस्थ स्तर पर निदेशक–मंडल है, जो जोखि़म प्रबंधन कारोबार पर पूरी निगरानी रखता है।
- जोखि़म प्रबंधन समिति (आर.एम.सी.) जो कि निदेशक मंडल की एक उप–समिति है, ऋण जोखि़म सहित समन्वित जोखि़म प्रबंधन के लिए नीति एवं रणनीति तैयार करती है।
- परिचालन स्तर पर, ऋण जोखि़म प्रबंधन समिति (आर.एम.सी.) ऋण जोखि़म का प्रबंधन करती है। इसके मुख्य कार्यों में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित ऋण जोखि़म प्रबंधन नीतियों का बैंक व्यापी आधार पर कार्यान्वयन तथा निदेशक मंडल को ऋण जोखि़म प्रबंधन संबंधित, ऋण जोखि़म की विवेकपूर्ण सीमाएं, पोर्टफोलियों प्रबंधन, ऋण–उत्पादों आदि से संबंधित सभी नीतियों के अनुमोदन हेतु संस्तुति शामिल है। बैंक में ऋण अनुमोदन की प्रक्रिया का ढाँचा बना हुआ है और यह मानकीकृत है, जिसमें ऋण आंकलन की व्यापक प्रक्रिया शामिल है। किसी भी वित्त पोषण प्रस्ताव के साथ जड़े ऋण जोखि़म के आंकलन करने हेतु बैंक ऋणी तथा प्रासंगिक उद्योगों के विविध ऋण जोखि़मों का आंकलन करता है।
- महाप्रबंधक की अध्यक्षता में जोखि़म प्रबंधन विभाग (आर.एम.डी.) निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर बैंक व्यापी आधार पर ऋण जोखि़म का परिमापन, नियंत्रण एवं प्रबंधन करता है और निदेशक मंडल/जोखि़म प्रबंधन समिति/ऋण जोखि़म प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित जोखि़म मापदण्डों के अनुपालन को लागू करता है। इस दायित्व के निर्वहन में जोखि़म प्रबंधन विभाग के विभिन्न कक्ष यथा ऋण जोखि़म प्रबंधन कक्ष, आस्ति देयता प्रबंधन कक्ष, मिड ऑफिस तथा संचालनगत जोखि़म प्रबंधन कक्ष इसकी मदद करते हैं।
- महाप्रबंधक के नियंत्रणाधीन निरीक्षण विभाग के साथ–साथ क्रेडिट मोनिटरिंग विभाग, ऋणों की गुणवत्ता पर निगरानी, समस्याओं की पहचान करना तथा कमियों को दूर करने का उपाय करता है। ऋणों का पुनरीक्षण/ऋणों की लेखा परीक्षा का कार्य ऋण लेखा परीक्षा के रूप में अलग से किया जाता है।

ऋण जोखि़म प्रबंधन/अल्पीकरण के लिए प्रयुक्त साधन

- ऋण अनुमोदन कर्ता प्राधिकारी–शक्तियों का प्रत्यायोजन–बैंक की बहुबिध जोखि़म आधारित अनुमोदन प्रणाली के भीतर शक्तियों के प्रत्यायोजन की एक सुपरिभाषित योजना विद्यमान है, जिसकी जब कभी आवश्यकता हो, व्यवसायिक आवश्यकताओं की बाध्यताओं को पूरा करने के लिए समय–समय पर पुनरीक्षा की जाती है।
- विभिन्न स्वरूप के ऋणकर्ताओं के लिए एकल/समूह ऋण सुविधाओं जैसी ऋण/निवेश के विभिन्न पहलुओं पर तर्कसंगत ऋण सीमाएं प्रचलन में हैं।
- जोखि़म, रेटिंग/मूल्यांकन –बैंक ने विभिन्न घटकों के लिए रेटिंग मॉडल लागू किए हुए हैं, जो प्रतिपक्ष के बहुविध जोखि़म कारकों के एकल बिंदु सूचक के रूप में कार्य करते हैं तथा ऋण मूल्यांकन निर्णयों में मददगार होते हैं।
- ऋण बही की गुणवत्ता के सतत् मूल्यांकन तथा ऋण प्रशासन में गुणात्मक सुधार के लिए ऋण लेखा परीक्षा/ऋण पुनरीक्षण पद्धति एक प्रभावी उपकरण है।
- संविभाग प्रबंधन – शुरुआती दौर में बैंक ने एक साधारण संविभाग निगरानी फ्रेमवर्क लागू किया है। भविष्य में बैंक अत्याधुनिक संविभाग प्रबंधन मॉडल को लागू करेगा।

जोखि़म आंकलन : –

वर्तमान में ऋण जोखि़म को व्यक्तिगत स्तर पर ऋण दर तथा पोर्टफोलियो स्तर पर जोखि़म भारित आस्तियों के माध्यम से निर्धारित किया गया है तथा पूंजी को जोखि़म भार आधार पर व्यवस्थित किया गया है।

कुल निवल ऋण जोखि़म का प्रकटीकरण

	श्रेणी	**राशि–रूपए / करोड़**
1.	निधि–आधारित ऋण राशि	64796.42
2.	गैर–निधि आधारित ऋण राशि	3580.46

- Exposure ceilings and prudential caps in different industry segments and borrower categories.
- Pricing based on risk profile linked to credit ratings and/or retail segments.
- Guidelines relating to procedures and systems for appraisal, sanction, and monitoring of loans and modes of dispensation of credit.
- Credit Rating framework.
- Inspection mechanism and compliance of regulatory and policy guidelines.

CREDIT RISK MANAGEMENT ARCHITECTURE:

- The organizational structure of the Bank for Credit Risk Management function has the Board of Directors at the Apex level that has the overall oversight of management of risks.
- The Risk Management Committee (RMC) which is the sub-committee of the Board headed by the Chairman & Managing Director devises the policy and strategy for integrated risk management including credit risk.
- At the operational level, the Credit Risk Management Committee (CRMC) manages the credit risk. The main function includes implementation of credit risk management policies approved by the Board, monitoring credit risk on a bank wide basis, recommending to the board for its approval all policies relating to credit risk management, prudential limits on credit exposures, portfolio management, loan products etc. There is a structured and standardized credit approval process including a comprehensive credit appraisal procedure. In order to assess the credit risk associated with any financing proposal, the Bank assesses a variety of risks relating to the borrower and the relevant industry.
- The Risk Management Department (RMD) headed by the General Manger, measures, controls and manages credit risk on bank wide basis within the limits set by the Board and enforces compliance with risk parameters set by Board/RMC/CRMC. The RMD is duly supported by Credit Risk Management Cell, Asset Liability Management Cell, Mid Office and Operations Risk Management Cell.
- The Inspection Department as well as Credit Monitoring Department headed by a General Manager, monitors the quality of loan portfolio, identifies problems and takes steps to correct deficiencies. Loan review / credit audit is undertaken by the Credit Audit function.

TOOLS USED FOR CREDIT RISK MANAGEMENT / MITIGATION

- Credit Approving Authority – Delegation of Powers. The Bank has a well-defined scheme of delegation of powers with a multi-tier risk based approving system, which is reviewed periodically and revised as and when necessary to meet the compulsions of business environment.
- Prudential Limits on various aspects of credit / investment like Single / Group borrower limits for various types of borrowers are in place.
- Risk Rating/Pricing - The bank has introduced rating models for various segments, which serve as a single point indicator of diverse risk factors of a counter party and support credit and pricing decisions.
- Credit Audit/Loan review mechanism is an effective tool for constantly evaluating the quality of loan book and to bring about qualitative improvements in credit administration
- Portfolio Management - to start with, the bank has introduced a simple portfolio-monitoring framework. Going forward the bank will be graduating to a more sophisticated Portfolio Management model.

RISK MEASUREMENT

At present Credit Risk is assessed through Risk rating at the individual level and through Risk Weighting of the assets at the portfolio level and capital is maintained based on Risk Weights.

Total gross credit risk exposures

	Category	**Amt. - Rs/ Crores**
1	Fund Based Credit Exposures	64796.42
2	Non Fund Based Credit Exposures	3580.46

ऋण जोखिम का भौगोलिक वितरण

	श्रेणी	राशि-रूपए / करोड़
1	**विदेशी** निधि आधारित ऋण जोखिम	शून्य
	गैर निधि आधारित ऋण जोखिम	शून्य
2	**देशी** निधि आधारित ऋण जोखिम	64796.42
	गैर निधि आधारित ऋण जोखिम	3580.46

एक्सपोज़र का उद्योग वार वितरण

राशि – रू. करोड़

उद्योग	निधि आधारित	गैर निधि आधारित	कुल
खाद्यान एवं उत्खनन	354.46	180.32	534.79
खाद्य प्रसंस्करण	1042.52	11.98	1054.50
बेवरेज एवं तम्बाकू	441.93	2.12	444.05
कपड़ा उद्योग	1272.48	21.38	1293.87
चमड़ा – चमड़ा उत्पाद	107.76	2.00	109.75
लकड़ी एवं लकड़ी उत्पाद	89.43	0.28	89.71
कागज तथा कागज उत्पाद	217.29	7.74	225.03
पैट्रो / कोयला / नाभकीय ईधन	56.98	1.32	58.30
रसायन – रसायन उत्पाद.	386.61	4.72	391.33
रबड़, प्लास्टिक एवं इसके उत्पाद.	174.41	25.38	199.79
कांच एवं इसके बने उत्पाद	11.91	0.12	12.02
सीमेंट & सीमेंट उत्पाद.	108.50	90.66	199.16
मूल धातु तथा धातु उत्पाद.	2135.07	119.72	2254.79
समस्त इंजीनियरिंग	415.19	64.76	479.94
वाहन / वाहन कलपूर्जे एवं टीपीटी औजार	236.07	117.29	353.36
रतन और आभूषण	389.44	574.97	964.41
निर्माण	834.49	429.05	1263.54
बुनियादी सुविधायें	18533.42	449.06	18982.48
अन्य उद्योग	152.40	13.53	165.94
अवशिष्ट	37836.07	1464.06	39300.13
कुल योग	**64796.43**	**3580.46**	**68376.89**

उल्लेखनीय एक्सपोज़र

उद्योग जहां कुल एक्सपोज़र, कुल निधि आधारित तथा गैर निधि आधारित प्रकटीकरण के 5% से अधिक है :

राशि रू. करोड़ में

क्रम संख्या	उद्योग	प्रकटीकरण
1.	बुनियादी सुविधायें	18982.48
2.	अवशिष्ट	39300.13

Geographic distribution of exposures

	Category	Amt. - Rs/ Crores
1	**Overseas** Fund Based Credit Exposures	NIL
	Non Fund Based Credit Exposures	NIL
2	**Domestic** Fund Based Credit Exposures	64796.42
	Non Fund Based Credit Exposures	3580.46

INDUSTRY TYPE DISTRIBUTION OF EXPOSURES

Amt. - Rs/ Crores

Industry	Fund Based	Non- Fund Based	Total
A.MINING & QUARRYING	354.46	180.32	534.79
B.FOOD PROCESSING	1042.52	11.98	1054.50
C.BEVERAGES & TOBACCO	441.93	2.12	444.05
D.TEXTILES	1272.48	21.38	1293.87
E.LEATHER & LEATHER PRODUCTS	107.76	2.00	109.75
F.WOOD & WOOD PRODUCTS	89.43	0.28	89.71
G.PAPER & PAPER PRODUCTS	217.29	7.74	225.03
H.PETRO./COAL/NUCLEAR FUELS	56.98	1.32	58.30
I.CHEMICALS & CHEMICAL PROD.	386.61	4.72	391.33
J.RUBBER,PLASTIC & ITS PROD.	174.41	25.38	199.79
K.GLASS & GLASSWARE	11.91	0.12	12.02
L.CEMENT AND CEMENT PROD.	108.50	90.66	199.16
M.BASIC METAL & METAL PROD.	2135.07	119.72	2254.79
N.ALL ENGINEERING	415.19	64.76	479.94
O.VEHCLES/V.PARTS/TPT.EQPM.	236.07	117.29	353.36
P.GEMS & JEWELLARY	389.44	574.97	964.41
Q.CONSTRUCTIONS	834.49	429.05	1263.54
R.INFRASTRUCTURE	18533.42	449.06	18982.48
S.OTHER INDUSTRIES	152.40	13.53	165.94
T.RESIDUARY	37836.07	1464.06	39300.13
Grand Total	**64796.43**	**3580.46**	**68376.89**

Significant exposure:

Industry where the Total Exposure is more than 5% of Total Fund based and Non-fund based exposure:

Amt. - Rs/ Crores

S.No.	Industry	Exposure
1	Infrastructure	18982.48
2	Residuary	39300.13

आस्तियों का अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता विकार :–

राशि रू. करोड़ में

अवधि पूर्ण होने का स्वरूप (समयावधि)	ऋण एवं अग्रिम	निवेश (बही मूल्य)	विदेशी मुद्रा		जमाराशियाँ	उधार
			देयताएं	आस्तियां		
1 दिन	2028.46	0.00	18.82	311.88	1899.67	0.00
2–7 दिन	1079.83	109.91	1.78	23.01	1219.63	1023.21
8–14 दिन	492.69	0.00	4.11	24.59	626.64	0.00
15–28 दिन	754.98	881.72	8.43	56.37	2252.40	0.00
29 दिनों से 3 माह	12191.91	1873.71	25.08	172.41	18856.72	0.00
3 माह से अधिक से 6 माह तक	3208.24	596.57	30.55	83.99	11737.43	700.02
6 माह से अधिक से 1 वर्ष तक	3861.97	560.93	69.42	0.00	22897.42	0.00
1 वर्ष से अधिक से 3 वर्षो तक	17006.99	2072.33	99.32	0.00	12901.96	0.00
3 वर्षो से अधिक से 5 वर्षो तक	12813.30	5713.23	141.11	0.00	7571.60	0.00
5 वर्षो से अधिक	10431.79	14943.30	0.00	0.00	6751.25	0.00
कुल	**63870.18**	**26751.70**	**398.62**	**672.25**	**86714.72**	**1723.23**

एन.पी.ए. की राशि (सकल)

	श्रेणी	राशि रू. करोड़
1	अवस्तरीय	1559.80
2	संदिग्ध 1	779.55
3	संदिग्ध 2	712.77
4	संदिग्ध 3	26.81
5.	हानि	3.26

निवल एन.पी.ए राशि रू. करोड़ में

निवल.एन.पी.ए	2266.00

एन.पी.ए. अनुपात

	श्रेणी	प्रतिशत
1	सकल अग्रिम का सकल एन.पी.ए	4.76%
2	निवल अग्रिम का निवल एन.पी.ए	3.55%

एन.पी.ए (सकल) में उतार-चढाव

	राशि रू. करोड़
अथशेष	2553.52
जमां	1242.42
कमी	713.75
इति शेष	3082.19

एन.पी.ए हेतु प्रावधानों में उतार-चढाव

	राशि रू. करोड़
अथशेष	618.67
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	436.62
बट्टे खाते डालना अधिक प्रावधानों का पुनरांकन	263.27
इतिशेष	792.02

RESIDUAL CONTRACTUAL MATURITY BREAKDOWN OF ASSETS

Amt. - Rs/ Crores

Maturity Pattern (Time Buckets)	Loans & Advances	Investments (Book Value)	Foreign Currency		Deposits	Borrowings
			Liabilities	Assets		
1 day	2028.46	0.00	18.82	311.88	1899.67	0.00
2-7 days	1079.83	109.91	1.78	23.01	1219.63	1023.21
8-14 days	492.69	0.00	4.11	24.59	626.64	0.00
15-28 days	754.98	881.72	8.43	56.37	2252.40	0.00
29 days to 3 months	12191.91	1873.71	25.08	172.41	18856.72	0.00
Over 3 months to 6 months	3208.24	596.57	30.55	83.99	11737.43	700.02
Over 6 months to 1 year	3861.97	560.93	69.42	0.00	22897.42	0.00
Over 1 year to 3 years	17006.99	2072.33	99.32	0.00	12901.96	0.00
Over 3 years to 5 years	12813.30	5713.23	141.11	0.00	7571.60	0.00
Over 5 years	10431.79	14943.30	0.00	0.00	6751.25	0.00
TOTAL	63870.18	26751.70	398.62	672.25	86714.72	1723.23

Amount of NPAs (Gross)

	Category	Amt. - Rs/ Crores
1	Substandard	1559.80
2	Doubtful 1	779.55
3	Doubtful 2	712.77
4	Doubtful 3	26.81
5	Loss	3.26

Net NPAs **Amt. - Rs/ Crores**

Net NPAs	2266.00

NPA Ratios

	Category	Percent
1	Gross NPAs to Gross advances	4.76%
2	Net NPAs to Net advances	3.55%

Movement of NPAs (Gross)

	Amt. - Rs/ Crores
Opening Balance	2553.52
Additions	1242.42
Reductions	713.75
Closing Balance	3082.19

Movement of Provisions for NPAs

	Amt. - Rs/ Crores
Opening Balance	618.67
Provisions made during the period	436.62
Write-off	263.27
Write-back of excess provisions	
Closing Balance	792.02

गैर–निष्पादित निवेशों की राशि

	राशि रू. करोड़
गैर निष्पादित निवेशों की राशि	53.91

गैर निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधानों की राशि

	राशि रू. करोड़
गैर निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधान	35.16

निवेशों पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधानों में उतार चढाव

	राशि रू. करोड़
अथशेष	19.05
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	5.21
बट्टे खाते डालना	
अधिक प्रावधानों का पुनरांकन	19.43
इतिशेष	4.83

तालिका डी.एफ. 5 – ऋण जोखिमः मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत संविभाग का प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

1. बैंक ने सी.आर.ए.आर. परिकलन हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखि़म भार निर्धारण करने के लिए निम्न श्रेणी निर्धारक एजेंसियों की सामान्य रेटिंग का उपयोग करना अनुमोदित किया है। देशी दावों के लिए क्रिसिल (CRISIL), आईसीआरए (ICRA), इंडिया रेटिंग (India Rating), एसएमईआरए (SMERA), ब्रिकवर्क (BRICKWORK),तथा केयर (CARE) एवं अनिवासी कॉरपोरेट, विदेशी बैंकों तथा विदेशी सरकार के दावों के लिए एस एण्ड पी, फिच (FITCH) तथा मूडीज को अनुमोदित किया है।

   भारतीय रिज़र्व बैंक की परिभाषा के अनुसार इन समस्त एजेंसियों का श्रेणी निर्धारण समस्त प्रकार के ऋण जोखि़मों के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है, बशर्ते बासेल–II के अंतर्गत सी.आर.ए.आर. के परिकलन हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखि़म भार के लिए श्रेणी का निर्धारण किया जा रहा हो।
2. बैंकिंग बहियों में तुलानात्मक आस्तियों पर आधारित श्रेणी निर्धारण के आधार पर सार्वजनिक निर्गम के अंतरण के लिए प्रयोग में लाई गई प्रक्रिया भारतीय रिज़र्व बैंक की विनियामक अनिवार्यता के अनुरूप है। श्रेणी निर्धारक एजेंसियों द्वारा उनकी वेबसाईट में प्रकाशित सार्वजनिक रेटिंग का प्रयोग इस उद्देश्य के लिए किया जाता है। संबंधित रेटिंग एजेंसी के मासिक बुलेटिन के अनुसार लागू श्रेणी तथा जिसकी कम से कम गत 15 माह में एक बार समीक्षा की जा चुकी है, का इस उद्देश्य हेतु प्रयोग किया गया है।
3. जहाँ प्रत्येक ऋण जोखि़म का श्रेणी निर्धारण केवल एक अनुमोदित श्रेणी निर्धारण एजेंसी द्वारा किया गया है, के अपवाद को छोड़कर प्रतिपक्ष विशेष पर समस्त ऋण जोखि़म के लिए बैंक ने केवल एक एजेंसी के श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया है, यद्यपि इन ऋण जोखि़मों का एक से अधिक एजेंसियों द्वारा श्रेणीकरण किया गया है।
4. जोखि़म भार हेतु पात्रता के लिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि बाहरी ऋण मूल्यांकन तथा बैंक द्वारा उसे प्रदत्त समस्त भुगतान अर्थात मूल राशि तथा ब्याज के संबंध में, ऋण जोखि़म एक्सपोज़र की पूरी राशि शामिल करता है तथा प्रतिबिंबित करता है। जोखि़म भार के लिए कॉरपोरेट ग्रुप में एक कंपनी के लिए बाहरी निर्धारण का प्रयोग उसी ग्रुप की अन्य कंपनियों के बाहरी निर्धारण के लिए प्रयोग नहीं किया गया है।
5. आस्तियां जिनकी संविदागत परिपक्वता एक वर्ष या उससे कम है, के लिए अल्पावधि श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया गया है जबकि अन्य आस्तियों के लिए दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया गया है। नकद उधार एक्सपोज़र के लिए दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया गया है।
6. जहाँ जारीकर्ता का एक दीर्घावधि एक्सवपोजर है जिस पर बाहरी दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण के अनुसार 150% जोखि़म भार अभिष्ट होता है, उसी प्रतिपक्ष के समस्त गैर–श्रेणीगत दावे चाहे वे अल्पावधि हों या दीर्घावधि पर 150% जोखि़म भार माना जाएगा, सिवाए ऐसे दावों में, जहाँ जोखि़म कम करने की तकनीक प्रयोग में लाई गई हो अल्पावधि श्रेणी निर्धारण पर भी यही लागू होगा।
7. अनुमोदित श्रेणी निर्धारण एजेंसियों द्वारा अल्पावधि श्रेणी निर्धारण को अल्पावधि ऋण जोखि़म भार के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखि़म भार में प्रत्यक्ष रूप से शामिल किया जाता है। इसके विपरीत प्रतिपक्ष पर गैर निर्धारित अल्पावधि दावे, उस प्रतिपक्ष पर श्रेणीगत अल्पावधि दावे के लिए जोखि़म भार से कम से कम एक स्तर ऊपर का जोखि़म भार लागू होगा। बैंक के विरुद्ध दर निर्धारण सुविधा से उत्पन्न जोखि़म भार दावों के आंकलन हेतु विशिष्ट रुप से जारी कम अवधि वाली प्रतिभूतियों को प्रयोग किया जाता है तथा कम अवधि वाली कॉरपोरेट दर निर्धारित प्रतिभूतियों को गैर–निर्धारित दीर्घावधि दावों हेतु जोखि़म भार समर्थन के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाता।

Amount of Non-Performing Investments

	Amt. - Rs/ Crores
Amount of Non-Performing Investments	53.91

Amount of provisions held for non-performing investments

	Amt. - Rs/ Crores
Provisions held for non-performing investments	35.16

Movement of provisions for depreciation on investments

	Amt. - Rs/ Crores
Opening Balance	19.05
Provisions made during the period	5.21
Write-off	
Write-back of excess provisions	19.43
Closing Balance	4.83

Table DF 5 - CREDIT RISK: DISCLOSURES FOR PORTFOLIOS SUBJECT TO THE STANDARDISED APPROACH

Qualitative Disclosures

1. The Bank has approved using the general rating of the following credit rating agencies for risk weighting under the standardized approach for CRAR calculations CRISIL, ICRA, India Rating, SMERA, BRICKWORK and CARE for domestic claims and S&P, FITCH and Moody's for claims on non-resident corporates, foreign banks and foreign sovereigns.

   The ratings of all these agencies are being used for all exposures subjected to rating for risk weighting purposes under the standardized approach for CRAR calculations under Basel-II as defined by RBI.

2. The process used to transfer public issue ratings on to comparable assets in the banking book is as per regulatory requirements of RBI. The public ratings published by the rating agencies on their website are used for this purpose. Only, ratings which are in force as per monthly bulletin of the concerned rating agency and which have been reviewed at least once during the previous 15 months are used.

3. For all the exposures on a particular counterparty, bank uses the rating of only one agency, even though these exposures are rated by more than one with exception being where each of the exposures is rated by only one of the approved rating agencies.

4. To be eligible for risk-weighting purposes, it is ensured that the external credit assessment takes into account and reflects the entire amount of credit risk exposure the bank has with regard to all payments owed to it i.e., both principal and interest. External assessments for one entity within a corporate group is not used to risk weight other entities within the same group.

5. For assets that have contractual maturity less than or equal to one year, short term ratings are used while for other assets, long term ratings are used. For Cash Credit exposures long term ratings are taken.

6. Where an issuer has a long-term exposure with an external long term rating that warrants a risk weight of 150%, all unrated claims on the same counterparty, whether short-term or long-term, also receive a 150% risk weight, except incases where credit risk mitigation techniques are used for such claims. Similar is the case with short-term rating.

7. The Short-term ratings assigned by the approved rating agencies are directly mapped to the risk weights under the Standardised Approach for long-term exposures. On the contrary, the unrated short-term claim on counter-party attracts a risk weight of at least one level higher than the risk weight applicable to the rated short-term claim on that counter-party. Issue-specific short-term ratings are used to derive risk weights for claims arising from the rated facility against banks and a corporate's short-term rating is not used to support a risk weight for an unrated long-term claim.

8. यदि पात्र ऋण निर्धारण एजेंसियों द्वारा दो श्रेणी निर्धारण की गई हैं जिसमें दो अलग–अलग जोखि़म भार अंकित किए गए हैं, वहाँ उच्च तर जोखि़म भार लागू किया जाता है। यदि पात्र ऋण श्रेणी निर्धारण एजेंसियों द्वारा तीन या अधिक श्रेणी निर्धारित की गई है जिसमें जोखि़म भार अंकित किए गए हैं, वहाँ दो तदनुरूपी निम्नतम जोखि़म भारों की श्रेणी निर्धारण के संदर्भ में तथा इन दोनों जोखि़म भारों में उच्चतर जोखि़म भार को लागू किया गया है, अर्थात दूसरा सबसे न्यूनतम जोखि़म भार।

9. जहाँ विशेष निर्धारित मामलों में दावा निवेश नहीं है, निवेश दावों पर जोखि़म भार चयनित ऋण श्रेणी वर्गीकरण एजेंसी द्वारा विशेष श्रेणी निर्धारण पर आधारित हैं।

   I) ऋण विशेष के लिए लागू श्रेणी निर्धारण (जहाँ श्रेणी वर्गीकरण के जोखि़म भार गैर–श्रेणीकृत मामलों पर लागू जोखि़म भार से कम है) बैंक के केवल गैर–निर्धारित दावों पर लागू है, जहाँ वर्गीकृत मामला एक अल्पावधि अनिवार्यता है यदि वह दावा समरूप वर्गीकृत है या हर प्रकार से विशिष्ट वर्गीकृत ऋण से अधिक है तथा गैर –निर्धारित मामलों की परिपक्वता निर्धारित मामलों की परिपक्वता के बाद नहीं है, को छोड़कर बैंक के केवल गैर–निर्धारित मामले पर लागू है।

   II) यदि जारीकर्ता या एकल निर्गम के लिए गैर–निर्धारित मामलों के लिए लागू जोखि़म भार से अधिक या उसके बराबर जोखि़म भार निर्धारण किया गया है तो उस प्रतिपक्ष पर गैर–निर्धारित मामलों के लिए वही जोखि़म भार निर्धारित होगा जोकि ऋण जोखि़म भार पर लागू होगा, यदि यह दावा उसके साथ–साथ या हर प्रकार से निर्धारित ऋण जोखि़म भार से कम है।

मानकीकृत दृष्टिकोण की शर्तें पर जाखि़म कम करने के बाद एक्सपोज़र की राशि

राशि–रू./करोड़

जोखि़म भार श्रेणी	**श्रेणी निर्धारित एक्सपोज़र**	**गैर– श्रेणी निर्धारित एक्सपोज़र**	**ऋण जोखि़म कम करने के बाद एक्सपोज़र**
100% जोखि़म भार से कम	12840.30	28046.60	40886.90
100% जोखि़म भार	4878.32	16236.76	21115.08
100% जोखि़म भार से अधिक	4389.95	3284.66	7674.60
कटौती	0.00	0.00	0.00
कुल	**22108.57**	**47568.02**	**69676.58**

तालिका डी.एफ. 6. ऋण जोखि़म कम करना : मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

1. संस्था के अर्जन का घाटे से बचाने के लिए, ऋण जोखि़म कम करके राजस्व वृद्धि करना प्रबंधन का प्रमुख उपकरण है। बैंक अपने दैनिक परिचालन के दौरान ऋण जोखि़मों को कम करने के लिए अनेक तरीके और तकनीक अपनाते हैं। परिपक्वता असंतुलन, मुद्रा असंतुलन और मूल्य समायोजन के पश्चात, पूंजी प्रभार को कम करने हेतु पर्यवेक्षक ने ऋण जोखि़म कम करने के उपायों की अनुमति दी है। नए पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बेसल–II) के अंतर्गत पहचाने गए ऋण जोखि़म कम करने के विभिन्न कारक (सी.आर.एम.) निम्न हैं :–
   - संपार्श्विक संचालन
   - ऑन–बैलेंस–शीट–नेटिंग
   - गारंटियाँ

2. पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ

मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत सभी संपार्श्विकों को ऋण जोखि़म कम करने हेतु नहीं माना गया है। पहचानी गई वित्तीय संपार्श्विक निम्नलिखित हैं :–

1.) नकदी और जमाराशियॉ जिनमें विदेशी मुद्रा सम्मिलित है।
2.) सोना रु 99.99% की शुद्धता प्रमाणित करना।
3.) केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ।
4.) किसान विकास–पत्र और राष्ट्रीय बचत–पत्र।
5.) जीवन–बीमा पॉलिसियॉ।
6.) ऋण–प्रतिभूतियाँ : शर्तों के अनुसार वर्गीकृत।
7.) बैंक द्वारा शर्तों अनुसार जारी अवर्गीकृत ऋण–प्रतिभूतियाँ।
8.) शर्तों के अनुसार म्यूचुअल फंडों के यूनिट्स।

संपार्श्विक संचालन में पूंजी राहत प्राप्त करने के लिए कुछ अतिरिक्त मानदंड हैं जिनका सीधे तौर पर संपार्श्विक प्रबंधन पर प्रभार पड़ता है और संपार्श्विक प्रबंधन के दौरान इन पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है।

8. If there are two ratings accorded by eligible credit rating agencies, which map into different risk weights, the higher risk weight is applied. If there are three or more ratings accorded by eligible credit rating agencies with different risk weights, the ratings corresponding to the two lowest risk weights are referred to and the higher of those two risk weights are applied, i.e., the second lowest risk weight.
9. The RW of the investment claim is based on specific rating by a chosen credit rating agency, where the claim is not an investment in a specific assessed issue:
   i) the rating applicable to the specific debt (where the rating maps into a risk weight lower than that which applies to an unrated claim) is applied to the bank's un-assessed claim only if this claim ranks pari passu or senior to the specific rated debt in all respects and the maturity of the un-assessed claim is not later than the maturity of the rated claim**, e**xcept where the rated claim is a short term obligation.
   ii) if either the issuer or single issue has been assigned a rating which maps into a risk weight equal to or higher than that which applies to unrated claims, an unrated claim on the same counterparty, is assigned the same risk weight as is applicable to the rated exposure, if this claim ranks pari passu or junior to the rated exposure in all respects.

Exposure amounts after risk mitigation subject to the standardized approach

Amt. - Rs/ Crores

Risk Weight Category	Rated Exposure	Un-Rated Exposure	Exposure After Credit Risk Mitigation
Below 100 % risk weight	12840.30	28046.60	40886.90
100 % risk weight	4878.32	16236.76	21115.08
More than 100 % risk weight	4389.95	3284.66	7674.60
Deducted	0.00	0.00	0.00
TOTAL	22108.57	47568.02	69676.58

Table DF 6 - CREDIT RISK MITIGATION: DISCLOSURES FOR STANDARDISED APPROACHES

Qualitative Disclosures

1. Credit Risk Mitigation is a proactive management tool designed to enhance revenue growth, while protecting an entity's earnings from loss. Banks employ various methods and techniques to reduce the impact of the credit risks they are exposed to in their daily operations. Some of the credit risk mitigation techniques are permitted to be used by the supervisor for reducing the capital charge after adjustment for value, currency mismatch and maturity mismatch. Various Credit Risk Mitigants (CRM) recognized under the New Capital Adequacy Framework (Basel II) are as follows:
   → Collateralised transactions
   → On-balance-sheet-netting
   → Guarantees

2. **Eligible financial collateral**:

All collaterals are not recognised as credit risk mitigants under the Standardised Approach. The following are the financial collaterals recognized:

(i) Cash and Deposits including deposits in foreign currency.
(ii) Gold: benchmarked to 99.99% purity.
(iii) Securities issued by Central and State Governments
(iv) Kisan Vikas Patra and National Savings Certificates
(v) Life insurance policies
(vi) Debt securities -Rated subject to conditions.
(vii) Debt securities not rated issued by banks subject to conditions
(viii) Units of mutual funds subject to conditions

There are certain additional standards for availing capital relief for collateralized transactions, which have direct bearing on the management of collaterals, and these aspects are taken into account during Collateral Management.

3. **ऑन–बैलेंस–शीट–नेटिंग**

ऑन–बैलेंस–शीट–नेटिंग केवल ऋण/अग्रिमों (ऋण जोखि़म के रुप में मान्य) और जमाओं (संपार्श्विक के रूप में मान्य) तक ही सीमित है जहाँ बैंक के पास कानूनी रूप से लागू नेटिंग प्रबंध है जिसमें विशेष ग्रहणाधिकार प्रलेखों की जॉच की जाती है और जिनका निवल आधार पर प्रबंधन किया जाता है।

4. **गारंटियाँ** जहाँ गारंटियॉ सीधे तौर से, सुनिश्चित, अविकल्पी और शर्तरहित हैं, बैंक पूंजी पर्याप्तता की संगणना करते समय ऐसे ऋण संरक्षण को ध्यान में रखता है। पात्र गारंटरों/प्रति गारंटरों के वर्ग में सम्मिलित हैं :

I) सम्प्रभु, सम्प्रभुता प्राप्त संस्थाएं (बी.आई.एस., आई.एम.एफ., यूरोपियन सेंट्रल बैंक और यूरोपियन समुदाय के साथ उल्लेखित एम.डी.बी., ई.सी.जी.सी. एवं सी.जी.टी.एस.एम.ई. सम्मिलित हैं), बैंक और प्राईमरी डीलर जो प्रति पक्ष से कम भारित जोखि़मयुक्त हैं।

II) अन्य संस्थाएं जिनको एए(AA) या उससे बेहतर रेटिंग प्राप्त है।

बैंक एक्सपोजर के एवं सभी प्रकार की संपार्श्विक स्वीकार करता है। फिर भी बासल–II के नियमों के अनुसार, ऋण जोखि़मों का समंजन से पूर्व, पात्र संपार्श्विकों पर विचार किया जाता है और उनका उचित उपचार किया जाता है। बैंक के पास ऋण जोखि़म कम करने की एक विस्तृत पॉलिसी है और संपार्श्विक के मूल्यांकन करने के दिशा–निर्देश उपलब्ध हैं। बैंक गारंटरों की रेटिंग करते समय प्रति पार्टी से बेहतर गारंटीकर्ताओं की रेटिंग के मामलों में, पात्र गारंटियों का संज्ञान करता है। इसके अतिरिक्त ऋण सुरक्षा के लिए केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, ई.सी.जी.सी. और सी.जी.टी. कवर को भी उपयुक्त जोखि़म भार लगाते समय ध्यान में रखा जाता है।

मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत ऋण जोखि़म संविभाग का प्रकटीकरण, कवर किया गया कुल ऋण जोखि़मः पात्र वित्तीय प्रतिभूति कटौती करने के उपरांत– रु 3239.03 करोड़

तालिका डी.एफ. 7. प्रतिभूतिकरणः मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

आस्तियों की प्रतिभूतिकरण संबंधी नीति का अद्देश्य

1. संसाधनों को बढ़ाने हेतु

1.1 उचित मूल्य पर (आस्ति आधारित प्रतिभूतिकरण/बंधक के माध्यम से) बैंक के संसाधनों को बढ़ाना।

1.2 जरूरत पड़ने पर, परिपक्वता अंतर को कम करने के लिए, उत्तम आस्ति देयता प्रबंधन हेतु लम्बी समयावधि की आस्तियों को बेचा जा सकता है।

1.3 बैंक की संवृद्धि को प्रभावित किए बिना दक्षता से पूंजी कोष की व्यवस्था करने के लिए। पूंजी की दुर्लभता के बावजूद व्यवसाय की निरंतरता तथा आस्तियों के आवर्तन हेतु।

1.4 निधियों के नए स्रोतों का उपयोग तथा वर्तमान निधियों के साधनों का विविधीकरण।

1.5 प्रतिलाभ को बढ़ाने के लिए आस्तियों का जल्दी जल्दी क्रय–विक्रय ।

1.6 ऋण संविभाग के उचित प्रबंधन के लिए उच्च संक्रेन्द्रण के क्षेत्रों में आस्तियों को किराए पर लेकर, बैंक इन क्षेत्रों में अतिरिक्त व्यवसाय करना जारी रखने की स्थिति में होगा और इस तरह बाजार में अपना हिस्सा, ग्राहक संबंध इत्यादि बरकरार रख सकता है।

2. अधिशेष निधियों का अभिनियोजन : पीटीसी के लिए अभिदान करके या फिर उचित प्रतिलाभ दर वाले ऋणों के द्विपक्षीय आबंटन के माध्यम से आस्तियों की खरीद द्वारा अधिशेष निधियों के थोक अभिनियोजन का भी एक साधन।

हालांकि, बैंक ने प्रतिभूतिकरण के अंतर्गत मानक ऋण संविभाग को किसी अन्य संस्था(ओं) को नहीं बेचा है।

मानक समूह आस्तियों का समनुदेशन. : रू 40.53 करोड़ (बकाया शेष)

तालिका डी.एफ. 8. ट्रेडिंग बुक में बाजार जोखि़म

गुणात्मक प्रकटीकरण

बाजार जोखि़म का आशय ब्याज दरों में परिवर्तन, विदेशी मुद्रा दरों, बाजार मूल्यों एवं परिवर्तनीयता से होने वाले भविष्य की आय की अनिश्चितता से है। बैंक यह मानता है कि बाजार जोखि़म में उसके उधार/ऋण देने तथा जमा लेने जैसे व्यवसायों और निवेश गतिविधियों यथा स्थान ग्रहण करना एवं व्यापार करना भी शामिल है। बाजार जोखि़म का निवेश नीतियों तथा बाजार जोखि़म प्रबंधन नीति के अनुसार प्रबंधन किया जाता है, जिसका अनुमोदन बोर्ड द्वारा किया जाता है। ये नीतियों, प्रतिभूतियों के प्रचालन, विदेशी मुद्रा तथा अन्य उत्पादों को सुदृढ़ एवं स्वीकार्य व्यापार/कार्य प्रक्रियाओं के अनुसार होना सुनिश्चित करती हैं और जहाँ तक हो सके ये विनियामक दिशा–निर्देशों के अनुसार वितीय प्रतिभूतियों के अंतरण को शासित करने वाले विधानों तथा वित्तीय परिवेश के अनुसरण में कार्य करते हैं। व्यापार की पुस्तकों में बाजार जोखि़म का आंकलन मानकीकृत आवधिक अभिरुख के अनुसार किया जाता है। ट्रेडिंग (व्यापार) के आयोजन हेतु तथा विक्रय के लिए उपलब्ध पोर्टफोलियो के अनुसार पूंजीगत प्रशुल्क की संगणना भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रूडेशियल दिशा–निर्देशों के अनुसार की जाती है।

बाजार जोखि़म प्रबंधन के उद्देश्य :

3. On-balance-sheet-netting

On-balance sheet netting is confined to loans/advances (treated as exposure) and deposits (treated as collateral), where Bank has legally enforceable netting arrangements, involving specific lien with proof of documentation and which are managed on a net basis.

4. Guarantees Where guarantees are direct, explicit, irrevocable and unconditional, bank takes account of such credit protection in calculating capital requirements. The range of eligible guarantors / counter guarantors include:

(i) Sovereigns, sovereign entities (including BIS, IMF, European Central Bank and European Community as well as certain specified MDBs, ECGC and CGTSME), banks and primary dealers with a lower risk weight than the counterparty;

(ii) Other entities rated AA or better.

The Bank accepts all types of collaterals against exposures. However, for Basel-II norms, the eligible collaterals are considered and given appropriate treatment before they are set-off against exposures. The bank has a well laid-out Credit Risk Mitigation & Collateral management Policy and also guidelines for valuation of collaterals. The Bank also takes cognizance of eligible guarantees and substitution of rating of guarantor(s) in cases where these are better than that of the counter-party. Besides, for purposes of credit protection, Central Govt., State Govt., ECGC and CGFT coverages are also taken into account to apply appropriate risk weights.

Disclosed credit risk portfolio under the standardised approach, the total exposure that is covered by: Eligible financial collateral; after the application of haircuts –Rs. **3239.03 Crores**

Table DF 7- SECURITISATION: DISCLOSURE FOR STANDARDISED APPROACH

Qualitative Disclosures

Objective of Policy on Securitization of Assets

1. For Raising Resources

1.1 To raise resources for the Bank (through mortgage/ asset backed securitization) at a reasonable cost.

1.2 For better asset liability management as long tenure assets can be disposed off, IN CASE OF NEED, to reduce the maturity mismatches.

1.3 To manage the capital funds efficiently without effecting the growth of the Bank. To rotate assets and to continue to book business even while capital availability is scarce.

1.4 To access to new source of funding and diversify the existing funding sources.

1.5 To maximize the returns by churning assets fast.

1.6 For better managing the credit portfolio. By hiring of assets in sectors of high concentration, the Bank would be in a position to continue to book additional business in these sectors and hence maintain market share, client relationship etc.

2. For Deploying Surplus Funds: Avenue for bulk deployment of surplus funds either by subscribing to the PTCs or by purchase of assets through bilateral assignment of debts with reasonable rate of return.

However, Bank has not sold out any standard credit portfolio under securitization to any other entities

Assignment of Standard Pool Assets- Rs. 40.53 crores (balance o/s)

Table DF 8 - MARKET RISK IN TRADING BOOK

Qualitative disclosures

Market risk refers to the uncertainty of future earnings resulting from changes in interest rates, foreign exchange rates, market prices and volatilities. The Bank assumes market risk in its lending and deposit taking businesses and in its investment activities, including position taking and trading. The market risk is managed in accordance with the investment policies and Market Risk management policy, which are approved by the Board. These policies ensure that operations in securities, foreign exchange and derivatives are conducted in accordance with sound and acceptable business practices and are as per the extant regulatory guidelines, laws governing transactions in financial securities and the financial environment. Market Risk in Trading Book is assessed as per the Standardized Duration approach. The capital charge for Held for Trading (HFT) and Available for Sale (AFS) portfolios is computed as per Reserve Bank of India prudential guidelines.

Market risk management objectives:

बाजार जोख़िम प्रबंधन के उद्देश्य निम्न प्रपत्र हैं :

- चलनिधि का प्रबंधन
- ब्याज दर जोख़िम एवं विनिमय दर जोख़िम का प्रबंधन
- निवेश पोर्टफोलियो का उचित वर्गीकरण एवं मूल्यांकन
- निवेशों तथा व्युत्पादों पदार्थों की पर्याप्त एवं उचित रिपोर्टिंग
- विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन

मात्रात्मक प्रकटीकरण

पूंजी आवश्यकता	**राशि करोड़ो में**
ब्याज दर जोखिम	239.03
शेयर स्थिति जोखिम	32.30
विदेशी विनिमय जोख़िम	शून्य

तालिका डी.एफ. 9. परिचालनगत जोख़िम

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने परिचालनगत जोख़िम प्रबंधन तथा व्यवसाय निरंतरता आयोजन व आपदा वसूली प्रबंधन पर नीतियॉं तैयार की हैं। बैंक का निदेशक–मंडल वार्षिक आधार पर इन नीतियों की समीक्षा करता है। बैंक जोख़िम हानि आंकड़ों के संग्रहण की प्रक्रिया में लगा है।

परिचालनात्मक जोख़िम संबंधी नीति के अनुसार कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता में परिचालनात्मक जोख़िम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) गठित की गई है। ओ.आर.एम.सी. की नियमित बैठकें प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जाती हैं। शाखाओं की ऑन साईट जोख़िम आधारित आंतरिक लेखा–परीक्षा (आर.बी.आई.ए.) बैंक का निरीक्षण विभाग संपन्नब करता है। 3 करोड़ रुपए से ऊपर के सभी ऋण प्रस्तावों, सीमाओं की नियमित रुप से ऋण लेखा–परीक्षा भी की जाती है।

हाउस कीपिंग, समाधान एवं धोखाधड़ी आदि से संबंधित मामलों में क्रमशः निरीक्षण विभाग, समाधान विभाग एवं सतर्कता विभाग इनकी रिपोर्टिंग समय–समय पर ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड (ए.सी.बी.) को करते हैं। परिचालनात्मक जोख़िम तथा व्यवसाय निरंतरता आयोजन से संबंधित विनियामक रिपोर्ट को समयबद्ध एवं नियमित किया जाता है। परिचालनात्मक जोख़िम के लिए पूंजी प्रभार की संगणना हेतु वर्तमान में बैंक मूलभूत सूचकांक पद्धति का अनुपालन कर रहा है। तथापि परिचालनात्मक जोख़िम के लिए पूंजी प्रभार की संगणना उन्नत पद्धतियों की ओर उन्मुख होने की तैयारी भी बैंक के साथ–साथ कर रहा है।

तालिका डी.एफ. 10. बैंक की बहियों में ब्याज दर जोख़िम (आईआरआरबीबी)

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक बही में ब्याज दर जोख़िम का प्रबंधन तथा मूल्य निर्धारण आय पर जोख़िम दृष्टिकोण हेतु परम्परात्मक अंतर तथा आर्थिक मूल्य दृष्टिकोण हेतु संशोधित अवधि अंतर के माध्यम से किया गया है। बैंक बही में ब्याज दर जोख़िम के अन्तर्गत सभी अग्रिम तथा परिपक्वता तक रखे जाने वाले निवेश शामिल हैं। ऋण नीतियॉं तथा प्रक्रियाएं/संरचना और संगठन/विषय–क्षेत्र तथा जोख़िम सूचना–तंत्र की प्रकृति/नीतियॉं आदि डी.एफ.–8 के अंतर्गत रिपोर्ट किए गए के अनुसार ही हैं। बैंकिंग बुक (आईआरआरबीबी) में ब्याज दर जोख़िम के मापदण्डों की कार्य–पद्धति भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्देशित दिशा–निर्देशों के अनुरूप है।

1.1 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह निर्धारित किया है कि ब्याज दर संवेदनशीलता (पुनर्मूल्य निर्धारण अंतर) विवरण जिसे मासिक अंतराल पर तैयार किया जाता है, के जरिए ब्याज दर जोख़िम की निगरानी की जाए। तदनुसार, आस्ति देयता प्रबंधन समिति मासिक आधार पर ब्याज दर संवेदनशीलता की समीक्षा करती है। आस्तियों व देयताओं दोनों में ब्याज दर में समान परिवर्तन के कारण बैंक की शुद्ध ब्याज आय में होने वाले परिवर्तन का आंकलन करती है।

1.2 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अवधि अंतर विश्लेषण के दौरान ब्याज दर संवेदनशीलता के माध्यम से आस्तियों व देयताओं के आर्थिक मूल्य पर ब्याज दर परिवर्तन के प्रभाव का अनुमान लगाने का भी निर्धारण किया है। बैंक तिमाही/मासिक अंतराल पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथानिर्धारित अवधि अंतर विश्लेषण भी करता है। ईक्विटी के बाजार मूल्य (एमवीई) पर ब्याज दर परिवर्तन के प्रभावों का आवधिक अंतराल विश्लेषण के माध्यम से निरीक्षण किया जाता है। उपरोक्त का प्रयोग करते हुए, प्रत्येक बकेट हेतु आस्तियों एवं देयताओं की परिवर्तित अवधि की गणना की जाती है तथा उपरोक्त द्वारा देयताओं व आस्तियों की संशोधित अवधि की संगणना प्रत्येक काल–चक्र पर परिकलित की जाती है और ब्याज दर के 200 बीपीएस के परिवर्तन को जोड़ने के बाद मूल्य पर पड़े प्रभाव का परिकलन कर शुद्ध स्थिति प्राप्त की जाती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि मूल्य में सकारात्मक वृद्धि हुई है या नहीं।

1.3 आस्तियों तथा देयताओं के विवकेपूर्ण उपाय हेतु ईएआर (EaR) तथा शुद्ध आवधिक अंतर की सीमा का निर्धारण किया जाता है तथा नियमित अंतराल पर इसकी निगरानी की जाती है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

जोख़िम पर आय

एक वर्ष अन्तराल तक औसतन 100 आधार अंक परिवर्तन का प्रभाव	**रु. 2.27 करोड़**

आर्थिक मूल्य हेतु संशोधित अवधि अंतर(एम.वी.ई.)–12.81%

The objectives of market risk management are as follows:

- Management of liquidity
- Management of interest rate risk and exchange rate risk.
- Proper classification and valuation of investment portfolio
- Adequate and proper reporting of investments and derivative products
- Compliance with regulatory requirements

Quantitative Disclosures

The capital requirements for:	**Amt. - Rs/ Crores**
Interest rate risk;	239.03
Equity position risk;	32.30
Foreign exchange risk;	nil

Table DF 9 - OPERATIONAL RISK

Qualitative disclosures

The Bank has formulated Policies on "Operational Risk Management' and the "Business Continuity Plan & Disaster Recovery Management". These policies are being reviewed by the Board of the Bank on annual basis. Bank is in process of collecting "Loss Data'.

As per the policy on Operational Risk, the Operational Risk Management Committee (ORMC) has been set up which is headed by the Executive Director. Regular meetings of the ORMC are convened at least on quarterly basis. Inspection Deptt of the bank undertakes onsite "Risk Based Internal Audit" (RBIA) of the branches. Credit Proposals / Limits beyond Rs. 3 Crores are subjected to Regular Credit Audit also.

Inspection, Reconciliation and Vigilance Departments are reporting matters relating to Housekeeping, Reconciliation and Frauds etc. periodically to ACB. Regulatory reporting with regard to Operational Risk and Business Continuity Plan is made timely & regularly. Bank is presently following 'Basic Indicator Approach" for calculating Capital Charge on Operational Risk. However, the bank is preparing to move to advance approaches of calculating capital charge for Operational Risk.

Table DF 10 -INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK (IRRBB)

Qualitative disclosures

The Interest rate risk in banking book is measured and managed by the bank through Traditional Gap for Earnings at Risk (Ear) approach and modified Duration Gap for Economic Value (MVE) Approach. Interest rate risk in banking book includes all advances and investments kept under Held to Maturity (HTM) portfolio. The strategies and process/structure of organization /scope an nature of risk reporting/policies etc., are the same as reported under DF – 8. The methodology adopted to measure the interest rate risk in banking book (IRRBB) is based on RBI suggested guidelines.

1.1 RBI has stipulated monitoring of interest rate risk through a Statement of Interest Rate Sensitivity (Reprising Gaps) to be prepared at monthly intervals. Accordingly, ALCO reviews Interest Rate Sensitivity statement on monthly basis and monitors the Earnings at Risk (EaR) which measures the change in net interest income of the Bank due to parallel change in interest rate on both the assets and liabilities.

1.2 RBI has also stipulated to estimate the impact of change in interest rates on economic value of bank's assets and liabilities through Interest Rate Sensitivity under Duration Gap Analysis (IRSD). Bank also carries out Duration Gap analysis as stipulated by RBI at monthly/quarterly intervals. The impact of interest rate changes on the Market Value of Equity (MVE) is monitored through Duration Gap Analysis. Using the above, Modified Duration of liabilities and assets for each bucket is calculated and the impact on their value for a change in interest rate by 200 bps is reckoned by adding up the net position is arrived to determine as to whether there will be a positive increase in the value or otherwise.

1.3 As a prudential measure limit has been fixed for EaR as well as for Net Duration Gap of the assets and liabilities and the same is monitored at regular intervals.

Quantitative Disclosures

a) **Earning at Risk**

At 100 bps change for gaps upto 1 year on average basis	**Rs. 2.27** Crores

b) **Modified Duration Gap for Economic Value (MVE) – 12.81%**

बासल- III के लिए प्रकटीकरण-31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष

तालिका डी एफ 1-अनुप्रयोग का विषय क्षेत्र

गुणात्मक प्रकटीकरण क) ग्रुप संस्थाओं की सूची, जो समेकन के लिए विचारणीय है।	बैंक ऐसे किसी वर्ग में नहीं आता है।
ख) ग्रुप संस्थाओं की सूची, जो लेखा और समेकन के विनियामक विषय क्षेत्र दोनों में समेकन के लिए विचारणीय नहीं है।	लागू नहीं
मात्रात्मक प्रकटीकरण ग) ऐसी ग्रुप संस्थाओं की सूची, जो समेकन के लिए विचारणीय है	लागू नहीं
घ) सभी सहायक संस्थाओं की पूंजी की कमी की कुल राशि जिन्हें समेकन के विनियामक विषय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया अर्थात जिन्हें घटाया गया है	लागू नहीं
ड.) बीमा संस्थाओं में लगी बैंक के समस्त हितों की वह कुल राशि (अर्थात चालू बही मूल्य, जो जोख़िम भारित हैं)	लागू नहीं
च) बैंकिंग समूह के भीतर फंड या विनियामक पूंजी के अंतरण पर कोई प्रतिबंध या बाधा	लागू नहीं

तालिका डी.एफ 2- पूंजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने जोख़िम प्रबंधन अनुबंध का क्रियान्वयन करते समय वैश्विक उच्च-कोटि की कार्य-प्रणाली को अपनाने की प्रक्रिया पहले से ही आरम्भ कर दी है जोकि बासल II तथा बासल III की रूपरेखा के अनुरूप है।

बासल II तथा बासल III से संबंधित विभिन्न मामलों पर ध्यान देने के लिए जोख़िम प्रबंधन की व्यापक सरंचना कार्यरत है। जोख़िम भारित आस्तियों, बाजार जोख़िम तथा प्रचालन जोख़िम में वृद्धि के आसार के मद्देनजर बैंक की पूंजीगत आवश्यकताओं को आंकने के लिए तिमाही आधार पर समीक्षा की जाती है।

बैंक हितधारकों, खासकर जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा हेतु एक्सपोजर, कारोबार आदि के मूल्य में हानि के जोख़िम के लिए पूंजी को गुंजाइश के रूप में रखता है।

वर्तमान एवं भावी कारोबार कार्यकलापों के आधार पर पूंजी आवश्यकताओं को निर्धारित करने के लिए बैंक में उचित प्रणाली कार्यरत है तथा निरंतर उसकी निगरानी की जाती है। बैंक का मानना है कि पूंजी उपलब्धता संपूर्ण प्रक्रिया का केंद्रीय विषय है और इसकी गणना को नीति, रणनीति, कारोबार स्तर/संघटन, पर्यवेक्षी सरोकार एवं प्रकटन मुद्दों से जोड़ा जा सकता है। इस दिशा में बैंक ने आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आइकैप) का एक अच्छा ढांचा विकसित कर लिया है तथा स्तम्भ 1 के अंतर्गत पूंजी गणना के अलावा बासल II के स्तम्भ 2 एवं बासल III के अंतर्गत भी आवधिक अंतराल पर पूंजी गणना की जाती है। बैंक ने पूँजी पर्याप्तता पर प्रतिकूल दबाव परिदृश्यों के प्रभाव को आवधिक आधार पर मापने के लिए दबाव जांच नीति बनायी है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप, बैंक ने नये पूंजी पर्याप्तता ढांचा-बासल II को लागू करने के लिए निम्नलिखित अवधारणाओं को अपनाया है :-

- ऋण जोख़िम के लिए मानकीकृत अवधारणा
- परिचालनात्मक जोख़िम के लिए मूल सूचक अवधारणा
- बाजार जोख़िम के लिए मानक अवधि अवधारणा

यद्यपि बैंक ने वर्तमान में उपरोक्त मानकीकृत अवधारणाओं को अपनाया है तथापि बैंक आंतरिक श्रेणी निर्धारण आधारित दृष्टिकोण को अपनाने की दिशा में अग्रसर रहेगा।

ऋण जोख़िम हेतु पूंजीगत आवश्यकताएं :

	राशि-रूपए/लाखों में
9% की दर से मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो	452162.48
प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र	शून्य

बाज़ार जोख़िम हेतु पूंजीगत आवश्यकताएं : मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण

सामान्य बाज़ार जोख़िम पर पूंजी प्रभार	**राशि-रूपए/लाखों में**
» ब्याज-दर जोख़िम	24087.69
» विदेशी विनिमय जोख़िम (सोने सहित)	135.00
» इक्विटी जोख़िम	3108.46

BASEL- III DISCLOSURES – HALF YEAR ENDED 31st MARCH 2015

Table DF 1 – SCOPE OF APPLICATION

Qualitative Disclosures (a) List of group entities considered for consolidation	The Bank does not belong to any group
(b) List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation	Not Applicable
Quantitative Disclosures (c) List of group entities considered for consolidation	Not Applicable
(d) The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted	Not Applicable
(e) The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted.	Not Applicable
(f) Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group	Not Applicable

Table DF 2 - CAPITAL ADEQUACY

Qualitative disclosures

Bank is already geared up to adopt global best practices while implementing risk management stipulations that are in conformity with the Basel II framework.

Comprehensive risk management architecture is in place to address various issues concerning Basel II. A quarterly review is carried out to assess the capital need of the Bank, keeping in view the anticipated growth in Risk Weighted Assets, Market Risk and Operational Risk.

Bank maintains capital as a cushion towards the risk of loss in value of exposure, businesses, etc., to protect the interest of stake holders, more particularly, depositors.

Bank has system in place for assessing the capital requirements based on current and future business activities and monitoring the same on an ongoing basis. The bank considers that capital availability is the central theme in the whole process and its computation is relatable to policy, strategy, business level/composition, and Supervisory concern and Disclosure issues. Towards this, bank has evolved a well laid down Internal Capital Adequacy Assessment Process (I-CAAP) framework and carries out capital calculation under Pillar-2 of Basel II and also of Basel-III at periodical intervals besides Pillar 1 Capital calculation. The bank has formulated Stress Testing policy to measure impact of adverse stress scenarios on the adequacy of capital at periodical intervals.

In line with RBI guidelines, the bank has adopted following approaches for implementation of New Capital Adequacy Framework – Basel II.

- Standardised Approach for credit risk
- Basic Indicator Approach for operational risk
- Standardised Duration Approach for market risk

Though the bank has implemented the Standardized Approach of credit risk, yet the bank shall continue its journey towards adopting Internal Rating Based Approaches

Capital requirements for credit risk:

	Amt. in Lakhs
- Portfolios subject to standardised approach @ 9%	452162.48
- Securitisation exposures	Nil

Capital requirements for market risk: Standardised duration approach

Capital Charge on account of General Market Risk	**Amt. in Lakhs**
- Interest rate risk	24087.69
- Foreign exchange risk (including gold)	135.00
- Equity risk	3108.46

परिचालन जोखिम हेतु पूंजीगत आवश्यकताएं :

	राशि–रूपए/लाखों में
मूल सूचक दृष्टिकोण	28992.53

बैंक हेतु कुल तथा टियर–I पूंजी अनुपातः

बासल III के अनुसार कुल पूंजी और जोखिम भारित आस्ति अनुपात	11.24%
बासल III के अनुसार कामन इक्विटी के अनुसार कुल पूंजी और जोखिम भारित आस्ति अनुपात	8.48%
बासल III के अनुसार टियर I पूंजी और जोखिम भारित आस्ति अनुपात	8.48%

तालिका डी एफ 3 – ऋण जोखिम : सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

क. पिछला बकाया एवं अनर्जक खातों की परिभाषा

बैंक ने गैर–निष्पादित आस्तियों (एन.पी.ए.) के वर्गीकरण पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मूल विवेकपूर्ण दिशा–निर्देशों का निम्नानुसार अनुपालन किया हैः

क) जहां मियादी ऋण के मामले में ब्याज तथा/अथवा मूलधन की किश्त 90 दिन से अधिक अवधि के लिए अतिदेय हो।

ख) स्वीकृत सीमा में आहरण अधिकार के संबंध में यदि खाता लगातार 90 दिनों से अधिक समय के लिए अनियमित बना रहता है, तथा/अथवा अधिविकर्ष/नकद ऋण ओ.डी. सी.सी. के संबंध में तुलन–पत्र की तिथि तक लगातार कोई राशि जमा नहीं होती है अथवा जमा की गयी राशि उतनी पर्याप्त नहीं है कि इस अवधि के दौरान नामे किए गए ब्याज को वसूल किया जा सके तो खाता 'अनियमित' हो जाता है।

ग) बैंक द्वारा खरीदे गए और भुनाए गए बिलों के मामले में जहां बिल 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहे हों।

घ) अल्प अवधि की फसलों के लिए मूलधन की किश्त अथवा उस पर ब्याज के लिए दो फसली मौसम तक अतिदेय रहा हो।

ड) दीर्घ अवधि की फसलों के लिए मूलधन की किश्त अथवा उस पर ब्याज के लिए एक फसली मौसम तक अतिदेय रहा हो।

च) प्रतिभूतिकरण के दिनांक 7 मई 2012 के दिशा–निर्देशों की शर्तों के अनुसार प्रतिभूतिकरण लेन–देन के संबंध में यदि नकदी सुविधा की राशि 90 दिनों से अधिक बकाया रहती है।

छ) व्युत्पन्न सौदों के मामले में, अतिदेय प्राप्तियां जोकि व्युत्पन्न संविदा के सकारात्मक बाजार अंकित मूल्य को प्रदर्शित करती हैं, यदि चुकौती की विनिर्दिष्ट देय तिथि से 90 दिनों तक बकाया रहते हैं।

यहां 'अतिदेय राशि' से अभिप्राय किसी भी ऋण सुविधा के अधीन कोई भी देय राशि से है, यदि बैंक को निर्धारित देय तिथि पर इसका भुगतान नहीं होता है।

जहां कहीं किसी तिमाही के दौरान लगाया गया ब्याज उस तिमाही समाप्ति के 90 दिनों के भीतर पूर्ण रूप से अदा नहीं हो जाता और बैंक के लिए अर्जित होने वाली आय रुक जाए तो ऐसे खाते को गैर–निष्पादित आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त बैंक आस्तियों के वर्गीकरण के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निम्न दिशा–निर्देशों का भी पालन कर रहा है। (क) पुनः सरंचित खाते (ख) कार्यान्वयन के अंतर्गत परियोजना जो अधिक समय ले रही है (ग) पोत लदानोत्तर आपूर्ति–कर्ता ऋण (घ) निर्यात परियोजना वित्त (ङ) अधिग्रहण वित्त (च) सरकारी गारंटीकृत अग्रिम (छ) बी.आई.एफ.आर./टी.एल.आई. द्वारा अनुमोदित पुनर्वास के अंतर्गत अग्रिम (झ) ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना 2009 के अधीन लिया गया ऋण (ट) वित्तीय आस्तियों को प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्निर्माण कंपनी को बेचना (ठ) गैर–निष्पादित वित्तीय आस्तियों का क्रय–विक्रय (ढ) खातों का उन्नयन (ण) तुलन–पत्र की तिथि के समीप नियमित किए गए खाते, आदि।

ख. ऋण जोखिम प्रबंधन तथा उद्देश्य :

बैंक के ऋण जोखिम कारोबार की प्रभावी पहचान, मूल्यांकन, परिमापन तथा प्रबंधन के लिए, बैंक की जोखिम क्षमता के संबंध में अपेक्षित सीमा तक इसे नियंत्रित करना तथा उपलब्ध पूंजी के अनुरूप लाना है। इस प्रक्रिया को करते हुए बैंक के ऋण जोखिम दर्शन का लक्ष्य जोखिम में कमी लाना तथा उसे उस स्तर के भीतर बनाए रखना है जोकि हित धारकों को इक्विटी सहित बैंक के वित्तीय संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ–साथ बैंक का सतत् एवं सुदृढ़ विकास भी सुनिश्चित करता है।

ऋण जोखिम बैंक की योजनागत नीति – ऋण जोखिम :

बैंक की विस्तृत एवं सुपरिभाषित ऋण नीति है, जिसमें नीतिगत आयोजना के विभिन्न आयाम शामिल हैं। ऋण कारोबार तथा सामान्य आर्थिक एवं बाजार परिश्दृय के अनुरूप अग्रिम निवेश सूची में परिवर्तनों की अपेक्षाओं पर निर्भर करते हुए बैंक समय.समय पर ऋण–नीति की पुनरीक्षा करता है। बैंक की ऋण–नीति वर्ष में कम से कम एक बार निदेशक मण्डल द्वारा व्यापक समीक्षा के भी अध्याधीन है। बैंक की ऋण नीति में अन्य बातों के साथ निम्नलिखित घटकों का भी ध्यान रखा जाता है :

Capital requirements for operational risk:

	Amt. in Lakhs
Basic indicator approach	28992.53

Total and Tier 1 capital ratio for the Bank:

Total Capital to Risk Weighted Assets Ratio as per Basel III	11.24%
Common Equity Tier I Capital to Risk Weighted Assets Ratio as per Basel III	8.48%
Tier I Capital to Risk Weighted Assets Ratio as per Basel III	8.48%

Table DF 3 - CREDIT RISK : GENERAL DISCLOSURES

Qualitative Disclosures

A. DEFINITIONS OF PAST DUE AND IMPAIRED:

The Bank follows the basic prudential guidelines issued by the RBI on classification of Non-Performing Asset (NPA) as under :

a) Interest and / or instalment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan.
b) The account remains 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of sanctioned limit / DP for more than 90 days and / or there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, in respect of Overdraft/Cash Credit (OD/CC).
c) The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted.
d) The installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops.
e) The installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops.
f) The amount of liquidity facility remains outstanding for more than 90 days, in respect of a securitization transaction undertaken in terms of guidelines on securitization dated May 7, 2012.
g) In respect of derivative transactions, the overdue receivables representing positive mark-to-market value of a derivative contract, if these remains unpaid for a period of 90 days from the specified due date for repayment.

Here, `Overdue' mean any amount due to the Bank under any credit facility, if it is not paid on the due date fixed by the Bank.

Where the interest charged during any quarter is not serviced fully within 90 days from the end of the quarter, the account is classified as Non-performing asset and ceases to generate income for the bank.

Besides above, Bank also follows the guidelines issued by RBI in respect of classification of assets under a) Restructured accounts, b) Project under implementation involving time overrun, c) Post shipment Suppliers' Credit. d) Export Project Finance, e) Take over Finance, f) Govt. guaranteed Advance, g) Advance under Rehabilitation approved by BFIR / TLI, h) Advances under Debt Waiver & Debt Relief Scheme 2009, i) Sale of Financial Assets to Securitization Company /Reconstruction Company, j) Purchase/ Sale of Non-Performing Financial Assets, k) Up-gradation of accounts, l) Accounts regularized near about the Balance Sheet date etc.

B. CREDIT RISK MANAGEMENT AND OBJECTIVES:

To effectively identify, assess, measure, and manage the credit risk exposure of the Bank, with a view to contain it within desired limits in relation to the risk appetite of the Bank and commensurate with the availability of Capital. In doing so, the Bank's Credit Risk philosophy aims at minimising risk and maintaining it within the levels which shall ensure safety of the Bank's financial resources, including stakeholders' equity and, at the same time, also ensure a steady and healthy financial growth.

STRATEGIC POLICY OF THE BANK - CREDIT RISK:

The Bank has a comprehensive and well defined Loan Policy which covers various aspects of strategic planning. The loan policy of the Bank is reviewed from time to time, depending on requirements of the changes in loan portfolio and general economic and market scenario. The loan policy is also subjected to a comprehensive review by the Board at least once a year. The loan policy of the Bank addresses, among other things:

- विभिन्न उद्योग घटकों तथा ऋणकर्ता श्रेणियों में तर्कसंगत सीमा का निर्धारण एवं नियंत्रण।
- ऋण रेटिंग तथा/अथवा रिटेल घटकों से संबंद्ध जोखिम रूपरेखा पर आधारित मूल्यांकन।
- ऋणों के मूल्यांकन, स्वीकृति तथा निगरानी एवं ऋण के संवितरण की प्रविधियों के लिए प्रक्रिया एवं प्रणाली से संबंधित मार्गदर्शी निर्देश।
- ऋण रेटिंग फ्रेमवर्क।
- निरीक्षण तंत्र तथा विनियामक एवं नीतिगत मार्गदर्शी निर्देशों का अनुपालन।

ऋण–जोखिम प्रबंधन संगठनात्मक ढ़ाँचा :

- ऋण जोखिम प्रबंधन कार्यों के लिए बैंक के संगठनात्मक ढ़ाँचे के शीर्षस्थ स्तर पर निदेशक–मण्डल है, जो जोखिम प्रबंधन कारोबार पर पूरी निगरानी रखता है।
- जोखिम प्रबंधन समिति (आर.एम.सी.) जो कि अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में मण्डल की एक उप समिति है, ऋण जोखिम सहित समन्वित जोखिम प्रबंधन के लिए नीति एवं रणनीति तैयार करती है।
- परिचालन स्तर पर, ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सी.आर.एम.सी.) ऋण जोखिम का प्रबंधन करती है। इसके मुख्य कार्यों में निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित ऋण जोखिम प्रबंधन नीतियों का बैंक व्यापी आधार पर कार्यान्वयन तथा निदेशक–मण्डल को ऋण जोखिम प्रबंधन संबंधित, ऋण जोखिम की विवेकपूर्ण सीमाएं, पोर्टफोलियों प्रबंधन, ऋण.उत्पादों आदि से संबंधित सभी नीतियों के अनुमोदन हेतु संस्तुति शामिल है। बैंक में ऋण अनुमोदन की प्रक्रिया का ढ़ाँचा बना हुआ है और यह मानकीकृत है, जिसमें ऋण आकलन की व्यापक प्रक्रिया शामिल है। किसी भी वित्त पोषण प्रस्ताव के साथ जुड़े ऋण जोखिम के आकलन करने हेतु बैंक ऋणी तथा प्रासंगिक उद्योगों के विविध ऋण जोखिमों का आकलन करता है।
- महाप्रबंधक की अध्यक्षता में जोखिम प्रबंधन विभाग (आर.एम.डी.) निदेशक मण्डल द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर बैंक व्यापी आधार पर ऋण जोखिम का परिमापन, नियंत्रण एवं प्रबंधन करता है और निदेशक मण्डल/जोखिम प्रबंधन समिति/ऋण जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित जोखिम मापदण्डों के अनुपालन को लागू करता है। इस दायित्व के निर्वाहन में जोखिम प्रबंधन विभाग के विभिन्न कक्ष यथा ऋण जोखिम प्रबंधन कक्ष, बाजार जोखिम प्रबंधन कक्ष (ए.एल.एम.) तथा संचालनगत जोखिम प्रबंधन कक्ष इसकी मदद करते हैं।
- महाप्रबंधक के नियंत्रणाधीन निरीक्षण विभाग के साथ.साथ ऋण निगरानी विभाग, ऋणों की गुणवत्ता पर निगरानी, समस्याओं की पहचान करना तथा कामियों को दूर करने का उपाय करता है। ऋणों का पुनरीक्षण/ऋणों की लेखा परीक्षा का कार्य ऋण लेखा परीक्षा के रूप में अलग से किया जाता है।

ऋण जोखिम प्रबंधन / अल्पीकरण के लिए प्रयुक्त साधन

- ऋण अनुमोदन कर्ता प्राधिकारी शक्तियों का प्रत्यायोजन। बैंक की बहुविध जोखिम आधारित अनुमोदन प्रणाली के भीतर शक्तियों के प्रत्यायोजन की एक सुपरिभाषित योजना विद्यमान है, जिसकी जब कभी आवश्यकता हो, व्यवसायिक आवश्यकताओं की बाध्यताओं को पूरा करने के लिए समय.समय पर पुनरीक्षा की जाती है।
- विभिन्न स्वरूप के ऋणकर्ताओं के लिए एकल/समूह ऋण सुविधाओं जैसी ऋण/निवेश के विभिन्न पहलुओं पर तर्कसंगत ऋण सीमाएं प्रचलन में हैं।
- जोखिम, रेटिंग/मूल्यांकन–बैंक ने विभिन्न घटकों के लिए रेटिंग मॉडल लागू किए हुए हैं, जो प्रतिपक्ष के बहुविध जोखिम कारकों के एकल बिन्दु सूचक के रूप में कार्य करते हैं तथा ऋण मूल्यांकन निर्णयों में मददगार होते हैं।
- ऋण बही की गुणवत्ता के सतत् मूल्यांकन तथा ऋण प्रशासन में गुणात्मक सुधार के लिए ऋण लेखा परीक्षा/ऋण पुनरीक्षण पद्धति एक प्रभावी उपकरण है।
- संविभाग प्रबंधन – शुरूआती दौर में बैंक ने एक साधारण संविभाग निगरानी फ्रेमवर्क लागू किया है। भविष्य में बैंक अत्याधुनिक संविभाग प्रबंधन मॉडल को लागू करेगा।

जोखिम आंकलन :–

वर्तमान में ऋण जोखिम को व्यक्तिगत स्तर पर ऋण दर तथा पोर्टफोलियो स्तर पर जोखिम भारित आस्तियों के माध्यम से निर्धारित किया गया है तथा पूंजी को जोखिम भार आधार पर व्यवस्थित किया गया है।

कुल सकल ऋण जोखिम का एक्सपोजर

	श्रेणी	राशि–रूपए/लाखों में
1.	निधि–आधारित ऋण राशि का एक्सपोजर	6479642.21
2.	गैर–निधि आधारित ऋण राशि का एक्सपोजर	358045.74

- Exposure ceilings and prudential caps in different industry segments and borrower categories.
- Pricing based on risk profile linked to credit ratings and/or retail segments.
- Guidelines relating to procedures and systems for appraisal, sanction, and monitoring of loans and modes of dispensation of credit.
- Credit Rating framework.
- Inspection mechanism and compliance of regulatory and policy guidelines.

CREDIT RISK MANAGEMENT ARCHITECTURE:

- The organizational structure of the Bank for Credit Risk Management function has the Board of Directors at the Apex level that has the overall oversight of management of risks.
- The Risk Management Committee (RMC) which is the sub-committee of the Board headed by the Chairman & Managing Director devises the policy and strategy for integrated risk management including credit risk.
- At the operational level, the Credit Risk Management Committee (CRMC) manages the credit risk. The main function includes implementation of credit risk management policies approved by the Board, monitoring credit risk on a bank wide basis, recommending to the board for its approval all policies relating to credit risk management, prudential limits on credit exposures, portfolio management, loan products etc. There is a structured and standardized credit approval process including a comprehensive credit appraisal procedure. In order to assess the credit risk associated with any financing proposal, the Bank assesses a variety of risks relating to the borrower and the relevant industry.
- The Risk Management Department (RMD) headed by the General Manger, measures, controls and manages credit risk on bank wide basis within the limits set by the Board and enforces compliance with risk parameters set by Board/RMC/CRMC. The RMD is duly supported by Credit Risk Management Cell, Asset Liability Management Cell and Operations Risk Management Cell.
- The Inspection Department as well as Credit Monitoring Department headed by a General Manager monitor the quality of loan portfolio identifies problems and takes steps to correct deficiencies. Loan review / credit audit is undertaken by the Credit Audit function.

TOOLS USED FOR CREDIT RISK MANAGEMENT / MITIGATION

- Credit Approving Authority – Delegation of Powers. The Bank has a well-defined scheme of delegation of powers with a multi-tier risk based approving system, which is reviewed periodically and revised as and when necessary to meet the compulsions of business environment.
- Prudential Limits on various aspects of credit / investment like Single / Group borrower limits for various types of borrowers are in place.
- Risk Rating/Pricing - The bank has introduced rating models for various segments, which serve as a single point indicator of diverse risk factors of a counter party and support credit and pricing decisions.
- Credit Audit/Loan review mechanism is an effective tool for constantly evaluating the quality of loan book and to bring about qualitative improvements in credit administration
- Portfolio Management - to start with, the bank has introduced a simple portfolio-monitoring framework. Going forward the bank will be graduating to a more sophisticated Portfolio Management model.

RISK MEASUREMENT

At present Credit Risk is assessed through Risk rating at the individual level and through Risk Weighting of the assets at the portfolio level and capital is maintained based on Risk Weights.

Total gross credit risk exposures

	Category	**Amt. in Lakhs**
1	Fund Based Credit Exposures	6479642.21
2	Non Fund Based Credit Exposures	358045.74

ऋण जोखिम का भौगोलिक वितरण

	श्रेणी	राशि–रूपए/लाखों में
1	**विदेशी** – निधि आधारित ऋण राशि का प्रकटीकरण	शून्य
	– गैर निधि आधारित ऋण राशि का प्रकटीकरण	शून्य
2	**देशी** – निधि आधारित ऋण राशि का प्रकटीकरण	6479642.21
	– गैर निधि आधारित ऋण राशि का प्रकटीकरण	358045.74

एक्सपोज़र का उद्योगवार वितरण

राशि–रूपए/लाखों में

क. खाघान्न तथा उत्खनन	35446.34	18032.42	53478.76
क.1 कोयला / हार्ड लिगनाईट / पीट	180.74	10358.59	10539.33
क.2 अन्य खाघान्न	35265.60	7673.83	42939.43
ख. खाद्य प्रसंस्करण	104252.39	1198.09	105450.48
ख.1 चीनी	19627.67	295.87	19923.54
ख.2 खाद्य तेल और वनस्पति	15241.39	5.71	15247.10
ख.3 चाय	1351.84	1.19	1353.02
ख.4 कॉफी	11.46	0.00	11.46
ख.5 अन्य खाद्य प्रसंस्करण	68020.03	895.33	68915.36
ग. बेवरेज एवं तंबाकू	44193.21	211.72	44404.93
ग.1 तंबाकू एवं तंबाकू उत्पाद	49.51	0.00	49.51
ग.2 बेवरेज एवं तंबाकू अन्य	44143.70	211.72	44355.42
घ. कपड़ा उद्योग	127248.25	2138.44	129386.69
घ.1 कॉटन	65734.95	403.19	66138.14
घ.1.1 स्पिनिंग	60891.84	398.26	61290.10
घ.2 जूट	312.20	0.00	312.20
घ.2.1 स्पिनिंग	151.66	0.00	151.66
घ.3 हैंडीक्राफ्ट / खादी (एनपीएस)	1581.40	4.18	1585.58
घ.3.1 स्पिंनिंग	94.41	0.00	94.41
घ.4 सिल्क	3986.03	580.11	4566.14
घ.4.1 स्पिनिंग	3002.80	76.00	3078.80
घ.5 वूलन	1648.99	149.32	1798.31
घ.5.1 स्पिंनिंग	912.30	145.71	1058.01
घ.6 कपड़ा उधोग अन्य	53984.68	1001.63	54986.31
ड. चमड़ा–चमड़ा उत्पाद	10775.69	199.64	10975.33
च. लकड़ी एवं लकड़ी उत्पाद	8942.54	28.03	8970.57
छ. कागज तथा कागज उत्पाद	21728.80	774.43	22503.23

Geographic distribution of exposures

	Category	Amt. in Lakhs
1	**Overseas** - Fund Based Credit Exposures	NIL
	- Non Fund Based Credit Exposures	NIL
2	**Domestic** - Fund Based Credit Exposures	6479642.21
	- Non Fund Based Credit Exposures	358045.74

INDUSTRY TYPE DISTRIBUTION OF EXPOSURES

Amt. in Lakhs

INDUSTRY	FUNDED	NON FUND	TOTAL
A.MINING & QUARRYING	35446.34	18032.42	53478.76
A.1 COAL/HARD LIGNITE/PEAT	180.74	10358.59	10539.33
A.2 MINING OTHERS	35265.60	7673.83	42939.43
B.FOOD PROCESSING	104252.39	1198.09	105450.48
B.1 SUGAR	19627.67	295.87	19923.54
B.2 EDIBLE OILS & VANASPATI	15241.39	5.71	15247.10
B.3 TEA	1351.84	1.19	1353.02
B.4 COFFEE	11.46	0.00	11.46
B.5 FOOD PROC.- OTHERS	68020.03	895.33	68915.36
C.BEVERAGES & TOBACCO	44193.21	211.72	44404.93
C.1 TABACCO & TOBACCO PROD.	49.51	0.00	49.51
C.2 BEVERAGES & TOBACCO-OTHERS	44143.70	211.72	44355.42
D.TEXTILES	127248.25	2138.44	129386.69
D.1 COTTON	65734.95	403.19	66138.14
D.1.1 SPINNING	60891.84	398.26	61290.10
D.2 JUTE	312.20	0.00	312.20
D.2.1 SPINNING	151.66	0.00	151.66
D.3 HANDICRAFT/KHADI (NPS)	1581.40	4.18	1585.58
D.3.1 SPINNING	94.41	0.00	94.41
D.4 SILK	3986.03	580.11	4566.14
D.4.1 SPINNING	3002.80	76.00	3078.80
D.5 WOOLEN	1648.99	149.32	1798.31
D.5.1 SPINNING	912.30	145.71	1058.01
D.6 TEXTILE-OTHERS	53984.68	1001.63	54986.31
E.LEATHER & LEATHER PRODUCTS	10775.69	199.64	10975.33
F.WOOD & WOOD PRODUCTS	8942.54	28.03	8970.57
G.PAPER & PAPER PRODUCTS	21728.80	774.43	22503.23

ज. पैट्रो/कोयला/नाभकीय ईंधन	5697.94	131.61	5829.55
झ. रसायन एवं रसायन उत्पाद	38660.66	471.91	39132.57
झ.1 फर्टीलाइजर	10330.89	0.35	10331.24
झ.2 ड्रग्स एवं फार्मा	17947.47	8.10	17955.57
झ.3 पैट्रो–रसायन	5944.00	86.89	6030.89
झ.4 रसायन एवं रसायन उत्पाद	4438.31	376.57	4814.88
ट. रबड़, प्लास्टिक एवं इसके उत्पाद	17440.81	2538.33	19979.14
ठ. कांच एवं इसके बने उत्पाद	1190.57	11.69	1202.26
ड. सीमेंट–सीमेंट उत्पाद	10849.80	9066.17	19915.97
ढ. मूल धातु–धातु उत्पाद	213507.01	11971.59	225478.60
ढ.1 लोहा और स्टील	179832.18	2148.81	181980.99
ढ.2 अन्य धातु तथा धातु उत्पाद	33674.83	9822.78	43497.61
ण. समस्त इंजीनियरिंग	41518.62	6475.72	47994.34
ण.1 इलैक्ट्रानिक्स	2453.34	223.61	2676.95
ण.2 समस्त इंजीनियरिंग –अन्य	39065.28	6252.11	45317.39
त. वाहन/वाहन कलपुर्जे/टीपीटी औजार	23607.20	11728.93	35336.13
थ. रतन और आभूषण	38944.32	57496.51	96440.83
द. निर्माण	83448.75	42904.93	126353.68
ध. मूलभूत आवश्यक तत्व	1853341.63	44906.42	1898248.05
ध.1 ट्रांसपोर्ट	184254.85	19944.28	204199.13
ध.1.1 रेलवे	10314.93	11803.65	22118.58
ध.1.2 रोडवेज	142596.28	7767.02	150363.30
ध.1.3 अन्य	0.00	287.40	287.40
ध.1.4 वाटरवेज	12.42	34.61	47.03
ध.1.5 अन्य	31331.22	51.60	31382.82
ध.2 ऊर्जा	1306326.15	21629.09	1327955.24
ध.2.1 इलैक्ट्रानिक्स (सामा./टीआरएमएन/डीटीबी)	1306268.00	21460.64	1327728.64
ध.2.2 तेल (एसटीआरजी/पाइपलाईन)	57.82	70.32	128.14
ध.2.3 गैस एलएनजी	0.33	98.13	98.46
ध.3 टेली कम्यूनिकेशन	51352.05	1199.94	52551.99
ध.4 मूलभूत आवश्यक तत्व–अन्य	311408.58	2133.11	313541.69
ध.4.1 वाटर सैनिटेशन	94140.94	529.07	94670.01
ध.4.2 सामाजिक और कम्यूनिकेशन	217267.64	1604.04	218871.68
न. अन्य उद्योग	15240.45	1353.24	16593.69
प. अवशिष्ट	3783607.30	146405.90	3930013.20
क. शिक्षा ऋण	22300.73	24.00	22324.73
ख. उड्डयन क्षेत्र	76032.93	0.00	76032.93
कुल योग	**6479642.21**	**358045.74**	**6837687.96**

H.PETRO./COAL/NUCLEAR FUELS	5697.94	131.61	5829.55
I.CHEMICALS & CHEMICAL PROD.	38660.66	471.91	39132.57
I.1 FERTILISERS	10330.89	0.35	10331.24
I.2 DRUGS AND PHARMA.	17947.47	8.10	17955.57
I.3 PETRO-CHEMICALS	5944.00	86.89	6030.89
I.4 CHEMICALS & CHEMICAL PROD.- OTHERS	4438.31	376.57	4814.88
J.RUBBER,PLASTIC & ITS PROD.	17440.81	2538.33	19979.14
K.GLASS & GLASSWARE	1190.57	11.69	1202.26
L.CEMENT AND CEMENT PROD.	10849.80	9066.17	19915.97
M.BASIC METAL & METAL PROD.	213507.01	11971.59	225478.60
M.1 IRON & STEEL	179832.18	2148.81	181980.99
M.2 OTHER METAL & METAL PROD.	33674.83	9822.78	43497.61
N.ALL ENGINEERING	41518.62	6475.72	47994.34
N.1 ELECTRONICS	2453.34	223.61	2676.95
N.2 ALL ENGG. - OTHERS	39065.28	6252.11	45317.39
O.VEHCLES/V.PARTS/TPT.EQPM.	23607.20	11728.93	35336.13
P.GEMS & JEWELLARY	38944.32	57496.51	96440.83
Q.CONSTRUCTIONS	83448.75	42904.93	126353.68
R.INFRASTRUCTURE	1853341.63	44906.42	1898248.05
R.1 TRANSPORT	184254.85	19944.28	204199.13
R.1.1 -RAILWAYS	10314.93	11803.65	22118.58
R.1.2 -ROADWAYS	142596.28	7767.02	150363.30
R.1.3 -OTHERS	0.00	287.40	287.40
R.1.4 -WATERWAYS	12.42	34.61	47.03
R.1.5 -OTHERS	31331.22	51.60	31382.82
R.2 ENERGY	1306326.15	21629.09	1327955.24
R.2.1 -ELEC(GEN/TRMN/DTB)	1306268.00	21460.64	1327728.64
R.2.2 -OIL (STRG/PIPELINES)	57.82	70.32	128.14
R.2.3 -GAS/LNG	0.33	98.13	98.46
R.3 TELECOMMUNICATION	51352.05	1199.94	52551.99
R.4 INFRA-OTHERS	311408.58	2133.11	313541.69
R.4.1 -WATER SANITATION	94140.94	529.07	94670.01
R.4.2 -SOCIAL & COMM.	217267.64	1604.04	218871.68
S.OTHER INDUSTRIES	15240.45	1353.24	16593.69
T.RESIDUARY	3783607.30	146405.90	3930013.20
a.Education	22300.73	24.00	22324.73
b. Aviation Sector	76032.93	0.00	76032.93
Grand Total	**6479642.21**	**358045.74**	**6837687.96**

उल्लेखनीय एक्सपोज़र

उद्योग जहां कुल एक्सपोज़र, कुल निधि आधारित तथा गैर निधि आधारित ऋण जोख़िम के 5% से अधिक है।

राशि–रूपए/लाखों में

क्रम संख्या	उद्योग	एक्सपोज़र
1.	बुनियादी सुविधायें	1898248.05
2.	अवशिष्ट	3930013.20

आस्तियों का अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता विकार

राशि–रूपए/लाखों में

अवधि पूर्ण होने का स्वरूप (समयावधि)	ऋण एवं अग्रिम	निवेश–बही मूल्य)	विदेशी मुद्रा		जमाराशियाँ	उधार
			देयताएं	आस्तियां		
अगला 1 दिन	202846	0.00	1882	31188	189967	0.00
2 दिन से 7 दिन	107983	10991	178	2301	121963	102321
8 दिन से 14 दिन	49269	0.00	411	2459	62664	0.00
15 दिन से 28 दिन	75498	88172	843	5637	225240	0.00
29 दिनों से 3 माह	1219191	187371	2508	17241	1885672	0.00
3 माह से अधिक 6 माह तक	320824	59657	3055	8399	1173743	70002
6 माह से अधिक 1 वर्ष तक	386197	56093	6942	0.00	2289742	0.00
1 वर्ष से अधिक 3वर्षों तक	1700699	207233	9932	0.00	1290196	0.00
3 वर्षों से अधिक 5 वर्षों तक	1281330	571323	14111	0.00	757160	0.00
5 वर्षों से अधिक	1043179	1494330	0.00	0.00	675125	0.00
कुल योग	**6387018**	**2675170**	**39862**	**67225**	**8671472**	**172323**

एन.पी.ए. की राशि (सकल)

	श्रेणी	राशि–रूपए/लाखों में
1.	अवस्तरीय	155980.00
2.	संदिग्ध 1	77955.00
3.	संदिग्ध 2	71277.00
4.	संदिग्ध 3	2681.00
5.	हानि	326.00

निवलः– एन.पी.ए

राशि–रूपए/लाखों में

निवलः– एन.पी.ए	226600

एन.पी.ए. अनुपात

	श्रेणी	प्रतिशत
1	सकल अग्रिम का सकल एन.पी.ए	4.76%
2	निवल अग्रिम का निवल एन.पी.ए	3.55%

एन.पी.ए (सकल) में उतार–चढाव

	राशि–रूपए/लाखों में
अथ शेष	255352.00
जमां	124242.00
कमी	71375.00
इति शेष	308219.00

Significant exposure:

Industry where the Total Exposure is more than 5% of Total Fund based and Non-fund based exposure:

Amt. in Lakhs

S.No.	Industry	Exposure
1	Infrastructure	1898248.05
2	Residiary	3930013.20

RESIDUAL CONTRACTUAL MATURITY BREAKDOWN OF ASSETS

Amt. in Lakhs

Maturity Pattern's (Time Buckets)	Loans & Advances	Investments (Book Value)	Foreign Currency		Deposits	Borrowings
			Liabilities	Assets		
Next 1 Day	202846	0.00	1882	31188	189967	0.00
2 Days To 7 Days	107983	10991	178	2301	121963	102321
8 Days To 14 Days	49269	0.00	411	2459	62664	0.00
15 Days To 28 Days	75498	88172	843	5637	225240	0.00
29 Days To 3 Months	1219191	187371	2508	17241	1885672	0.00
Over 3 Months To 6 Months	320824	59657	3055	8399	1173743	70002
Over 6 Months To 1 Year	386197	56093	6942	0.00	2289742	0.00
Over 1 Year To 3 Years	1700699	207233	9932	0.00	1290196	0.00
Over 3 Years To 5 Years	1281330	571323	14111	0.00	757160	0.00
Over 5 Years	1043179	1494330	0.00	0.00	675125	0.00
GRAND TOTAL	**6387018**	**2675170**	**39862**	**67225**	**8671472**	**172323**

Amount of NPAs (Gross)

	Category	Amt. in Lakhs
1	Substandard	155980.00
2	Doubtful 1	77955.00
3	Doubtful 2	71277.00
4	Doubtful 3	2681.00
5	Loss	326.00

Net NPAs

Amt. in Lakhs

Net NPAs	226600.00

NPA Ratios

	Category	Percent
1	Gross NPAs to Gross advances	4.76%
2	Net NPAs to Net advances	3.55%

Movement of NPAs (Gross)

	Amt. in Lakhs
Opening Balance	255352.00
Additions	124242.00
Reductions	71375.00
Closing Balance	308219.00

एन.पी.ए हेतु प्रावधानों में उतार–चढाव

	राशि–रूपए/लाखों में
अथशेष	61867
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	43662
बट्टे खाते डालना	
अधिक प्रावधानों का पुनरांकन	26327
इतिशेष	79202

गैर–निष्पादित निवेशों की राशि

	राशि–रूपए/लाखों में
गैर निष्पादित निवेशों की राशि	5391.01

गैर–निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधानों की राशि

	राशि–रूपए/लाखों में
गैर–निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधान	3516.01

निवेशों पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधानों में उतार चढाव

	राशि–रूपए/लाखों में
अथशेष	1904.99
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	520.90
बट्टे खाते डालना	शून्य
अधिक प्रावधानों का पुनरांकन	1942.99
इतिशेष	482.90

तालिका डी.एफ.– 4 – ऋण जोख़िम : मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत संविभाग का प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

1. बैंक ने सी.आर.ए.आर. परिकलन हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोख़िम भार निर्धारण करने के लिए निम्न श्रेणी निर्धारक एजेन्सियों की सामान्य रेटिंग का उपयोग करना अनुमोदित किया है। देशी दावों के लिए क्रिसिल, आईसीआरए, इंडिया रेटिंग, ब्रिकवर्क, एसएमईआरए तथा केयर एवं अनिवासी कॉरपोरेट, विदेशी बैंकों तथा विदेशी सरकार के दावों के लिए एस एण्ड पी, फिच तथा मूडीज को अनुमोदित किया है।
   भारतीय रिज़र्व बैंक की परिभाषा के अनुसार इन समस्त एजेंसियों का श्रेणी निर्धारण समस्त प्रकार के ऋण जोख़िमों के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है, बशर्तें बासेल–II के अंतर्गत सी.आर.ए.आर. परिकलन हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोख़िम भार के लिए श्रेणी का निर्धारण किया जा रहा हो।
2. बैंकिंग बहियों में तुलनात्मक आस्तियों पर आधारित श्रेणी निर्धारण के आधार पर सार्वजनिक निर्गम के अंतरण के लिए प्रयोग में लाई गई प्रक्रिया भारतीय रिज़र्व बैंक की विनियामक अनिवार्यता के अनुरूप् है। श्रेणी निर्धारक एजेन्सियों द्वारा प्रकाशित सार्वजनिक श्रेणी निर्धारण उनकी वेबसाईट पर भी उपलब्ध है, जिसका उद्देश्य हेतु उपयोग किया गया है। सम्बन्धित श्रेणी निर्धारक एजेन्सी के मासिक बुलेटिन के अनुसार लागू श्रेणी तथा जिसकी कम से कम गत 15 माह में एक बार समीक्षा की जा चुकी है, का इस उद्देश्य हेतु प्रयोग किया गया है।
3. जहाँ प्रत्येक ऋण जोख़िम का श्रेणी निर्धारण केवल एक अनुमोदित श्रेणी निर्धारण एजेन्सी द्वारा किया गया है, के अपवाद को छोड़कर, प्रतिपक्ष विशेष पर समस्त ऋण जोख़िम के लिए बैंक ने केवल एक एजेन्सी के श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया है यद्यपि इन ऋण जोख़िमों का एक से अधिक एजेन्सियों द्वारा श्रेणीकरण किया गया है।
4. जोख़िम भार हेतु पात्रता के लिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि बाहरी ऋण मूल्यांकन तथा बैंक द्वारा उसे प्रदत्त समस्त भुगतान अर्थात मूल राशि तथा ब्याज के सम्बन्ध में, ऋण जोख़िम एक्सपोजर की पूरी राशि शामिल करता है तथा प्रतिबिंबित करता है। जोख़िम भार के लिए कॉरपोरेट ग्रुप में एक कम्पनी के लिए बाहरी निर्धारण का प्रयोग उसी ग्रुप की अन्य कम्पनियों के बाहरी निर्धारण के लिए प्रयोग नहीं किया गया है।
5. आस्तियाँ जिनकी संविदागत परिपक्वता एक वर्ष या उससे कम है, के लिए अल्पावधि श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया गया है जबकि अन्य आस्तियों के लिए दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया गया है। नकद उधार एक्सपोजर के लिए दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया गया है।
6. जहाँ जारीकर्ता का एक दीर्घावधि एक्सपोजर है जिस पर बाहरी दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण के अनुसार 150 प्रतिशत जोख़िम भार अभिष्ट होता है, उसी प्रतिपक्ष के समस्त गैर–श्रेणीगत दावे चाहे वे अल्पावधि हों या दीर्घावधि पर 150 प्रतिशत जोख़िम भार माना जाएगा, सिवाए ऐसे दावों में जहाँ जोख़िम कम करने की तकनीक प्रयोग में लाई गई हो अल्पावधि श्रेणी निर्धारण पर भी यही लागू होगा।

Movement of Provisions for NPAs

	Amt. in Lakhs
Opening Balance	61867.00
Provisions made during the period	43662.00
Write-off	26327.00
Write-back of excess provisions	
Closing Balance	79202.00

Amount of Non-Performing Investments

	Amt. in Lakhs
Amount of Non-Performing Investments	5391.01

Amount of provisions held for non-performing investments

	Amt. in Lakhs
Provisions held for non-performing investments	3516.01

Movement of provisions for depreciation on investments

	Amt. in Lakhs
Opening Balance	1904.99
Provisions made during the period	520.90
Write-off	Nil
Write-back of excess provisions	1942.99
Closing Balance	482.90

Table DF 4 - CREDIT RISK: DISCLOSURES FOR PORTFOLIOS SUBJECT TO THE STANDARDISED APPROACH

Qualitative Disclosures

1. The Bank has approved using the general rating of the following credit rating agencies for risk weighting under the standardized approach for CRAR calculations CRISIL, ICRA, India Rating, SMERA, BRICKWORK and CARE for domestic claims and S&P, FITCH and Moody's for claims on non-resident corporates, foreign banks and foreign sovereigns.

   The ratings of all these agencies are being used for all exposures subjected to rating for risk weighting purposes under the standardized approach for CRAR calculations under Basel-II as defined by RBI.
2. The process used to transfer public issue ratings on to comparable assets in the banking book is as per regulatory requirements of RBI. The public ratings published by the rating agencies on their website are used for this purpose. Only, ratings which are in force as per monthly bulletin of the concerned rating agency and which have been reviewed at least once during the previous 15 months are used.
3. For all the exposures on a particular counterparty, bank uses the rating of only one agency, even though these exposures are rated by more than one with exception being where each of the exposures is rated by only one of the approved rating agencies.
4. To be eligible for risk-weighting purposes, it is ensured that the external credit assessment takes into account and reflects the entire amount of credit risk exposure the bank has with regard to all payments owed to it i.e., both principal and interest. External assessments for one entity within a corporate group is not used to risk weight other entities within the same group.
5. For assets that have contractual maturity less than or equal to one year, short term ratings are used while for other assets, long term ratings are used. For Cash Credit exposures long term ratings are taken.
6. Where an issuer has a long-term exposure with an external long term rating that warrants a risk weight of 150%, all unrated claims on the same counterparty, whether short-term or long-term, also receive a 150% risk weight, except incases where credit risk mitigation techniques are used for such claims. Similar is the case with short-term rating.

7. अनुमोदित श्रेणी निर्धारण एजेन्सियों द्वारा अल्पावधि श्रेणी निर्धारण को अल्पावधि ऋण जोखिम भार के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोख़िम भार में प्रत्यक्ष रूप से शामिल किया जाता है। इसके विपरीत प्रतिपक्ष पर गैर निर्धारित अल्पावधि दावे, उस प्रतिपक्ष पर श्रेणीगत अल्पावधि दावे के लिए जोख़िम भार से कम से कम एक स्तर ऊपर का जोख़िम भार लागू होगा।

   बैंक के विरुद्ध दर निर्धारण सुविधा से उत्पन्न जोखिम भार दावों के आकलन हेतु विशिष्ट रूप से जारी कम अवधि वाली प्रतिभूतियों को प्रयोग किया जाता है तथा कम अवधि वाली कॉरपोरेट दर निर्धारित प्रतिभूतियों को गैर–निर्धारित दीर्घावधि दावों हेतु जोख़िम भार समर्थन के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाता।

8. यदि पात्र ऋण निर्धारण एजेंसियों द्वारा दो श्रेणी निर्धारण की गई हैं जिसमें दो अलग–अलग जोख़िम भार अंकित किए गए हैं, वहाँ उच्चतर जोख़िम भार लागू किया जाता है। यदि पात्र ऋण श्रेणी निर्धारण एजेंसियों द्वारा तीन या अधिक श्रेणी निर्धारित की गई है जिसमें जोख़िम भार अंकित किए गए हैं, वहाँ दो तदनुरूपी निम्नतम जोख़िम भारों की श्रेणी निर्धारण के संदर्भ में तथा इन दोनों जोख़िम भारों में उच्चतर जोख़िम भार को लागू किया गया है, अर्थात दूसरा सबसे न्यूनतम जोख़िम भार।

9. जहाँ विशेष निर्धारित मामलों में दावा निवेश नहीं है, निवेश दावों पर जोख़िम भार चयनित ऋण श्रेणी वर्गीकरण एजेन्सी द्वारा विशेष श्रेणी निर्धारण पर आधारित हैं।

   i) ऋण विशेष के लिए लागू श्रेणी निर्धारण (जहाँ श्रेणी वर्गीकरण के जोख़िम भार गैर–श्रेणीकृत मामलों पर लागू जोख़िम भार से कम है) बैंक के केवल गैर–निर्धारित दावों पर लागू है, जहाँ वर्गीकृत मामला एक अल्पावधि अनिवार्यता है यदि वह दावा समरूप वर्गीकृत है या हर प्रकार से विशिष्ट वर्गीकृत ऋण से अधिक है तथा गैर –निर्धारित मामलों की परिपक्वता निर्धारित मामलों की परिपक्वता के बाद नहीं है, को छोड़कर बैंक के केवल गैर–निर्धारित मामले पर लागू है।

   ii) यदि जारीकर्ता या एकल निर्गम के लिए गैर–निर्धारित मामलों के लिए लागू जोखिम भार से अधिक या उसके बराबर जोख़िम भार निर्धारण किया गया है तो उस प्रतिपक्ष पर गैर–निर्धारित मामलों के लिए वही जोख़िम भार निर्धारित होगा जोकि ऋण जोख़िम भार पर लागू होगा, यदि यह दावा उसके साथ–साथ या हर प्रकार से निर्धारित ऋण जोख़िम भार से कम है।

मानकीकृत दृष्टिकोण रखते हुए जोख़िम कम करने के बाद भार राशि

राशि–रूपए/लाखों में

जोख़िम भार श्रेणी	**निर्धारित ऋण जोख़िम**	**गैर–निर्धारित ऋण जोख़िम**	**ऋण जोख़िम कम करने के बाद जोख़िम भार**
100% जोख़िम भार से कम	1284030.18	2804660.11	4088690.29
100% जोख़िम भार	487831.52	1623675.99	2111507.51
100% जोख़िम भार से अधिक	438994.80	328465.63	767460.43
कटौती	0.00	0.00	0.00
कुल	**2210856.50**	**4756801.73**	**6967658.23**

तालिका डी.एफ. 5.

ऋण जोख़िम कम करना : मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

1. संस्था के अर्जन को घाटे से बचाने के लिए, ऋण जोखिम कम करके राजस्व वृद्धि करना प्रबंधन का प्रमुख उपकरण है। बैंक अपने दैनिक परिचालन के दौरान ऋण जोख़िमों को कम करने के लिए अनेक तरीके और तकनीक अपनाते हैं। परिपक्वता असंतुलन, मुद्रा असंतुलन और मूल्य समायोजन के पश्चात, पूंजी प्रभार को कम करने हेतु पर्यवेक्षक ने ऋण जोख़िम कम करने के उपायों की अनुमति दी है। नए पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बेसल–II तथा बेसल–III) के अंतर्गत पहचाने गए ऋण जोख़िम कम करने के विभिन्न कारक (सी.आर.एम.) निम्न हैं :–

   - सम्पाशिर्वक संचालन
   - ऑन–बैलेंस–शीट–नेटिंग
   - गारंटियाँ

2. पात्र वित्तीय सम्पार्श्विक प्रतिभूतियाँ

मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत सभी सम्पार्श्विकों को ऋण जोख़िम कम करने हेतु नहीं माना गया है। पहचानी गई वित्तीय सम्पार्श्विक निम्नलिखित हैंः–

1.) नकदी और जमाएं जिसमें विदेशी मुद्रा सम्मिलित हैं।
2.) सोना रु 99.99 प्रतिशत की शुद्धता प्रमाणित करना।
3.) केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ।

7. The Short-term ratings assigned by the approved rating agencies are directly mapped to the risk weights under the Standardised Approach for long-term exposures. On the contrary, the unrated short-term claim on counter-party attracts a risk weight of at least one level higher than the risk weight applicable to the rated short-term claim on that counter-party. Issue-specific short-term ratings are used to derive risk weights for claims arising from the rated facility against banks and a corporate's short-term rating is not used to support a risk weight for an unrated long-term claim.
8. If there are two ratings accorded by eligible credit rating agencies, which map into different risk weights, the higher risk weight is applied. If there are three or more ratings accorded by eligible credit rating agencies with different risk weights, the ratings corresponding to the two lowest risk weights are referred to and the higher of those two risk weights are applied, i.e., the second lowest risk weight.
9. The RW of the investment claim is based on specific rating by a chosen credit rating agency, where the claim is not an investment in a specific assessed issue:
   i) the rating applicable to the specific debt (where the rating maps into a risk weight lower than that which applies to an unrated claim) is applied to the bank's un-assessed claim only if this claim ranks pari passu or senior to the specific rated debt in all respects and the maturity of the un-assessed claim is not later than the maturity of the rated claim**, e**xcept where the rated claim is a short term obligation.
   ii) if either the issuer or single issue has been assigned a rating which maps into a risk weight equal to or higher than that which applies to unrated claims, an unrated claim on the same counterparty, is assigned the same risk weight as is applicable to the rated exposure, if this claim ranks pari passu or junior to the rated exposure in all respects.

Exposure amounts after risk mitigation subject to the standardized approach

Amt. in Lakhs

Risk Weight Category	**Rated Exposure**	**Un-Rated Exposure**	**Exposure After Credit Risk Mitigation**
Below 100 % risk weight	1284030.18	2804660.11	4088690.29
100 % risk weight	487831.52	1623675.99	2111507.51
More than 100 % risk weight	438994.80	328465.63	767460.43
Deducted	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**2210856.50**	**4756801.73**	**6967658.23**

Table DF 5 - CREDIT RISK MITIGATION: DISCLOSURES FOR STANDARDISED APPROACHES

Qualitative Disclosures

1. Credit Risk Mitigation is a proactive management tool designed to enhance revenue growth, while protecting an entity's earnings from loss. Banks employ various methods and techniques to reduce the impact of the credit risks they are exposed to in their daily operations. Some of the credit risk mitigation techniques are permitted to be used by the supervisor for reducing the capital charge after adjustment for value, currency mismatch and maturity mismatch. Various Credit Risk Mitigants (CRM) recognized under the New Capital Adequacy Framework (Basel II) are as follows:
   → Collateralised transactions
   → On-balance-sheet-netting
   → Guarantees

2. Eligible financial collateral:

All collaterals are not recognised as credit risk mitigants under the Standardised Approach. The following are the financial collaterals recognized:

i. Cash and Deposits including deposits in foreign currency.
ii. Gold: benchmarked to 99.99% purity.
iii. Securities issued by Central and State Governments

4.) किसान विकास–पत्र और राष्ट्रीय बचत–पत्र।
5.) जीवन–बीमा पॉलिसियाँ।
6.) ऋण–प्रतिभूतियाँ : शर्तों के अनुसार वर्गीकृत।
7.) बैंक द्वारा शर्तों के अनुसार जारी अवर्गीकृत ऋण–प्रतिभूतियाँ।
8.) शर्तों के अनुसार म्यूच्युअल फंडों के यूनिट्स।
9.) पुनः प्रत्याभूतन (रीसिक्यूरिटाइजेशन्ज), क्रेडिट रेंटिंग हो या न हो, वित्तीय संपार्श्विक के पात्र नहीं।
संपार्श्विक संचालन में पूंजी राहत प्राप्त करने के लिए कुछ अतिरिक्त मानदंड हैं जिनका सीधे तौर पर संपार्श्विक प्रबंधन पर प्रभार पड़ता है और संपार्श्विक प्रबंधन के दौरान इन पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है।

3. ऑन–बैलेंस–शीट–नेटिंग

ऑन–बैलेंस–शीट–नेटिंग केवल ऋण/अग्रिमों (ऋण जोख़िम के रूप में मान्य) और जमाओं (संपार्श्विक के रूप में मान्य) तक ही सीमित है, जहाँ बैंक के पास कानूनी रूप से लागू नेटिंग प्रबंध है जिसमें विशेष ग्रहणाधिकार प्रलेखों की जांच की जाती है और जिनका निवल आधार पर प्रबंधन किया जाता है।

4. गारंटियाँ : जहाँ गारंटियाँ सीधे तौर से, सुनिश्चित, अविकल्पी और शर्तरहित हैं, बैंक पूंजी पर्याप्तता की संगणना करते समय ऐसे ऋण संरक्षण को ध्यान में रखता है। बासल–II तथा बासल–III के अनुसार पात्र गारंटरों/प्रति गारंटरों के वर्ग में ये शामिल हैं :

i) सम्प्रभु, सम्प्रभुता प्राप्त संस्थाएं (बी.आई.एस., आई.एम.एफ., यूरोपियन सेंट्रल बैंक और यूरोपियन समुदाय के साथ उल्लेखित एम.डी.बी.एस., ई.सी.जी.सी. एवं सी.जी.टी.एस.आई., सी.आर.जी.एफ.टी.एल.आई. एच. सम्मिलित हैं), बैंक और प्राईमरी डीलर जो प्रति पक्ष से कम भारित जोख़िम युक्त हैं।

ii) किसी प्रत्याभूतन अवस्थिति में जब ऋण संरक्षण प्रदान किया गया हो तो उसे छोड़कर अन्य कारक बाह्य निर्धारित होते हैं। इसमें मूल, सहायक तथा संबद्ध कंपनियों द्वारा ऋण संरक्षण प्रदान किया जाना शामिल हैं जब वे आभारी से कम जोख़िम भार पर हों।

iii) ऋण संरक्षण किसी प्रत्याभूतन अवस्थिति में प्रदान किया जाता है, अन्य कारक, जो उस समय बाह्य निर्धारित है बी.बी.बी.– अथवा बेहतर और जो बाह्य रूप से ए– अथवा बेहतर निर्धारित थे, उन्हें ऋण संरक्षण प्रदान किया गया था। इसमें मूल, सहायक तथा संबद्ध कंपनियों द्वारा ऋण संरक्षण प्रदान किया जाना शामिल है जब वे आभारी से कम जोख़िम भार पर हों।

बैंक एक्सपोजर के प्रति सभी प्रकार की प्रतिभूतियाँ स्वीकार करता है। फिर भी बासल–III के नियमों के अनुसार, ऋण जोख़िमोंका समंजन से पूर्व, पात्र सम्पार्श्विकों पर विचार किया जाता है और उनका उचित उपचार किया जाता है। बैंक के पास ऋण जोख़िम कम करने की एक विस्तृत पॉलिसी है और प्रतिभूतियों के मूल्यांकन करने के दिशा–निर्देश उपलब्ध हैं। बैंक गारंटरों की रेटिंग करते समय प्रति पार्टी से बेहतर गारंटीकर्ताओं की रेटिंग के मामलों में, पात्र गारंटियों का संज्ञान करता है। इसके अतिरिक्त ऋण सुरक्षा के लिए केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, ई.सी.जी.सी. और सी.जी.टी. कवर को भी उपयुक्त जोख़िम भार लगाते समय ध्यान में रखा जाता है।

मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत ऋण जोख़िम संविभाग का प्रकटीकरण कवर किया गया। कुल ऋण जोख़िम : पात्र वित्तीय प्रतिभूति कटौती करने के उपरान्त रु. 323902.83 लाख

तालिका डी.एफ.– 6– प्रतिभूतिकरण : मानकीकृत दृष्टिकरण के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

आस्तियों के प्रकटीकरण की नीति के उद्देश्य

1. संसाधनों को बढ़ाने हेतु

1.1 उचित मूल्य पर (आस्ति आधारित प्रतिभूतिकरण/बंधक के माध्यम से) बैंक के संसाधनों को बढ़ाना।

1.2 जरूरत पड़ने पर, परिपक्वता अंतर को कम करने के लिए, उत्तम आस्ति देयता प्रबंधन हेतु लम्बी समयावधि की आस्तियों को बेचा जा सकता है।

1.3 बैंक की संवृद्धि को प्रभावित किए बिना दक्षता से पूंजी कोष की व्यवस्था करना। पूंजी की दुर्लभता के बावजूद व्यवसाय की निरंतरता तथा आस्तियों के आवर्तन करना।

1.4 निधियों के नए स्रोतों का उपयोग तथा वर्तमान निधियों के साधनों का विविधीकरण।

1.5 प्रतिलाभ को बढ़ाने के लिए आस्तियों का जल्दी जल्दी क्रय–विक्रय ।

1.6 ऋण संविभाग के उचित प्रबंधन के लिए उच्च संक्रेन्द्रण के क्षेत्रों में आस्तियों को किराए पर लेकर, बैंक इन क्षेत्रों में अतिरिक्त व्यवसाय करना जारी रखने की स्थिति में होगा और इस तरह बाजार में अपना हिस्सा, ग्राहक संबंध इत्यादि बरकरार रख सकता है।

iv. Kisan Vikas Patra and National Savings Certificates
v. Life insurance policies
vi. Debt securities -Rated subject to conditions.
vii. Debt securities not rated issued by banks subject to conditions
viii. Units of mutual funds subject to conditions
ix. Re-securitisations, irrespective of any credit ratings, are not eligible financial collateral.

There are certain additional standards for availing capital relief for collateralized transactions, which have direct bearing on the management of collaterals, and these aspects are taken into account during Collateral Management.

3. On-balance-sheet-netting

On-balance sheet netting is confined to loans/advances (treated as exposure) and deposits (treated as collateral), where Bank has legally enforceable netting arrangements, involving specific lien with proof of documentation and which are managed on a net basis.

4. Guarantees Where guarantees are direct, explicit, irrevocable and unconditional, bank takes account of such credit protection in calculating capital requirements. The range of eligible guarantors / counter guarantors as per Basel III includes:

i. Sovereigns, sovereign entities (including BIS, IMF, European Central Bank and European Community as well as those MDBs, ECGC and CGTSI, CRGFTLIH), banks and primary dealers with a lower risk weight than the counterparty;

ii. Other entities that are externally rated except when credit protection is provided to a securitisation exposure. This would include credit protection provided by parent, subsidiary and affiliate companies when they have a lower risk weight than the obligor.

iii. When credit protection is provided to a securitisation exposure, other entities that currently are externally rated BBB- or better and that were externally rated A- or better at the time the credit protection was provided. This would include credit protection provided by parent, subsidiary and affiliate companies when they have a lower risk weight than the obligor.

The Bank accepts all types of collaterals against exposures. However, for Basel-III norms, the eligible collaterals are considered and given appropriate treatment before they are set-off against exposures. The bank has a well laid-out Credit Risk Mitigation & Collateral management Policy and also guidelines for valuation of collaterals. The Bank also takes cognizance of eligible guarantees and substitution of rating of guarantor(s) in cases where these are better than that of the counter-party. Besides, for purposes of credit protection, Central Govt., State Govt., ECGC and CGFT coverages are also taken into account to apply appropriate risk weights.

Disclosed credit risk portfolio under the standardised approach, the total exposure that is covered by: Eligible financial collateral; after the application of haircuts – **Rs. 323902.83 lakhs**

Table DF 6- SECURITISATION: DISCLOSURE FOR STANDARDISED APPROACH

<u>Qualitative Disclosures</u>

Objective of Policy on Securitization of Assets

1. For Raising Resources

1.1 To raise resources for the Bank (through mortgage/ asset backed securitization) at a reasonable cost.

1.2 For better asset liability management as long tenure assets can be disposed off, IN CASE OF NEED, to reduce the maturity mismatches.

1.3 To manage the capital funds efficiently without effecting the growth of the Bank. To rotate assets and to continue to book business even while capital availability is scarce.

1.4 To access to new source of funding and diversify the existing funding sources.

1.5 To maximize the returns by churning assets fast.

1.6 For better managing the credit portfolio. By hiring of assets in sectors of high concentration, the Bank would be in a position to continue to book additional business in these sectors and hence maintain market share, client relationship etc.

2. **अधिशेष निधियों का अभिनियोजन :** पीटीसी के लिए अभिदान करके या फिर उचित प्रतिलाभ दर वाले ऋणों के द्विपक्षीय आवंटन के माध्यम से आस्तियों की खरीद द्वारा अधिशेष निधियों के थोक अभिनियोजन का भी एक साधन।

हालाँकि, बैंक ने प्रतिभूतिकरण के अंतर्गत मानकीकृत ऋण संविभाग को किसी अन्य संस्था(ओं) को नहीं बेचा है।

मानक समूह आस्तियों के प्रतिभूतिकरण (समनुदेशन) के अंतर्गत ऋण जोख़िम (बकाया शेष) रू. 4053 लाखो में ।

तालिका डी.एफ.– 7– ट्रेडिंग बुक में बाजार जोख़िम

गुणात्मक प्रकटीकरण

बाजार जोख़िम का आशय ब्याज दरों में परिवर्तन, विदेशी मुद्रा दरों, बाजार मूल्यों एवं परिवर्तनीयता से होने वाले भविष्य की आय की अनिश्चितता से है। बैंक यह मानता है कि बाजार जोख़िम में उसके उधार/ऋण देने तथा जमा लेने जैसे व्यवसायों और निवेश गतिविधियों यथा स्थान ग्रहण करना एवं व्यापार करना भी शामिल है। बाजार जोख़िम का निवेश नीतियों तथा बाजार जोख़िम प्रबंधन नीति के अनुसार प्रबंधन किया जाता है,जिसका अनुमोदन बोर्ड द्वारा किया जाता है। ये नीतियों, प्रतिभूतियों के प्रचालन, विदेशी मुद्रा तथा अन्य उत्पादों को सुदृढ़ एवं स्वीकार्य व्यापार, कार्य प्रक्रियाओं के अनुसार होना सुनिश्चित करती है और जहां तक हो सके ये विनियामक दिशा–निर्देशों के अनुसार वितीय प्रतिभूतियों के अंतरण को शासित करने वाले विधानों तथा वित्तीय परिवेश के अनुसरण में कार्य करते हैं। व्यापार की पुस्तकों में बाजार जोख़िम का आंकलन मानकीकृत आवधिक अभिरूख के अनुसार किया जाता है। ट्रेडिंग (व्यापार) के आयोजन हेतु तथा विक्रय के लिए उपलब्ध पोर्टफोलियो के अनुसार पूंजीगत चार्ज की संगणना भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रूडेंशियल दिशा–निर्देशों के अनुसार की जाती है।

बाजार जोख़िम प्रबंधन के उद्देश्य :

बाजार जोख़िम प्रबंधन के उद्देश्य निम्न प्रकार से है :

- चलनिधि का प्रबंधन
- ब्याज दर जोख़िम एवं विनिमय दर जोख़िम का प्रबंधन
- निवेश पोर्टफोलियो का उचित वर्गीकरण एवं मूल्यांकन
- निवेशों तथा व्युत्पादों पदार्थो की पर्याप्त एवं उचित रिर्पोटिंग
- विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन

मात्रात्मक प्रकटीकरण :

पूंजी आवश्यकता	**राशि–रूपए/लाखों में**
ब्याज दर जोख़िम	24087.69
शेयर स्थिति जोख़िम	3108.46
विदेशी विनिमय जोख़िम	शून्य

तालिका डी.एफ.– 8– परिचालनगत जोख़िम

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने परिचालनगत जोख़िम प्रबंधन तथा व्यवसाय निरंतरता आयोजन व आपदा वसूली प्रबंधन पर नीतियाँ तैयार की हैं। बैंक का निदेशक–मण्डल वार्षिक आधार पर इन नीतियों की समीक्षा करता है। बैंक जोख़िम हानि आंकड़ों के संग्रहण की प्रक्रिया में लगा है।

परिचालनात्मक जोख़िम सम्बन्धी नीति के अनुसार कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता में परिचालनात्मक जोख़िम प्रबंधन समिति (ओ.आर.एम.सी.) गठित की गई है। ओ.आर.एम.सी. की नियमित बैठकें प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जाती है। शाखाओं की ऑन साईट जोख़िम आधारित आंतरिक लेखा–परीक्षा (आर.बी.आई.ए.) बैंक का निरीक्षण सम्पन्न करता है। 3 करोड़ रुपये से ऊपर के सभी ऋण प्रस्तावों, सीमाओं की नियमित रूप से ऋण लेखा–परीक्षा भी की जाती है।

हाउस कीपिंग, समाधान एवं धोखाधड़ी आदि से सम्बन्धित मामलों में क्रमशः निरीक्षण विभाग, समाधान विभाग एवं सतर्कता विभाग इनकी रिपोर्टिंग समय–समय पर ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड (ए.सी.बी.) को करते हैं। परिचालनात्मक जोख़िम तथा व्यवसाय निरंतरता आयोजन से सम्बन्धित विनियामक रिपोर्ट को समयबद्ध एवं नियमित किया जाता है। परिचालनात्मक जोख़िम के लिए पूंजी प्रभार की संगणना हेतु वर्तमान में बैंक मूलभूत सूचकांक पद्धति का अनुपालन कर रहा है। तथापि परिचालनात्मक जोख़िम के लिए पूंजी प्रभार की संगणना उन्नत पद्धतियों की ओर उन्मुख होने की तैयारी भी बैंक के साथ–साथ कर रहा है।

2. For Deploying Surplus Funds: Avenue for bulk deployment of surplus funds either by subscribing to the PTCs or by purchase of assets through bilateral assignment of debts with reasonable rate of return.

However, Bank has not sold out any standard credit portfolio under securitization to any other entities

Exposure (balance outstanding) under Securitisation (Assignment) of Standard Pool Assets **- Rs 4053** Lakhs

Table DF 7 - MARKET RISK IN TRADING BOOK

Qualitative disclosures

Market risk refers to the uncertainty of future earnings resulting from changes in interest rates, foreign exchange rates, market prices and volatilities. The Bank assumes market risk in its lending and deposit taking businesses and in its investment activities, including position taking and trading. The market risk is managed in accordance with the investment policies and Market Risk Management policy, which are approved by the Board. These policies ensure that operations in securities, foreign exchange and derivatives are conducted in accordance with sound and acceptable business practices and are as per the extant regulatory guidelines, laws governing transactions in financial securities and the financial environment. Market Risk in Trading Book is assessed as per the Standardized Duration approach. The capital charge for Held for Trading (HFT) and Available for Sale (AFS) portfolios is computed as per Reserve Bank of India prudential guidelines.

Market risk management objectives:

The objectives of market risk management are as follows:

- Management of liquidity
- Management of interest rate risk and exchange rate risk.
- Proper classification and valuation of investment portfolio
- Adequate and proper reporting of investments and derivative products
- Compliance with regulatory requirements

Quantitative Disclosures

The capital requirements for:	**Amt. in Lakhs**
Interest rate risk;	24087.69
Equity position risk;	3108.46
Foreign exchange risk;	Nil

Table DF 8 - OPERATIONAL RISK

Qualitative disclosures

The Bank has formulated Policies on "Operational Risk Management' and the "Business Continuity Plan & Disaster Recovery Management". These policies are being reviewed by the Board of the Bank on annual basis. Bank is in process of collecting "Loss Data'.

As per the policy on Operational Risk, the Operational Risk Management Committee (ORMC) has been set up which is head by the Executive Director. Regular meetings of the ORMC are convened at least on quarterly basis. Inspection Deptt of the bank undertakes onsite "Risk Based Internal Audit" (RBIA) of the branches. Credit Proposals / Limits beyond Rs. 3 Crores are subjected to Regular Credit Audit also.

Inspection, Reconciliation and Vigilance Departments are reporting matters relating to Housekeeping, Reconciliation and Frauds etc. periodically to ACB. Regulatory reporting with regard to Operational Risk and Business Continuity Plan is made timely & regularly. Bank is presently following 'Basic Indicator Approach" for calculating Capital Charge on Operational Risk. However, the bank is preparing to move to advance approaches of calculating capital charge for Operational Risk.

तालिका डी.एफ.– 9– बैंक की बहियों में ब्याज दर जोख़िम(आई.आर.आर.बी.बी.)

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक बही में ब्याज दर जोख़िम का प्रबंधन तथा मूल्य निर्धारण आय पर जोख़िम दृष्टिकोण हेतु परम्परात्मक अंतर तथा आर्थिक मूल्य दृष्टिकोण हेतु संशोधित अवधि अंतर के माध्यम से किया गया है। बैंक बही में ब्याज दर जोख़िम के अन्तर्गत सभी अग्रिम तथा परिपक्वता तक रखे जाने वाले निवेश शामिल हैं। ऋण नीतियाँ तथा प्रक्रियाएं/संरचना और संगठन/विषय–क्षेत्र तथा जोख़िम सूचना–तंत्र की प्रकृति/नीतियाँ आदि डी.एफ.–8 के अन्तर्गत बताए अनुसार ही हैं। बैंकिंग बुक (आईआरआरबीबी) में ब्याज दर जोख़िम के मापदण्डों की कार्य–पद्धति भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्देशित दिशा–निर्देशों के अनुरूप है।

1.1 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह निर्धारित किया है कि ब्याज दर संवदेनशीलता (पुनर्मूल्य निर्धारण अंतर) विवरण जिसे मासिक अंतराल पर तैयार किया जाता है, के जरिए ब्याज दर जोख़िम की निगरानी की जाए। तदनुसार, आस्ति देयता प्रबंधन समिति मासिक आधार पर ब्याज दर संवेदनशीलता की समीक्षा करती है। आस्तियों व देयताओं दोनों में ब्याज दर में समान परिवर्तन के कारण बैंक की शुद्ध ब्याज आय में होने वाले परिवर्तन का आंकलन करती है।

1.2 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अवधि अंतर विश्लेषण के दौरान ब्याज दर संवेदनशीलता के माध्यम से आस्तियों व देयताओं के आर्थिक मूल्य पर ब्याज दर परिवर्तन के प्रभाव का अनुमान लगाने का भी निर्धारण किया है। बैंक तिमाही/मासिक अंतराल पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित अवधि अंतर विश्लेषण भी करता है। ईक्विटी के बाजार मूल्य (एमवीई) पर ब्याज दर परिवर्तन के प्रभावों का आवधिक अंतराल विश्लेषण के माध्यम से निरीक्षण किया जाता है। उपरोक्त का प्रयोग करते हुए, प्रत्येक बकेट हेतु आस्तियों एवं देयताओं की परिवर्तित अवधि की गणना की जाती है तथा उपरोक्त द्वारा देयताओं व आस्तियों की संशोधित अवधि की संगणना प्रत्येक काल–चक्र पर परिकलित की जाती है और ब्याज दर के 200 बीपीएस के परिवर्तन को जोड़ने के बाद मूल्य पर पड़े प्रभाव का परिकलन कर शुद्ध स्थिति प्राप्त की जाती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि मूल्य में सकारात्मक वृद्धि हुई है या नही।

1.3 आस्तियों तथा देयताओं के विवेकपूर्ण उपाय हेतु ईएआर तथा शुद्ध आवधिक अंतर की सीमा का निर्धारण किया जाता है तथा नियमित अंतराल पर इसकी निगरानी की जाती है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

क) जोख़िम पर आय

एक वर्ष अन्तराल तक औसतन 100 आधार अंक परिवर्तन का प्रभाव	**रू. 227.25 लाख**

ख) आर्थिक मूल्य हेतु संशोधित अवधि अंतर(एम.वी.ई.) –12.81 प्रतिशत

तालिका डी.एफ.10 प्रतिपक्षीय ऋण जोख़िम संबंधी अवस्थिति के लिए सामान्य प्रकटीकरण

गुणवत्ता प्रकटीकरण

प्रतिपक्षीय ऋण जोख़िम (सी.सी.आर) भुगतान से पूर्व अथवा भुगतान की तिथि को लेन–देन के निपटान के समय प्रतिपक्ष द्वारा की गई चूक वाला जोख़िम है। प्रतिपक्ष की ऋण सीमाएं (अंतर बैंक सीमाएं) एएलएम नीति के अंतर्गत तय की जाती हैं और एएलएम नीति के माध्यम से ही निगरानी रखी जाती है। प्रतिपक्ष के साथ किए गए सभी व्युत्पाद लेन.देन का मूल्यांकन बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्युत्पाद नीति (डेरिवेटिव पालिसी) के माध्यम से किया जाता है। हालांकि बैंक ने कोई व्युत्पाद लेन–देन नहीं किया।

गलत तरीके से हुए ऋण जोख़िम के लिए बैंक की कोई नीति नहीं है।

बैंक को अभी किसी ऋण सहायक अनुबंध (सी.एस.ए.) समझौता प्रतिपक्षों के साथ करना है और इसका प्रभाव वर्तमान में अपरिमाण्य है।

मात्रात्मक

बैंक द्विपक्षीय नेटिंग को मान्यता नहीं देता है।

राशि–रूपए/लाखों में

विवरण	सांकेतिक राशि	वर्तमान अवस्थिति
विदेशी मुद्रा संविदाएं	1189617.7	25650.0

बैंक के पास कोई व्युत्पाद अवस्थिति(एक्सपोजर)/लेन–देन नहीं है।

Table DF 9 -INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK (IRRBB)

Qualitative disclosures

The Interest rate risk in banking book is measured and managed by the bank through Traditional Gap for Earnings at Risk (Ear) approach and modified Duration Gap for Economic Value (MVE) Approach. Interest rate risk in banking book includes all advances and investments kept under Held to Maturity (HTM) portfolio. The strategies and process/structure of organization / scope and nature of risk reporting/policies etc. are the same as reported under DF – 8. The methodology adopted to measure the interest rate risk in banking book (IRRBB) is based on RBI suggested guidelines.

1.1 RBI has stipulated monitoring of interest rate risk through a Statement of Interest Rate Sensitivity (Reprising Gaps) to be prepared at monthly intervals. Accordingly, ALCO reviews Interest Rate Sensitivity statement on monthly basis and monitors the Earnings at Risk (EaR) which measures the change in net interest income of the Bank due to parallel change in interest rate on both the assets and liabilities.

1.2 RBI has also stipulated to estimate the impact of change in interest rates on economic value of bank's assets and liabilities through Interest Rate Sensitivity under Duration Gap Analysis (IRSD). Bank also carries out Duration Gap analysis as stipulated by RBI at monthly/quarterly intervals. The impact of interest rate changes on the Market Value of Equity (MVE) is monitored through Duration Gap Analysis. Using the above, Modified Duration of liabilities and assets for each bucket is calculated and the impact on their value for a change in interest rate by 200 bps is reckoned by adding up the net position is arrived to determine as to whether there will be a positive increase in the value or otherwise.

1.3 As a prudential measure limit has been fixed for EaR as well as for Net Duration Gap of the assets and liabilities and the same is monitored at regular intervals.

Quantitative Disclosures

a) Earning at Risk

Amt. in Lakhs

At 100 bps change for gaps upto 1 year on average basis	227.25

b) Modified Duration Gap for Economic Value (MVE) – 12.81%

Table DF-10: General Disclosure for Exposures Related to Counterparty Credit Risk

Qualitative Disclosures

Counter Party Credit Risk (CCR) is the risk of default by the Counterparty towards settlement of transaction before or at the maturity. Counter party credit limits (Inter Bank limits) are set up and monitored through ALM Policy. All the Derivative Transactions with the Counterparty are evaluated through Board approved Derivative Policy of the Bank. However, Bank is not having any Derivative Transactions

Bank does not have any policy related to Wrong Way Risk exposure.

Bank is yet to enter into any Credit Support Annex (CSA) Agreement with its Counterparties and such impact is currently not quantifiable.

Quantitative

Bank does not recognize bilateral netting

Amt. in Lakhs

Particulars	Notional Amount	Current Exposure
Foreign Exchange Contracts	1189617.70	25650.00

Bank is not having any derivative exposure/transactions.

तालिका डी.एफ.11. पूंजी की रचना

(रूपए/-लाखों में)

	विनियामक समायोजनों के संक्रमण के दौरान (31 मार्च 2013 से 31 दिसम्बर 2017 तक) बासल III के अंतर्गत आम प्रकटीकरण हेतु टैम्पलेट		राशि बासल III के लागू होने से पूर्व	संदर्भ सं.
क्रम सं.	सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजीः लिखत व आरक्षित			
1	प्रत्यक्षतः जारी सामान्य अर्हता शेयर पूँजी एवं तत्संबंधी अधिशेष स्टॉक(शेयर प्रीमियम)	171845.28		
2	प्रतिधारित उपार्जन	167918.69		
3	अन्य संचित व्यापक आय (एवं अन्य आरक्षित निधियां)	141030.24		
4	सीईटी 1 से प्रत्यक्षतः जारी पूँजी (केवल गैर–संयुक्त स्टॉक कम्पनियों 1 पर लागू) 1.1.2018 तक सार्वजनिक क्षेत्र को पैतृक रूप से उपलब्ध कराई गई पूँजी	0.00		
5	अनुषंगियों द्वारा जारी व तीसरे पक्ष द्वारा रखी गई सामान्य शेयर पूँजी (सीईटी 1 समूह हेत स्वीकृत राशि)	0.00		
6	विनियामक समायोजन से पूर्व सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी	480794.21		
	सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजीः विनियामक समायोजन			
7	विवेकसम्मत मूल्यांकन समायोजन	0.00		
8	साख (संबंधित कर देयता का शुद्ध)	0.00		
9	बंधक सर्विसग अधिकार के अतिरिक्त अन्य अमूर्त (संबंधित कर देयता का शुद्ध)	3.798		जारी बाण्ड–6.33*60%
10	आस्थगित कर आस्तियां	0.00		
11	नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि	0.00		
12	अनुमानित हानि हेतु किए गए प्रावधानों में कमी	0.00		
13	विक्रय पर प्रतिभूतिकरण लाभ	0.00		
14	उचित मूल्य देनदारियों पर अपने ऋण जोख़िम में परिवर्तन के कारण हुआ लाभ एवं हानि	0.00		
15	निर्धारित लाभ पेशन फंड निवल सम्पत्तियां	0.00		
16	स्वयं के शेयरों में निवेश (यदि पूर्व में प्रस्तुत किए गए तुलन–पत्र में प्रदत्त पूँजी में निर्धारण न किया गया हो)	0.00		
17	सामान्य ईक्विटी में परस्पर प्रतिधारिता	1923.77		
18	विनियामक समेकन के कार्यक्षेत्र से बाहर बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा कम्पनियॅा, जो विनियामक समेकन में सम्मिलित नहीं की जा सकती, मान्य अधिविक्रय की स्थिति के अनुसार, जहाँ बैंक के पास जारी किए गए शेयर पूँजी का 10 प्रतिशत से अधिक शेयर धारिता न हो, की पूँजी में निवेश (आरम्भिक 10प्रतिशत राशिसे अधिक),	0.00		
19	विनियामक समेकन के कार्यक्षेत्र से बाहर बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा कम्पनियॅा, के सामान्य शेयरों में महत्वपूर्ण निवेश, मान्य अधिविक्रय की स्थिति के अनुसार (आरम्भिक 10प्रतिशत से अधिक राशिकी सीमा)	0.00		
20	बंधक सर्विसिंग अधिकार (आरम्भिक 10 प्रतिशत राशि से अधिक),	संबंधित नहीं		
21	अस्थायी अन्तर के कारण उत्पन्न हुई आस्थगित कर आस्तियॅा (आरम्भिक 10 प्रतिशत राशि से अधिक, संबंधित कर देयता का निवल),	संबंधित नहीं		
22	आरम्भिक 15 प्रतिशत से अधिक की राशि	संबंधित नहीं		
23	जिसकाः वित्त के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश	संबंधित नहीं		
24	जिसकाः बंधक सर्विसिंग अधिकार	संबंधित नहीं		
25	जिसकाः अस्थायी अन्तर के कारण उत्पन्न हुई आस्थगित कर आस्तियॅा	संबंधित नहीं		
26	विशिष्ट राष्ट्रीय विनियामक समायोजन (-26ए+26बी+26सी)	0		
26ए	असमेकित गैर–वित्तीय सहायक कम्पनियों की इक्विटी पूंजी में निवेश	0		

Table DF 11 – Composition of Capital

Amt. in Lakhs

	Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from March 31, 2013 to December 31, 2017)		Amounts Subject To Pre Basel III Treatment	Ref No.
S.No.	Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves			
1	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	171845.28		
2	Retained earnings	167918.69		
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	141030.24		
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies1) Public sector capital injections grandfathered until 1/1/2018	0.00		
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	0.00		
6	**Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments**	**480794.21**		
	Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments			
7	Prudential valuation adjustments	0.00		
8	Goodwill (net of related tax liability)	0.00		
9	Intangibles other than mortgage-servicing rights (net of related tax liability)	3.798		bond issue-6.33*60%
10	Deferred tax assets	0.00		
11	Cash-flow hedge reserve	0.00		
12	Shortfall of provisions to expected losses	0.00		
13	Securitisation gain on sale	0.00		
14	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities	0.00		
15	Defined-benefit pension fund net assets	0.00		
16	Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)	0.00		
17	Reciprocal cross-holdings in common equity	1923.77		
18	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)	0.00		
19	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)3	0.00		
20	Mortgage servicing rights4 (amount above 10% threshold)	Not Relevant		
21	Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)	Not Relevant		
22	Amount exceeding the 15% threshold6	Not Relevant		
23	of which: significant investments in the common stock of financials	Not Relevant		
24	of which: mortgage servicing rights	Not Relevant		
25	of which: deferred tax assets arising from temporary differences	Not Relevant		
26	National specific regulatory adjustments (26a+26b+26c)	0		
26a	Investments in the equity capital of unconsolidated nonfinancial subsidiaries	0		

26बी	सर्वाधिक स्वामित्व वाली कम्पनियॉ, जो बैंक के साथ समेकित नहीं की गयीं, के ईक्विटी पूँजी में कमी	0		
26सी	अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय	0		
	बासल III लागू होने से पूर्व सामान्य ईक्विटी टियर 1 से संबद्ध राशि पर लागू विनियामक समायोजन	478866.64		
	जिसकाः समायोजन के नाम का उल्लेख करें, उदाहरण के लिएः एएफएस ऋण प्रतिभूतियों पर अमूर्त हानि हटाने के बाद (भारतीय संदर्भ में लागू नहीं)	–		
	जिसकाः समायोजन के नाम का उल्लेख करें, उदाहरणार्थ अस्थायी अन्तर के कारण उत्पन्न हुई आस्थगित कर आस्तियॉ,	–		
	जिसकाः समायोजन के नाम का उल्लेख करें, उदाहरणार्थ अमूर्त आस्तियां,	–		
27	अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 1 तथा टियर 2 के कारण कटौती की भरपाई हेतु टियर 1 के सामान्य ईक्विटी पर लागू विनियामक समायोजन	2.53		
28	सामान्य ईक्विटी टियर 1 पर कुल विनियामक समाशोधन	1930.10		
29	सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी (सीईटी1)	478864.12		
	अतिरिक्त टियर 1 पूँजीः लिखत			
30	प्रत्यक्षतः जारी पात्र अतिरिक्त टियर 1 लिखत एवं संबंधित स्टॉक सरप्लस (31+32)	0.00		
31	जिसकाः निर्धारित मानक लेखांकन के अधीन ईक्विटी के रूप में परिभाषित (स्थायी असंचयी अधिमानित शेयर)	0.00		
32	जिसकाः निर्धारित मानक लेखांकन के अधीन देयताओं के रूप में पारिभाषित (स्थायी ऋण लिखत)	0.00		
33	अतिरिक्त टियर 1 में असम्मिलित प्रत्यक्षतः जारी पूँजी लिखत	0.00		
34	अतिरिक्त टियर 1 लिखत (एवं सीईटी1 लिखत, जिसे पंक्ति 5 में शामिल नहीं किया गया है।), जो सहायक कम्पनियों द्वारा जारी किए गए हों एवं तीसरे पक्ष द्वारा धारित हों (राशि समूह एटी1 हेतु स्वीकृत है।)	0.00		
35	जिसकाः सहायक कम्पनियों द्वारा जारी लिखत, जिसे निकाल दिया गया हो	0.00		
36	विनियामक समायोजन से पूर्व अतिरिक्त टियर 1 पूँजी	0.00		
	अतिरिक्त टियर 1 पूँजीः विनियामक समायोजन			
37	स्वयं के अतिरिक्त टियर1 के लिखत में निवेश	0.00		
38	अतिरिक्त टियर 1 लिखत में परस्पर प्रतिधारिता	0.00		
39	विनियामक समेकन के कार्यक्षेत्र से बाहर बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा कम्पनियॉ, मान्य अधिविक्रय की स्थिति के अनुसार, जहाँ बैंक के पास जारी किए गए सामान्य शेयर पूँजी का 100% से अधिक शेयरधारिता ना हो की पूँजी में निवेश (आरम्भिक 10 प्रतिशत राशि से अधिक),	0.00		
40	विनियामक समेकन के कार्यक्षेत्र से बाहर बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा कम्पनियॉ, की पूँजी में महत्वपूर्ण निवेश, (मान्य अधिविक्रय की स्थिति के अनुसार शुद्ध)	0.00		
41	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन	0.00		
41ए	सर्वाधिक स्वामित्व वाली कम्पनियॉ जो बैंक के साथ समेकित नहीं की गयीं, के अतिरिक्त टियर1 पूँजी में कमी	0.00		
41बी	बासल III लागू होने से पूर्व अतिरिक्त टियर–1 पूँजी से संबद्ध राशि पर लागू विनियामक समायोजन	8177.09		
	जिसका समायोजन के नाम का उल्लेख करें, उदाहरणार्थ डीटीए,	0.00		
	जिसकाः समायोजन के नाम का उल्लेख करें उदाहरणार्थ विद्यमान समायोजन, जिन्हें 50 प्रतिशत की दर से टियर–1 से काटा गया है,	2.53		अमूर्त= 6.33*40%
	जिसकाः समायोजन के नाम का उल्लेख करें,	0.00		
42	अपर्याप्त टियर 2 के कारण कटौती की भरपाई हेतु अतिरिक्त टियर–1 पर लागू विनियामक समायोजन	0.00		

26b	Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0		
26c	Unamortised pension funds expenditures	0		
	REGULATORY ADJUSTMENTS APPLIED TO COMMON EQUITY TIER 1 IN RESPECT OF AMOUNTS SUBJECT TO PRE-BASEL III TREATMENT	478866.64		
	OF WHICH: [INSERT NAME OF ADJUSTMENT] For example: filtering out of unrealised losses on AFS debt securities (not relevant in Indian context)	-		
	OF WHICH: [INSERT NAME OF ADJUSTMENT e.g. DTAs]	-		
	OF WHICH: [INSERT NAME OF ADJUSTMENT e.g. intangible assets]	-		
27	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions	2.53		
28	Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1	1930.10		
29	**Common Equity Tier 1 capital (CET1)**	478864.12		
	Additional Tier 1 capital: instruments			
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (31+32)	0.00		
31	of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	0.00		
32	of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)	0.00		
33	Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1	0.00		
34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)	0.00		
35	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0.00		
36	**Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments**	**0.00**		
	Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments			
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments	0.00		
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	0.00		
39	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	0.00		
40	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions10)	0.00		
41	National specific regulatory adjustments	0.00		
41a	Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0.00		
41b	REGULATORY ADJUSTMENTS APPLIED TO ADDITIONAL TIER 1 IN RESPECT OF AMOUNTS SUBJECT TO PRE-BASEL III TREATMENT	8177.09		
	OF WHICH: [INSERT NAME OF ADJUSTMENT e.g. DTAs]	0.00		
	OF WHICH: [INSERT NAME OF ADJUSTMENT e.g. existing adjustments which are deducted from Tier 1 at 50%]	2.53		Intangible= 6.33*40%
	OF WHICH: [INSERT NAME OF ADJUSTMENT]	0.00		
42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions	0.00		

43	अतिरिक्त टियर–1 पूँजी पर लागू कुल विनियामक समायोजन	2.53		
44	अतिरिक्त टियर–1 पूँजी (एटी1)	–2.53		
44ए	पूँजी पर्याप्तता हेतु रखा गया अतिरिक्त टियर–1 पूँजी	0.00		
45	(टियर–1 पूँजी (टी1+सीईटी1+एटी1) (पंक्ति 29+पंक्ति 44ए)	478864.12		
	टियर–2 पूँजीः लिखत एवं प्रावधान			
46	प्रत्यक्षतः जारी पात्र टियर 2 लिखत एवं संबंधित स्टॉक सरप्लस	0.00		
47	टियर–2 में से प्रत्यक्षतः जारी पूँजी लिखत	73500.00		सबार्डीनेट ऋण
48	टियर–2 लिखत (एवं पंक्ति 5 अथवा 34 में सम्मिलित नहीं किए गए सीईटी1 और एटी1 लिखत) जो सहायक कम्पनियों द्वारा जारी किए गए हों एवं तीसरे पक्ष द्वारा धारित हों (राशि समूह टियर–2 हेतु स्वीकृत की गयी हो।)	0.00		
49	जिसकाः निकाले गए लिखत जो सहायक कम्पनियों द्वारा जारी किए गए हों	0.00		
50	प्रावधान	84907.81		स्टैन्डर्ड अग्रिम पर प्रावधान + पुनर्मूल्यांकन आरक्षण
51	विनियामक समायोजन से पूर्व टियर–2 पूँजी	158407.81		
	टियर–2 पूँजीः विनियामक समायोजन			
52	स्वयं के टियर–2 लिखत में निवेश	0.00		
53	टियर–2 लिखत में परस्पर प्रतिधारिता	2100.00		
54	विनियामक समेकन के कार्यक्षेत्र से बाहर बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा कम्पनियॉ, मान्य अधिविक्रय की स्थिति के अनुसार, जहाँ बैंक के पास जारी किए गए सामान्य शेयर पूँजी का 10 प्रतिशत से अधिक शेयरधारिता न हो, की पूँजी में निवेश (आरम्भिक 10 प्रतिशत राशि से अधिक),	0.00		
55	विनियामक समेकन के कार्यक्षेत्र से बाहर बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा कम्पनियॉ, की पूँजी में महत्वपूर्ण निवेश (मान्य अधिविक्रय की स्थिति के अनुसार शुद्ध)	0.00		
56	विशिष्ट राष्ट्रीय विनियामक समायोजन (56ए+56बी)	0.00		
56ए	सर्वाधिक स्वामित्व वाली वित्तीय कम्पनियॉ, जो बैंक के साथ समेकित नहीं की गयीं, के टियर–2 पूँजी में कमी	0.00		
56बी	बासल III लागू होने से पूर्व टियर 2 पूँजी से संबद्ध राशि पर लागू विनियामक समायोजन	2100.00		
	जिसकाः समायोजन के नाम का उल्लेख करें उदाहरणार्थ विद्यमान समायोजन, जिन्हें 50 प्रतिशत की दर से टियर–2 से काटा गया है,	0.00		
	जिसकाः समायोजन के नाम का उल्लेख करें,	0.00		
57	टियर–2 पूँजी में कुल विनियामक समायोजन	2100.00		
58	टियर–2 पूँजी (टी2)	156307.81		
58ए	पूँजी पर्याप्तता हेतु रखा गया टियर–2 पूँजी	156307.81		
58बी	टियर–2 के रूप में रखी गयी अन्य अतिरिक्त टियर–1 पूँजी	0.00		
58सी	पूँजी पर्याप्तता हेतु स्वीकृत कुल टियर–2 पूँजी (पंक्ति58ए+पंक्ति58बी)	156307.81		
59	**कुल पूँजी (टीसी =टी1+टी2) (पंक्ति 45+पंक्ति 58सी)**	635171.92		
	बासल.III लागू होने से पूर्व जोख़िम भारित आस्तियां से संबद्ध राशि	5649846.18		
	जिसकाः समायोजन के नाम का उल्लेख करें,			
	जिसकाः			
60	कुल जोख़िम भारित आस्तियां (पंक्ति 60ए+पंक्ति 60बी+पंक्ति 60सी)	5649846.18		
60ए	जिसकाः कुल ऋण जोख़िम भारित आस्तियां	5024027.59		
60बी	जिसकाः कुल बाजार जोख़िम भारित आस्तियां	303679.42		
60सी	जिसकाः कुल परिचालित जोख़िम भारित आस्तियां	322139.17		

43	Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital	2.53		
44	Additional Tier 1 capital (AT1)	-2.53		
44a	Additional Tier 1 capital reckoned for capital adequacy11	0.00		
45	Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1) (row 29 + row 44a)	478864.12		
	Tier 2 capital: instruments and provisions			
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	0.00		
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	73500.00		Subordinate Debt
48	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)	0.00		
49	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0.00		
50	Provisions12	84907.81		Pov. On Std. Advances+ Revaluation
51	Tier 2 capital before regulatory adjustments	158407.81		
	Tier 2 capital: regulatory adjustments			
52	Investments in own Tier 2 instruments	0.00		
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	2100		
54	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)	0.00		
55	Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions13)	0.00		
56	National specific regulatory adjustments (56a+56b)	0.00		
56a	Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0.00		
56b	REGULATORY ADJUSTMENTS APPLIED TO TIER 2 IN RESPECT OF AMOUNTS SUBJECT TO PRE BASEL III TREATMENT	2100		
	OF WHICH: [INSERT NAME OF ADJUSTMENT e.g. existing adjustments which are deducted from Tier 2 at 50%]	0.00		
	OF WHICH: [INSERT NAME OF ADJUSTMENT	0.00		
57	**Total regulatory adjustments to Tier 2 capital**	2100		
58	**Tier 2 capital (T2)**	156307.81		
58a	Tier 2 capital reckoned for capital adequacy14	156307.81		
58b	Excess Additional Tier 1 capital reckoned as Tier 2 capital	0.00		
58c	Total Tier 2 capital admissible for capital adequacy (row 58a + row 58b)	156307.81		
59	**Total capital (TC = T1 + T2) (row 45+row 58c)**	635171.92		
	RISK WEIGHTED ASSETS IN RESPECT OF AMOUNTS SUBJECT TO PRE-BASEL III TREATMENT	5649846.18		
	OF WHICH: [INSERT NAME OF ADJUSTMENT]			
	OF WHICH: …			
60	**Total risk weighted assets (row 60a +row 60b +row 60c)**	5649846.18		
60a	of which: total credit risk weighted assets	5024027.59		
60b	of which: total market risk weighted assets	303679.42		
60c	of which: total operational risk weighted assets	322139.17		

	पूँजी अनुपात			
61	सामान्य ईक्विटी टियर–1 (जोख़िम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	8.48%		
62	टियर–1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	8.48%		
63	कुल पूँजी (जोख़िम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	11.24%		
64	संस्था विषयक बफ़र आवश्यकता (न्यूनतम सीईटी1 आवश्यकता सह पूँजी अभिरूपता एवं प्रतिचक्रीय बफ़र आवश्यकताएं जोख़िम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	5.50%		
65	जिसकाः पूँजी अभिरूपता बफ़र आवश्यकता	0		
66	जिसकाः बैंक विषयक प्रतिचक्रीय बफ़र आवश्यकता	0		
67	जिसकाः जी.एसआईबी बफ़र आवश्यकता	0		
68	बफ़र की पूर्ति हेतु उपलब्ध सामान्य ईक्विटी टियर–1 (जोख़िम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	2.98%		
	राष्ट्रीय मिनिमा (यदि बासल III से भिन्न है)			
69	राष्ट्रीय सामान्य ईक्विटी टियर–1 न्यूनतम अनुपात (यदि न्यूनतम बासल III से भिन्न हो)	5.50%		
70	राष्ट्रीय टियर–1 न्यूनतम अनुपात (यदि न्यूनतम बासल III से भिन्न हो)	7%		
71	राष्ट्रीय सकल पूँजी न्यूनतम अनुपात (यदि न्यूनतम बासल III से भिन्न हो)	9%		
	कटौती हेतु निर्धारित सीमा से कम राशि (जोख़िम भारित से पूर्व)			
72	अन्य वित्तीय कम्पनियों की पूँजी में गैर महत्वपूर्ण निवेश	0		
73	वित्तीय कम्पनियों की सामान्य पूँजी में महत्वपूर्ण निवेश	0		
74	बंधक सर्विसिंग अधिकार (अन्य वित्तीय कम्पनियों की पूँजी में गैर महत्वपूर्ण निवेश)	भारत में लागू नहीं		
75	अस्थायी भिन्नता के कारण उत्पन्न हुई कर आस्तियां (संबंधित कर देयता का निवल)			
	टियर–2 में प्रावधानों के समेकन पर लागू उच्चतम सीमा			
76	मानकीकृत दृष्टिकोण से एक्सपोजर के संदर्भ में टियर–2 में समेकन हेतु प्रात्र प्रावधान (उच्चतम सीमा लागू होने से पूर्व)	49603.00		
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन टियर–2 में प्रावधानों के समेकन की उच्चतम सीमा	62800.34		
78	आंतरिक रेंटिंग दृष्टिकोण आधार पर एक्सपोजर के संदर्भ में टियर 2 में समेकन हेतु प्रात्र प्रावधान (उच्चतम सीमा लागू होने से पूर्व)	लागू नहीं		
79	आंतरिक रेटिंग दृष्टिकोण से टियर 2 में प्रावधानों के समेकन हेतु उच्चतम सीमा	लागू नहीं		
	फ़ेज आउट की व्यवस्था पर पूँजी लिखत (केवल 1 अप्रेल, 2018 से 31 मार्च 2022 के बीच लागू)			
80	फ़ेज आउट की व्यवस्था पर सीईटी1 लिखत पर करेंट उच्चतम सीमा	भारत में लागू नहीं		
81	उच्चतम सीमा के कारण सीईटी 1 में शामिल न की गयी राशि(पुनः प्राप्ति एवं परिपक्वता के बाद उच्चतम सीमा से अतिरिक्त)			
82	फ़ेज आउट की व्यवस्था पर एटी1 लिखत पर करेंट उच्चतम सीमा			
83	उच्चतम सीमा के कारण एटी 1 में शामिल न की गयी राशि(पुनः प्राप्ति एवं परिपक्वता के बाद उच्चतम सीमा से अतिरिक्त)			
84	फ़ेज आउट की व्यवस्था पर टी 2 लिखत पर करेंट उच्चतम सीमा			
85	उच्चतम सीमा के कारण टी 2 में शामिल न की गयी राशि (पुनः प्राप्ति एवं परिपक्वता के बाद उच्चतम सीमा से अतिरिक्त)			

तालिका डी.एफ.–12 – पूँजी का संयोजन –समाधान अपेक्षाएं

लागू नहीं है क्योंकि वितीय विवरण में दिया गया बैंक का तुलन पत्र और विनियामक दायरे के अंतर्गत आने वाला तुलनपत्र एक से हैं।

	Capital ratios			
61	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	8.48%		
62	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	8.48%		
63	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	11.24%		
64	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)	5.50%		
65	of which: capital conservation buffer requirement	0		
66	of which: bank specific countercyclical buffer requirement	0		
67	of which: G-SIB buffer requirement	0		
68	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)	2.98%		
	National minima (if different from Basel III)			
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	5.50%		
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	7%		
71	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	9%		
	Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)			
72	Non-significant investments in the capital of other financials	0		
73	Significant investments in the common stock of financials	0		
74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	Not applicable in India		
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)			
	Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2			
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)	49603.00		
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach	62800.34		
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	n.a.		
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	n.a.		
	Capital instruments subject to phase-out arrangements (only applicable between April 1, 2018 and March 31, 2022)			
80	Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements	Not applicable in India		
81	Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)			
82	Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements			
83	Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)			
84	Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements			
85	Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)			

Table DF 12 –Composition of Capital- Reconciliation Requirements-

Not applicable as the Bank's Balance sheet as in Financial Statement is same as Balance sheet under regulatory scope of consolidation

डी–एफ–13–विनियामक पूंजी लिखतों मुख्य विशेषताएं

		टियर–2 बाण्डस (सबार्डीनेट ऋण लिखत)					
क्रम सं.	विनियामक पूंजी प्रलेखों की मुख्य विशेषताओं के लिए प्रकटीकरण टेम्पलेट (डिसक्लोजर टेम्पलेट)	सीरीज–VIII=150 करोड़	सीरीज–IX=100करोड़	सीरीज–X=400करोड़	सीरीज–XI=175करोड़	सीरीज–XII=200करोड़	सीरीज–XIII=300करोड़
1.	जारीकर्ता	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	पंजाब एण्ड सिंध बैंक
2.	यूनिक पहचानकर्ता (अर्थात सी-यू-एस-आई-पी-, आई-एस-आई-एन- अथवा प्राईवेट प्लेसमेंट के लिए ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आई-एन-ई-608ए09072	आई-एन-ई-608ए09080	आई-एन-ई-608ए09098	आई-एन-ई-608ए09114	आई-एन-ई-608ए09122	आई-एन-ई-608,09130
3.	लिखत के शासी विधान	प्रतिभूति संविदा विनियमन अधिनियम 1956, कंपनी अधिनियम 1956, बैंकिंग कंपनियों (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम 1980 डिपॉजिटरीज (जमा कर्ता) अधिनयम 1996, भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी, संबंधित स्टॉक एक्सचेंज, कंपनियों के लिए (केन्द्रीय सरकार) के सामान्य नियम एवं प्रारूप, 1956) के अनुबंध–ग एवं/अथवा अनुबंध–घ में यथा उल्लिखित उपबंध	प्रतिभूति संविदा प्रतिभूति संविदा विनियमन अधिनियम 1956, कंपनी अधिनियम 1956, बैंकिंग कंपनियों (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम 1980 डिपॉजिटरीज (जमा कर्ता) अधिनयम 996, भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक,सेबी, संबंधित स्टॉक एक्सचेंज, कंपनियों के लिए (केन्द्रीय सरकार) के सामान्य नियम एवं प्रारूप, 1956) के अनुबंध–ग एवं/अथवा अनुबंध–घ में यथा उल्लिखित उपबंध	प्रतिभूति संविदा विनियमन अधिनियम 1956, कंपनी अधिनियम 1956, बैंकिंग कंपनियों (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम 1980 डिपॉजिटरीज (जमा कर्ता) अधिनयम 1996, भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक,सेबी, संबंधित स्टॉक एक्सचेंज, कंपनियों के लिए (केन्द्रीय सरकार) के सामान्य नियम एवं प्रारूप, 1956) के अनुबंध–ग एवं/अथवा अनुबंध–घ में यथा उल्लिखित उपबंध	प्रतिभूति संविदा विनियमन अधिनियम 1956, कंपनी अधिनियम 1956, बैंकिंग कंपनियों (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम 1980 डिपॉजिटरीज (जमा कर्ता) अधिनयम 1996, भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी, संबंधित स्टॉक एक्सचेंज, कंपनियों के लिए (केन्द्रीय सरकार) के सामान्य नियम एवं प्रारूप, 1956) के अनुबंध–ग एवं/अथवा अनुबंध–घ में यथा उल्लिखित उपबंध	प्रतिभूति संविदा विनियमन अधिनियम 1956, कंपनी अधिनियम 1956, बैंकिंग कंपनियों (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम 1980 डिपॉजिटरीज (जमा कर्ता) अधिनयम 1996, भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी, संबंधित स्टॉक एक्सचेंज, कंपनियों के लिए (केन्द्रीय सरकार) के सामान्य नियम एवं प्रारूप, 1956) के अनुबंध–ग एवं/अथवा अनुबंध–घ में यथा उल्लिखित उपबंध	प्रतिभूति संविदा विनियमन अधिनियम 1956, कंपनी अधिनियम 1956, बैंकिंग कंपनियों (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम 1980 डिपॉजिटरीज (जमा कर्ता) अधिनयम 1996, भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी, संबंधित स्टॉक एक्सचेंज, कंपनियों के लिए (केन्द्रीय सरकार) के सामान्य नियम एवं प्रारूप, 1956) के अनुबंध–ग एवं/अथवा अनुबंध–घ में यथा उल्लिखित उपबंध
	विनियामक व्यवहार						
4.	ट्रांजिशनल बासल–III नियम	टियर–2	टियर–2	टियर–2	टियर–2	टियर–2	टियर–2
5.	पोस्ट ट्रांजिशनल बेसल–III नियम	टियर–2	टियर–2	टियर–2	टियर–2	टियर–2	टियर–2
6.	एकल/समूह/समूह तथा एकल स्तर पर पात्र	एकल	एकल	एकल	एकल	एकल	एकल
7.	लिखत स्वरूप	टियर II ऋण लिखत	टियर II ऋण लिखत	टियर II ऋण लिखत	टियर II ऋण लिखत	टियर II ऋण लिखत	टियर II ऋण लिखत
8.	विनियामक पूंजी के अंतर्गत मान्य राशि–(करोड़ रूपयों में)	रुपए–30 करोड़	रुपए–54 करोड़	रुपए 256 करोड़	रुपए–112 करोड़	रुपए–140करोड़	रुपए–210 करोड़
9.	लिखत का सममूल्य	1000000 रूपए	1000000 रूपए	रूपए 1000000	रूपए 1000000	रूपए 1000000	रूपए 1000000
10.	लेखांकन के अनुसार वर्गीकरण	देयता(ऋण)	देयता(ऋण)	देयता(ऋण)	देयता(ऋण)	देयता(ऋण)	देयता(ऋण)
11.	जारी करने की मूल तिथि	31–07–2006	15–02–2008	22–09–2008	26–06–2009	11–01–2010	24–06–2011
12.	सतत् अथवा दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
13.	मूल परिपक्कवता तिथि	30–04–2016	15–05–2018	22–04–2019	26–04–2019	11–04–2020	24–10–2021
14.	जारी कर्ता की कॉल, पूर्व पर्यवेक्षीय अनुमोदन की शर्त पर।	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी हां
15.	ऑप्शनल काल की तिथि, आकस्मिक कल तिथि एवं मोचन राशि	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	24–06–2017, सम मूल्य पर मोचन
16.	आगामी काल की तिथियाँ,(यदि लागू हो)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

Table DF 13 – Main features of Regulatory Capital Instruments

Sr. No	Disclosure template for main features of regulatory capital instruments	Series- VIII= 150 crore	Series- IX= 100 crore	Series- X =400 crore	Series- XI = 175 crore	Series - XII =200 crore	SERIES- XIII =300 crore
1	Issuer	Punjab & Sind Bank	Punjab & Sind Bank	Punjab & Sind Bank	Punjab & Sind Bank	Punjab & Sind Bank	Punjab & Sind Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE608A09072	INE608A09080	INE608A09098	INE608A09114	INE608A09122	INE608A09130
3	Governing law(s) of the instrument	Secuities Contract Regulation Act 1956, Companies Act 1956, Banking companies(acquisition and transfer of undertakings) act 1970, Depositories Act 1996, GOI, RBI, SEBI, Concerned Stock Exchanges.provisions contained in annexure C and/or annexure D to the companies (Central Government's) General rules and forms 1956.	Secuities Contract Regulation Act 1956, Companies Act 1956, Banking companies(acquisition and transfer of undertakings) act 1980, Depositories Act 1996, GOI, RBI, SEBI, Concerned Stock Exchanges. .provisions contained in annexure C and/or annexure D to the companies (Central Government's) General rules and forms 1956.	Secuities Contract Regulation Act 1956, Companies Act 1956, Banking companies(acquisition and transfer of undertakings) act 1980, Depositories Act 1996, GOI, RBI, SEBI, Concerned Stock Exchanges. .provisions contained in annexure C and/or annexure D to the companies (Central Government's) General rules and forms 1956.	Secuities Contract Regulation Act 1956, Companies Act 1956, Banking companies(acquisition and transfer of undertakings) act 1980, Depositories Act 1996, GOI, RBI, SEBI, Concerned Stock Exchanges. .provisions contained in annexure C and/or annexure D to the companies (Central Government's) General rules and forms 1956.	Secuities Contract Regulation Act 1956, Companies Act 1956, Banking companies(acquisition and transfer of undertakings) act 1980, Depositories Act 1996, GOI, RBI, SEBI, Concerned Stock Exchanges. .provisions contained in annexure C and/or annexure D to the companies (Central Government's) General rules and forms 1956.	Secuities Contract Regulation Act 1956, Companies Act 1956, Banking companies(acquisition and transfer of undertakings) act 1980, Depositories Act 1996, GOI, RBI, SEBI, Concerned Stock Exchanges.provisions contained in annexure C and/or annexure D to the companies (Central Government's) General rules and forms 1956.
	Regulatory treatment						
4	Transitional Basel III rules	Tier II	Tier II	Tier II	Tier II	Tier II	Tier II
5	Post-transitional Basel III rules	Tier II	Tier II	Tier II	Tier II	Tier II	Tier II
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo	Solo	Solo	Solo	Solo	Solo
7	Instrument type	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. in Crores	Rs 30 Crores	Rs 54 Crores	Rs 256 Crores	Rs 112 Crores	Rs 140 Crores	Rs 210 Crores
9	Par value of instrument	Rs. 1000000	Rs. 1000000	Rs. 1000000	Rs. 1000000	Rs. 1000000	Rs. 1000000
10	Accounting classification	Liability (Borrowing)	Liability (Borrowing)	Liability (Borrowing)	Liability (Borrowing)	Liability (Borrowing)	Liability (Borrowing)
11	Original date of issuance	31.07.2006	15.02.2008	22.09.2008	26.06.2009	11.01.2010	24.06.2011
12	Perpetual or dated	Dated	Dated	Dated	Dated	Dated	Dated
13	Original maturity date	30.04.2016	15.05.2018	22.04.2019	26.04.2019	11.04.2020	24.10.2021
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No	No	No	No	No	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	NA	NA	NA	NA	NA	24.06.2017 redemtion at par
16	Subsequent call dates, if applicable	NA	NA	NA	NA	NA	NA

	कूपन / लाभांष						
17.	निर्धारित अथवा परिवर्तनीय लाभांश / कूपन	निर्धारित	निर्धारित	निर्धारित	निर्धारित	निर्धारित	निर्धारित
18.	कूपन दर एवं अन्य संबंधित सूचकांक	9.25%	9.10%	11.05%	8.70%	8.70%	9.73%
19.	लाभांश रोधक की व्याप्ति	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं
20.	पूर्णतः विवेकानुसार, आंशिक विवेकानुसार अथवा अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
21.	स्टेप–अप की व्याप्ति अथवा मोचन हेतु अन्य प्रोत्साहन	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं
22.	असंचयी अथवा संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी
23.	परिवर्तनीय अथवा अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24.	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन हेतु ट्रिगर(एस)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25.	यदि परिवर्तनीय है तो पूर्णतः अथवा आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26.	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27.	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन अनिवार्य है अथवा वैकल्पिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28.	यदि परिवर्तनीय है तो किस लिखत में परिवर्तनीय है उसका प्रकार विर्निदिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29.	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन किए जाने वाले लिखत के जारीकर्ता को विर्निदिष्ट करें।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30.	अवलेखन के लक्षण	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं
31.	अवलेखन की दशा में अवलेखन के ट्रिगर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
32.	अवलेखन की दशा में पूर्णतः अथवा आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
33.	अवलेखन की दशा में स्थायी हैं अथवा अस्थायी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
34.	यदि अस्थायी अवलेखन हैं तो आलेखन तंत्र का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
35.	परिसमापन की दशा में प्रतिस्थापन पदक्रम की स्थिति (लिखत का प्रकार (इस लिखत के एकदम आगे के लिखत के प्रकार को विर्निदिष्ट करें।)	असुरक्षित देयता (जमाकर्ता तथा सामान्य लेनदार)	असुरक्षित देयता (जमाकर्ता तथा सामान्य लेनदार)	असुरक्षित देयता (जमाकर्ता तथा सामान्य लेनदार)	असुरक्षित देयता (जमाकर्ता तथा सामान्य लेनदार)	असुरक्षित देयता (जमाकर्ता तथा सामान्य लेनदार)	असुरक्षित देयता (जमाकर्ता तथा सामान्य लेनदार)
36.	संक्रमणकालीन अननुपालन स्वरूप	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ
37.	यदि हाँ तो अननुपालन का स्वरूप विहित करें।	अव्यवहार्यता की सीमा तथा उक्त उल्लिखित बाण्ड की परिपक्वता 10 वर्षों से कम	अव्यवहार्यता की सीमा	अव्यवहार्यता की सीमा	अव्यवहार्यता की सीमा तथा उक्त उल्लिखित बाण्ड की परिपक्वता 10 वर्षों से कम	अव्यवहार्यता की सीमा	अव्यवहार्यता की सीमा

	Coupons / dividends						
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.25%	9.10%	11.05%	8.70%	8.70%	9.73%
19	Existence of a dividend stopper	No	No	No	No	No	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	**No**	**No**	**No**	**No**	**No**	No
22	Noncumulative or cumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative
23	Convertible or non-convertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	NA	NA	NA	NA	NA	NA
25	If convertible, fully or partially	NA	NA	NA	NA	NA	NA
26	If convertible, conversion rate	NA	NA	NA	NA	NA	NA
27	If convertible, mandatory or optional conversion	NA	NA	NA	NA	NA	NA
28	If convertible, specify instrument type convertible into	NA	NA	NA	NA	NA	NA
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA	NA	NA	NA	NA	NA
30	Write-down feature	NO	NO	NO	NO	NO	NO
31	If write-down, write-down trigger(s)	NA	NA	NA	NA	NA	NA
32	If write-down, full or partial	NA	NA	NA	NA	NA	NA
33	If write-down, permanent or temporary	NA	NA	NA	NA	NA	NA
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA	NA	NA	NA	NA	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	UNSECURED LIABILITIES (depositors & general creditors))	UNSECURED LIABILITIES (depositors & general creditors))	UNSECURED LIABILITIES (depositors & general creditors))	UNSECURED LIABILITIES (depositors & general creditors))	UNSECURED LIABILITIES (depositors & general creditors))	UNSECURED LIABILITIES (depositors & general creeditors))
36	Non-compliant transitioned features	YES	YES	YES	YES	YES	YES
37	If yes, specify non-compliant features	Point of non-viability and maturity of the above mentioned bond is less than 10 years.	Point of non-viability.	Point of non-viability.	Point of non-viability and maturity of the above mentioned bond is less than 10 years.	Point of non-viability.	Point of non-viability.

तालिका डी–एफ–14 – विनियामक पूंजी लिखत के पूर्ण नियम एवं शर्तें

1– बाण्ड निर्गमन – VIII 150 करोड़ रूपए

पंजाब एण्ड सिंध बैंक कुल 100 करोड़ रूपयों (अत्यभिदान की राशि रखने के विकल्प के साथ) के असुरक्षित अपरिवर्तनीय प्रतिदेय सर्बोडिनेटेड बाण्ड (सीरीज–VIII) के अंशदान हेतु पेशकश आमंत्रित करता है जो कि प्रत्येक 10,00,000/– रूपयों के नकद सममूल्य पर वचन पत्र के रूप में है।

ये बाण्ड बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम, 1970, कंपनी अधिनियम, 1956, प्रतिभूति संविदा नियमन अधिनियम, 1956 के उपबंधों, इस सूचना ज्ञापन की शर्तों, आवेदन पत्र में उल्लिखित अनुदेशों तथा न्यासी समझौता तथा बाण्ड ट्रस्ट डीड में शामिल किए जाने वाले अन्य नियमों एवं शर्तों के अध्याधीन है। ऐसे नियम एवं शर्तों के अतिरिक्त, ये बाण्ड डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 के अनुप्रयोज्य उपबंधों तथा यथा अनुप्रयोज्य विधानों, दिशा–निर्देशो, अधिसूचनाओं एवं आबंटन तथा पूंजी जारी करने तथा भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी), संबंधित स्टॉक एक्सचेंज अथवा अन्य प्राधिकरणों द्वारा समय–समय पर जारी प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने से संबंधित विनियमों एवं बाण्ड के संबंध में तैयार किए जाने वाले अन्य दस्तावजों के भी अध्याधीन होंगे।

बाण्डों की प्रकृति एवं अवस्थिति

ये बाण्ड असुरक्षित अपरिवर्तनीय प्रतिदेय सर्बोडिनेटेड बाण्ड (सीरीज–VIII) के रूप में तथा वचनपत्रों के रूप में निर्गत किए जाने हैं। इन बांडों में बैंक के प्रत्यक्ष, असुरक्षित एवं गौण दायित्व शामिल होंगे जो बैंक के वर्तमान/भविष्य में जारी होने वाले गौण ऋणों के समकक्ष होंगे तथा बैंक के अन्य सभी ऋणधारकों एवं जमाकर्ताओं को किए जाने वाले मूलधन तथा ब्याज के पुनः भुगतान के दावों के बाद देय होंगे। ये बाण्ड किसी प्रतिबंधात्मक धाराओं से मुक्त होंगे तथा ये धारक के प्रयास मात्र तथा बिना भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति के प्रतिदेय नहीं होंगे।

एक नजर में लिखत तथा जारी करने का विवरण

निर्गम का आकार	रूपए 100.00 करोड़ (अत्यभिदान की राशिरखने के विकल्प के साथ)
निर्गम का उद्देश्य	बैंक की पूंजी पर्याप्तता को सुदृढ़ करने एवं दीर्घकालीन संसाधनों को बढ़ाने हेतु टियर–II पूंजी में अभिवृद्धि करना।
लिखत	वचन पत्र के रूप में असुरक्षित अपरिवर्तनीय प्रतिदेय सर्बोडिनेटेड बाण्ड (सीरीज–VIII)
लिखत का रूप	डीमेट फार्म में
क्रेडिट रेंटिंग	क्रिसिल द्वारा ''क्रिसिल ए.ए.'' तथा इक्रा ''आई.सी.आर.ए.'' द्वारा ''आई.सीआर.ए ए.ए''
अंकित मूल्य	10,00,000/– प्रति बाण्ड
निर्गम मूल्य	सममूल्य पर (अर्थात् 10,00,000– प्रति बाण्ड)
न्यूनतम आवेदन	1 बाण्ड और उसके बाद 1 बाण्ड के गुणकों में
कार्यकाल	117 माह
पुट एव काल विकल्प	कोई नहीं
प्रतिदेयता परिपक्क्वता	सम मूल्य पर–आबंटन की मानी गई तिथि से 117 महीनों के अंत में
कूपन दर(रु प्रति वर्ष)	9.25%
ब्याज देयता	वार्षिक –15 मई को
लिस्टिंग	प्रस्तावित–नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (एन.एस.ई) पर
न्यासी	बैंक की ओर से आई.डी.बी.आई. ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड को बाण्ड के धारक(कों) की ओर से कार्य करने के लिए बतौर न्यासी नियुक्त किया गया।
आवेदन राशिपर ब्याज'	कूपन दर पर–चैक/डिमांड ड्राफ्ट की वसूली होने की तिथि से आबंटन की मानी गई तिथि के एक दिन पूर्व तक ।

*स्रौत पर लागू कर कटौती के अधीन।

Table DF 14 –Full Terma & Conditions of Regulatory Capital Instruments

1. BOND ISSUE – VIII RS. 150 CRORE

Punjab & Sind Bank is seeking offer for subscription of Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Bonds (Series-VIII) in the nature of Promissory Notes of Rs. 10,00,000/- each for cash at par aggregating to Rs. 100.00 crores with an option to retain oversubscription.

The Bonds offered are subject to provisions of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Companies Act, 1956, Securities Contract Regulation Act, 1956, terms of this Information Memorandum, Instructions contained in the Application Form and other terms and conditions as may be incorporated in the Trustee Agreement and Bond Trust Deed. Over and above such terms and conditions, the Bonds shall also be subject to the applicable provisions of the Depositories Act, 1996 and the laws as applicable, guidelines, notifications and regulations relating to the allotment & issue of capital and listing of securities issued from time to time by the Government of India (GoI), Reserve Bank of India (RBI), Securities & Exchange Board of India (SEBI), concerned Stock Exchange(s) or any other authorities and other documents that may be executed in respect of the Bonds.

NATURE & STATUS OF THE BONDS

The Bonds are to be issued in the form of Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Bonds (Series-VIII) in the nature of Promissory Notes. The Bonds will constitute direct, unsecured and subordinated obligations of the Bank, ranking pari passu with the existing/ future subordinated debt of the Bank and subordinated to the claims of all other creditors and depositors of the Bank as regards repayment of principal and interest by the Bank. The Bonds shall be free of any restrictive clauses and shall not be redeemable at the initiative of the holder and without the consent of the Reserve Bank of India (RBI).

INSTRUMENT & ISSUE DETAILS AT A GLANCE

Issue Size	Rs. 100.00 crores with an option of retain oversubscription
Issue Objects	Augmenting the Tier-II Capital for strengthening the Capital Adequacy and enhancing long term resources of the Bank
Instrument	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Bonds (Series-VIII) in the nature of Promissory Notes
Instrument Form	In Dematerialised Form
Credit Rating	"CRISIL AA" by CRISIL and "ICRA AA" by ICRA
Face Value	Rs. 10,00,000/- per Bond
Issue Price	At par (i.e. Rs. 10,00,000/- per Bond)
Minimum Application	1 Bonds and in multiples of 1 Bonds thereafter
Tenure	117 months
Put & Call Option	None
Redemption/ Maturity	At par at the end of 117 Months from the Deemed Date of Allotment
Coupon Rate (% p.a.) *	9.25% p.a.
Interest Payment	Annually on May 15th
Listing	Proposed on the National Stock Exchange of India Limited (NSE)
Trustee	IDBI Trusteeship Services Limited has been appointed by the Bank to act as Trustees for and on behalf of the holder(s) of the Bonds
Interest on Application Money *	At the coupon rate from the date of realisation of cheque(s)/ demand draft(s) upto one day prior to the Deemed Date of Allotment

* subject to deduction of tax at source, as applicable.

2-बाण्ड निर्गमन – IX 100 करोड़ रूपए

वर्तमान निर्गम की शर्तें

पंजाब एण्ड सिंध बैंक कुल 100 करोड़ रूपयों के असुरक्षित अपरिवर्तनीय प्रतिदेय सर्बोडिनेटेड बाण्ड (सीरीज–IX) के अंशदान हेतु पेशकश आमंत्रित करता है जो कि प्रत्येक 10,00,000/.रूपयों के नकद सममूल्य पर वचन पत्र के रूप में है।

ये बाण्ड बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम, 1970, कंपनी अधिनियम, 1956, प्रतिभूति संविदा नियमन अधिनियम, 1956 के उपबंधों, इस सूचना ज्ञापन की शर्तों, आवेदन पत्र में उल्लिखित अनुदेशों तथा न्यासी समझौता तथा बाण्ड ट्रस्ट डीड में शामिल किए जाने वाले अन्य नियमों एवं शर्तों के अध्याधीन है। ऐसे नियम एवं शर्तों के अतिरिक्त, ये बाण्ड डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 के अनुप्रयोज्य उपबंधों तथा यथा अनुप्रयोज्य विधानों, दिशा–निर्देशो, अधिसूचनाओं एवं आबंटन तथा पूंजी जारी करने तथा भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी), संबंधित स्टॉक एक्सचेंज अथवा अन्य प्राधिकरणों द्वारा समय–समय पर जारी प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने से संबंधित विनियमों एवं बाण्ड के संबंध में तैयार किए जाने वाले अन्य दस्तावजों के भी अध्याधीन होंगे।

बाण्डों की प्रकृति एवं अवस्थिति

ये बाण्ड असुरक्षित अपरिवर्तनीय प्रतिदेय सर्बोडिनेटेड बाण्ड (सीरीज–IX) के रूप में तथा वचनपत्रों के रूप में निर्गत किए जाने हैं। इन बांडों में बैंक के प्रत्यक्ष, असुरक्षित एवं गौण दायित्व शामिल होंगे जो बैंक के वर्तमान/भविष्य में जारी होने वाले गौण ऋणों के समकक्ष होंगे तथा बैंक के अन्य सभी ऋणधारकों एवं जमाकर्ताओं को किए जाने वाले मूलधन तथा ब्याज के पुनः भुगतान के दावों के बाद देय होंगे। ये बाण्ड किसी प्रतिबंधात्मक धाराओं से मुक्त होंगे तथा ये धारक के प्रयास मात्र तथा बिना भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति के प्रतिदेय नहीं होंगे

निर्गम का उद्देश्य

बैंक के टियर–II पूंजी में वृद्धि के लिए वर्तमान बाण्डों को जारी किया जा रहा है ताकि बैंक की पूंजीगत पर्याप्तता सुदृढ़ हो सके और बैंक के दीर्घावधिक संसाधनों को बढ़ाया जा सके। वर्तमान निर्गम पर होने वाले व्यय का वहन बैंक द्वारा किया जाएगा। जिन गतिविधियों को करने के लिए वर्तमान निर्गम के माध्यम से निधियाँ सृजित की जा रही हैं उनके लिए एवं बैंक द्वारा निर्गम की तिथि तक की जा रही गतिविधियों के लिए बैंक के संस्थापन प्रलेख का मुख्य उद्देश्य खंड सामर्थ्य प्रदान करता है। इस निर्गमसे जुटाई गयी धनराशि का बैंक द्वारा अपनी नियमित व्यवसायिक गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाएगा।

लिखत एवं जारी करने के विवरण पर एक नजर

निर्गम का आकार	100 करोड़ रूपए
निर्गम का उद्देश्य	बैंक की पूंजी पर्याप्तता को सुदृढ करने एवं दीर्घकालीन संसाधनों को बढ़ाने हेतु टियर–II पूंजी में अभिवृद्धि करना ।
लिखत	वचन पत्र के रूप में असुरक्षित अपरिवर्तनीय प्रतिदेय सर्बोडिनेटेड टियर–II बाण्ड (सीरीज –IX)
लिखत का रूप	डीमेट फॉर्म में
क्रेडिट रेटिंग	इक्रा ''आई.सी.आर.ए.'' द्वारा ''आई.सीआर.ए ए.ए'' तथा क्रिसिल द्वारा ''क्रिसिल ए.ए.''
अंकित मूल्य	10,00,000/. प्रति बाण्ड
निर्गम मूल्य	सम मूल्य पर (अर्थात् 10,00,000/. प्रति बाण्ड)
न्यूनतम अभिदान	1 बाण्ड और उसके बाद 1 बाण्ड के गुणकों में
अवधि	10 वर्ष तथा 3 महीने (123 महीने)
पुट एव काल विकल्प	कोई नहीं
प्रतिदेयता	सम मूल्य पर –आबंटन की मानी गई तिथि से 10 वर्ष तथा 3 महीने के अंत में।
कूपन दर'	9.10ः प्रति वर्ष
ब्याज भुगतान	अर्ध–वार्षिक
ब्याज भुगतान की तिथियां	प्रत्येक वर्ष की 15 मई तथा 15 नवम्बर
लिस्टिंग	प्रस्तावित– नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड(एन–एस–ई) के थोक ऋण बाजार खंड (डब्लयू–डी–एम–) पर।
न्यासी	बैंक की ओर से आई–डी–बी–आई– ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड को बाण्ड के धारक(कों) की ओर से कार्य करने के लिए बतौर न्यासी नियुक्त किया गया।
आवेदन राशि पर ब्याज'	कूपन दर पर अर्थात् 9.10% वार्षिक दर से – चैक/डिमांड ड्राफ्ट/आर.टी.जी.एस. की वसूली होने की तिथि से आबंटन की मानी गई तिथि के एक दिन पूर्व तक ।

*स्रौत पर लागू कर कटौती के अधीन।

2. BOND ISSUE – IX RS. 100 CRORE

TERMS OF THE PRESENT ISSUE

Punjab & Sind Bank is seeking offer for subscription of Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds (Series-IX) in the nature of Promissory Notes of Rs. 10,00,000/- each for cash at par aggregating to Rs. 100 crores.

The Bonds offered are subject to provisions of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Companies Act, 1956, Securities Contract Regulation Act, 1956, terms of this Information Memorandum, Instructions contained in the Application Form and other terms and conditions as may be incorporated in the Trustee Agreement and Bond Trust Deed. Over and above such terms and conditions, the Bonds shall also be subject to the applicable provisions of the Depositories Act, 1996 and the laws as applicable, guidelines, notifications and regulations relating to the allotment & issue of capital and listing of securities issued from time to time by the Government of India (GoI), Reserve Bank of India (RBI), Securities & Exchange Board of India (SEBI), concerned Stock Exchange or any other authorities and other documents that may be executed in respect of the Bonds.

NATURE & STATUS OF THE BONDS

The Bonds are to be issued in the form of Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds in the nature of Promissory Notes. The Bonds will constitute direct, unsecured and subordinated obligations of the Bank, ranking pari passu with the existing/ future subordinated debt of the Bank and subordinated to the claims of all other creditors and depositors of the Bank as regards payment of interest and repayment of principal by the Bank out of its own funds. The Bonds shall be free of any restrictive clauses and shall not be redeemable at the initiative of the holder or without the consent of the Reserve Bank of India (RBI).

OBJECTS OF THE ISSUE

The present issue of bonds is being made for augmenting the Tier-II Capital of the Bank for strengthening its Capital Adequacy and for enhancing the long-term resources of the Bank. The expenses of the present issue would be borne by the Bank. The Main Object Clause of the Memorandum of Association of the Bank enables it to undertake the activities for which the funds are being raised through the present issue and also the activities which the Bank has been carrying on till date. The proceeds of this Issue would be used by the Bank for its regular business activities.

INSTRUMENT & ISSUE DETAILS AT A GLANCE

Issue Size	Rs. 100 crores
Issue Objects	Augmenting the Tier-II Capital for strengthening the Capital Adequacy and enhancing long term resource base of the Bank
Instrument	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds in the nature of Promissory Notes (Series-IX)
Instrument Form	In Dematerialised Form
Credit Rating	“ICRA AA” by ICRA and “CRISIL AA" by CRISIL
Face Value	Rs. 10,00,000/- per Bond
Issue Price	At par (Rs. 10,00,000/- per Bond)
Minimum Application	1 Bond and in multiples of 1 Bond thereafter
Tenure	10 Year and 3 Months (123 Months)
Put & Call Option	None
Redemption	At par at the end of 10 Year and 3 Months from the Deemed Date of Allotment
Coupon Rate*	9.10% p.a.
Interest Payment	Semi-Annual
Interest Payment dates	May 15 and November 15 each year
Listing	Proposed on the Wholesale Debt Market (WDM) Segment of the National Stock Exchange of India Limited (NSE)
Trustee	IDBI Trusteeship Services Limited (ITSL) has been appointed by the Bank to act as Trustees for and on behalf of the holder(s) of the Bonds
Interest on Application Money *	At the coupon rate i.e. @ 9.10% p.a. from the date of realisation of cheque(s)/ demand draft(s)/ RTGS upto one day prior to the Deemed Date of Allotment

* subject to deduction of tax at source, as applicable.

3– बाण्ड निर्गमन – X 400 करोड़ रूपए

संक्षिप्त शर्त तालिका

जारी कर्ता	पंजाब एण्ड सिंध बैंक
निर्गम का आकार	रूपए 400 करोड़
लिखत	वचन पत्र (बाण्डस) के रूप में असुरक्षित अपरिवर्तनीय प्रतिदेय सर्बोडिनेटेड टियर–II बाण्ड् (सीरीज X)
जारी करना/क्रय–विक्रय	डीमेट फॉर्म में
क्रेडिट रेटिंग	इक्रा द्वारा ''आई.सी.आर.ए.'' तथा केयर द्वारा ''सी.ए.आर.ए. ए.ए.''
प्रतिभूति	असुरक्षित
अंकित मूल्य	1000000/– प्रति बाण्ड
निर्गम मूल्य	सममूल्य पर (अर्थात् 1000000/– प्रति बाण्ड)
प्रतिदेयता मूल्य	सममूल्य पर (अर्थात् 1000000/– प्रति बाण्ड)
न्यूनतम आवेदन	1 बाण्ड और उसके बाद 1 बाण्ड के गुणकों में
अवधि	127 महीने (10 वर्ष तथा 7 माह)
पुट एव काल विकल्प	कोई नहीं
प्रतिदेयता/परिपक्क्वता	सम मूल्य पर –आवंटन की मानी गई तिथि से 127 महीनों (10 वर्ष तथा 7 माह) की समाप्ति पर (भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के साथ)
प्रतिदेयता तिथि	15 अप्रैल, 2019
कूपन दर'	11.05 % वार्षिक
ब्याज भुगतान	वार्षिक
ब्याज भुगतान तिथियां	प्रत्येक वर्ष में 15 मई
लिस्टिंग	प्रस्तावित – नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (एन.एस.ई) के थोक ऋण बाजार खंड (डब्लयू.डी.एम.)
न्यासी	बैंक की ओर से आइ.डी.बी.आई. ट्रस्टशिप सर्विसेज लिमिटेड को बाण्ड के धारक(कों) की ओर से कार्य करने के लिए बतौर न्यासी नियुक्त किया गया।
निक्षेपागार	नेशनल स्क्यूरिटी डिपोज़िटरी लि– तथा सेन्ट्रल डिपोजिटरी र्सविसेज (इंडिया) लिमिटेड
पंजीयक	एम.सी.एस. लिमिटेड
आवेदन राशि पर ब्याज*	कूपन दर पर (अर्थात् 11.05 % वार्षिक दर से) – चैक/डिमांड ड्राफ्ट/आर.टी.जी.एस. की वसूली होने की तिथि से आबंटन की मानी गई तिथि के एक दिन पूर्व तक।
निपटान	ब्याज के भुगतान तथा मूल धन की अदायगी चैक(कों)/ब्याज/प्रतिदेय वारंट(स)/डिमांड ड्राफ्ट/आर.टी.जी.एस. प्रणाली के माध्यम से
अभिदान की विधि	"केवल एकाउंट पेई" रेखांकित चैक(कों)/डिमांड ड्राफ्ट(टों) द्वारा जो कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक के पक्ष में आहर्त हों और प्रकटीकरण प्रपत्र में उल्लिखित नामित केन्द्रों पर सममूल्य पर देय हों या फिर राशि कोआर.टी.जी.एस. तंत्र के माध्यम से पंजाब एण्ड सिंध बैंक आर.टी.जी.एस. खाता में मुंबई के लिए IFSC कूट संख्या "PSIB 0000385" पर तथा दिल्ली के लिए IFSC कूट संख्या "PSIB 0000001" पर इलेक्ट्रॉनिक्स अन्तरण द्वारा भेजा जा सकता है।
निर्गम के खुलने की तिथि'	10.09.2008
निर्गम के बंद होने की तिथि'	12.09.2008
पे–इन डेटस'	10.09.2008 से 12.09.2008
आबंटन की मानी गई तिथि'	15.09.2008

* स्रौत पर लागू कर कटौती के अधीन ।

3. BOND ISSUE – X Rs. 400 CRORE

SUMMARY TERM SHEET

Issuer	Punjab & Sind Bank
Issue Size	Rs. 400 crores
Instrument	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds (Series-X) in the nature of Promissory Notes ("Bonds")
Issuance/ Trading	In Dematerialized Form
Credit Rating	"ICRA AA" by ICRA and "CARE AA" by CARE
Security	Unsecured
Face Value	Rs. 10,00,000/- per Bond
Issue Price	At par (Rs. 10,00,000/- per Bond)
Redemption Price	At par (Rs. 10,00,000/- per Bond)
Minimum Subscription	1 Bond and in multiples of 1 Bond thereafter
Tenure	127 Months (10 Year 7 Months)
Put & Call Option	None
Redemption/ Maturity	At par at the end of 127 Months (10 Year 7 Months) from the Deemed Date of Allotment (with prior approval from the Reserve Bank of India)
Redemption Date	April 15, 2019
Coupon Rate *	11.05% p.a.
Interest Payment	Annual
Interest Payment Date	15th May of each year
Listing	Proposed on the Wholesale Debt Market (WDM) Segment of the National Stock Exchange of India Ltd. (NSE)
Trustee	IDBI Trusteeship Services Ltd. has been appointed by the Bank to act as Trustees for and on behalf of the holder(s) of the Bonds
Depository	National Securities Depository Ltd. and Central Depository Services (India) Ltd.
Registrars	MCS Ltd.
Interest on Application Money *	At coupon rate (i.e. @ 11.05% p.a.) from the date of realization of cheque(s)/ demand draft(s)/ RTGS up to one day prior to the Deemed Date of Allotment
Settlement	Payment of interest and repayment of principal shall be made by way of cheque(s)/ interest/ redemption warrant(s)/ demand draft(s)/ credit through RTGS system
Mode of Subscription	Cheque(s) / demand draft(s) may be drawn in favour of "**Punjab & Sind Bank**" and crossed "**Account Payee Only**" payable at par at designated centers mentioned elsewhere in the Disclosure Document or by way of electronic transfer of funds through RTGS mechanism for credit in the account of "**Punjab & Sind Bank RTGS Account**" IFSC Code: "**PSIB 0000385**" for Mumbai and "**PSIB 0000001**" for New Delhi
Issue Opens on ^	September 10, 2008
Issue Closes on ^	September 12, 2008
Pay-In Dates ^	September 10, 2008 to September 12, 2008
Deemed Date of Allotment ^	September 15, 2008

* subject to deduction of tax at source, as applicable.

* बैंक के पास निर्गम में संशोधन (पूर्व नियोजन/स्थगन) करने, खोलने/बंद करने/भुगतान तिथि संबंधी अपना एकल एवं सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षित है जिसमें बैंक बिना कोई कारण बताए अथवा पूर्व नोटिस के परिवर्तन कर सकता है। ऐसे मामलों में, बैंक द्वारा निवेशकों को संशोधित समय सारणी से अवगत करवाया जाएगा। बैंक के पास बिना किसी नोटिस के आबंटन के लिए मानी जाने वाली एक से ज्यादा तिथि (यो) निर्धारित करने का भी एकल एवं सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।

4– बाण्ड निर्गमन–XI 175 करोड़ रूपए

संक्षिप्त शर्त तालिका

निर्गम कर्ता	पंजाब एण्ड सिंध बैंक
निर्गम का आकार	रूपए 175 करोड़
निर्गम का उद्देश्य	बैंक के दीर्घकालीन संसाधनों को बढ़ाने तथा पूंजी पर्याप्तता को मजबूत बनाने के लिए टियर–II पूंजी को बढ़ाना।
लिखत	वचन पत्र (बाण्डस) के रूप में असुरक्षित प्रतिदेय अपरिवर्तनीय सर्बोडिनेटेड टियर–II बाण्ड्स (सरीज XI)
लिखत की प्रकृति	यह बाण्ड पूर्ण चुकता, असुरक्षित, अन्य लेनदारों के दावों के अधीनस्थ, प्रतिबंधक खंड से मुक्त तथा धारक की पहल अथवा भा.रि.बैं.की सहमति के बिना प्रतिदेय नहीं होगा।
जारी करना/क्रय–विक्रय	डीमेट फॉर्म में
क्रेडिट रेटिंग	इक्रा द्वारा ''आई.सी.आर.ए.'' तथा केयर द्वारा ''सी.ए.आर.ए. ए.ए.''
प्रतिभूति	असुरक्षित
अंकित मूल्य	1000000/– प्रति बाण्ड
निर्गम मूल्य	सम मूल्य पर (अर्थात् 1000000/– प्रति बाण्ड)
परिपक्वता मूल्य	सम मूल्य पर (अर्थात् 1000000/– प्रति बाण्ड)
न्यूनतम आवेदन	1 बाण्ड और उसके बाद 1 बाण्ड के गुणकों में
अवधि	118 महीने (9 वर्ष तथा 10 माह)
पुट एव काल विकल्प	कोई नहीं
प्रतिदेयता/परिपक्क्वता	सम मूल्य पर – आवंटन की मानी गई तिथि से 9 र्वा तथा 10 माह (118 महीनों)के अंत में (भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के साथ)
प्रतिदेयता तिथि	26 अप्रैल, 2019
कूपन दर'	8.70 % वार्षिक दर से
ब्याज भुगतान	वार्षिक
ब्याज भुगतान तिथियां	प्रत्येक वर्ष में 15 मई तथा अंतिम परिपक्वता पर
लिस्टिंग	प्रस्तावित– नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड(एन.एस.ई.)के थोक ऋण बाजार खंड (डब्लयू.डी.एम.)
न्यासी	आई.डी.बी.आई. ट्रस्टशिप सर्विसेज लिमिटेड
निक्षेपागार	नेशनल स्क्यूरिटी डिपोस्टिरी लि. तथा सेन्ट्रल डिपोस्टिरी र्सविसज (इंडिया) लिमिटेड
पंजीयक	एम.सी.एस. लिमिटेड
आवेदन राशिपर ब्याज'	कूपन दर पर (अर्थात् 8.70% वार्षिक दर से) – चैक/ डिमांड ड्राफ्ट/ आर.टी.जी.एस. की वसूली होने की तिथि से आबंटन की मानी गई तिथि के एक दिन पूर्व तक।
निपटान	ब्याज के भुगतान तथा मूल धन की अदायगी चैक(कों)/ब्याज/प्रतिदेय वारंट(ओ)/डिमांड ड्राफ्ट/आर.टी.जी. एस./ ई.सी.एस. प्रणाली के माध्यम से क्रेडिट की जाएगी।

^ The Bank reserves its sole and absolute right to modify (pre-pone/ postpone) the issue opening/ closing/ pay-in date(s) without giving any reasons or prior notice. In such a case, investors shall be intimated about the revised time schedule by the Bank. The Bank also reserves the right to keep multiple Deemed Date(s) of Allotment at its sole and absolute discretion without any notice.

4. BOND ISSUE – XI Rs. 175 CRORE

SUMMARY TERM SHEET

Issuer	Punjab & Sind Bank
Issue Size	Rs. 175 crores
Issue Objects	Augmenting Tier-II Capital for strengthening the Capital Adequacy and enhancing long term resources of the Bank
Instrument	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Lower Tier-II Bonds (Series-XI) in the nature of Promissory Notes (“Bonds”)
Nature of Instrument	These Bonds shall be fully paid-up, unsecured, subordinated to the claims of other creditors, free of restrictive clauses and shall not be redeemable at the initiative of the holder or without the consent of the RBI
Issuance/ Trading	In Dematerialized Form
Credit Rating	“ICRA AA” by ICRA and "CARE AA" by CARE
Security	Unsecured
Face Value	Rs. 10,00,000/- per Bond
Issue Price	At par (Rs. 10,00,000/- per Bond)
Redemption Price	At par (Rs. 10,00,000/- per Bond)
Minimum Subscription	1 Bond and in multiples of 1 Bond thereafter
Tenure	9 Year 10 Months (118 Months)
Put & Call Option	None
Redemption/ Maturity	At par at the end of 9 Year 10 Months (118 Months) from the Deemed Date of Allotment (subject to prior approval from RBI)
Redemption Date	April 26, 2019 (subject to prior approval from RBI)
Coupon Rate *	8.70% p.a.
Interest Payment	Annual
Interest Payment Date	On May 15, every year and on final maturity
Listing	Proposed on the Wholesale Debt Market (WDM) Segment of the National Stock Exchange of India Ltd. (NSE)
Trustee	IDBI Trusteeship Services Ltd.
Depository	National Securities Depository Ltd. and Central Depository Services (India) Ltd.
Registrars	MCS Ltd.
Interest on Application Money *	At the coupon rate (i.e. @ 8.70% p.a) from the date of realization of cheque(s)/ demand draft(s)/ RTGS up to but excluding the Deemed Date of Allotment
Settlement	Payment of interest and repayment of principal shall be made by way of cheque(s)/ interest/ redemption warrant(s)/ demand draft(s)/ credit through RTGS/ ECS system

अभिदान की विधि	"केवल एकाउंट पेई" रेखांकित चैक(कों)/डिमांड ड्राफ्ट(टों) द्वारा जो कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक के पक्ष में आहर्त हों और प्रकटीकरण प्रपत्र में उल्लिखित नामित केन्द्रों पर सममूल्य पर देय हों या फिर राशि को आर.टी.जी.एस तंत्र के माध्यम से पंजाब एण्ड सिंध बैंक आर.टी.जी.एस. खाता में मुंबई के लिए IFSC कूट संख्या "PSIB 0000385" पर तथा दिल्ली के लिए IFSC कूट संख्या "PSIB 0000001" पर इलेक्ट्रॉनिक्स अन्तरण द्वारा भेजा जा सकता है।
निर्गम के खुलने की तिथि'	15.06.2009
निर्गम के बंद होने की तिथि'	19.06.2009
पे–इन डेटस'	15.06.2009 से 19.06.2009
आबंटन की मानी गई तिथि'	26.06.2009

*स्रोत पर लागू कर कटौती के अधीन।

*बैंक के पास निर्गम में संशोधन (पूर्व नियोजन/स्थगन) करने, खोलने/बंद करने/भुगतान तिथि संबंधी अपना एकल एवं सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षित है जिसमें बैंक बिना कोई कारण बताए अथवा पूर्व नोटिस के परिवर्तन कर सकता है। ऐसे मामलों में, बैंक द्वारा निवेशकों को संशोधित समय सारणी से अवगत करवाया जाएगा। बैंक के पास बिना किसी नोटिस के आबंटन के लिए मानी जाने वाली एक से ज्यादा तिथि (यो) निर्धारित करने का भी एकल एवं सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षित है ।

5-बाण्ड निर्गमन-XII - 200 करोड़ रूपए

संक्षिप्त शर्त तालिका

निर्गमकर्ता	पंजाब एण्ड सिंध बैंक
निर्गम का आकार	रूपए 200 करोड़
निर्गम का उद्देश्य	बैंक के दीर्घकालीन संसाधनों को बढ़ाने तथा पूंजी पर्याप्तता को मजबूत बनाने के लिए टियर–II पूंजी को बढ़ाना।
लिखत	वचन पत्र (बाण्डस) के रूप में असुरक्षित प्रतिदेय अपरिवर्तनीय सर्बोडिनेटेड–टियर–II बाण्ड (सरीज XII)
लिखत की प्रकृति	यह बाण्ड पूर्ण चुकता, असुरक्षित, अन्य लेनदारों के दावों के अधीनस्थ, प्रतिबंधक खंड से मुक्त तथा धारक की पहल अथवा भा–रि–बैं–की सहमति के बिना प्रतिदेय नहीं होगा।
जारी करनाध्क्रय–विक्रय	डीमेट फॉर्म में
क्रेडिट रेटिंग	आई.सी.आर.ए. द्वारा ''आई.सी.आर.ए ए.ए'' क्रिसिल द्वारा ''क्रिसिल ए.ए.''
प्रतिभूति	असुरक्षित
अंकित मूल्य	1000000/– प्रति बाण्ड
निर्गम मूल्य	सम मूल्य पर (अर्थात् 1000000/– प्रति बाण्ड)
प्रतिदेय मूल्य	सम मूल्य पर (अर्थात् 1000000/– प्रति बाण्ड)
न्यूनतम आवेदन	1 बाण्ड और उसके बाद 1 बाण्ड के गुणकों में
अवधि	123 महीने (10 वर्ष 3 महीने)
पुट विकल्प	कोई नहीं
प्रतिदेयता/परिपक्वता	आवंटन की मानी गई तिथि से 10 वर्ष 3 महीनें (123 महीने) के अंत में सम मूल्य पर (भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के साथ)
परिपक्वता तिथि	15.04.2020 (भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के साथ)
कूपन दर'	8.70% वार्षिक दर से
ब्याज भुगतान	वार्षिक
ब्याज भुगतान तिथियां	प्रत्येक वर्ष में 15 मई तथा अंतिम परिपक्वता पर

Mode of Subscription	Cheque(s) / demand draft(s) may be drawn in favour of "**Punjab & Sind Bank**" and crossed "**Account Payee Only**" payable at par at designated centers mentioned elsewhere in the Disclosure Document or by way of electronic transfer of funds through RTGS mechanism for credit in the account of "**Punjab & Sind Bank RTGS Account**" IFSC Code: "**PSIB 0000385**" for Mumbai and "**PSIB 0000001**" for New Delhi
Issue Opens on ^	June 15, 2009
Issue Closes on ^	June 19, 2009
Pay-In Date ^	June 15, 2009 to June 19, 2009
Deemed Date of Allotment ^	June 26, 2009

* subject to deduction of tax at source, as applicable.

^ The Bank reserves its sole and absolute right to modify (pre-pone/ postpone) the issue opening/ closing/ pay-in date(s) without giving any reasons or prior notice. In such a case, investors shall be intimated about the revised time schedule by the Bank. The Bank also reserves the right to keep multiple Deemed Date(s) of Allotment at its sole and absolute discretion without any notice.

5. BOND ISSUE – XII Rs. 200 CRORE

VII. **SUMMARY TERM SHEET**

Issuer	Punjab & Sind Bank
Issue Size	Rs. 200 crores
Issue Objects	Augmenting Tier-II Capital for strengthening the Capital Adequacy and enhancing long term resources of the Bank
Instrument	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Lower Tier-II Bonds (Series-XII) in the nature of Promissory Notes ("Bonds")
Nature of Instrument	These Bonds shall be fully paid-up, unsecured, subordinated to the claims of other creditors, free of restrictive clauses and shall not be redeemable at the initiative of the holder or without the consent of the RBI
Issuance/ Trading	In Dematerialized Form
Credit Rating	"ICRA AA" by ICRA and "CRISIL AA" by CRISIL
Security	Unsecured
Face Value	Rs. 10,00,000/- per Bond
Issue Price	At par (Rs. 10,00,000/- per Bond)
Redemption Price	At par (Rs. 10,00,000/- per Bond)
Minimum Subscription	1 Bond and in multiples of 1 Bond thereafter
Tenure	10 Year 3 Months (123 Months)
Put & Call Option	None
Redemption/ Maturity	At par at the end of 10 Years 3 Months (123 Months) from the Deemed Date of Allotment (subject to prior approval from RBI)
Redemption Date	April 15, 2020 (subject to prior approval from RBI)
Coupon Rate *	8.70% p.a.
Interest Payment	Annual
Interest Payment Date	On May 15, every year and on final maturity

लिस्टिंग	प्रस्तावित– नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (एन–एस–ई) के थोक ऋण बाजार खंड(डब्लयू–डी–एम–)
न्यासी	आई.डी.बी.आई. ट्रस्टशिप सर्विसेज लिमिटेड
निक्षेपागार	नेशनल स्क्यूरिटी डिपोस्टिरी लि– तथा सेन्ट्रल डिपोस्टिरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड
पंजीयक	एम–सी–एस– लिमिटेड
आवेदन राशिपर ब्याज*	कूपन दर पर (अर्थात 8.70% सर्विसेज दर से) – चैक/डिमांड ड्राफ्ट/आर–टी–जी–एस– की वसूली होने की तिथि से आबंटन की मानी गई तिथि के एक दिन पूर्व तक।
निपटान	ब्याज के भुगतान तथा मूल धन की अदायगी चैक(कों)/ ब्याज/प्रतिदेय वारंट(स) /डिमांड ड्राफ्ट/ आर–टी–जी–एस– प्रणाली/ई.सी.एस. प्रणाली के माध्यम से।
अभिदान की विधि	"केवल एकाउंट पेई" रेखांकित चैक(कों)/डिमांड ड्राफ्ट(टों) द्वारा जो कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक के पक्ष में आहर्त हों और प्रकटीकरण प्रपत्र में उल्लिखित नामित केन्द्रों पर सममूल्य पर देय हों या फिर राशि को आर.टी.जी.एस. तंत्र के माध्यम से पंजाब एण्ड सिंध बैंक आर.टी.जी.एस. खाता में मुंबई के लिए IFSC कूट संख्या "PSIB 0000385" पर तथा दिल्ली के लिए IFSC कूट संख्या "PSIB 0000001" पर इलेक्ट्रॉनिक्स अन्तरण द्वारा भेजा जा सकता है।
निर्गम के खुलने की तिथि'	06.01.2010
निर्गम के बंद होने की तिथि'	13.01.2010
पे–इन डेटस'	06.01.2010 से 13.01.2010
आबंटन की मानी गई तिथि'	15.01.2010

*स्रैत पर लागू कर कटौती के अधीन।

*बैंक के पास निर्गम में संशोधन (पूर्व नियोजन/स्थगन) करने, खोलने/बंद करने/भुगतान तिथि संबंधी अपना एकल एवं सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षित है जिसमें बैंक बिना कोई कारण अथवा पूर्व नोटिस के परिवर्तन कर सकता है। ऐसे मामलों में, बैंक द्वारा निवेशकों को संशोधित समय सारणी से अवगत करवाया जाएगा। बैंक के पास बिना किसी नोटिस के आबंटन के लिए मानी जाने वाली एक से ज्यादा तिथियाँ निर्धारित करने का भी एकल एवं सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षित है ।

6–बाण्ड निर्गमन–XIII 300 करोड़ रूपए

संक्षिप्त शर्त तालिका

निर्गमकर्ता	पंजाब एण्ड सिंध बैंक
निर्गम का आकार	रूपए 300 करोड़
निर्गम का उद्देश्य	बैंक के दीर्घकालीन संसाधनों को बढ़ाने तथा पूंजी पर्याप्तता को मजबूत बनाने के लिए टियर–II पूंजी को बढ़ाना।
लिखत	वचन पत्र (बाण्ड) के रूप में असुरक्षित प्रतिदेय अपरिवर्तनीय सर्बोडिनेटेड–टियर–II बाण्ड (सरीज XIII)
लिखत की प्रकृति	यह बाण्ड पूर्ण चुकता, असुरक्षित, अन्य लेनदारों के दावों के अधीनस्थ, प्रतिबंधक खंड से मुक्त तथा धारक की पहल अथवा भा.रि.बैं. की सहमति के बिना प्रतिदेय नहीं होगा।
जारी करना/क्रय–विक्रय	डीमेट फॉर्म में
क्रेडिट रेटिंग	इक्रा द्वारा ''आई.सी.आर.ए.'' तथा केयर द्वारा ''सी.ए.आर.ए. ए.ए.''
प्रतिभूति	असुरक्षित
अंकित मूल्य	1000000/– प्रति बाण्ड
निर्गम मूल्य	सम मूल्य पर (अर्थात् 1000000/– प्रति बाण्ड)
प्रतिदेय मूल्य	सम मूल्य पर (अर्थात् 1000000/– प्रति बाण्ड)
न्यूनतम आवेदन	1 बाण्ड और उसके बाद 1 बाण्ड के गुणकों में

Listing	Proposed on the Wholesale Debt Market (WDM) Segment of the National Stock Exchange of India Ltd. (NSE)
Trustee	IDBI Trusteeship Services Ltd.
Depository	National Securities Depository Ltd. and Central Depository Services (India) Ltd.
Registrars	MCS Ltd.
Interest on Application Money *	At the coupon rate (i.e. @ 8.70% p.a) from the date of realization of cheque(s)/ demand draft(s)/ RTGS up to but excluding the Deemed Date of Allotment
Settlement	Payment of interest and repayment of principal shall be made by way of cheque(s)/ interest/ redemption warrant(s)/ demand draft(s)/ credit through RTGS/ ECS system
Mode of Subscription	Cheque(s) / demand draft(s) may be drawn in favour of "**Punjab & Sind Bank**" and crossed "**Account Payee Only**" payable at par at designated centers mentioned elsewhere in the Disclosure Document or by way of electronic transfer of funds through RTGS mechanism for credit in the account of "**Punjab & Sind Bank RTGS Account**" IFSC Code: "**PSIB 0000385**" for Mumbai and "**PSIB 0000001**" for New Delhi
Issue Opens on ^	January 6, 2010
Issue Closes on ^	January 13, 2010
Pay-In Date ^	January 6, 2010 to January 13, 2009
Deemed Date of Allotment ^	January 15, 2010

* subject to deduction of tax at source, as applicable.

^ The Bank reserves its sole and absolute right to modify (pre-pone/ postpone) the issue opening/ closing/ pay-in date(s) without giving any reasons or prior notice. In such a case, investors shall be intimated about the revised time schedule by the Bank. The Bank also reserves the right to keep multiple Deemed Date(s) of Allotment at its sole and absolute discretion without any notice.

6. **BOND ISSUE – XIII Rs. 300 CRORE**

SUMMARY TERM SHEET

Issuer	Punjab & Sind Bank
Issue Size	Rs. 300 crore
Issue Objects	Augmenting Tier-II Capital for strengthening the Capital Adequacy and enhancing long term resources of the Bank
Instrument	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Lower Tier-II Bonds (Series-XIII) in the nature of Promissory Notes ("Bonds")
Nature of Instrument	These Bonds shall be fully paid-up, unsecured, subordinated to the claims of other creditors, free of restrictive clauses and shall not be redeemable at the initiative of the holder or without the consent of the RBI
Issuance/ Trading	In Dematerialized Form
Credit Rating	"ICRA AA" by ICRA and "CARE AA" by CARE
Security	Unsecured
Face Value	Rs. 10,00,000/- per Bond
Issue Price	At par (Rs. 10,00,000/- per Bond)
Redemption Price	At par (Rs. 10,00,000/- per Bond)
Minimum Subscription	1 Bond and in multiples of 1 Bond thereafter

कार्यकाल	124 महीने
पुट विकल्प	कोई नहीं
काल विकल्प	छठे वर्ष के अंत में (भा.रि.बैं. की स्वीकृति के आधार पर)
प्रतिदेयता/ परिपक्वता	तिथि से 124 महीनों के अंत में सम मूल्य पर (भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के साथ)
प्रतिदेयता तिथि	24.10.2021 (भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के साथ)
कूपन दर'	9.73% वार्षिक दर से
ब्याज भुगतान	वार्षिक
ब्याज भुगतान तिथियां	प्रत्येक वर्ष में 15 मई तथा अंतिम परिपक्वता पर
लिस्टिंग	प्रस्तावित–नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड(एन–एस–ई)के थोक ऋण बाजार खंड(डब्लयू.डी.एम.)
न्यासी	आई.डी.बी.आई. ट्रस्टशिप सर्विसेज लिमिटेड
निक्षेपागार	नेशनल स्क्यूरिटी डिपोस्टिरी लि– तथा सेन्ट्रल डिपोस्टिरी र्सविसज (इंडिया) लिमिटेड
पंजीयक	एम.सी.एस. लिमिटेड
आवेदन राशिपर ब्याज*	कूपन दर पर – आबंटन की मानी गई तिथि को छोड़कर चैक(कों)डिमांड ड्राफ्ट(टों)/ आर.टी.जी.एस. की वसूली होने की तिथि से (अर्थात् 9.73% वार्षिक दर से)
निपटान	ब्याज के भुगतान तथा मूल धन की अदायगी चैक(कों)/ब्याज/प्रतिदेय वारंट(स)/डिमांड ड्राफ्ट/आर.टी.जी.एस. प्रणाली/ई.सी.एस. प्रणाली के माध्यम से।
अंषदान का माध्यम	आर.टी.जी.एस.तंत्र के माध्यम से राशि को इलैक्ट्रानिक्स अंतरण के तरीके से "पंजाब एण्ड सिंध बैंक आर.टी.जी.एस. खाता" में दिल्ली के लिए IFSC कूट संख्या "PSIB 0000001 " में किया जा सकता है।
निर्गमके खुलने की तिथि'	20.06.2011
निर्गमके बंद होने की तिथि'	24.06.2011
पे–इन डेटस'	20.06.2011 से 24.06.2011
आबंटन की मानी गई तिथि'	24.06.2011

*स्रौत पर लागू कर कटौती के अधीन।

*बैंक के पास निर्गम में संशोधन (पूर्व नियोजन/स्थगन) करने, खोलने/बंद करने/भुगतान तिथि संबंधी अपना एकल एवं सम्पर्ण अधिकार सुरक्षित है जिसमें बैंक बिना कोई कारण बताए अथवा पूर्व नोटिस के परिवर्तन कर सकता हैकिसी नोटिस के आबंटन के लिए मानी जाने वाली एक से ज्यादा तिथि(यो) निर्धारित करने का भी एकल एवं सम्पर्ण अधिकार सुरक्षित है ।

तालिका डी–एफ–15– पारिश्रमिक के लिए आवश्यकताओं का प्रकटीकरण

सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के लिए लागू नहीं हैं।

Tenure	124 Months
Put Option	None
Call Option	At the end of 6th Year (Subject to Approval from RBI)
Redemption/ Maturity	At par at the end of 124 Months from the Deemed Date of Allotment (subject to prior approval from RBI)
Redemption Date	24th October 2021 (subject to prior approval from RBI)
Coupon Rate *	9.73% p.a.
Interest Payment	Annual
Interest Payment Date	On May 15, every year and on final maturity
Listing	Proposed on the Wholesale Debt Market (WDM) Segment of the National Stock Exchange of India Ltd. (NSE)
Trustee	IDBI Trusteeship Services Ltd.
Depository	National Securities Depository Ltd. and Central Depository Services (India) Ltd.
Registrars	MCS Ltd.
Interest on Application Money *	At the coupon rate (i.e. @ 9.73% p.a) from the date of realization of cheque(s)/ demand draft(s)/ RTGS up to but excluding the Deemed Date of Allotment
Settlement	Payment of interest and repayment of principal shall be made by way of cheque(s)/ interest/ redemption warrant(s)/ demand draft(s)/ credit through RTGS/ ECS system
Mode of Subscription	By way of electronic transfer of funds through RTGS mechanism for credit in the account of **"Punjab & Sind Bank RTGS Account"** IFSC Code: **"PSIB0000001"** for New Delhi
Issue Opens on ^	20th June 2011
Issue Closes on ^	24th June 2011
Pay-In Date ^	20th June 2011 to 24th June 2011
Deemed Date of Allotment ^	24th June 2011

* Subject to deduction of tax at source, as applicable.

^ The Bank reserves its sole and absolute right to modify (pre-pone/ postpone) the issue opening/ closing/ pay-in date(s) without giving any reasons or prior notice. In such a case, investors shall be intimated about the revised time schedule by the Bank. The Bank also reserves the right to keep multiple Deemed Date(s) of Allotment at its sole and absolute discretion without any notice.

Table DF 15 –Disclosure Requirements for Remuneration-

Not applicable to PSU Banks

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
महामहिम राष्ट्रपति महोदय,

पंजाब एण्ड सिंध बैंक की वित्तीय विवरणियों पर रिपोर्ट

1. हमने पंजाब एण्ड सिंध बैंक के 31 मार्च, 2015 की वित्तीय विवरणियों जिनमें 31 मार्च, 2015 का तुलन.पत्र तथा इस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए बैंक के लाभ–हानि खाते तथा नकदी प्रवाह विवरणी सहित लेखों से संबंधित टिप्पणियों का लेखा परीक्षण किया है। इन वित्तीय विवरणियों में हमारे द्वारा लेखा परीक्षित 20 शाखाओं, शाखाओं के लेखा परीक्षकों द्वारा परीक्षित 524 शाखाएं हैं। हमारे तथा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं का चयन बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मानदंडों के अनुसार किया है। तुलन–पत्र तथा लाभ–हानि खाते में 912 शाखाओं से भेजी गई विवरणियाँ शामिल हैं जो लेखा परीक्षण के अधीन नहीं है। इन अपरीक्षित शाखाओं में अग्रिमों का प्रतिशत 7.73 प्रतिशत, जमाराशियों का 19.59 प्रतिशत, अग्रिमों पर ब्याज आय का 5.05 प्रतिशत तथा जमा राशियों पर दिए गए ब्याज व्ययों का 17.30 प्रतिशत हिस्सा बनता है।

वित्तीय विवरणियों के लिए बैंक प्रबंधन का उत्तरदायित्व

2. बैंक प्रबंधन इन वित्तीय विवरणियों को लेखा मानकों के अनुसार तैयार करने के लिए उत्तरदायी है जोकि बैंकिंग कानून के अनुसार तथा भारत में स्वीकार्य है। उत्तरदायित्व में डिजाईन, कार्यान्वयन तथा वित्तीय विवरणियों को तैयार करने हेतु आंतरिक नियंत्रण जो कि यथार्थ के अकथन, धोखाधडी या गलती के कारण हो सकता है, सम्मिलित है।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

3. हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर इन वित्तीय विवरणियों पर राय देना हमारा उत्तरदायित्व है। हमने अपना लेखा परीक्षण सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार किया है। इन मानकों के अनुरूप यह वांछनीय है कि हम लेखा परीक्षण हेतु नैतिक आवश्यकताओं का ध्यान रखे और इस प्रकार योजना बनाएं एवं इसे पूर्ण करें ताकि यह विश्वास हो सके कि वित्तीय विवरणियों में कोई भी कमी नहीं है।

4. लेखा परीक्षण में प्रयोगात्मक आधार पर की गई जांच सम्मिलित है कि वित्तीय विवरणियों में दी गई तथा राशियों संबंधी साक्ष्य, सूचनाएं सही हैं। अपनाई गई प्रक्रिया लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर होती है जिसमें वित्तीय विवरणियों के विषय में दी गई गलत सूचना का आकलन सम्मिलित है जो धोखाधडी या गलती के कारण हो सकता है। लेखा परीक्षक परिस्थितियों के अनुरूप जोखिम भरा आकलन करने के लिए आंतरिक नियंत्रण तथा वास्तविक प्रस्तुतिकरण पर विचार करता है न कि बैंक के आंतरिक नियंत्रण की प्रभाविक्ता पर विचार व्यक्त करने के उद्देश्य से। लेखा परीक्षण में प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों का मूल्यांकन तथा प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए महत्वपूर्ण अनुमान एवं वित्तीय विवरणों का विवरण शामिल रहता है।

5. हमें विश्वास है कि हमने लेखा परीक्षण में जो साक्ष्य प्राप्त किए है सामान्यता पूर्ण है और हमारे पक्ष के लिए एक उपयुक्त आधार हैं।

विषय का महत्वः

6. हमारी रिपोर्ट की विशेषता बताए बिना हम निम्नलिखित की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं :

   (i) नोट संख्या 1.1, 1.2 और 1.3 आय, व्यय, आस्तियों और देयताओं के विभिन्न खातों की बकाया मदों के शेषोंधनिकासी पहचानः समायोजित न होने के कारण इसके प्रभाव की आवश्यकता को निर्धारित नहीं किया जा सका है।

   (ii) अपील में विलंबित विवादित कर देयताओं के संबंध में नोट सं. 10.9.5, जिसका प्रभाव निश्चित नहीं है।

   (iii) नोट सं. 10.9.3 जो कि लेखांकन बही के अनुसार निवेश मूल्य पर विविध खाता पर अंतर के संबंध में 379.26 करोड रु. की आस्थगित कर देयताओं के सृजन न करने तथा आयकर अभिकलन के लिए अंतर पर विचार करते हुए स्थाई होगा।

   (iv) बैंक की पूंजी पर्याप्तता बेसल–II तथा बेसल–III अन्य अनुपात जिन्हें बैंक द्वारा लेखों में सूचित किया गया है, खातों पर टिप्पणियां, लेखा– नीतियों और उक्त परिच्छेद 6(i) से (iii) पर हमारी टिप्पणियों के अनुसार किए गए समायोजनों के अनुरूप है।

   (v) वित्तीय विवरणी का नोट 10.4.1, जो सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए पेंशन विकल्प के पुनः खोलने एवं ग्रेच्यूटी की सीमा में वृद्धि–प्रमुख नियामक उपचार पर, बैंक की पैंशन एवं ग्रेच्युटी देयता, कर्मचारियों हेतु लाभ पर भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र दिनांक 9 फरवरी, 2011 सं. डीबीओडी नं.बीपी.बीसी.80/21.04.018/2010–11 के अनुसार लेखा मानकों (एएस) 15 के प्रावधानों के अनुपालन में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को छूट है।

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To,
The President of India,

Report on the Financial Statements of Punjab & Sind Bank

1. We have audited the accompanying financial statements of Punjab & Sind Bank as at 31st March, 2015, which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2015, and Profit and Loss Account and the cash flow statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of 20 branches audited by us and 524 branches audited by branch auditors. The branches audited by us and those audited by other branch auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Statement of Profit and Loss are the returns from 912 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 7.73 per cent of advances, 19.59 per cent of deposits, 5.05 per cent of interest income and 17.30 per cent of interest expenses.

Management's Responsibility for the Financial Statements

2. Management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with accounting standards generally accepted in India and applicable banking laws. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the bank's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances but not the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

5. We believe that the audit evidence we have obtained is generally sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Emphasis of matter:

6. Without qualifying our report, we draw attention to:

   (i) Note no. 1.1, 1.2 and 1.3 regarding non reconciliation of balances and clearances/identification of outstanding items in respect of various accounts of income, expenditure, assets and liabilities, the impact of which is not ascertainable.

   (ii) Note no. 10.9.5 regarding disputed tax liabilities pending in appeals, the effect of which is not ascertainable.

   (iii) Note no.10.9.3 regarding non creation of deferred tax liability of Rs. 379.26 crore in respect of difference on account of variation on the value of investment as per the books of account and for the income tax computation considering the difference to be permanent.

   (iv) Capital adequacy as per Basel – II and Basel – III and other ratios disclosed in the accounts by the bank are subject to adjustment arising out of the Notes on accounts, accounting policies and our remarks in Para 6 (i) to (iii) above.

   (v) Note no. 10.4.1 regarding deferment, amortization and carry forward of pension and gratuity liability of the bank pursuant to the exemption granted by Reserve Bank of India to the public sector bank from application of provisions of Accounting Standard (AS) 15 `Employees Benefits`(revised 2005) vide its circular no. DBOD.BP.BC/80/21.04.018/2010-11 dated 09.02.2011 of Re-opening of pension option to the Employees of public sector banks and enhancement in gratuity limits – Prudential regulatory treatment.

(vi) नोट सं. 10.9.6 जो आयकर प्राधिकारियों द्वारा खराब ऋणों के दावे की स्वीकार्यता में अनिश्चतता का वर्णन करता है, की तुलना में स्वतंत्र विशेषज्ञ की राय के आधार पर बैंक ने निर्णय लिया है।

7. हमारी राय में जैसा कि बैंक के बहियों में दर्शाया गया है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम यह सूचित करते हैं कि :–

i) प्रमुख लेखा नीतियों तथा उन पर हमारी टिप्पणियों सहित पठनीय तुलन–पत्र एक पूर्ण एवं विशुद्व तुलन पत्र है जिसमें आवश्यक विवरण निहित हैं तथा इसे उचित ढंग से तैयार किया गया है जिसमें बैंक के 31 मार्च 2015 के मामलों का उचित उल्लेख है जो कि भारत में स्वीकार्य लेखा सिद्वान्तों के अनुरूप है।

ii) लाभ हानि खाता एवं प्रमुख लेखा नीतियों जो कि भारत में स्वीकार्य लेखा सिद्धान्तों के अनुरूप है तथा हमारी टिप्पणियों के साथ पठनीय समाप्त वर्ष के लिए वास्तविक लाभ शेष को दर्शाता है।

iii) नकदी प्रवाह विवरणी उस तिथि पर समाप्त वर्ष तक की नकदी प्रवाह विवरणी के सत्य तथा वास्तविक नकदी प्रवाह को दर्शाता है।

अन्य विधिक तथा विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

8. तुलन पत्र और लाभ हानि खाते, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की तृतीय अनुसूची में दिए फार्म क्रमशः "A" तथा "B" में तैयार किए गए हैं।

9. उपरोक्त 1 से 5 तक परिच्छेदों में लेखा परीक्षा के आधार पर तथा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970⁄1980 तथा उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन तथा लेखा नीतियों और लेखा संबंधी टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए हम रिपोर्ट करते हैं किः

क) जो सूचनाएं और स्पष्टीकरण हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षण हेतु आवश्यक थे, हमने वे सभी सूचनाएं प्राप्त की हैं और इन्हें संतोषजनक पाया है।

ख) बैंक के ऐसे सभी लेन–देन जो हमारी जानकारी में आए हैं जो बैंक के अधिकारों के अंतर्गत थे।

ग) बैंक के कार्यालयों ⁄ शाखाओं से प्राप्त विवरणियों को सामान्यतः लेखा परीक्षण हेतु उपयुक्त पाया गया है।

10. हमारी राय में, तुलन–पत्र, लाभ–हानि खाता तथा नकदी प्रवाह विवरणी लागू लेखा मानकों के अनुसार हैं।

कृते बी.के. श्राफ एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार

(एल.के. श्राफ)
पार्टनर
एम.नं. 060742
एफआरएन रू 302166ई

कृते आर. कोठारी एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार

(राजेश कुमार)
पार्टनर
एम.नं. 090865
एफआरएन रू 307069ई

कृते ढिल्लों एण्ड एसोशिएटस
सनदी लेखाकार

(राजेश मल्हौत्रा)
पार्टनर
एम.नं. 090661
एफआरएनः002783एन

कृते तिवारी एण्ड एसोशिएटस
सनदी लेखाकार

(कृष्ण कुमार)
पार्टनर
एम.नं.085415
एफआरएन 002870एन

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 12 मई, 2015

(vi) Note No.10.9.6, which describes uncertainty relating to the allowability of claim of bad debts by the Income Tax Authorities vis- a- vis to the stand taken by the bank based on expert independent opinion.

7. In our opinion, as shown by books of bank, and to the best of our information and according to the explanations given to us we further report that:

(i) the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at 31st March 2015 in conformity with accounting principles generally accepted in India;

(ii) the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and

(iii) the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

8. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Forms “A” and “B” respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

9. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, read with Notes on Accounts attached and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

(a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.

(b) The transactions of the Bank, which have come to our notice have been within the powers of the Bank.

(c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

10. In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards.

For B. K. Shroff & Co.
Chartered Accountants

(L. K. Shroff)
Partner
M. No. 060742
FRN : 302166E

For R. Kothari & Co.
Chartered Accountants

(Rajesh Kumar)
Partner
M. No. 090865
FRN : 307069E

For Dhillon & Associates
Chartered Accountants

(Rajesh Malhotra)
Partner
M. No. 090661
FRN : 002783N

For Tiwari & Associates
Chartered Accountants

(Krishan Kumar)
Partner
M. No. 085415
FRN : 002870N

Place : New Delhi
Dated : May 12, 2015

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
31 मार्च, 2015 का तुलन-पत्र

(000 छोड़कर)

पूँजी तथा देयताएं	अनुसूची	रूपए 31.3.2015 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	रूपए 31.3.2014 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
पूँजी	1	4004110	4752842
आरक्षित निधि एवं अधिशेष	2	51957641	45360038
जमाराशियाँ	3	867147160	847301648
उधार	4	30482300	23050423
अन्य देयताएं तथा प्रावधान	5	23942825	24626596
जोड़		**977534036**	**945091547**

आस्तियाँ			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में इतिशेष	6	37561067	48344909
बैंकों में इतिशेष एवं मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	7	4634006	14903466
निवेश	8	267516965	282941140
अग्रिम	9	638701767	572390666
स्थिर आस्तियाँ	10	9948284	10027150
अन्य आस्तियाँ	11	19171947	16484216
जोड़		**977534036**	**945091547**
आकस्मिक देयताएं	12	144215606	100290718
वसूली के लिए बिल		7687285	12757758
उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ	17		
खातों से संबंधित टिप्पणियाँ	18		
अनुसूची 1 से 18 खातों का अभिन्न अंग हैं।			

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि खाता

(000 को छोड़कर)

		अनुसूची	रूपए 31.3.2015 को समाप्त वर्ष (लेखा परीक्षित)	रूपए 31.3.2014 को समाप्त वर्ष (लेखा परीक्षित)
I.	**आय**			
	अर्जित ब्याज	13	85885471	79727065
	अन्य आय	14	4287528	4272808
	जोड़		**90172999**	**83999873**
II.	**व्यय**			
	व्यय किया गया ब्याज	15	69093525	63521242
	परिचालन व्यय	16	13324976	12473212
	प्रावधान और आकस्मिक व्यय		6541015	4999155
	जोड़		**88959516**	**80993609**
III.	**लाभ/हानि**			
	अवधि के शुद्ध लाभ/हानि (–)		1213483	3006264
	अग्रानीत लाभ/हानि (–)		16355120	15430797
	जोड़		**17568603**	**18437061**
	मूल एवं तनुकृत अर्जन प्रति शेयर		3.59	10.69

PUNJAB & SIND BANK
BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2015

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
CAPITAL & LIABILITIES	**SCHEDULE**	**AS ON 31.03.15 [Audited]**	**AS ON 31.03.14 [Audited]**
Capital	1	4004110	4752842
Reserves & Surplus	2	51957641	45360038
Deposits	3	867147160	847301648
Borrowings	4	30482300	23050423
Other liabilities & Provisions	5	23942825	24626596
TOTAL		**977534036**	**945091547**

ASSETS			
Cash & balances with Reserve Bank Of India	6	37561067	48344909
Balances with banks & money at call and short notice	7	4634006	14903466
Investments	8	267516965	282941140
Advances	9	638701767	572390666
Fixed Assets	10	9948284	10027150
Other Assets	11	19171947	16484216
TOTAL		**977534036**	**945091547**
Contingent Liabilities	12	144215606	100290718
Bills for Collection		7687285	12757758
Significant Accounting Policies	17		
Notes on Accounts	18		
Schedule 1 to 18 form an integral part of the accounts			

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2015

(000'S OMITTED)

			Rs.	Rs.
		SCHEDULE	**YEAR ENDED 31.03.15 [Audited]**	**YEAR ENDED 31.03.14 [Audited]**
I.	**INCOME**			
	Interest earned	13	85885471	79727065
	Other income	14	4287528	4272808
	TOTAL		90172999	83999873
II.	**EXPENDITURE**			
	Interest expended	15	69093525	63521242
	Operating expenses	16	13324976	12473212
	Provisions and contingencies		6541015	4999155
	TOTAL		**88959516**	**80993609**
III.	**PROFIT/LOSS**			
	Net Profit/ Loss (-) for the period		1213483	3006264
	Profit/ Loss(-) brought forward		16355120	15430797
	TOTAL		**17568603**	**18437061**
	Basic & Diluted Earning per share (EPS)		3.59	10.69

IV.	**विनियोजन**			
	अंतरणः सांविधिक आरक्षित निधियाँ		480000	752500
	पूँजी आरक्षित निधि (निवेश)		0	118522
	धारा 36 (i) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधियां		2320	0
	आरक्षित निवेश		0	36817
	आस्थगित कर देयताएं		0	234960
	कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि		0	20000
	प्रस्तावित लाभांशः			
	पीएनसीपीएस		0	180000
	ईक्विटी		240247	605625
	लाभांश वितरण कर		54167	133517
	शेष को आगे तुलन–पत्र में ले जाया गया		16791869	16355120
	जोड़		**17568603**	**18437061**
	उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ	17		
	खातों से संबंधित टिप्पणियाँ	18		
	अनुसूची 1 से 18 खातों का अभिन्न अंग हैं।			

जतिंदरबीर सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

मुकेश कुमार जैन
कार्यकारी निदेशक

एस.आर.मेहर
निदेशक

पी.के.जेना
निदेशक

संजय वर्मा
निदेशक

अनीता कर्णावर
निदेशक

एस.पी.बबूता
निदेशक

एम.एस.सारंग
निदेशक

आई.एस.भाटिया
मुख्य महाप्रबंधक

दीपक मैनी
महाप्रबंधक

जी.एस.ढल्ल
महाप्रबंधक

डी.डी.शर्मा
महाप्रबंधक

वीरेन्द्र गुप्ता
महाप्रबंधक

आर.पी.एस.खुराना
महाप्रबंधक

जी.एस.नारंग
महाप्रबंधक

हरविंदर सिंह
महाप्रबंधक

वी.के. मेहरोत्रा
सहायक महाप्रबंधक

ए.एस.अहूजा
मुख्य प्रबंधक

समतिथि पर हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते बी.के. श्राफ एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन 302166ई

(एल.के.श्राफ)
एम.नं. 060742

कृते आर. कोठारी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन 307069ई

(राजेश कुमार)
एम.नं.090865

कृते तिवारी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002870एन

(कृष्ण कुमार)
एम.नं. 085415

कृते ढिल्लों एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002783एन

(राजेश मल्होत्रा)
एम. नं. 090661

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 12 मई, 2015

IV.	**APPROPRIATIONS**			
	Transfer to: Statutory Reserve		480000	752500
	Capital Reserve [Investment]		0	118522
	Special Reserve u/s 36(1)(viii)		2320	0
	Investment Reserve		0	36817
	Deferred Tax Liability		0	234960
	Corporate Social Responsibility Fund		0	20000
	Proposed Dividend: PNCPS		0	180000
	Equity		240247	605625
	Dividend Distribution Tax		54167	133517
	Balance carried over to Balance Sheet		16791869	16355120
	TOTAL		**17568603**	**18437061**
	Significant Accounting Policies	17		
	Notes on Accounts	18		
	Schedule 1 to 18 form an integral part of the accounts			

JATINDERBIR SINGH
CHAIRMAN & MG. DIRECTOR

MUKESH KUMAR JAIN
EXECUTIVE DIRECTOR

S.R. MEHAR
DIRECTOR

P.K. JENA
DIRECTOR

SANJAY VERMA
DIRECTOR

ANITA KARNAVAR
DIRECTOR

S.P. BABUTA
DIRECTOR

M.S. SARANG
DIRECTOR

I.S. BHATIA
CHIEF GEN. MANAGER

DEEPAK MAINI
GENERAL MANAGER

G.S. DHALL
GENERAL MANAGER

D.D. SHARMA
GENERAL MANAGER

VARINDER GUPTA
GENERAL MANAGER

R.P.S. KHURANA
GENERAL MANAGER

G.S. NARANG
GENERAL MANAGER

HARVINDER SINGH
GENERAL MANAGER

V.K. MEHROTRA
ASSTT GEN. MANAGER

A.S. AHUJA
CHIEF MANAGER

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE.

FOR B.K. SHROFF & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN 302166E

[L.K. SHROFF]
M.No.060742

FOR R. KOTHARI & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN 307069E

[RAJESH KUMAR]
M.No.090865

FOR TIWARI & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN 002870N

[KRISHAN KUMAR]
M.No.085415

FOR DHILLON & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN 002783N

[RAJESH MALHOTRA]
M.No.090661

Place : NEW DELHI
DATED : 12 May, 2015

(000 को छोड़कर)

		रुपए	रुपए
	अनुसूची 1 – पूँजी	**31.3.2015 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**	**31.3.2014 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**
I.	**प्राधिकृत पूँजी :** इक्विटी शेयर पूँजी प्रत्येक रू. 10/. के 75,00,00,000 शेयर	7500000	7500000
II.	अधिमान शेयर पूँजी (बेमियादी गैर–संचयी) (पी.एन.सी.पी.एस.) प्रत्येक रू. 10/. के 225,00,00,000 शेयर	22500000	22500000
		30000000	**30000000**
	निर्गम, अभिदत्त एवं प्रदत्त पूँजी :		
I.	इक्विटी शेयर पूँजी प्रत्येक रू. 10/. के 40,04,11,027 शेयर (पिछले वर्ष 27,52,84,212) जिसमें केन्द्रीय सरकार की धारिता में प्रत्येक रू. 10/. के 31,88,22,775 शेयर (पिछले वर्ष 22,41,32,212) सम्मिलित हैं।	4004110	2752842
II.	अधिमान शेयर पूँजी (बेमियादी गैर–संचयी) (पी.एन.सी.पी.एस.) शून्य (पिछले वर्ष केन्द्रीय सरकार की धारिता में प्रत्येक रू. 10/. के 20,00,00,000 शेयर)	0	2000000
	कुल [I+II]	**4004110**	**4752842**

(000 को छोड़कर)

		रुपए	रुपए
	अनुसूची 2 – आरक्षित निधि एवं अधिशेष	**31.3.2015 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**	**31.3.2014 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**
I	**सांविधिक आरक्षित निधि**		
	अथशेष	9011906	8259406
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	480000	752500
	उप–योग– I	**9491906**	**9011906**
II.	**पूँजी आरक्षित निधि —**		
	क. पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि (स्थायी आस्तियाँ)		
	अथशेष	8307590	7065699
	जमाः वर्ष के दौरान परिवर्धन	0	1479579
	घटाः वर्ष के दौरान कटौतियाँ	–462077	–237688
	उप–योग II क	**7845513**	**8307590**
	ख. पूँजी आरक्षित निधि (निवेश)		
	अथशेष	2722729	2604207
	जमाः वर्ष के दौरान परिवर्धन	0	118522
	उप–योग II ख	**2722729**	**2722729**
III.	शेयर प्रीमियम		
	अथ शेष	7039807	6254625
	जमाः वर्ष के दौरान परिवर्धन	6148732	787370
	जमाः सार्वजनिक निर्गम व्यय	–8121	–2188
	उप–योग – III	**13180418**	**7039807**
IV.	**राजस्व तथा अन्य आरक्षित निधियाँ**		
	क) सामान्य आरक्षित		
	अथ शेष	1089107	1089107
	जमाः वर्ष के दौरान परिवर्धन	0	0
	घटाः वर्ष के दौरान कटौतियाँ	0	0
	उप–योग– IV. क	**1089107**	**1089107**

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 1-CAPITAL	**AS ON 31.03.15 [Audited]**	**AS ON 31.03.14 [Audited]**
I.	Authorised Capital : Equity Share Capital 75,00,00,000 shares of Rs.10/- each	7500000	7500000
II.	Preference Share Capital (Perpetual Non-cumulative) (PNCPS) 225,00,00,000 shares of Rs.10/- each	22500000	22500000
		30000000	30000000
	Issued, Subscribed and Paid-up Capital:		
I.	Equity Share Capital 40, 04, 11, 027 (Previous Year 27, 52, 84, 212) shares of Rs.10/- each [including 31, 88, 22, 775 (Previous Year 22, 41, 32, 212) shares of Rs.10/- each held by Central Government]	4004110	2752842
II.	Preference Share Capital (Perpetual Non-cumulative) (PNCPS) NIL (Previous Year 20,00,00,000)shares of Rs.10/- each held by Central Government	0	2000000
	TOTAL [I+II]	4004110	4752842

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 2 - RESERVES & SURPLUS	**AS ON 31.03.15 [Audited]**	**AS ON 31.03.14 [Audited]**
I.	**Statutory Reserves**		
	Opening Balance	9011906	8259406
	Addition during the year	480000	752500
	Sub Total I	9491906	9011906
II.	**Capital Reserves:**		
	a.Revaluation Reserve (Fixed Assets):		
	Opening Balance	8307590	7065699
	Add: Addition during the year	0	1479579
	Less:Deduction during the year	-462077	-237688
	Sub Total II.a	**7845513**	**8307590**
	b.Capital Reserve [Investments]		
	Opening Balance	2722729	2604207
	Add: Addition during the year	0	118522
	Sub-Total II.b	**2722729**	**2722729**
III.	**Share Premium:**		
	Opening Balance	7039807	6254625
	Add: Addition during the year	6148732	787370
	Less: Share Issue Expenses	-8121	-2188
	Sub-Total III	**13180418**	**7039807**
IV.	**Revenue & Other Reserves**		
	a). General Reserves		
	Opening Balance	1089107	1089107
	Add: Addition during the year	0	0
	Less: Deduction during the year	0	0
	Sub-Total IV.a	**1089107**	**1089107**

	ख) राजस्व आरक्षित निधि :		
	अथशेष	105700	105700
	जमाः वर्ष के दौरान परिवर्धन	0	0
	उप–योग IV.ख	**105700**	**105700**
	ग) विशेष आरक्षित धारा 36 (i) (viii) के अंतर्गत(–)		
	अथशेष	691262	691262
	जमाः वर्ष के दौरान परिवर्धन	2320	0
	उप–योग IV ग	**693582**	**691262**
	घ) आरक्षित निवेश		
	अथ शेष	36817	0
	जमाः वर्ष के दौरान परिवर्धन	0	36817
	उप–योग IV घ	**36817**	**36817**
V	लाभ–हानि खाते में शेष	16791869	16355120
	कुल योग (I–V)	**51957641**	**45360038**

(000 को छोड़कर)

		रूपए	**रूपए**
	अनुसूची 3 – जमा राशियाँ	**31.3.2015 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**	**31.3.2014 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**
क.	**क) 1.) क. मांग जमा**		
	i) बैंकों से	329788	297775
	ii) अन्य से	47560829	43436576
	ख. बचत बैंक जमा राशियाँ	138809830	133217694
	ग. मियादी जमा		
	i) बैंकों से	50249320	67627719
	ii) अन्य से	630197393	602721884
	जोड़ (I+II+III)	**867147160**	**847301648**
ख)	**भारत में शाखाओं की जमाराशियाँ**	**867147160**	**847301648**

(000 को छोड़कर)

		रूपए	**रूपए**
	अनुसूची 4 -- उधार	**31.3.2015 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**	**31.3.2014 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**
	1.) भारत में उधार		
	i) भारतीय रिज़र्व बैंक	1950000	5800000
	ii) अन्य बैंक	0	0
	iii) अन्य संस्थान और अभिकरण	15282300	423
	iv) नवोन्मेश बेमियादी ऋण लिखत (आईपीडीआई)	0	1600000
	v) बेमियादी संचयी अधिमान शेयर(पी.सी.पी.एस.)	0	2000000
	vi) गौण ऋण	13250000	13650000
	2.) भारत से बाहर उधार	0	**0**
	जोड़ (1+2)	**30482300**	**23050423**
	उपरोक्त जोड़ (1) और (2) में सम्मिलित प्रतिभूत उधार		3800000

	b). Revenue Reserve:		
	Opening Balance	105700	105700
	Add: Addition during the year	0	0
	Sub-Total IV.b	**105700**	**105700**
	c). Special Reserve u/s 36(i) (viii):		
	Opening Balance	691262	691262
	Add: Addition during the year	2320	0
	Sub-Total IV.c	**693582**	**691262**
	d). Investment Reserve		
	Opening Balance	36817	0
	Add: Addition during the year	0	36817
	Sub-Total IV.d	**36817**	**36817**
V.	**Balance in Profit & Loss Account**	16791869	16355120
	Total [I to V]	**51957641**	**45360038**

(000'S OMITTED)

		Rs.	**Rs.**
	SCHEDULE 3 - DEPOSITS	**AS ON 31.03.15 [Audited]**	**AS ON 31.03.14 [Audited]**
A	Demand Deposits		
	i. From Banks	329788	297775
	ii. From others	47560829	43436576
	II. Savings Bank Deposits	138809830	133217694
	III. Term Deposits		
	i. From Banks	50249320	67627719
	ii. From others	630197393	602721884
	TOTAL [I+II+III]	**867147160**	**847301648**
B	**Deposits of branches in India**	**867147160**	**847301648**

(000'S OMITTED)

		Rs.	**Rs.**
	SCHEDULE 4 - BORROWINGS	**AS ON 31.03.15 [Audited]**	**AS ON 31.03.14 [Audited]**
	I. Borrowings in India		
	i) Reserve Bank of India	1950000	5800000
	ii) Other Banks	0	0
	iii) Other institutions & agencies	15282300	423
	iv) Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)	0	1600000
	v) Perpetual Cumulative Preference Shares [PCPS]	0	2000000
	vi) Subordinated Debt	13250000	13650000
	II. Borrowings outside India	0	0
	TOTAL [I & II]	**30482300**	**23050423**
	Secured borrowings Included in I & II above	0	3800000

(000 को छोड़कर)

		रूपए	रूपए
	अनुसूची 5 – अन्य देयताएं और प्रावधान	**31.3.2015 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**	**31.3.2014 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**
	I. देय बिल	2305927	1671254
	II. अंतर्कार्यालय समायोजन (निवल)	326730	1117763
	III. प्रोद्भूत ब्याज	6779186	7868251
	IV. आस्थगित कर देयता	1014161	769365
	VI. अन्य (इसमें प्रावधान सम्मिलित हैं)	13516821	13199963
	जोड़	**23942825**	**24626596**

(000 को छोड़कर)

		रूपए	रूपए
	अनुसूची 6 – नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास इतिशेष	**31.3.2015 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**	**31.3.2014 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**
	I. हाथ में नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट सम्मिलित हैं)	1984576	2407064
	II. भारतीय रिज़र्व बैंक में इतिशेष		
	i) चालू खातों में	33576491	45937845
	ii) अन्य खातों में	2000000	0
	जोड़ (I तथा II)	**37561067**	**48344909**

(000 को छोड़कर)

		रूपए	रूपए
	अनुसूची 7 – बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	**31.3.2015 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**	**31.3.2014 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**
	1.) भारत में		
	i) बैंकों में शेष		
	क) चालू खातों में	538493	567903
	ख) अन्य जमा खातों में	0	8490959
	ii) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन		
	क) बैंकों से	1500000	4350000
	ख) अन्य संस्थाओं से	0	0
	उप योग– (1)	**2038493**	**13408862**
	2.) भारत के बाहर		
	i) चालू खातों में	2595513	1494604
	ii) अन्य जमा खातों में	0	0
	iii) मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य धन	0	0
	उप–योग (2)	2595513	1494604
	जोड़ (1+2)	**4634006**	**14903466**

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS	**AS ON 31.03.15 [Audited]**	**AS ON 31.03.14 [Audited]**
	I. Bills Payable	2305927	1671254
	II. Inter-office adjustments [net]	326730	1117763
	III. Interest accrued	6779186	7868251
	IV. Deferred Tax Liability	1014161	769365
	V. Others (including provisions)	13516821	13199963
	TOTAL	**23942825**	**24626596**

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 6 - CASH & BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA	**AS ON 31.03.15 [Audited]**	**AS ON 31.03.14 [Audited]**
	I. Cash in hand [including foreign currency notes]	1984576	2407064
	II. Balances with Reserve Bank of India		
	i) in Current Account	33576491	45937845
	ii) in Other Account	2000000	0
	TOTAL [I & II]	**37561067**	**48344909**

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS & MONEY AT CALL & SHORT NOTICE	**AS ON 31.03.15 [Audited]**	**AS ON 31.03.14 [Audited]**
	I. In India		
	i) Balance with banks		
	a) in Current Accounts	538493	567903
	b) in other Deposit Accounts	0	8490959
	ii) Money at call & Short notice		
	a) with banks	1500000	4350000
	b) with other institutions	0	0
	SUB-TOTAL [I]	**2038493**	**13408862**
	II. Outside India		
	i) In Current Accounts	2595513	1494604
	ii) In Other Deposit Accounts	0	0
	iii) Money at call & Short notice	0	0
	SUB-TOTAL [II]	**2595513**	**1494604**
	TOTAL [I & II]	**4634006**	**14903466**

(000 को छोड़कर)

		रूपए	रूपए
	अनुसूची 8 – निवेश	**31.3.2015 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**	**31.3.2014 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**
	1.) भारत में निवेश		
	i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	**208374282	216836768
	ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	105483	99491
	iii) शेयर	1493791	1686798
	iv) डिबैंचर तथा बांड्स	29942231	31363359
	v) सहायक इकाईयां, तथा संयुक्त उपक्रम एवं प्रायोजित संस्थान	6537	6537
	vi) अन्य		
	क) वाणिज्यिक पत्र/सीडी/प्रतिभूति रसीदें/आरआईडीएफ	27451364	32774703
	ख) यू.टी.आई.के यूनिट, अन्य म्युचुअल फंड	143277	173484
	उप-योग (I)	**267516965**	**282941140**
	II. भारत से बाहर निवेश	शून्य	शून्य
	कुल योग (I+II)	**267516965**	**282941140**
	कुल मूल्य	267916856	283466139
	मूल्य ह्यस का प्रावधान (–)	399891	524999
	निवल निवेश	267516965	282941140

**इनमें रू.1051.05 करोड़ की भारग्रस्त प्रतिभूतियाँ (अंकित मूल्य रु.1064.76करोड़) सम्मिलित हैं। पिछले वर्ष यह रु. 617.04 करोड़ (अंकित मूल्य रु. 609.98 करोड़) थी।

(000 को छोड़कर)

		रूपए	रूपए
	अनुसूची 9 – अग्रिम	**31.3.2015 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**	**31.3.2014 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**
क)	i) क्रय किए गए तथा भुनाए गए बिल	4081355	4321382
	ii) नकदी उधार, अधिविकर्ष और मांग पर प्रतिदेय उधार	189636157	179853971
	iii) मीयादी ऋण	444984255	388215313
	जोड़	**638701767**	**572390666**
ख)	**i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत** (बही ऋण के एवज़ अग्रिम सहित)	477592852	448369357
	ii) बैंक/सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा संरक्षित	63076799	65652978
	iii) प्रतिभूति रहित	98032116	58368331
	जोड़	**638701767**	**572390666**
ग)	**भारत में अग्रिम**		
	i) प्राथमिकता क्षेत्र	175715853	155920233
	ii) सार्वजनिक क्षेत्र	148296701	153507860
	iii) बैंक	2999990	3300871
	iv) अन्य	311689223	259661702
	जोड़	**638701767**	**572390666**

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 8 - INVESTMENTS	**AS ON 31.03.15 [Audited]**	**AS ON 31.03.14 [Audited]**
	I. Investments in India in		
	i) Government Securities	**208374282	216836768
	ii) Other approved securities	105483	99491
	iii) Shares	1493791	1686798
	iv) Debentures & Bonds	29942231	31363359
	v) Subsidiaries, and/or Joint Ventures & Sponsored Institutions	6537	6537
	vi) Others:		
	a) Commercial Paper/CD/Securitised Receipts/ RIDF	27451364	32774703
	b) Units of UTI, other MF	143277	173484
	SUB-TOTAL [I]	**267516965**	**282941140**
	II. Investments outside India	Nil	Nil
	TOTAL [I + II]	**267516965**	**282941140**
	Gross Value	267916856	283466139
	Provision for Depreciation [-]	399891	524999
	Net Investments	**267516965**	**282941140**

** Includes encumbered securities of Rs.1051.05 crore [Face Value Rs. 1064.76 crore] previous year Rs. 617.04 crore [Face Value Rs. 609.98 crore]

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 9 - ADVANCES	**AS ON 31.03.15 [Audited]**	**AS ON 31.03.14 [Audited]**
A	i) Bills purchased & discounted	4081355	4321382
	ii) Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand	189636157	179853971
	iii) Term Loans	444984255	388215313
	Total	**638701767**	**572390666**
B	i) Secured by tangible assets (includes advances against Book Debt)	477592852	448369357
	ii) Covered by Bank/ Government Guarantees	63076799	65652978
	iii) Unsecured	98032116	58368331
	Total	**638701767**	**572390666**
C	**ADVANCES IN INDIA**		
	i) Priority Sector	175715853	155920233
	ii) Public Sector	148296701	153507860
	iii) Banks	2999990	3300871
	iv) Others	311689223	259661702
	Total	**638701767**	**572390666**

(000 को छोड़कर)

		रूपए	रूपए
	अनुसूची 10 – स्थायी आस्तियाँ	**31.3.2015 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**	**31.3.2014 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**
	1.) परिसर		
	लागत (अथ शेष)	823714	717858
	पुनर्मूल्यन के दौरान लागत में परिवर्धन	8545280	7666013
	उप- योग	**9368994**	**8383871**
	वर्ष के दौरान परिवर्धन		
	वास्तविक लागत	45403	105856
	पुनर्मूल्यन लागत पर	0	8545278
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ		
	वास्तविक लागत पर	0	0
	पुनर्मूल्यन लागत पर	0	–7666013
	घटाएं– अद्यतित दिनांक को मूल्यह्रास		
	वास्तविक लागत पर	–240496	–201028
	पुनर्मूल्यन लागत पर	–699765	–237688
	जोड़ ।	**8474136**	**8930276**
	2.) अन्य स्थायी आस्तियाँ (इसमें फर्नीचर और जुड़नार सम्मिलित हैं)		
	मूल्य (अथ शेष)	3044978	2487771
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	803901	613756
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	–47522	–56549
	अद्यतन मूल्यह्रास	–2327209	–1948104
	जोड़ 2	**1474148**	**1096874**
	कुल जोड़ (1+2)	**9948284**	**10027150**

(000 को छोड़कर)

		रूपए	रूपए
	अनुसूची 11 – अन्य आस्तियाँ	**31.3.2015 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**	**31.3.2014 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**
	I. अंतर–कार्यालय समायोजन (निवल)	0	0
	I. प्रोद्भूत ब्याज	5333156	5612110
	II. अग्रिम रूप से संदत्त/स्रोत पर काटा गया कर	3945566	3361796
	III लेखन सामग्री और स्टाम्प	46329	44260
	IV. दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई गैर बैंककारी आस्तियाँ	0	0
	V. अन्य	9846896	7466050
	जोड़	**19171947**	**16484216**

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS	**AS ON 31.03.15 [Audited]**	**AS ON 31.03.14 [Audited]**
	I. Premises		
	Cost [Opening Balance]	823714	717858
	Appreciation in cost on account of revaluation	8545280	7666013
	Sub-Total	**9368994**	**8383871**
	Additions during the year		
	Original Cost	45403	105856
	Revaluation Cost	0	8545278
	Deductions during the year on		
	Original Cost	0	0
	Revaluation Cost	0	-7666013
	Less Depreciation to date on		
	Original cost	-240496	-201028
	Revaluation cost	-699765	-237688
	Total-I	**8474136**	**8930276**
	II. Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures)		
	Cost [Opening Balance]	3044978	2487771
	Additions during the year	803901	613756
	Deductions during the year	-47522	-56549
	Depreciation to date	-2327209	-1948104
	Total II	**1474148**	**1096874**
	TOTAL I & II	**9948284**	**10027150**

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS	**AS ON 31.03.15 [Audited]**	**AS ON 31.03.14 [Audited]**
	I. Inter-office adjustments [net]	0	0
	II. Interest accrued	5333156	5612110
	III. Tax paid in advance/ Tax deducted at source	3945566	3361796
	IV. Stationery & Stamps	46329	44260
	V. Non Banking assets acquired in satisfaction of claims	0	0
	VI. Others	9846896	7466050
	TOTAL	**19171947**	**16484216**

(000 को छोड़कर)

		रुपए	रुपए
	अनुसूची– 12 – आकस्मिक देयताएं	**31.3.2015 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**	**31.3.2014 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**
	I. बैंक विरुद्व ऐसे दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	33700	38279
	II. अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए देयता	0	0
	III. बकाया वायदा विदेशी विनिमय संविदाओं के लिए देयता	118961774	71049040
	IV संघटकों की ओर से दी गई प्रतिभूतियाँ		
	क) भारत में	20706192	20753830
	ख) भारत के बाहर		
	V. स्वीकृतियाँ, पृष्ठांकन तथा अन्य बाध्यताएं	1582061	3671688
	VI अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	2931879	4777881
	जोड़	**144215606**	**100290718**

(000 को छोड़कर)

		रुपए	रुपए
	अनुसूची 13 – अर्जित ब्याज	**31.3.2015 को समाप्त वर्ष (लेखा परीक्षित)**	**31.3.2014 को समाप्त वर्ष (लेखा परीक्षित)**
	I. ब्याज/अग्रिमों पर मितिकाटा/बिल	63748107	59776705
	II. निवेशों पर आय	21362770	18801850
	III. भारतीय रिज़र्व बैंक के अतिशेषों और अन्य अन्तर बैंक निधियों पर ब्याज	646915	820314
	IV अन्य	127679	328196
	जोड़	**85885471**	**79727065**

(000 को छोड़कर)

		रुपए	रुपए
	अनुसूची 14 – अन्य आय	**31.3.2015 को समाप्त वर्ष (लेखा परीक्षित)**	**31.3.2014 को समाप्त वर्ष (लेखा परीक्षित)**
	I कमीशन, विनिमय और दलाली	763995	745335
	II निवेशों के विक्रय पर लाभ (निवल)	1336627	1253713
	III भूमि, भवन तथा आस्तियों के विक्रय पर लाभ (निवल)	402	1505
	IV विनिमय लेन–देन पर लाभ (निवल)	343741	349042
	V. विविध आय	1842763	1923213
	जोड़	**4287528**	**4272808**

(000 को छोड़कर)

		रुपए	रुपए
	अनुसूची 15 – अपचित ब्याज	**31.3.2015 को समाप्त वर्ष (लेखा परीक्षित)**	**31.3.2014 को समाप्त वर्ष (लेखा परीक्षित)**
	I जमाराशियों पर ब्याज	66960328	61166001
	II भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर बैंक उधारों पर ब्याज	643121	587866
	III अन्य	1490076	1767375
	जोड़	**69093525**	**63521242**

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES	**AS ON 31.03.15 [Audited]**	**AS ON 31.03.14 [Audited]**
	I. Claims against the bank not acknowledged as debts	33700	38279
	II. Liability for partly paid investments	0	0
	III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts	118961774	71049040
	IV. Guarantees given on behalf of Constituents		
	a) In India	20706192	20753830
	b) Outside India		
	V. Acceptances, Endorsements and other obligations	1582061	3671688
	VI. Other items for which the bank is contingently liable	2931879	4777881
	TOTAL	**144215606**	**100290718**

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED	**Year Ended 31.03.15 [Audited]**	**Year Ended 31.03.14 [Audited]**
	I. Interest/discount on advances/ bills	63748107	59776705
	II. Income on investments	21362770	18801850
	III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	646915	820314
	IV. Others	127679	328196
	TOTAL	**85885471**	**79727065**

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 14 - OTHER INCOME	**Year Ended 31.03.15 [Audited]**	**Year Ended 31.03.14 [Audited]**
	I. Commission, exchange and brokerage	763995	745335
	II. Profit on sale of Investments [net]	1336627	1253713
	III. Profit on sale of land, buildings and other assets [net]	402	1505
	IV. Profit on exchange transactions [net]	343741	349042
	V. Miscellaneous Income	1842763	1923213
	TOTAL	**4287528**	**4272808**

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED	**Year Ended 31.03.15 [Audited]**	**Year Ended 31.03.14 [Audited]**
	I. Interest on deposits	66960328	61166001
	II. Interest on Reserve Bank of India/inter-bank borrowings	643121	587866
	III. Others	1490076	1767375
	TOTAL	**69093525**	**63521242**

(000 को छोड़कर)

		रूपए	रूपए
	अनुसूची 16 – परिचालन व्यय	**31.3.2015 को समाप्त वर्ष (लेखा परीक्षित)**	**31.3.2014 को समाप्त वर्ष (लेखा परीक्षित)**
	I कर्मचारियों को भुगतान और प्रावधान	8743349	8562324
	II किराया, कर और रोशनी	1070651	880003
	III मुद्रण एवं लेखन सामग्री	94922	87635
	IV विज्ञापन और प्रचार	22381	21709
	V बैंक की सम्पति पर मूल्यह्रास	922454	603320
	घटा : पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि से अंतरण	462077	237688
		460377	365632
	VI निदेशकों का शुल्क, भत्ते और व्यय	2156	4088
	VII लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (इसमें शाखा लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय शामिल हैं)	90614	86112
	VIII विधि प्रभार	143259	105015
	IX डाक खर्च, तार और टेलीफोन आदि	90121	87858
	X मरम्मत और अनुरक्षण	146184	145648
	XI बीमा	790339	694578
	XII अन्य व्यय	1670623	1432610
	जोड़	**13324976**	**12473212**

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES	**Year Ended 31.03.15 [Audited]**	**Year Ended 31.03.14 [Audited]**
	I. Payments to and provisions for employees	8743349	8562324
	II. Rent, taxes and lighting	1070651	880003
	III. Printing and stationery	94922	87635
	IV. Advertisement & publicity	22381	21709
	V. Depreciation on Bank's property	922454	603320
	Less: Transfer from Revaluation Reserve	462077	237688
		460377	365632
	VI. Directors' fees, allowances and expenses	2156	4088
	VII. Auditors' fees and expenses (including branch auditors' fee & expenses)	90614	86112
	VIII. Law Charges	143259	105015
	IX. Postages, Telegrams, Telephones etc.	90121	87858
	X. Repairs & maintenance	146184	145648
	XI. Insurance	790339	694578
	XII. Other expenditure	1670623	1432610
	TOTAL	**13324976**	**12473212**

अनुसूची – 17

प्रमुख लेखा नीतियाँ

1. सामान्य

मूल-भूत आधार

वित्तीय विवरणों को लेखा उपचय आधार पर ऐतिहासिक लागत परंपरा जहाँ अन्यथा स्पष्ट न किया गया हो एवं सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धातों, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत निर्धारित सांविधिक आवश्यकताओं, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों एवं दिशा–निर्देशों तथा कंपनियों द्वारा अधिसूचित लेखा मानकों (लेखा मापदंडों) नियमों, 2006 भारत में बैंकिंग उद्योग में लागू और वर्तमान कार्यकलापों के आधार पर तैयार एवं प्रस्तुत किया गया है।

प्राकल्लन का उपयोग

प्रबंधन को रिपोर्ट की गई विचाराधीन आस्ति एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) की राशि और रिपोर्ट की अवधि में रिपोर्ट किए गए आय तथा व्यय और वित्तीय विवरणियों की तिथि के अनुसार, को बनाने में अनुमान और कल्पना करनी पड़ती है। प्रबंधन विश्वास करता है कि वित्तीय विवरणियों को बनाने में किए गए अनुमान विवेकपूर्ण तथा उचित हैं।

2. विदेशी मुद्रा लेन–देन

2.1 विदेशी मुद्राओं वाली समस्त मौद्रिक आस्तियों तथा देयताओं का भारतीय रुपये में परिवर्तन तुलन–पत्र की दिनांक को लागू विनिमय दरों पर किया गया है, जिन्हें भारतीय विदेशी विनिमय व्यापारी संघ (फैडाई) द्वारा अधिसूचित किया गया था। इसके लाभ–हानि की गणना लाभ–हानि खाते में की गई है।

2.2 बकाया विदेशी मुद्रा सौदे को सौदे की तिथि को प्रचलित विनिमय दर के अनुसार किया गया है । ऐसे सौदों में लाभ या हानि की संगणना फैडाई के द्वारा दी गई दरों पर तथा फैडाई के दिशा–निर्देशों तथा ए.एस. 11 के पैरा 38 के प्रावधानों के अनुसार की गई है।

2.3 विदेशी विनिमय लेन–देन से संबंधित आय एवं व्यय मदों को कारोबार के दिन लागू विनिमय दरों पर परिवर्तित किया गया है।

2.4 स्वीकृति, पृष्ठांकन तथा अन्य दायित्वों पर आकस्मिक देयताएं, विदेशी मुद्रा गारंटी एवं साख–पत्र का मूल्यांकन फैडाई द्वारा वार्षिक संवरण की दिनांक को जारी दरों पर किया गया है जबकि समाहरण के लिए बिलों को प्रस्तुतिकरण के समय अनुमानित दरों पर लेखाबद्ध किया गया है।

3. निवेश

3.1 निवेश से संबंधित वर्गीकरण तथा मूल्यांकन को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकशील मानदंडों के अनुरूप किया गया है जोकि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों/दिशा–निर्देशों के अनुरूप है।

3.2 समस्त निवेश संविभाग को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है जैसे 'परिपक्वता तक रखना' 'बिक्री के लिए उपलब्ध' तथा ''व्यापार हेतु रखना'' जोकि भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा–निर्देशों/निर्देशों के अनुरूप है। इन तीनों वर्गों के अंतर्गत निवेशों का प्रकटीकरण निम्नांकित छह वर्गीकरणों के अनुरूप किया गया हैः

I. सरकारी प्रतिभूतियां
II. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ
III. शेयर
IV. ऋणपत्र (डिबेन्चर्स)
V. सहायक ईकाइयाँ/संयुक्त उपक्रम तथा
VI. अन्य

3.3 वर्गीकरण का आधार

I. ऐसे निवेश जिन्हें बैंक परिपक्वता तक रखने का इरादा रखता हो, उन्हें 'परिपक्वता तक रखना' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

II. ऐसे निवेश जिन्हें खरीदने की तारीख से 90 दिनों के भीतर सैद्धांतिक रूप से पुनः विक्रय के लिए रखा हो, उन्हें 'व्यांपार के लिए रखने' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

III. ऐसे निवेश जो उक्त दोनों श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं हों, उन्हेंय ''विक्रय के लिए उपलब्ध'' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

IV. निवेशों को खरीदते समय उक्त तीनों श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। एक वर्ग से दूसरे वर्ग में प्रतिभूतियों का अंतरण सामान्यतः बोर्ड के अनुमोदन से वर्ष में एक बार किया जाता है। अंतरण की तिथि को अधिग्रहण लागत से कम मूल्य/बहीमूल्य/बाजार मूल्य पर अंतरित किया गया है तथा इस प्रकार के अंतरण पर मूल्य ह्रास पर प्रावधान पूर्णतया किया गया है और प्रतिभूतियों के अंकित मूल्यों में तदनुसार परिवर्तन किया गया है।

SCHEDULE 17

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. General

BASIS OF PREPARATION

The financial statements have been prepared and presented under historical cost convention on accrual basis of accounting unless otherwise stated and comply with Generally accepted accounting principles, statutory requirements prescribed under Banking Regulation Act, 1949, circulars and guidelines issued by Reserve Bank of India from time to time and notified accounting standards by companies (Accounting Standards) Rules, 2006 to the extent applicable and current practices in Banking Industry in India.

USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amounts of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable.

2. Foreign Exchange Transactions

2.1 All the Monetary assets and liabilities in foreign currencies are translated in Indian rupees at the exchange rates prevailing at the Balance Sheet date as notified by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI). The resultant gain / loss is accounted for in the Profit & Loss account.

2.2 The outstanding foreign exchange contracts are stated at the prevailing exchange rate on the date of commitment. Profit or loss on such contracts is accounted for as per rates advised by FEDAI and in accordance with FEDAI guidelines and provisions of para 38 of AS-11.

2.3 Items of Income and expenditure relating to foreign exchange transactions are recorded at exchange rates prevailing on the date of the transactions.

2.4 Contingent liabilities on account of acceptances, endorsements and other obligations including guarantees in foreign currencies are valued at year end closing rates published by FEDAI except Bills for Collection which are accounted for at the notional rates at the time of lodgment.

3. Investments

3.1 Classification and valuation of investments are made in accordance with the prudential norms prescribed by Reserve Bank of India read with clarifications / directions given by RBI.

3.2 The entire investment portfolio is classified into three categories, viz, Held to Maturity, Available for Sale and Held for Trading in line with the guidelines / directions of Reserve Bank of India. Disclosure of the investments under the three categories mentioned above is made under six classifications viz.,

i. Government Securities
ii. Other approved securities
iii. Shares
iv. Debentures
v. Subsidiaries / Joint Ventures and
vi. Others

3.3 **Basis Of Classification**:

i. Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as Held to Maturity.

ii. Investments that are held principally for resale within 90 Days from the date of purchase are classified as Held for Trading.

iii. Investments which are not classified in the above two categories, are classified as Available for Sale.

iv. An investment is classified under the above three categories at the time of its purchase. Shifting of securities from AFS to HTM and vice versa can be done with the approval of the Board normally once in a year. Shifting is effected at the lower of acquisition cost / book value / market value on the date of transfer and the depreciation, if any, on such shifting is fully provided for and the book value of securities is changed accordingly.

3.4 प्रतिभूतियाँ, जिन्हें ''परिपक्वता तक रखना है'' उनका अधिग्रहण लागत मूल्य पर लिया गया है। यदि लागत मूल्य अंकित मूल्य से अधिक है तो प्रीमियम स्वतः परिपक्वता की शेष अवधि के भीतर परिशोधनीय है। ऐसे परिशोधन को अनुसूची 13 मद II में ''निवेशों पर आय'' शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है। जहाँ लागत मूल्य प्रतिदान मूल्य से कम है, वहाँ अंतर वसूली योग्य न होने के कारण इस आय को नहीं लिया गया है। सहायक ईकाइयाँ तथा संयुक्त उपक्रम के निवेश के मूल्य में अस्थायी तौर पर आई कमी के लिए प्रत्येक निवेश हेतु अलग–अलग लिया गया है।

3.5 ''बिक्री हेतु उपलब्ध'' खाते के अंतर्गत प्रतिभूतियों का मूल्यांकन स्क्रिप–वार किया गया है तथा ह्रास/वृद्धि को श्रेणी वार पृथक किया गया है। शुद्ध वृद्धि को शामिल नहीं किया गया है जबकि प्रत्येक श्रेणी में शुद्ध ह्रास का प्रावधान किया गया है।

3.6 ''व्यापार हेतु रखी गई प्रतिभूतियों'' का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया गया है एवं प्रत्येक वर्ग में शुद्ध मूल्यह्रास को लगाया गया है तथा शुद्ध वृद्धि, यदि कोई है, को शामिल नहीं किया गया है।

3.7 निवेशों की लागत वर्ग के अनुरूप भारित औसतन लागत विधि पर आधारित है।

3.8 ''बिक्री हेतु उपलब्ध'' एवं 'व्यापार हेतु रखी गई प्रतिभूति' श्रेणी के अन्तर्गत प्रतिभूतियों के निवेश मूल्य कोष ''बाजार दर'' निर्धारण हेतु स्टॉक एक्सचेंजों पर दिए गए भाव दरों के अनुरूप भारतीय रिज़र्व बैंक की मूल्य सूची, प्राइमरी डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (पी.डी.ए.आई) की फिक्सड इन्कम मनी मार्किट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ संयुक्त रूप से निर्धारित किए गए मूल्यों के अनुरूप किया गया है।

अवर्गीकृत निवेशों के संबंध में निम्न प्रक्रिया अपनाई गई हैः

क.	भारत सरकार की प्रतिभूतियां	फिम्डा / पीडीएआई द्वारा दी गई दरों पर।
ख.	राज्य सरकार ऋण, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां, अधिमान शेयरों, ऋण पत्रों तथा पी.एस.यू बाण्डस	फिम्डा/पीडीएआई द्वारा दी गई दरों के अनुरूप (वाई.टी.एम.) पर लाभ के आधार पर जोकि पीडीएआई/ फिम्डा एवं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित किए गए हैं।
ग.	ईक्विटी शेयर्स	नवीनतम तुलन –पत्र पर आधारित ब्रेकअप मूल्य के आधार पर, जो कि मूल्यांकन की तिथि पर एक वर्ष से पुरानी नहीं है। ऐसे प्रकरणों में जहां पर नवीनतम तुलन-पत्र उपलब्ध नहीं है शेयरों का मूल्य 1/- रूपये प्रति कम्पनी माना गया है।
घ.	म्यूचुअल फंड यूनिट्स :	पुनः क्रय मूल्य पर या शुद्ध आस्ति मूल्य पर।
ड़.	ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाण पत्र, पुनःपूंजीगत बांड्स, सहायक संयुक्त उपक्रम	शुद्ध लागत पर ।

3.9 निवेशों के अधिग्रहण मूल्य का निर्धारणः

क. अभिदान के समय प्राप्त प्रोत्साहन को प्रतिभूतियों की लागत से घटाया गया है।

ख. प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर व्यय की गई दलाली/कमीशन/स्टांप ड्यूटी को राजस्व व्यय में लिया गया है।

ग. निवेशों के अधिग्रहण पर दिए खंडित अवधि के प्रदत्त ब्याज को, यदि कोई हो, लाभ–हानि खाते के नामे डाला गया है। प्रतिभूतियों की बिक्री पर प्राप्त खंडित अवधि के ब्याज को ब्याज आय माना गया है।

3.10 निवेशों की बिक्री से लाभ–हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है। फिर भी, ''परिपक्वता तक रखना'' श्रेणी में निवेशों की बिक्री से आय पर लाभ की स्थिति में इसके समतुल्य लाभ राशि को आरक्षित पूंजी में विनियोजित किया गया है।

3.11 गैर-निष्पादित प्रतिभूतियाँः

गैर–निष्पादित प्रतिभूतियों के संबंध में आय की पहचान नहीं की गई है तथा ऐसी प्रतिभूतियों के मूल्य में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा–निर्देशानुसार मूल्यह्रास के लिए उपयुक्त प्रावधान किये गये हैं।

3.12 शेयरों तथा म्यूचुअल फंड पर लाभांश आय प्राप्ति के आधार पर आय की गणना की जाती है।

3.13 यदि किसी मामले में, 'एएफएस' और 'एचएफटी' श्रेणियों पर किसी भी वर्ष में मूल्य–हास के कारण किए गए प्रावधान आवश्यक राशि से अधिक पाया जाता है तो अतिरिक्त राशि को लाभ एवं हानि खातें में जमा कर दिया जाता है और उसके समान राशि को अनुसूची 2 में निवेश आरक्षित खातें –"राजस्व एवं अन्य आरक्षितियां" के शीर्ष के अंतर्गत "आरक्षित और अधिशेष" में समायोजित कर दिया जाता है।

3.4 Securities under 'Held to Maturity' are stated at acquisition costs unless such costs are higher than the face value, in which case the premium is amortized over the remaining period of maturity. Such amortization is shown under "Income on Investments– Schedule 13 item II. In case, the cost is less than the redemption value, the difference being the unrealized gain, is ignored. Any diminution in value of investments in subsidiaries and joint venture, other than temporary in nature, is provided for each investment individually

3.5 Securities under 'Available for sale' are valued scrip wise and depreciation/ appreciation is segregated category wise. While net appreciation is ignored, net depreciation under each category is provided for.

3.6 Securities under 'Held for Trading' are valued at market price and the net depreciation under each category is provided for and the net appreciation, if any, is ignored.

3.7 Cost of investment is based on the weighted average cost method category wise.

3.8 The 'market value' for the purpose of valuation of investments included in the 'Available for Sale' and 'Held for Trading' categories is the market price of the scrip as available from the trades/quotes on the stock exchanges, price list of RBI, prices declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) jointly with the Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA).

In respect of unquoted securities, the procedure adopted is as below:

a.	Government of India Securities:	At rates put out by FIMMDA/PDAI
b.	State Government Loans, Other approved Securities, Preference Shares, Debentures and PSU Bonds:	On yield to maturity (YTM) basis at the rate prescribed by FIMMDA/ PDAI with such mark ups as laid down by RBI or FIMMDA/PDAI
c.	Equity Shares:	At break-up value based on the latest Balance Sheet, which are not older than one year on the date of valuation. In cases where latest Balance Sheets are not available, the shares are valued at Re.1 per company
d.	Mutual Fund Units:	At re-purchase price or Net Assets Value
e.	Treasury Bills, Commercial Papers, Certificate of Deposits, Recapitalization Bonds, Subsidiaries, Joint Ventures and Sponsored Institutions:	At carrying cost.

3.9 In determining acquisition cost of investments:

a. Incentive received on subscription is deducted from the cost of securities;

b. Brokerage / commission/ stamp duty paid in connection with acquisition of securities are treated as revenue expenditure;

c. Broken period interest, if any, paid on acquisition of investment is debited to profit & loss account. Broken period interest received on sale of securities is recognized as Interest Income.

3.10 Profit/ Loss on sale of investments is taken to profit and loss account. However, in case of profit on sale of investments in 'Held to Maturity' category, an equivalent amount of profit is appropriated to Capital Reserve.

3.11 **Non Performing Investments**

In respect of Non-Performing Securities, income is not recognized and appropriate provision is made for depreciation in the value of such securities as per Reserve Bank of India guidelines.

3.12 Dividend Income on shares and units of mutual funds is booked on receipt basis.

3.13 In the event, provisions created on account of depreciation in the 'AFS' or 'HFT' categories are found to be in excess of the required amount in any year, the excess is credited to the P.& L. Account and an equivalent amount is appropriated to an Investment Reserve Account in Schedue 2 – "Reserve & Surplus" under the head "Revenue and Other Reserves".

4. अग्रिम

4.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार अग्रिमों का वर्गीकरण निष्पादक तथा गैर–निष्पादक आस्तियों में किया गया है। बैंक ने गैर निष्पादक अस्तियों पर प्रावधान भा. रि. बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार निम्न प्रकार किया हैं:

आस्तियों की श्रेणी	**प्रावधान मानदंड**
अवमानक	आरक्षित ऋणों पर 15% * गैर–आरक्षित ऋणों का 25% * गैर–आरक्षित ऋणों का 20% आधारभूत खातों के संबंध में, जहाँ निश्चित संरक्षण जैसे कि निलंब खाते उपलब्धं हैं
संदिग्ध–I	जमानती ऋण पर 25% गैर–जमानती ऋण पर 100%
संदिग्ध–II	जमानती ऋण पर 40% गैर–जमानती ऋण पर 100%
संदिग्ध–III	जमानती ऋण पर 100% गैर–जमानती ऋण पर 100%
हानि	बुक बकाया का 100%

* गैर–जमानती ऋणों को ऐसे ऋण परिभाषित किया गया है जहाँ बैंक द्वारा/अनुमोदित मूल्यांक/भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण अधिकारियों द्वारा आरंभ से ही प्रतिभूति का मूल्य ऋण से 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है अर्थात बकाया जोखिम।

4.2 अग्रिमों को गैर–मान्यता शुद्ध ब्याज पर वर्णित किया गया है तथा अनुप्रयोज्य अग्रिमों पर प्रावधान/तकनीकी बट्टे खाते के आधार पर किया गया है। डी.आई.सी.जी.सी./सी.जी.टी.एम.एस.ई/ई.सी.जी.सी. से प्राप्त दावों को उनके समायोजन/तकनीकी रूप से बट्टे खाते डालने तक इस प्रकार के अग्रिमों में से कम नहीं किया गया है। जबकि एनपीए खातों में आंशिक वसूली को अग्रिमों में से घटाया गया है।

4.3 मानक अग्रिमों पर प्रावधान किया गया है तथा उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसार 'अन्य दायित्वों तथा प्रावधान' शीर्ष के अंतर्गत रखा गया है।

4.4 अग्रिमों की भुगतान अनुसूची पुनः बनाने/पुनः निर्धारित करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशानुसार प्रावधान किया गया है।

4.5 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार अनर्जक खातों की बिक्री की जाती हैः–

i) जब बैंक प्रतिभूतीकरण कंपनी (एससी)/पुनर्सरचना कंपनी (आरसी) को अपनी वित्तीय आस्तियां बेचता है तो इसको बहियों से हटा दिया जाता है।

ii) यदि बिक्री का मूल्य कुल बही मूल्य(एनबीवी) (अर्थात बही मूल्य में कम प्रावधान है) से कम है तो इस कमी को बिक्री किए वर्ष के लाभ एवं हानि खाते को डेबिट किया जाता है।

iii) यदि बिक्री का मूल्य कुल बही मूल्य(एनबीवी) से अधिक है तो अतिरिक्त प्रावधान को उस वर्ष में प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है जिसमें यह राशि प्राप्त हुई थी।

5. अस्थाई प्रावधान

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुरूप, बैंक के पास अग्रिमों एवं निवेशों हेतु अस्थाई प्रावधानों को अलग से बनाने और उपयोग के लिए एक अनुमोदित नीति है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर, बनाए जाने वाले अस्थाई प्रावधानों का आकलन किया जाएगा। भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से, अस्थाई प्रावधानों का उपयोग विशेष परिस्थितियों में आकस्मिकताओं हेतु किया जाएगा।

6. अचल आस्तियांः

6.1 परिसर तथा अन्य अचल आस्तियों को परंपरागत लागत पूनर्मूल्यन खातों में लिया गया है। परिसर जिनमें भूमि तथा ऊपरी भाग में अन्तर किया जाना सम्भव नहीं था, ऊपरी भाग के मूल्य में वृद्धि को शामिल किया गया है।

6.2 स्थाई पट्टे पर लिये गए परिसरों को पूर्ण स्वामित्व वाला परिसर माना गया है।

7. अचल आस्तियों पर मूल्यह्रासः

7.1 मूल्यह्रास निम्नानुसार लगाया गया हैं:

7.1.1 कंप्यूटर पर सीधी कटौती प्रणाली के अनुसार 33.33% परिवर्धन पर पूरे वर्ष का मूल्यह्रास लगाया गया है चाहे भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा–र्निदेशों के अनुसार परिवर्धन की जो भी तिथि हो।

7.1.2 आयकर अधिनियम, 1961 द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार अन्य अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास घटती कीमत पद्धति पर लगाया गया है। 30 सितम्बर से पूर्व होने वाले परिवर्धन पर पूरे वर्ष का मूल्यह्रास लगाया गया है तथा इसके पश्चात होने वाले परिवर्धन पर आधे वर्ष का मूल्यह्रास लगाया गया है।

4. Advances

4.1 Advances are classified into "Performing" and "Non-Performing" assets and provisions are made as per the prudential norms prescribed by the Reserve Bank of India. Bank has made provisions on Non-Performing Assets as per the prudential norms prescribed by the RBI as under:

Category of Assets	Provision norms
Sub-Standard	15% on Secured Exposure. 25% on Unsecured Exposure* 20% on Unsecured Exposure* in respect of Infrastructure loan accounts where certain safeguards such as escrow accounts are available
Doubtful-I	25% on Secured 100% on Unsecured
Doubtful-II	40% on Secured 100% on Unsecured
Doubtful-III	100% on Secured 100% on Unsecured
Loss	100% of Book Outstanding

* Unsecured exposure is defined as an exposure where the realizable value of the security, as assessed by the bank/ approved valuers/ Reserve Bank's Inspecting Officers, is not more than 10 per cent, ab-initio, of the outstanding exposure.

4.2 Advances are stated net of de-recognized interest and provisions/ Technical write off made in respect of non-performing advances. Claims received from DICGC/ CGTMSE/ ECGC are not reduced from such advances till adjusted/ technically written-off whereas part recovery in all NPA accounts is reduced from advances.

4.3 Provisions on standard advances are made and are included under "Other Liabilities and Provisions" as per RBI's guidelines.

4.4 For restructured/ rescheduled advances, provisions are made in accordance with the guidelines issued by RBI.

4.5 The sale of NPA is accounted for as per guidelines prescribed by RBI:-

i). When the bank sells its financial assets to Securitization Company (SC)/ Reconstruction Company (RC), the same is removed from the books.

ii). If the sale is at a price below the net book value (NBV) (i.e. book value less provisions held), the shortfall is debited to the Profit & Loss account of the year of sale.

iii). If the sale is for a value higher than the NBV, the excess provision is reversed in the year the amounts are received.

5. **Floating Provisions**

In accordance with the RBI guidelines, the bank has an approved policy for creation and utilization of floating provisions separately for advances and investments. The quantum of floating provisions to be created would be assessed, at, the end of each financial year. The floating provisions would be utilized only for contingencies under extra ordinary circumstances specified in the policy with prior permission of Reserve Bank of India.

6. Fixed Assets

6.1 Premises and other Fixed Assets are stated at historical cost/revalued amount. In respect of premises, where segregation is not possible between land and superstructure, are considered in the value of superstructure.

6.2 Premises taken on perpetual lease are considered as freehold premises and are not amortized.

7. Depreciation on Fixed Assets

7.1 Depreciation is provided for on -

7.1.1 Computers at 33.33%, on straight-line method; additions are depreciated for the full year irrespective of the date of addition as per RBI guidelines.

7.1.2 Other Fixed assets on written down value method at the rates prescribed by the Income Tax Act 1961; additions effected before 30th September are depreciated for full year and additions effected thereafter are depreciated for half year.

7.1.3 जहाँ कहीं भवन के ऊपरी भाग से शेष भूमि का मूल्य पृथक करना संभव नहीं था, वहाँ परिसरों का मूल्य सम्मिश्र मूल्य पर लिया गया है।

7.2 वर्ष के दौरान बेची गई/निपटाई गई आस्तियों पर कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

7.3 आस्तियों में होने वाले पुनर्मूल्यन के मूल्यह्रास के बराबर की राशि को पुनर्मूल्यन संचयी खाते से लाभ–हानि खाते में अंतरित कर दिया गया है।

8. राजस्व मान्यताः

8.1 जहाँ अन्यथा वर्णित न हो, आय और खर्चों को उपचय आधार पर लिया गया है।

8.2 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुपालन में अनुप्रयोज्य आस्तियों पर होने वाली आय का मूल्यांकन वसूली आधार पर किया गया है।

8.3 अनुप्रयोज्य खातों में आंशिक वसूली से पहले मूल राशि तथा उसके पश्चात ब्याज को समायोजित किया गया है।

8.4 गारंटियों तथा जारी साख–पत्रों से आय, लॉकर किराया, मर्चेंट बैंकिंग, लेन–देन से आय, मुद्रा–अंतरण सेवा, अंशों पर लाभांश, आयकर की वापसी पर ब्याज, क्रेडिट कार्ड कमीशन, अतिदेय बिलों पर ब्याज, प्रोसेसिंग फीस, सरकारी लेन–देन जिसमें पेंशन के संवितरण तथा म्यूचुअल फण्ड उत्पाद के यूनिटों की आय शामिल है, की संगणना को प्राप्ति आधार पर लिया गया है।

8.5 ऋण खातों के पूर्ण रूप से समायोजित होने के समय खातों के समाधान पर दी गई छूट को खातों में लिया गया है।

8.6 अतिदेय सावधि जमा राशियों पर ब्याज की गणना बचत बैंक जमा खाते पर लागू ब्याज दर पर की गई है।

8.7 पट्टा करार के नवीकरण पर वृद्धिशील पट्टा किराए के संबंध में देयता की गणना पट्टे के नवीकरण के समय की गई है।

8.8 टीयर – II पूँजी में उन्नयन के कारण बांड जारी करने संबंधी व्ययों को आस्थगित राजस्व व्यय माना गया है जिन्हें पाँच वर्ष की अवधि में बट्टे खाते डाला जाना है।

8.9 शेयर निर्गम व्ययों को शेयर प्रीमियम खाते से समायोजित किया गया है।

9. कर्मचारी सेवा निवृत्ति लाभः

9.1 ग्रेच्युटी फंड, पेंशन फंड तथा अवकाश नकदीकरण फंड में वार्षिक अंशदान का प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया है।

9.2 दिनांक 01.04.2010 या उसके बाद सम्मिलित कर्मचारियों को न्यू पेंशन योजना में शामिल किया गया है।

10. आस्तियों का ह्रास

स्थायी आस्तियों (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित) पर ह्रसित हानि (यदि कोई है) की पहचान आईसीएआई द्वारा जारी एएस 28 (आस्तियों का हास) के अनुसार की जाती है और लाभ एवं हानि खाते को नामे की जाती है।

11. आय पर कर :

11.1 चालू आय कर को लागू कर दरों तथा विधिक निर्णयों/परामर्श हेतु दी जाने वाली राशि के आधार पर आंका गया है।

11.2 एएस 22 – आस्थगित–कर अनुसार इस अवधि की आय गणना तथा कर योग्य आय के बीच में समय अंतर के कारण कर–परिकलन पर पड़े प्रभाव को शामिल किया गया है तथा आस्थगित कर–आस्तियों के संबंध में इसका मूल्यांकन यथोचित प्रतिफल को ध्यान में रख कर किया गया है।

7.1.3 Cost of premises is taken composite, wherever it is not possible to segregate the cost of land from the cost of the superstructure.

7.2 No depreciation is provided on assets sold/disposed of during the year.

7.3 Amount equivalent to depreciation attributable to revalued portion of the assets is transferred from Revaluation Reserve Account to the Profit & Loss Account.

8. Revenue Recognition

8.1 Income and expenditure are accounted for on accrual basis unless otherwise stated.

8.2 Income on non-performing assets is recognized on realization basis in accordance with the prudential norms prescribed by Reserve Bank of India.

8.3 Partial recovery in non-performing assets is appropriated first towards principal and thereafter towards interest.

8.4 Income on guarantees and letters of credit issued, locker rent, income from merchant banking transactions, money transfer services, dividend on shares, Interest on refund of income tax, commission on credit card, interest on overdue bills, processing fee, Government business including distribution of pension and income from units of mutual fund products and income from ATM operations are accounted for on receipt basis.

8.5 Rebate on compromised accounts is accounted for at the time of full and final adjustment of the account.

8.6 Interest on overdue Term Deposits is provided at the rate of interest applicable to Savings Bank Deposits.

8.7 Liability in respect of incremental lease rent on renewal of lease agreement is accounted for at the time of renewal of the lease.

8.8 Bond Issue Expenses incurred in connection with raising Tier-II Capital are treated as Deferred Revenue Expenditure to be written off over a period of five years.

8.9 Share Issue Expenses are adjusted against the Share Premium Account

9. Staff Retirement Benefits

9.1 Annual contribution to Gratuity Fund, Pension Fund and Leave Encashment Fund are provided for on the basis of an actuarial valuation.

9.2 The Employees joining on or after 01.04.2010 are being covered under the New Pension Scheme.

10. Impairment of Assets

Impairment losses (if any) on Fixed Assets (including revalued assets) are recognized in accordance with AS 28 (Impairment of Assets) issued by the ICAI and charged off to Profit and Loss Account.

11. Taxes on Income

11.1 Current Income Tax is measured at the amount expected to be paid considering the applicable tax rates and favorable judicial pronouncement/ legal opinions.

11.2 In accordance with AS-22 Deferred Tax comprising of tax effect of timing differences between taxable and accounting income for the period, is recognized keeping in view the consideration of prudence in respect of Deferred Tax Assets/Liabilities.

अनुसूची- 18

लेखों से संबंधित टिप्पणियां

1. बहियों के शेष मिलान और उनका समायोजन

1.1 कुछेक शाखाओं में सहायक बही खाता शेषों के साथ नियंत्रक खातों के शेष मिलान/समायोजन की प्रक्रिया चल रही है।

1.2 अंतर्शाखा खातों (आईबीआर+डीडी) में बकाया प्रविष्टियों के डेबिट–क्रेडिट का आरंभिक मिलान, जिसे अंतर्कार्यालय समायोजन में शामिल करके इस कार्य (जिसमें बकाया प्रविष्टियाँ शामिल हैं) को 31.01.2015 तक किया गया है और इसका समायोजन कार्य चल रहा है।

1.3 ड्राफ्टों/देय टीटी, देय/प्रदत्त लाभांश वारंट, प्राप्य/देय डेबिट नोट, आरटीजीएस (उचंत) इत्यादि के साथ खातों का समायोजन का कार्य चल रहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक की शर्तों के अनुसार प्रावधान कर दिया है।

प्रबंधन की राय में, लाभ–हानि खाते व तुलन–पत्र पर उक्त पैरा 1.1 से 1.3 का प्रभाव यदि कोई है, तो नगण्य होगा।

1.4 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुरूप 30.09.2014 की अवधि तक तथा 31.03.2015 को बकाया अंतर शाखा के खातों की नामे तथा जमा प्रविष्टियों को अलग अलग करने का कार्य बैंक द्वारा किया गया है जिसके परिणामस्वरुप कुछ शीर्षों में कुल डेबिट या अन्य शीर्षों में कुल जमा शेष है। छः महीनों से अधिक की अवधि की निवल नामे प्रविष्टियों के संबंध में प्रावधान किए गए है।

अंतर्शाखा खाता में निवल जमा शेष नहीं है इसलिए प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

1.5 बकाया नोस्ट्रो खातों की कुल निवल जमा को दिनांक 31 मार्च 1996 की स्थिति के अनुरुप रु.3.64 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 3.69 करोड़) को अवरुद्ध नोस्ट्रो विविध देनदार खातों में अंतरित कर दिया गया है। जिसमें से रु. 1.77 करोड़ को 14.11.1989 की अवधि से पहले के बही मूल्य पर लिया गया है। 01 अप्रैल 1996 के पश्चात की अवधि के लिए 3 वर्षों से अधिक हेतु बकाया रु. 4.43 करोड़ की राशि (पूर्व वर्ष रु. 4.63 करोड़) को असमायोजित प्रविष्टियों से अलग कर उन्हें अदावी जमा (नोस्ट्रो) खाते में रखा गया है।

2.1 दिनांक 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार रु. 3.74 करोड़ की वास्तविक लागत की 5 (पॉच) बैंक की संपत्तियों के संबंध में विधिक औपचारिकताएं अभी पूरी होनी शेष है। (पिछले वर्ष 5 संपत्तियां 3.47 करोड़ की थी)

3. पूंजी

वर्ष के दौरान सेबी आईसीडीआर विनियमन के अनुसार भा.रि.बैंक/वि.मंत्रालय से आवश्यतक स्वीकृति प्राप्त करने के बाद, बैंक ने रु. 10/– वाले शेयर के 3,04,36,252 इक्विटी शेयरों का आबंटन भारतीय जीवन बीमा निगत को रु. 59.14 प्रति शेयर के अनुसार अधिमान शेयर के रूप में आबंटित किए।

भारतीय रिज़र्व बैंक/वित्त–मंत्रालय से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने उपरांत सेबी आईसीडीआर विनियमन के अनुसार निर्धारित रु. 59.16 प्रति शेयर के मूल्ये पर रु. 10/– प्रति ईक्विटी शेयर अधिमान निर्गम के माध्याम से रु. 200/– करोड़ के बेमियादी गैर–संचयी अधिमान शेयर, रु. 200/– करोड़ के बेमियादी संचयी अधिमान शेयर तथा भारत सरकार द्वारा रखी गई रु. 160/– करोड़ की नवोन्मेषी स्थाई ऋण लिखत को 9,46,90,563 ईक्विटी शेयरों में बदला गया है।

तदनुसार बैंक की इक्विटी शेयर पूंजी रु.125.13 करोड़ से बढ़ी और अब यह रु. 400.41 करोड़ हो गई और शेयर प्रीमियम रु. 614.08 करोड़ से बढ़कर (प्राप्त शेयर प्रीमियम रु. 614.87 करोड़ घटा शेयर जारी व्यय रु. 0.79 करोड़ रु.1318.06 करोड़ हो गया है।

(रु. करोड़ में)

	मदें	2014–15	2013–14
(i)	सी आर ए आर टीयर–I पूंजी (बासल–II)	8.51%	8.10%
(ii)	सी आर ए आर टीयर–II पूंजी (बासल– II)	3.37%	4%
(iii)	कुल सी.आर.ए.आर. (बासल– II)	11.88%	12.10%
(iv)	सामान्य इक्विटी टीयर–I पूंजी अनुपात (बासल–III)	8.48%	7.27%
(v)	अतिरिक्त टीयर–I पूंजी अनुपात (एटी–I) (बासल–III)	0.00	0.34%
(vi)	सी.आर.ए.आर.–टीयर–I पूंजी अनुपात (बासल III)	8.48%	7.62%

SCHEDULE 18

NOTES ON ACCOUNTS

1 **Balancing of Books and Reconciliation.**

1.1 In certain Branches, the balancing / reconciliation of control accounts with subsidiary ledgers is in progress.

1.2 Initial matching of debit and credit outstanding entries in Inter Branch Account (IBR+DD) Adjustments (including old outstanding entries) has been done up to 31.01.2015 and reconciliation is in progress.

1.3 Reconciliation of Drafts / TT payable, Dividend Warrants paid / payable, Debit Note Receivable/ Payable, RTGS (Suspense) etc. is in progress. Provisions have been made as per RBI norms.

In the opinion of the management, the impact of the above Para 1.1 to 1.3, if any, on the Profit & Loss Account and Balance Sheet though not quantifiable, will not be material.

1.4 In terms of Reserve Bank of India guidelines, segregation of Debit and Credit entries in Inter Branch Accounts pertaining to the period up to 30.09.2014 and remained outstanding as on 31.03.2015 has been done which has resulted in either net debit in some heads or net credit in other heads. Provision is to be made in respect of Net Debit entries outstanding for the period exceeding six months.

In Inter Branch Account there is net credit balance hence no provision is required to be made.

1.5 Aggregate net credit position in respect of outstanding NOSTRO Accounts relating to the period up to 31st March 1996 amounting to Rs.3.64 crore (previous year Rs 3.69 crore) has been transferred to Blocked Nostro Sundry Creditors Account out of which Rs1.77 crore for period prior to 14.11.1989 is being carried at old book value. Credit entries for the period after 1st April 1996 remaining outstanding for more than 3 years amounting to Rs.4.43 crore (previous year Rs.4.63 crore) have been segregated and kept in Blocked Unclaimed Nostro New Account.

2.1 Legal formalities are yet to be completed in respect of 5 (five) Bank's properties having original cost of Rs.3.74 crore as on 31.03.2015 (Previous year 5 properties costing Rs.3.47 crore).

3. Capital

During the year, Bank has issued 3,04,36,252 Equity Shares of Rs.10/ each to Life Insurance Corporation of India by way of Preferential Issue at a price of Rs.59.14 per share determined as per SEBI ICDR Regulation after taking necessary approval from RBI/ MOF.

Perpetual Non Cumulative Preference Shares (PNCPS) of Rs.200 crore, Perpetual Cumulative Preference Shares (PCPS) of Rs.200 crore and Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI) of Rs.160 crore held by Government of India have been converted into 9,46,90,563 Equity Shares of Rs.10/ each by way of Preferential Issue at a price of Rs.59.14 per share determined as per SEBI ICDR Regulation after taking necessary approval from RBI/ MOF.

Accordingly the Equity Share Capital of the Bank has increased by Rs.125.13 crore to Rs.400.41 crore and Share Premium has increased by Rs.614.06 crore (Share Premium Received Rs.614.87 crore minus Share Issue Expenses Rs.0.81 crore) to Rs.1318.04 crore.

(Rupees. in crore)

	Items	2014-15	2013-14
(i)	CRAR - Tier I capital (Basel-II)	8.51%	8.10%
(ii)	CRAR - Tier II capital (Basel-II)	3.37%	4.00%
(iii)	Total CRAR (Basel-II)	11.88%	12.10%
(iv)	Common Equity Tier I capital ratio (Basel-III)	8.48%	7.27%
(v)	Additional Tier I capital ratio (AT-I) (Basel-III)	0.00%	0.34%
(vi)	CRAR – Tier I capital ratio (Basel-III)	8.48%	7.62%

(vii)	सी.आर.ए.आर.–टियर–II पूंजी अनुपात (बासल III)	2.76%	3.42%
(viii)	कुल पूँजी अनुपात (सीआरएआर) (बासल–III)	11.24%	11.4%
(ix)	भारत सरकार के शेयर धारकों की प्रतिशतता	79.62%	81.42%
(x)	प्राप्त इक्विटी पूँजी की राशि*	180	100
(xi)	अतिरिक्त टियर–I पूंजी अनुपात की राशि जिसमें से पीएनसीपीएसः आईपीडीआईः	शून्य	शून्य
(xii)	अतिरिक्त टियर–I पूंजी अनुपात की राशि जिसमें से ऋण पूँजी लिखत अधिमानी शेयर पूँजी लिखत बेमीयादी संचयी अधिमानी शेयर/प्रतिदेय गैर संचयी अधिमानी शेयर प्रतिदेय अधिमानी शेयर	शून्य	शून्य

* रु. 149.56 करोड़ के शेयर प्रीमियम सहित।

4. निवेश

4.1 निवेशों का मूल्य

(रु. करोड़ में)

	मदें	2014–15	2013–14
(i)	**निवेशों का सकल मूल्य**		
	(क) भारत में	26791.69	28346.61
	(ख) भारत से बाहर	शून्य	शून्य
(ii)	मूल्यह्रास हेतु प्रावधान (एन.पी.ए. प्रावधान सहित)		
	(क) भारत में	39.99	52.50
	(ख) भारत से बाहर	शून्य	शून्य
(iii)	निवेशों का शुद्ध मूल्य		
	(क) भारत में	26751.70	28294.11
	(ख) भारत से बाहर	शून्य	शून्य
2.	**निवेशों में मूल्यह्रास के प्रावधानों में घट–बढ़ (एन.पी.ए. के प्रावधानों सहित)**		
(i)	अथ शेष	52.50	47.76
(ii)	जमाः वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	14.43	17.97
(iii)	घटाः वर्ष के दौरान अधिक किए प्रावधानों को बट्टे खाते में डालना/पुनरांकन	26.94	13.23
(iv)	**शेष**	**39.99**	**52.50**

4.2 पुनः खरीद/पुनः प्रतिवर्तित लेन-देन (अंकित मूल्य की शर्तों पर)

4.2.1 पुनः खरीदःपुनः प्रतिवर्तित लेन–देन प्रविष्टियों (सरकारी प्रतिभूतियाँ)

(रु. करोड़ में)

विवरण	न्यूनतम बकाया	अधिकतम बकाया	दैनिक औसत बकाया	31.03.2015 को शेष
पुनः खरीद के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियाँ	शून्य	380.00	84.04	195.00
पुनः प्रतिवर्तित के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ	शून्य	1300.00	30.01	200.00

4.2.2 पुनः खरीद/पुनः प्रतिवर्तित लेन–देन प्रविष्टियों (कंपनी ऋण प्रतिभूतियां)

(रु. करोड़ में)

विवरण	न्यूनतम बकाया	अधिकतम बकाया	दैनिक औसत बकाया	अथ शेष 31.03.2015
पुनः खरीद के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पुनः प्रतिवर्तित के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(vii)	CRAR – Tier II capital ratio (Basel-III)	2.76%	3.42%
(viii)	Total Capital ratio (CRAR) (Basel-III)	11.24%	11.04%
(ix)	Percentage of the shareholding of the Government of India	79.62%	81.42%
(x)	Amount of equity capital raised*	180	100
(xi)	Amount of Additional Tier I capital raised of which PNCPS: IPDI:	Nil	Nil
(xii)	Amount of Tier II capital raised of which Debt capital instrument: Preference Share Capital Instruments: [Perpetual Cumulative Preference Share (PCPS) / Redeemable Non-Cumulative Preference Shares (RNCPS) / Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS)]	Nil	Nil

* Including Share Premium Rs. 149.56 crores

4. **Investments**

4.1 **Value of Investments**

(Rupees in crore)

Items				2014-15	2013-14
(1)	(i)	**Gross Value of Investments**			
		(a)	In India	26791.69	28346.61
		(b)	Outside India	Nil	Nil
	(ii)	Provisions for Depreciation (including provision for NPA)			
		(a)	In India	39.99	52.50
		(b)	Outside India	Nil	Nil
	(iii)	Net Value of Investments			
		(a)	In India	26751.70	28294.11
		(b)	Outside India	Nil	Nil
(2)	**Movement of provision held towards depreciation on Investments (Including provision for NPAs)**				
	(i)	Opening balance		52.50	47.76
	(ii)	Add: Provisions made during the year		14.43	17.97
	(iii)	Less: Write-off/ write-back of excess provisions during the year		26.94	13.23
	(iv)	**Closing balance**		**39.99**	**52.50**

4.2 **Repo / Reverse Repo Transactions (in face value terms)**

4.2.1 **Repo / Reverse Repo Transactions (Government Securities)**

(Rupees in crore)

Particulars	Minimum Outstanding	Maximum Outstanding	Daily Average Outstanding	Balance as on 31.03.2015
Securities sold under Repos	Nil	380.00	84.04	195.00
Securities purchased under Reverse Repos	Nil	1300.00	30.01	200.00

4.2.2 Repo / Reverse Repo Transactions (Corporate Debt Securities)

Particulars	Minimum Outstanding	Maximum Outstanding	Daily Average Outstanding	Balance as on 31.03.2015
Securities sold under Repos	Nil	Nil	Nil	Nil
Securities purchased under Reverse Repos	Nil	Nil	Nil	Nil

4.3 एस.जी.एल. ट्रांस्फर फार्म वापसी का विवरण तथा भारतीय रिज़र्व बैंक को चुकता की गई दंड की कुल राशि

	2014–15	2013–14
निधि या प्रतिभूतियों की आवश्यकता के कारण एस.जी.एल. ट्रांस्फर फार्म वापसी की संख्या	**शून्य**	**शून्य**
भारतीय रिज़र्व बैंक को चुकता की गई दंड की राशि	**शून्य**	**शून्य**

4.4 गैर-सांविधिक तरलता अनुपात वाली निवेश सूचीः 31.03.2015 को जारीकर्ता संगठन की स्थितिः

(रु. करोड़ में)

संख्या	**जारी कर्ता**	**राशि**	**निजी स्थापन की सीमा**	**निवेश ग्रेड से नीचे प्रतिभूतिकरण की सीमा**	**अमूल्यांकित प्रतिभूतियों की सीमा**	**असूचीगत प्रतिभूतियों की सीमा**
1)	2	3	4	5	6	7
i.	सार्वजनिक उपक्रम	2364.58	2320.03	शून्य	1268.77	2064.74
ii.	वित्तीय संस्थान	2827.75	2522.15	शून्य	2745.13	2748.63
iii.	बैंक	128.50	128.03	शून्य		
iv	निजी कम्पनी	607.60	561.66	शून्य	179.40	29.14
v.	सहायक/संयुक्त उपक्रम	0.65	0.65	शून्य	0.65	0.65
vi.	अन्य	14.49	5.49	शून्य	14.49	14.49
vii.	मूल्यह्रास के लिए रखे प्रावधान (एनपीए सहित)	(39.85)				
	कुल*	**5903.72**				

नोटः *कॉलम 3 का जोड़ तुलन-पत्र की अनुसूची 8 की निम्नलिखित श्रेणियों के जोड़ से मेल खाना चाहिए :
क. शेयर
ख. डिबेंचर व बॉण्ड
ग. सहायक/संयुक्त उपक्रम
घ. अन्य
(2) उपरोक्त कॉलम 4,5,6 तथा 7 में रिपोर्ट की गई राशि परस्पर अनन्य न हो।

4.5 अनुप्रयोज्य और गैर-सांविधिक तरलता अनुपात निवेशों में उतार-चढ़ाव

(रु. करोड़ में)

विवरण	**2014–15**	**2013–14**
अथ शेष	59.04	25.03
वर्ष के दौरान परिवर्धन	44.83	34.01
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	49.96	शून्य
इति शेष	53.91	59.04
कुल प्रावधान	35.16	33.45

4.6 व्युत्पत्तियाँ

वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक ने प्रतिरक्षा या व्यापारिक उद्देश्य से कोई भी नया व्युपत्ति लेन-देन (वायदा दर समझौता/ब्याज दर अदला-बदली/विनिमय व्यापार ब्याज-दर व्युत्पत्तियाँ) नहीं किया है। तदनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार व्युत्पत्ति लेन-देन के संबंध में गुणात्मक व मात्रात्मक प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है।

4.3 **Detail of bouncing of SGL Transfer Forms and Quantum of Penalty paid to Reserve Bank of India :**

	2014-15	2013-14
i. Number of instances when the SGL transfer form bounced for want of either funds or the securities.	Nil	Nil
ii. Penalty paid to RBI on account of bouncing of SGL transfer form	Nil	Nil

4.4 **Non-SLR Investments Portfolio: Issuer Composition as on 31.03.2015**

(Rupees in crore)

No	Issuer	Amount	Extent of Private Placement	Extent of 'Below Investment Grade' Securities	Extent of 'Un-rated' Securities	Extent of 'Unlisted' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i.	PSUs	2364.58	2320.03	Nil	1268.77	2064.74
ii.	FIs	2827.75	2522.15	Nil	2745.13	2748.63
iii.	Banks	128.50	128.03	Nil		
iv.	Private Corporate	607.60	561.66	Nil	179.40	29.14
v.	Subsidiaries/ Joint Ventures	0.65	0.65	Nil	0.65	0.65
vi.	Others	14.49	5.49	Nil	14.49	14.49
vii.	Provision held towards depreciation (including NPA)	(39.85)				
	Total *	**5903.72**				

Note: (1) * Total under column 3 should tally with the total of Investments included under the following categories in Schedule 8 to the balance sheet:
a) Shares
b) Debentures & Bonds
c) Subsidiaries / joint ventures
d) Others
(2) Amounts reported under column 4, 5, 6 and 7 above may not be mutually exclusive.

4.5 **Movement of Non Performing Non SLR Investments**

(Rupees in crore)

Particulars	**2014-15**	**2013-14**
Opening balance	59.04	25.03
Additions during the year	44.83	34.01
Reductions during the year	49.96	Nil
Closing balance	53.91	59.04
Total Provisions held	**35.16**	**33.45**

4.6 **Derivatives**

Bank has not entered into any derivative transactions (Forward rate agreement/Interest Rate Swap/ Exchange Traded Interest Rate Derivatives) during the year 2014-15. Accordingly, qualitative and quantitative disclosures under RBI guidelines with respect to derivative transactions are not required.

4.7 वर्ष के दौरान पुनः संरचित/पुनः अनुसूचित/पुनः परक्रामित निवेश

(रु. करोड़ में)

विवरण	**2014–15**	**2013–14**
मानक आस्तियाँ जिनकी पुनसंरचना होनी है	शून्य	शून्य
अवमानक आस्तियाँ जिनकी पुनसंरचना होनी है	शून्य	शून्य
अशोध्य आस्तियाँ जिनकी पुनसंरचना होनी है	शून्य	शून्य
कुल आस्तियों की राशि जिनकी पुनर्संरचना होनी है	**शून्य**	**शून्य**

4.8 वर्ष के दौरान बैंक ने रु.680 करोड़ की अंकित मूल्य 'परिपक्वता तक रखने' से 'बिक्री हेतु उपलब्ध श्रेणी' में प्रतिभूतियाँ अंतरित की हैं।

4.9 वर्ष के दौरान बिक्रियों का मूल्य और एचटीएम श्रेणी को/से प्रतिभूतियों का अंतरण, वर्ष के आरंभ में एचटीएम श्रेणी में रखे गए निवेशों के वही मूल्य से 5% से अधिक नहीं है।

5 आस्ति गुणवत्ता

5.1 अनुप्रयोज्य आस्तियाँ

(रु. करोड़ में)

	मदें	**2014–15**	**2013–14**
(i)	शुद्ध अग्रिमों में शुद्ध एनपीए (%)	3.55	3.36
(ii)	प्रावधान समावेश अनुपात (पीसीआर) (%)	46.81	45.35
(iii)	**सकल एनपीए में घट-बढ़**		
	(क) अथ शेष	2553.52	1536.90
	(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	1242.42	1619.61
	(ग) वर्ष के दौरान कमी	713.75	602.99
	(घ) इति शेष	**3082.19**	**2553.52**
(iv)	**निवल एनपीए में उतार-चढ़ाव**		
	(क) अथ शेष	1918.60	1110.38
	(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	1032.08	1345.55
	(ग) वर्ष के दौरान कमी	684.68	537.33
	(घ) इति शेष	**2266.00**	**1918.60**
(v)	**एनपीए प्रावधानों में उतार-चढ़ाव (मानक आस्तियों पर प्रावधान को छोड़कर)**		
	(क) अथ शेष	618.67	412.56
	(ख) जमाः वर्ष के दौरान प्रावधान	488.74	564.68
	(ग) घटाः अधिक किए प्रावधानों को बट्टे खाते डालना/पूर्णांकन	315.39	358.57
	(घ) इति शेष	**792.02**	**618.67**

5.2 डी.आई.सी.जी.सी./सी.जी.टी.एम.एस.ई./ई.सी.जी.सी. के पात्र दावे, दाखिल तथा पुनः दाखिल दावे जो वैध/वसूली योग्य है, को अग्रिमों हेतु प्रावधान के लिए प्रतिभूति के आधार पर विचारणीय माना गया है।

4.7 **Restructured / Rescheduled / Renegotiated - Investments during the year**

(Rupees in crore)

Particulars	2014-15	2013-14
Standard assets subjected to restructuring etc.	Nil	Nil
Sub-standard assets subjected to restructuring etc.	Nil	Nil
Doubtful assets subjected to restructuring etc.	Nil	Nil
Total amount of assets subjected to restructuring etc.	**Nil**	**Nil**

4.8 During the year, the Bank shifted securities worth Rs. 680 crore (face value) from "Held till Maturity" to "Available for Sale Category".

4.9 The value of shifting/ sales from HTM category during the year does not exceed 5% of the book value of investments held in HTM category at the beginning of the year.

5. **Asset Quality**

5.1. **Non-Performing Assets**

(Rupees in crore)

Items			2014-15	2013-14
(i)	Net NPAs to Net Advances (%)		3.55	3.36
(ii)	Provisioning Coverage Ratio (PCR) (%)		46.81	45.35
(iii)	**Movement of Gross NPAs**			
	(a)	Opening Balance	2553.52	1536.90
	(b)	Additions during the year	1242.42	1619.61
	(c)	Reductions during the year	713.75	602.99
	(d)	**Closing balance**	**3082.19**	**2553.52**
(iv)	**Movement of Net NPAs**			
	(a)	Opening Balance	1918.60	1110.38
	(b)	Additions during the year	1032.08	1345.55
	(c)	Reductions during the year	684.68	537.33
	(d)	**Closing balance**	**2266.00**	**1918.60**
(v)	**Movement of provisions for NPAs** (excluding provisions on standard assets)			
	(a)	Opening Balance	618.67	412.56
	(b)	Add: provisions made during the year	488.74	564.68
	(c)	Less: write off, write back of excess provisions	315.39	358.57
	(d)	**Closing balance**	**792.02**	**618.67**

5.2 DICGC / CGTMSE/ ECGC claim eligible, lodged and re-lodged have been considered as security for provisioning on advances on the basis that such claims are valid / realizable.

5.3 पुनर्संरचित किए गए खातों का विवरण

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

31.03.2015 को पुनः संरचित खातों का प्रकटीकरण

(राशि करोड़ों में)

क्र सं.	पुनः संरचना का प्रकार		सीडीआर के अंतर्गत व्यवस्था					एसएमई के अंतर्गत ऋण पुनः संरचना व्यवस्था					अन्य					कुल				
	आस्ति वर्गीकरण		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
	विवरण																					
1.	वित्तीय–वर्ष की 1 अप्रैल को पुनः संरचित खाते (प्रारंभिक ऑकड़ों)	ऋणियों की सं.	11				11	34				34	47				47	92				92
		बकाया राशि	357.57				357.57	152.28				152.28	5912.87				5912.87	6422.72				6422.72
		प्रावधान	48.97				48.97	6.67				6.67	162.14				162.14	217.78				217.78
2.	वर्ष के दौरान नए पुनः संरचित खाते	ऋणियों की सं.	7				7	106				106	142				142	255				255
		बकाया राशि	489.93				489.93	260.24				260.24	1687.05				1687.05	2437.22				2437.22
		प्रावधान	71.78				71.78	30.45				30.45	67.12				67.12	169.33				169.33
3.	वित्तीय–वर्ष के दौरान पुनःसंरचित मानक का उन्नयन	ऋणियों की सं.						10				10	2				2	12				12
		बकाया राशि						6.34				6.34	0.41				0.41	6.75				6.75
		प्रावधान						0.20				0.20	0.02				0.02	0.23				0.23
4.	अग्रिम पुनः संरचित मानक जो आकर्षक उच्च प्रावधानों को रोकते हैं तथा/या वित्त–वर्ष के अंत में अतिरिक्त जोखिम भार तथा यदि आगामी वित्त–वर्ष के प्रारंभ में अग्रिम पुनःसंरचित मानक को दिखाने की आवश्यमकता नहीं है	ऋणियों की सं.	2				2	6				6	5				5	13				13
		बकाया राशि	9				9	19.25				19.25	224.77				224.77	253.02				253.02
		प्रावधान	0.60				0.60	0.19				0.19	5.63				5.63	6.42				6.42
5.	वित्तीय–वर्ष के दौरान पुनः संरचित खातों का उन्नयन	ऋणियों की सं. (–)	4				4	12				12	4				4	20				20
		बकाया राशि (–)	79.17				79.17	89.07				89.07	20.66				20.66	188.90				188.90
		प्रावधान (–)	11.93				11.93	15.42				15.42	3.10				3.10	30.45				30.45
6.	वित्तीय–वर्ष के दौरान पुनः संरचित खातों की अपलिखित	ऋणियों की सं.						12.00				12.00	13.00				13.00	25.00				25.00
		बकाया राशि	–53.36				–53.36	–60.70				–60.70	159.00				159.00	44.94				44.94
7.	31 मार्च को समाप्त वित्तीय–वर्ष के दौरान पुनः संरचित खाते (अंतिम आंकडे,*)	ऋणियों की सं.	12				12	120				120	169				169	301				301
		बकाया राशि	812.69				812.69	371.24				371.24	7195.9				7195.9	8379.83				8379.83
		प्रावधान	106.06				106.06	37.12				37.12	269.15				269.15	412.33				412.33

*/स्थाई पुनः संरचित अग्रिम आंकडों के अतिरिक्त जो उच्च प्रावधानों या जोखिम भार को आकर्षित नहीं करते हैं (यदि लागू हो)

5.3 Details of Accounts Restructured:

PUNJAB & SIND BANK

STATEMENT OF DISCLOSURE OF RESTRUCTURED ACCOUNTS AS ON 31.03.2015

(Amount in crores)

Sl. No.	Type of Restructuring →		Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism					Others					TOTAL				
	Asset Classification →	Details ↓	Std.	Sub-Std.	Doubt-ful	Loss	Total	Std.	Sub-Std.	Doubt-ful	Loss	Total	Std.	Sub-Std.	Doubt-ful	Loss	Total	Std.	Sub-Std.	Doubt-ful	Loss	Total
1	Restructured Accounts as on April 1 of the FY (Opening figures)*	No.of Borrower	11				11	34				34	47				47	92				92
		Amt.O/s	357.57				357.57	152.28				152.28	5912.87				5912.87	6422.72				6422.72
		Prov. thereon	48.97				48.97	6.67				6.67	162.14				162.14	217.78				217.78
2	Fresh Restructuring during the year #	No.of Borrower	7				7	106				106	142				142	255				255
		Amt.O/s	489.93				489.93	260.24				260.24	1687.05				1687.05	2437.22				2437.22
		Prov. thereon	71.76				71.76	30.45				30.45	67.12				67.12	169.33				169.33
3	Upgradations to restructured Std. Category during the FY	No.of Borrower						10				10	2				2	12				12
		Amt.O/s						6.34				6.34	0.41				0.41	6.75				6.75
		Prov. thereon						0.20				0.20	0.02				0.02	0.23				0.23
4	Restructured Std. Adv. which cease to attract higher prov. And/or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured Std. Advances at the beginning of the next FY	No.of Borrower	2				2	6				6	5				5	13				13
		Amt.O/s	9				9	19.25				19.25	224.77				224.77	253.02				253.02
		Prov. thereon	0.60				0.6	0.19				0.19	5.63				5.63	6.42				6.42
5	Down-gradations of restructured accounts during the FY	No.of Borrower(-)	4				4	12				12	4				4	20				20
		Amt.O/s (-)	79.17				79.17	89.07				89.07	20.66				20.66	188.90				188.9
		Prov. Thereon (-)	11.93				11.93	15.42				15.42	3.10				3.10	30.45				30.45
6	Write-offs of Restructured accounts during the FY	No.of Borrower						12.00				12	13.00				13	25.00				25.00
		Amt.O/s (-)	-53.36				-53.36	-60.70				-60.70	159.00				159.00	44.94				44.94
7	Restructured accounts as on Mar. 31 of the FY (Closing figures*)	No.of Borrower	12				12	120				120	169				169	301				301
		Amt.O/s	812.69				812.69	371.24				371.24	7195.9				7195.9	8379.83				8379.83
		Prov. thereon	106.06				106.06	37.12				37.12	269.15				269.15	412.33				412.33

*/ Excluding the figures of Standard Restructured Advances which do not attract higher Provisioning or Risk Weight (if Applicable)

5.4 आस्ति पुनसंरचना हेतु प्रतिभूतिकरण / पुनर्निर्माण कंपनियों को बेची गई वित्तीय संपत्तियों का विवरण

(रु. करोड़ में)

	मदें	2014–15	2013–14
(i)	खातों की संख्या	शून्य	शून्य
(ii)	एस सी/आर सी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (शुद्ध प्रावधान)	शून्य	शून्य
(iii)	कुल प्रतिफल	शून्य	शून्य
(iv)	पहले के वर्षों में खातों के हस्तांतरण से वसूला गया अतिरिक्त प्रतिफल	शून्य	शून्य
(v)	शुद्ध बही मूल्य के ऊपर कुल लाभ/हानि	शून्य	शून्य

5.5 खरीदे/बेची गई गैर निष्पादित वित्तीय आस्तियों के विवरण:

क) खरीदी गई गैर–निष्पादित वित्तीय आस्तियों के विवरण

(रु. करोड़ में)

		विवरण	2014–15	2013–14
1.	क)	वर्ष के दौरान खरीदे गए खाते	शून्य	शून्य
	ख)	कुल बकाया	शून्य	शून्य
2.	क)	इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्गठित खाते	शून्य	शून्य
	ख)	कुल बकाया	शून्य	शून्य

ख) बेची गई गैर–निष्पादित वित्तीय आस्तियों का विवरण

(रु. करोड़ में)

	विवरण	2014–15	2013–14
1.	बेचे गए खातों की संखया	शून्य	शून्य
2.	कुल बकाया	शून्य	शून्य
3.	प्राप्त कुल प्रतिफल	शून्य	शून्य

5.6 मानक आस्तियों पर प्रावधान

मदें	2014–15	2013–14
मानक आस्तियों पर प्रावधान	496.03	352.78
अंकित मूल्य में ह्रास हेतु प्रावधान पुनर्गठित मानक अग्रिम	134.22	70.60

6. कारोबार अनुपात

(रु. करोड़ में)

	मदें	2014–15	2013–14
(i)	औसत कार्यशील निधियों का ब्याज आय में प्रतिशत	9.20%	9.25%
(ii)	औसत कार्यशील निधियों का गैर ब्याज आय में प्रतिशत	0.46%	0.50%
(iii)	औसत कार्यशील निधियों का परिचालन लाभ में प्रतिशत	0.83%	0.93%
(iv)	आस्तियों से आय	0.13%	0.35%
(v)	प्रति कर्मचारी (रूपये करोड़ में) कारोबार (जमाराशियाँ+अग्रिम)	15.95	15.31
(vi)	प्रति कर्मचारी लाभ (रूपए करोड़में)	0.01	0.03

5.4 **Details of Financial Assets sold to Securitization / Reconstruction Companies for Asset Reconstruction**

(Rupees in crore)

Item		2014-15	2013-14
(i)	Number of Accounts	Nil	Nil
(ii)	Aggregate Value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	Nil	Nil
(iii)	Aggregate consideration	Nil	Nil
(iv)	Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	Nil	Nil
(v)	Aggregate gain/ loss over net book value	Nil	Nil

5.5 **Details of non-performing financial assets purchased / sold:**
A. Details of non-performing financial assets purchased:

(Rupees in crore)

Particulars			2014-15	2013-14
1.	(a)	No. of accounts purchased during the year	Nil	Nil
	(b)	Aggregate outstanding	Nil	Nil
2.	(a)	Of these, number of accounts restructured during the year	Nil	Nil
	(b)	Aggregate outstanding	Nil	Nil

B. Details of non-performing financial assets sold:

(Rupees in crore)

Particulars		2014-15	2013-14
1.	No. of accounts sold	Nil	Nil
2.	Aggregate outstanding	Nil	Nil
3.	Aggregate consideration received	Nil	Nil

5.6 **Provisions on Standard Assets**

(Rupees in crore)

Item	2014-15	2013-14
Provisions towards Standard Assets	496.03	352.78
Provision for Diminution in FV Restructured Standard Advances	134.22	70.60

6. **Business Ratios**

Items		2014-15	2013-14
(i)	Interest Income as a percentage to average working funds	9.20%	9.25%
(ii)	Non-Interest Income as a percentage to average working funds	0.46%	0.50%
(iii)	Operating Profit as a percentage to average working funds	0.83%	0.93%
(iv)	Return on Assets	0.13%	0.35%
(v)	Business [Deposits plus Advances] per employee (Rs. in crore)	15.95	15.31
(vi)	Profit per employee (Rs. in crore)	0.01	0.03

7. आस्ति देयता प्रबंधन

31.03.2015 को आस्तियों और देयताओं का परिपक्वता स्वरूपः

(रु. करोड़ में)

परिपक्वता स्वरूप (समयावधि)	जमाराशियां	ऋण तथा अग्रिम	निवेश	उधार	विदेशी मुद्रा	
					देयताएं	आस्तियाँ
1 दिन	1899.67	2028.46	0	0.00	18.82	311.88
2–7 दिन	1219.63	1079.83	109.91	1023.21	1.78	23.01
8–14 दिन	626.64	492.69	0	0.00	4.11	24.59
15–28 दिन	2252.40	754.98	881.72	0.00	8.43	56.37
29 दिन से 3 माह तक	18856.72	12191.91	1873.71	0.00	25.08	172.41
3 माह से अधिक व 6 माह तक	11737.43	3208.24	596.57	700.02	30.55	83.99
6 माह से अधिक व 1 वर्ष तक	22897.42	3861.97	560.93	0.00	69.42	0.00
1 वर्ष से अधिक व 3 वर्ष तक	12901.96	17006.99	2072.33	0.00	99.32	0.00
3 वर्ष से अधिक व 5 वर्ष तक	7571.60	12813.30	5713.23	0.00	141.11	0.00
5 वर्ष से अधिक	6751.25	10431.79	14943.30	0.00		
कुल	**86714.72**	**63870.18**	**26751.70**	**1723.23**	**398.62**	**672.25**

8. ऋण जोखिम

8.1 वास्तविक संपदा क्षेत्र को ऋण जोखिम

(रु. करोड़ में)

		श्रेणी	31.03.2015	31.03.2014
1.	**प्रत्यक्ष जोखिम**			
	क)	रिहायशी बंधक		
	i.	ऐसी संपत्तियाँ जिन पर ऋणी का कब्जा है या किराये पर दी गई है, को दिया गया ऋण बंधक द्वारा पूर्णतः सुरक्षित है।	3540.46	2795.19
	ii.	व्यक्तिगत आवास ऋण जो कि प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम में सम्मिलित करने योग्य हैं	2669.77	2247.01
	ख)	व्यावसायिक वास्तविक संपदा		
	i)	व्यावसायिक वास्तविक संपदा पर बंधक द्वारा सुरक्षित ऋण (कार्यालय, भवन, बहु–आयामी व्यापारिक परिसर, बहु परिवार आवासीय भवन, व्यावसायिक परिसर जहाँ बहुत से किरायेदार रहते हों, औद्योगिक संस्थान या मालगोदाम स्थान, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास तथा निर्माण आदि) ऐसी ऋण सीमाओं में गैर–निधि आधारित (एन.एफ.बी)के ऋण भी शामिल हैं।	3389.27	2941.87
	ग)	बंधक प्रतिभूतियों में विनियोग (एम.बी.एस) और अन्य जमानती ऋण	शून्य	शून्य
	क.	रिहायशी	शून्य	शून्य
	ख.	व्यावसायिक–वास्तविक संपदा	शून्य	शून्य
2.	अप्रत्यक्ष ऋण {राष्ट्रीय आवास (एन.एच.बी.) और आवास वित्त बंधक (एच.एफ.सी.) को निधि एवं गैर–निधि आधारित ऋण}		3920.31*	2342.72*
		वास्तविक संपदा क्षेत्र में कुल ऋण भागीदारी	**10850.04**	**8079.67**

*एनएचबी तथा हाउसिंग फाइनांस कंपनियों में किए गए रु. 452.39 करोड़ के निवेश शामिल हैं।

7. **Asset Liability Management**

Maturity Pattern of Assets and Liabilities as on 31.03.2015: (Rupees in crore)

Maturity Pattern (Time Buckets)	Deposits	Loans & Advances	Investments	Borrowings	Foreign Currency	
					Liabilities	Assets
1 day	1899.67	2028.46	0	0.00	18.82	311.88
2 – 7 days	1219.63	1079.83	109.91	1023.21	1.78	23.01
8 – 14 days	626.64	492.69	0	0.00	4.11	24.59
15 - 28 days	2252.40	754.98	881.72	0.00	8.43	56.37
29 days to 3 months	18856.72	12191.91	1873.71	0.00	25.08	172.41
Over 3 months & up to 6 months	11737.43	3208.24	596.57	700.02	30.55	83.99
Over 6 months & up to 1 year	22897.42	3861.97	560.93	0.00	69.42	0.00
Over 1 year & up to 3 years	12901.96	17006.99	2072.33	0.00	99.32	0.00
Over 3 years & up to 5 years	7571.60	12813.30	5713.23	0.00	141.11	0.00
Over 5 years	6751.25	10431.79	14943.30	0.00		
Total	**86714.72**	**63870.18**	**26751.70**	**1723.23**	**398.62**	**672.25**

8. Exposures :

8.1 **Exposure to Real Estate Sector** (Rupees in crore)

Category				31.03.2015	31.03.2014
1)	Direct Exposure				
	(a)	Residential Mortgages			
	i.	Lending fully secured by mortgages of residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented		3540.46	2795.19
	ii.	Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances		2669.77	2247.01
	(b)	Commercial Real Estate			
		Lending secured by mortgages of commercial real estates (office buildings, retail space, multipurpose commercial premises, multifamily residential buildings, multi tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc) Exposure would also include non fund based (NFB) limits;		3389.27	2941.87
	(c)	Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures		NIL	NIL
		a.	Residential	NIL	NIL
		b.	Commercial Real Estate	NIL	Nil
2)	Indirect Exposure [Fund based and Non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)]			3920.31*	2342.72*
Total Exposure to Real Estate Sector				**10850.04**	**8079.67**

* includes Rs.452.39 crore by way of Investment in NHB & Housing Finance Companies.

8.2 पूँजी बाजार में ऋण भागीदारी (एक्सपोजर)

(रु. करोड़ में)

	मदें	31.03.2015	31.03.2014
1.	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बाण्ड, परिवर्तनीय ऋण पत्रों तथा इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फण्डों के यूनिटों में निवेश जिनका पूर्ण रूप से कम्पनी ऋणों में विनियोग नहीं किया गया	118.10	152.58
2.	सामान्य अंशों (आई.पी.ओ./ई.एस.ओ.पी.एस) परिवर्तनीय बांडस, परिवर्तनीय ऋणपत्रों तथा इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों में विनियोग के लिए अंशों /बाण्डों/ऋण पत्रों या अन्य प्रतिभूतियों के एवज में एकल स्वामियों को दिए गए अग्रिम	शून्य	1.20
3.	किसी अन्य उद्देश्य हेतु दिया गया अग्रिम जहाँ अंशों या परिवर्तनीय अंशों या परिवर्तनीय ऋण–पत्रों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फण्डों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है	शून्य	0.01
4.	अंशों की संपार्श्विक प्रतिभूति या परिवर्तनीय बाण्डों या परिवर्तनीय ऋण पत्रों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फण्डों द्वारा प्रत्याभूत अन्य उद्देश्यों हेतु दिए गए अग्रिम अर्थात जहाँ पर अंशों / परिवर्तनीय बाण्डों / परिवर्तनीय ऋण–पत्रों / इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फण्डों पर दिए गए अग्रिमों को प्राथमिक प्रतिभूति द्वारा पूर्ण रूप से प्रत्याभूत नहीं किया गया	शून्य	शून्य
5.	स्टॉक ब्रोकरों को जमानती व गैर–जमानती अग्रिम तथा स्टॉक ब्रोकरों और मार्किट मेकर्स द्वारा जारी गारंटियां	6.55	5.47
6.	नई कम्पनियों की इक्विटी हेतु फण्ड्स एकत्रित करने के लिए तथा प्रवर्तकों के अंशदान को पूरा करने के लिए जो अंशों /बाण्डों /ऋण–पत्रों या अन्य प्रतिभूतियाँ या निर्बंध आधार पर कंपनियों के संस्वीकृत ऋण	शून्य	शून्य
7.	प्रत्याशित इक्विटी उपलब्धता / निर्गमों पर कम्पनियों को पूरक ऋण	शून्य	शून्य
8.	प्राथमिक अंशों या परिवर्तनीय बाण्डों या परिवर्तनीय ऋण–पत्रों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फण्डों के संबंध में बैंकों द्वारा किए हामीदारी वायदे	शून्य	शून्य
9.	मार्जिन सौदों हेतु स्टॉक ब्रोकरों को दिया गया वित्त	शून्य	शून्य
10.	पूँजी निधियों पर ऋण जोखिम (पंजीकृत तथा अपंजीकृत)	5.50	4.15
	पूंजी बाजार में कुल ऋण भागीदारी	**130.15**	**163.41**

8.3 जोखिम श्रेणीवार कंट्री एक्सपोजर

देशांतर आधार पर बैंक द्वारा विदेशी विनिमय लेन–देन के संबंध में दिए गए निवल ऋण जो प्रत्येक देश से संबंधित है, बैंक की कुल आस्तियों के 1% के अंदर हैं। अतः भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार किसी प्रकार के प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

8.4 बैंक द्वारा पार की गई एकल उधारी सीमा (एसजीएल), समूह उधारी सीमा (जीबीएल) का ब्यौरा

वर्ष के दौरान बैंक द्वारा बढ़ाई गई एकल उधारी सीमा (एस जी एल) समूह उधारी सीमा (जी.बी.एल) के विवरण वर्ष 2014–15 के दौरान बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एकल उधारी/समूह उधारी हेतु निर्धारित विवेकपूर्ण ऋण सीमा को पार नहीं किया है, निम्न मामलों के अतिरिक्त, जिन पर बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है ।

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	उधारियों के नाम	वर्ष के दौरान अधिकतम ऋण सीमा	दिनांक के अनुसार ऋण जोखिम(%)	31.03.2015 को ऋण सीमा/ देयताएं	ऋण जोखिम (%)
1.	यू.पी. पॉवर कॉर्पोरेशन लि. शाखा–हजरत गंज, लखनऊ	रु. 1511.63 करोड़*	=1511.63/1475.00 (बोर्ड पॉवर सहित) 102.4%	रु.1338.89 करोड़**	=1338.89/1530.00 (बोर्ड पॉवर सहित) 87.49%

* रु. 549.03 करोड़ के निवेश सहित

* रु. 366.52 करोड़ के निवेश सहित

8.2 **Exposure to Capital Market**

(Rupees in crore)

	Items	31.03.2015	31.03.2014
1.	Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	118.10	152.58
2.	Advances against shares/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;	NIL	1.20
3.	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	NIL	0.01
4.	Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/ convertible bonds/ convertible debentures/ units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	NIL	Nil
5.	Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers	6.55	5.47
6.	Loans sanctioned to corporates against the security of shares/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	NIL	Nil.
7.	Bridge loans to companies against expected equity flows/ issues;	NIL	Nil
8.	Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	NIL	Nil
9.	Financing to stockbrokers for margin trading;	NIL	NIL
10.	All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	5.50	4.15
	Total Exposure to Capital Market	**130.15**	**163.41**

8.3 **Risk Category wise Country Exposure**

The net country-wise funded exposure of the Bank in respect of Foreign Exchange Transactions in respect of each country is within 1% of the total assets of the Bank. Hence, no provision is required as per RBI guidelines.

8.4 **Details of Single Borrower Limit (SGL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank**

During the year 2014-15, the Bank has not exceeded the prudential exposure limits set by RBI to single borrower/ group borrower, except in the following case, which has been approved by the Board:

Sl. No.	Name of the Borrower	Maximum Limit during the year	Exposure (%) as on	Limit / Liability as on 31.03.15	Exposure (%)
1	M/s. UP Power Corp. Ltd. BO Hazrat Ganj Lucknow	Rs.1511.63 cr*	=1511.63/1475.00 (incl. Board power) 102.4%	Rs.1338.89 cr **	=1338.89/1530.00 (incl. Board power) 87.49%

*including investment of Rs.549.03 crore
**including investment of Rs.366.52 crore

8.5 अमूर्त संपार्श्विक प्रतिभूतियों पर प्रतिभूति रहित अग्रिम

(रु. करोड़ में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
अमूर्त प्रतिभूतियों हेतु कुल अग्रिम जैसे अधिकारों, प्राधिकार, लाईसेंसों आदि पर ऋण भार	274.82	455.37
अमूर्त प्रतिभूतियों की कुल अनुमानित मूल्य जैसे अधिकारों, प्राधिकार, लाईसेंसों पर ऋण भार	274.82	455.37

9.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जुर्माने का प्रकटीकरण

9

		2014–15	2013–14
क.	वर्ष के दौरान बैंक पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाया जुर्माना	शून्य	2.5
ख.	प्रतिकूल तथ्यों के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए निर्देश या प्रतिकूल टिप्पणियाँ	शून्य	शून्य

9.2 बैंकेश्योरेंसों व्यापार के संबंध प्राप्त शुल्क/पारिश्रमिक का प्रकटीकरण

(रु. करोड़ में)

	2014–15	2013–14
क. जीवन बीमा व्यापार से प्राप्त शुल्क / पारिश्रमिक	0.99	1.19
ख. साधारण बीमा व्यापार से प्राप्त शुल्क / पारिश्रमिक	शून्य	0.0042
ग. यू.टी.आई.म्यूचुअल फंड व्यापार	शून्य	शून्य

10. मानक लेखांकन अनुसार प्रकटीकरण (एएस)

10.1 एएस–5 अवधि के लिए निवल लाभ–हानि, पूर्व अवधि मदें तथा लेखांकन नीतियों में परिवर्तन

10.1.1 लाभ–हानि खाते में पूर्व अवधि की कोई मदें शामिल नहीं है जिन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसार एएस–5 में बताया जाना हो, सिवाय उनके जिन्हें टिप्पणियों में कहीं और दर्शाया गया है।

10.2 एएस –6 मूल्यह्रास लेखांकन

प्रत्येक श्रेणी की आस्तियों के लिए कुल मूल्यह्रास का ब्रेक–अप

(रु. करोड़ में)

आस्तियों की श्रेणी	2014–15	2013–14
परिसर	42.41	27.88
अन्य स्थाई आस्तियाँ	50.15	32.45
कुल	**92.56**	**60.33**

10.3 एएस–9 राजस्व मान्यता

10.3.1 आय की कुछ मदों को महत्वपूर्ण लेखांकन नीति- अनुसूची-17 की मद संखया 8 (राजस्व मान्यता)में प्रकट मदों को वसूली के आधार पर मान्यता दी गई है। फिर भी भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार इस आय को आर्थिक न माना जाए।

10.4 एएस 15 – कर्मचारी लाभ

10.4.1 पेंशन, ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण तथा अन्य दीर्घावधि लाभ हेतु प्रावधानों को आई.सी.ए.आई द्वारा जारी संशोधित लेखा मानक (ए. एएस–15) के आधार पर किया गया है। यद्यपि, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों हेतु पेंशन विकल्प पुनः खोलने और ग्रेच्युटी की सीमाओं में वृद्धि – प्रमुख नियामक उपचार पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 9 फरवरी, 2011 के परिपत्र सं. डीबीओडी नं.बीपी. बीसी.80 / 21.04.018 / 2010–11 तथा ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972 में किए संशोधनों के अनुसार के अनुसार की गई है। तदनुसार, वर्ष 2013–14 में बैंक ने पेंशन खाता में रु. 146.12 करोड़ तथा ग्रैच्युटी खाता में रु.26.57 करोड़. परिशोधन किए हैं। पेंशन खाता तथा ग्रेच्युटी खाता पर किसी भी राशि को आगामी वर्ष में परिशोधन हेतु आगे नहीं ले जाया गया है।

10.4.2 लाभ-हानि खाते तथा तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त नियोजनोत्तर लाभों की संक्षिप्त स्थिति निम्नानुसार हैः

8.5 **Unsecured Advances against Intangible Collaterals**

(Rs. in crore)

Particulars	As on 31.03.2015	As on 31.03.2014
Total Advances against intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority etc.	274.82	455.37
Estimated Value of intangible collateral such as charge over the rights, licenses, authority etc.	274.82	455.37

9.1 **Disclosure of Penalties imposed by Reserve Bank of India**

(Rs. in crore)

	2014-15	2013-14
A. Penalty imposed by RBI on Bank	Nil	2.5
B. Strictures or Directions by RBI on the basis of adverse findings	Nil	Nil

9.2 **Disclosure of Fees/ Remuneration Received in respect of Bancassurance Business**

(Rs. in crore)

	2014-15	2013-14
A. Fee/ Remuneration from Life Insurance Business	0.99	1.19
B. Fee/ Remuneration from General Insurance Business	NIL	0.0042
C. UTI Mutual Fund Business	NIL	NIL

10 **Disclosure as per Accounting Standard (AS)**

10.1 AS-5 Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies

10.1.1 There are no material prior period items included in Profit & Loss Account required to be disclosed as per AS-5 read with RBI guidelines except those disclosed elsewhere in the notes.

10.2 AS-6 Depreciation Accounting

Break-up of total depreciation for each class of assets

(Rs. In crore)

Class of Assets	2014-15	2013-14
Premises	42.41	27.88
Other Fixed Assets	50.15	32.45
Total	**92.56**	**60.33**

10.3 AS-9 Revenue Recognition

10.3.1 Certain items of income are recognized on realization basis as disclosed at point no. 8 – "Revenue Recognition" of **Schedule 17 – Significant Accounting Policies**. However, in terms of RBI guidelines, the said income is not considered to be material.

10.4 **AS15 - Employees Benefit**

10.4.1 Provisions for Pension, Gratuity, Leave Encashment and Other long term benefits have been made in accordance with the Revised Accounting Standard (AS - 15) issued by the ICAI. However, the additional liability towards re-opening of pension option and amendment in the Gratuity Act, 1972 has been dealt in accordance with the provisions contained in Reserve Bank of India circular no. DBOD.BP.BC.80/21.04.018/2010-11 dated 9th February 2011 on Re-opening of Pension Option to Employees of Public Sector Banks and Enhancement in Gratuity Limit. Accordingly the Bank has amortized the balance amount of Rs. 146.12 Crores on account of Pension and Rs. 26.57 Crores on account of Gratuity.

10.4.2 The summarized position of post employment benefits recognized in the Profit & Loss A/c and Balance Sheet is as under:

10.4.3 बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रैच्युटी (निधिक)		छुट्टी नकदीकरण (निधिक)	
	2014–15	2013–14	2014–15	2013–14	2014–15	2013–14
निर्धारित लाभ बाध्यता का 1 अप्रैल को मूल्य	2493.33	2419.87	284.19	389.20	165.71	185.78
ब्याज लागत	190.79	209.92	19.04	31.15	11.53	15.05
वर्तमान सेवा लागत	199.80	211.77	10.78	14.17	25.48	25.52
प्रदत्त लाभ	(216.80)	(174.73)	(92.35)	(85.78)	(43.38)	(37.04)
बाध्यता पर बीमांकिक हानि/(लाभ)	(130.00)	(173.50)	18.62	(64.37)	(14.61)	(23.60)
निर्धारित लाभ बाध्यता का 31 मार्च को मूल्य	2537.12	2493.33	240.28	284.19	144.73	165.71

10.4.4 योजनागत आस्तियों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रैच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (निधिक)	
	2014–15	2013–14	2014–15	2013–14	2014–15	2013–14
योजनागत आस्तियों का 1 अप्रैल को मूल्य	2313.19	2007.30	294.08	336.01	171.77	188.95
योजनागत आस्तियों से अपेक्षित प्रतिलाभ	205.87	180.66	26.17	30.24	17.18	17.01
नियोक्ता अंशदान	212.29	290.39	13.29	16.64	शून्य	शून्य
घटाएं प्रदत्त लाभ	(216.80)	(174.73)	(92.35)	(85.78)	(43.38)	(37.04)
बीमांकिक (हानि)/लाभ	2.87	9.57	(3.80)	(3.03)	(1.53)	(2.85)
योजनागत आस्तियों का 31 मार्च को उचित मूल्य	2517.42	2313.19	237.39	294.08	144.04	171.77
योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	208.74	190.23	22.37	27.21	15.65	19.86

10.4.5 शुद्ध बीमांकिक हानि /(लाभ)

(रु. करोड़ में)

विवरण	पैंशन (निधिक)		ग्रैच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदी (निधिक)	
	2014–15	2013–14	2014–15	2013–14	2014–15	2013–14
मूल्यांकिक हानि/(लाभ) दायित्व (ए)	(130.00)	(173.50)	18.62	(64.37)	(14.61)	(23.60)
प्लान आस्तियों पर (बी) मूल्यांकिक हानि/(लाभ)	(2.87)	(9.57)	3.80	3.03	1.53	(2.85)
शुद्ध मूल्यांकिक हानि/(लाभ)	(132.87)	(183.07)	22.42	(61.34)	(13.08)	(26.45)
अवधि के दौरान पहचान की गई हानि/(लाभ)	(132.87)	(183.07)	22.42	(61.34)	(13.08)	(26.45)
वर्ष के अंत में बिना पहचान वाली मूल्यांकिक हानि/(लाभ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

10.4.3 **Changes in the Present value of the Obligation**

(Rs. in crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (funded)	
	2014-15	**2013-14**	**2014-15**	**2013-14**	**2014-15**	**2013-14**
Present Value of defined benefit obligation as at 1st April	2493.33	2419.87	284.19	389.02	165.71	185.78
Interest cost	190.79	209.92	19.04	31.15	11.53	15.05
Current service cost	199.80	211.77	10.78	14.17	25.48	25.52
Benefits paid	(216.80)	(174.73)	(92.35)	(85.78)	(43.38)	(37.04)
Actuarial loss/ (gain) on obligations	(130.00)	(173.50)	18.62	(64.37)	(14.61)	(23.60)
Present value of defined Benefit obligation at 31st March	2537.12	2493.33	240.28	284.19	144.73	165.71

10.4.4 **Changes in the Present Value of Plan Assets**

(Rs. in crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (funded)	
	2014-15	**2013-14**	**2014-15**	**2013-14**	**2014-15**	**2013-14**
Fair value of Plan Assets as at 1st April	2313.19	2007.30	294.08	336.01	171.77	188.95
Expected return of Plan Assets	205.87	180.66	26.17	30.24	17.18	17.01
Employer contribution	212.29	290.39	13.29	16.64	Nil	Nil
Benefits paid	(216.80)	(174.73)	(92.35)	(85.78)	(43.38)	(37.04)
Actuarial (loss)/ gain	2.87	9.57	(3.80)	(3.03)	(1.53)	2.85
Fair value of Plan Assets as at 31st March	2517.42	2313.19	237.39	294.08	144.04	171.77
Actual return on Plan Assets	208.74	190.23	22.37	27.21	15.65	19.86

10.4.5 **Net Actuarial Loss/ (Gain)**

(Rs. in crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (funded)	
	2014-15	**2013-14**	**2014-15**	**2013-14**	**2014-15**	**2013-14**
Actuarial loss/(gain) on Obligation. (A)	(130.00)	(173.50)	18.62	(64.37)	(14.61)	(23.60)
Actuarial loss/(gain) on Plan Assets (B)	(2.87)	(9.57)	3.80	3.03	1.53	(2.85)
Net Actuarial loss/(gain)	(132.87)	(183.07)	22.42	(61.34)	(13.08)	(26.45)
Actuarial loss/(gain) recognized in the period	(132.87)	(183.07)	22.42	(61.34)	(13.08)	(26.45)
Unrecognized actuarial loss/ (Gain) at the end of the year	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

10.4.6 तुलन-पत्र में पहचानी गई राशि

(रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रेच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदी (निधिक)	
	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
31 मार्च को परिभाषित लाभ देयता का वर्तमान मूल्य	2537.12	2493.33	240.28	284.19	144.73	165.71
घटाएं : 31 मार्च को प्लान आस्तियों का उचित मूल्य	2517.42	2313.19	237.39	294.08	144.04	171.77
तुलन पत्र में पहचान की गई गैर निधि शुद्ध आस्ति / देयता	(19.70)	(180.14)	(2.89)	9.89	(0.69)	6.06

10.4.7 लाभ तथा हानि खाते में व्ययों की पहचान

(रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रेच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदी (निधिक)	
	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
चालू सेवा लागत	199.80	211.77	10.78	14.17	25.48	25.52
ब्याज लागत	190.79	209.92	19.04	31.15	11.53	15.05
प्लान आस्तियों पर अनुमानित रिटर्न	(205.87)	(180.66)	(26.17)	(30.24)	(17.18)	(17.01)
वर्ष के दौरान शुद्ध मूल्यांकित (लाभ) / हानि	(132.87)	(183.07)	22.42	(61.34)	(13.08)	(26.45)
शुद्ध (लाभ) व्यय	51.85	57.96	26.07	(46.26)	6.75	(2.89)

10.4.8 तुलन-पत्र में पहचानी गई देयताओं में उतार-चढ़ाव

(रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रेच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदी (निधिक)	
	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
प्रारंभिक शुद्ध देयता / (आस्तियाँ)	180.14	412.57	(9.89)	53.01	(6.06)	(3.17)
शुद्ध लाभ व्यय	51.85	57.96	26.07	(46.26)	6.75	(2.89)
घटाएं-दिया गया अंश	212.29	290.39	13.29	16.64	शून्य	शून्य
अन्तिम देयता / (आस्तियाँ)	19.70	180.14	2.89	(9.89)	0.69	(6.06)

10.4.9 न्यास द्वारा रखे जाने वाला निवेश प्रतिशत

(प्रतिशत में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रेच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदी (निधिक)	
	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियाँ	15.90	18.31	3.10	3.40	शून्य	शून्य
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	40.80	37.68	---	....	शून्य	शून्य
उच्च स्तरीय कोरपोरेट बॉडस	33.90	36.02	45.05	33.94	शून्य	शून्य
विशेष जमा योजनाएं	---	-	---	..	शून्य	शून्य
अन्य निवेश	9.40	7.99	51.85	62.66	100	100

10.4.6 **Amount recognized in the Balance Sheet**

(Rs. in crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (funded)	
	2014-15	**2013-14**	**2014-15**	**2013-14**	**2014-15**	**2013-14**
Present value of defined benefit obligation as at 31st March	2537.12	2493.33	240.28	284.19	144.73	165.71
Less: Fair value of Plan Assets as at 31st March	2517.42	2313.19	237.39	294.08	144.04	171.77
Unfunded net Asset / (Liability) Recognized in the balance sheet	(19.70)	(180.14)	(2.89)	9.89	(0.69)	6.06

10.4.7 **Expenses recognized in the Profit & Loss Account**

(Rs. in crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (funded)	
	2014-15	**2013-14**	**2014-15**	**2013-14**	**2014-15**	**2013-14**
Current service cost	199.80	211.77	10.78	14.17	25.48	25.52
Interest cost	190.79	209.92	19.04	31.15	11.53	15.05
Expected return on plan assets	(205.87)	(180.66)	(26.17)	(30.24)	(17.18)	(17.01)
Net Actuarial (gain)/ loss recognized during the year	(132.87)	(183.07)	22.42	(61.34)	(13.08)	(26.45)
Net (benefit)/ expense	51.85	57.96	26.07	(46.26)	6.75	(2.89)

10.4.8 **Movements in the liability recognized in the Balance Sheet**

(Rs. in crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (funded)	
	2014-15	**2013-14**	**2014-15**	**2013-14**	**2014-15**	**2013-14**
Opening net Liability/(Asset)	180.14	412.57	(9.89)	53.01	(6.06)	(3.17)
Net benefit expense	51.85	57.96	26.07	(46.26)	6.75	(2.89)
Less: Contribution paid	212.29	290.39	13.29	16.64	Nil	NIL
Closing liability/(Asset)	19.70	180.14	2.89	(9.89)	0.69	(6.06)

10.4.9 **Investment percentage maintained by the trust**

(in % age)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (funded)	
	2014-15	**2013-14**	**2014-15**	**2013-14**	**2014-15**	**2013-14**
Central Government Securities	15.90	18.31	3.10	3.40	Nil	Nil
State Government Securities	40.80	37.68	----	----	Nil	Nil
High Safety Bonds/TDRs	33.90	36.02	45.05	33.94	Nil	NIL
Special Deposit Scheme	----	----	----	----	Nil	Nil
Other investments	9.40	7.99	51.85	62.66	100	100

10.4.10 तुलन–पत्र की तिथि को मूल बीमांकिक मूल्यांकन

(प्रतिशत में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रेच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदी (निधिक)	
	2014–15	2013–14	2014–15	2013–14	2014–15	2013–14
बट्टा दर	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	9.00
प्लान आस्तियों पर अनुमानित लाभ दर	8.90	9.00	8.90	9.00	10.00	9.00
वेतन में वृद्धि की दर	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
अनुशय दर	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
प्रयोग में लाई गई प्रणाली	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी

10.4.11 बीमांकिक मूल्यांकन का आधार

विवरण	मूल्यांकन का आधार
बट्टा दर	देयता के अनुमानित आधार पर सरकारी बांडों की शर्तों के अनुरूप तुलन–पत्र की तिथि पर बाजार के अनुरुप लाभ के संदर्भ में बट्टा दर का निर्धारण किया गया है।
प्लान आस्तियों पर अनुमानित दर	संबंधित देयता की पूर्ण अवधि हेतु अवधि के प्रारंभ के समय पर प्लान आस्तियों पर अनुमानित लाभ बाजार अनुमानों पर आधारित है।
वेतन में वृद्धि की दर	बीमांकिक मूल्यांकन में भविष्य में वेतन वृद्धि को ध्यान में रखा गया तथा मुद्रा प्रसार, वरिष्ठता, प्रोन्नित तथा अन्य संबंधित घटकों जैसे श्रमिक बाजार में मॉग तथा आपूर्ति पर विचार किया गया है।
अनुशय दर	अनुशय दर का निर्धारण पूर्व तथा अनुमानित भविष्य के अनुभव के अनुसार निर्धारित किया गया है तथा मृत्यु को छोड़कर इसमें समस्त प्रकार के आहरण सम्मिलित है लेकिन इसमें अपंगता कारक भी शामिल है।

10.4.12 अन्य दीर्घ अवधि वाले कर्मचारी लाभ (गैर निधिक)

(रु. करोड़ में)

विवरण	एलटीसी/एलएफसी नकदीकरण*		सिल्वर जुबली बोनस		मेडिकल लाभ		सेवा निवृत्ति उपहार	
	2014–15	2013–14	2014–15	2013–14	2014–15	2013–14	2014–15	2013–14
देयता का वर्तमान मूल्य	7.96	12.25	0.97	0.37	0.51	0.49	2.04	1.08
पारगमन देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान पहचानी गई पारगमन देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पहचान न की गई पारगमन देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
तुलन–पत्र में पहचानी गई देयता	7.96	12.25	0.97	0.37	0.51	0.49	2.04	1.08

*जैसाकि प्रबंधन ने निर्धारित किया हैं।

10.4.10 **Principal Actuarial assumptions at the Balance Sheet date**

(in % age)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (funded)	
	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
Discount rate	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	9.00
Expected rate of return on plan assets	8.90	9.00	8.90	9.00	10.00	9.00
Rate of escalation in salary	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Attrition rate	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Method used	PUC	PUC	PUC	PUC	PUC	PUC

10.4.11 **Basis of Actuarial Assumptions considered**

Particulars	Basis of assumption
Discount rate	Discount rate has been determined by reference to market yield on the balance sheet date on Government Bonds of term consistent with estimated term of the obligation.
Expected rate of return on plan assets	The expected return on Plan assets is based on market expectation, at the beginning of the period, for returns over the entire life of the related obligation.
Rate of escalation in salary	The estimates of future salary increases considered in actuarial valuation take account of inflation, seniority, promotion, and other relevant factor, such as supply and demand in employee market.
Attrition rate	Attrition rate has been determined by reference to past and expected future experience and includes all type of withdrawals other than death but including those due to disability.

10.4.12 **Other long term employee benefit (Non funded)**

(Rs. in crore)

Particulars	LTC/LFC Encashment *		Silver jubilee Bonus		Medical Benefits *		Retirement Gifts	
	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
Present Value of Obligation	7.96	12.25	0.97	0.37	0.51	0.49	2.04	1.08
Transitional Liability	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Transitional liability recognized during the year	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Unrecognized transitional liability	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Liability recognized in the Balance Sheet	7.96	12.25	0.97	0.37	0.51	0.49	2.04	1.08

* As assessed by the management

10.5 लेखामानक – 17 – खंड रिपोर्टिंग

भाग कः व्यापार खंड

(रु. लाखों में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
1. खण्ड राजस्व		
क. राजकोष	226994	200556
ख. कार्पोरेट/समग्र बैंकिंग	469691	476456
ग. फुटकर बैंकिंग	204946	162868
घ. अन्य बैंकिंग परिचालन	99	119
कुल	**901730**	**839999**
2. खंड परिणाम		
क. राजकोष	7724	1429
ख कार्पोरेट/समग्र बैंकिंग	74400	83591
ग. फुटकर बैंकिंग	32463	28575
घ. अन्य बैंकिंग परिचालन	99	119
कुल	**114686**	**113714**
3. गैर–आबंटित व्यय	37141	33659
4. परिचालन लाभ	**77545**	**80055**
5. प्रावधान व आकस्मिक देयताएं	62733	55421
6. आयकर	2677	–5429
7. विशेष लाभ/हानि	0	
8. शुद्ध लाभ	**12135**	**30063**
अन्य सूचना		
9. खंड आस्तियाँ		
क. राजकोष	2727518	2884926
ख कार्पोरेट/समग्र बैंकिंग	4856357	4841480
ग. फुटकर बैंकिंग	2119040	1654968
घ. अन्य बैंकिंग परिचालन	0	0
ड. गैर–आबंटित आस्तियाँ	72425	69541
कुल आस्तियाँ	**9775340**	**9450915**
10. खंड देयताएं		
क. राजकोष	2586797	2746402
ख कार्पोरेट/समग्र बैंकिंग	4605804	4609010
ग. फुटकर बैंकिंग	2009713	1575503
घ. अन्य बैंकिंग परिचालन	0	0
ड. गैर–आबंटित आस्तियाँ	13409	18872
कुल आस्तियाँ	**9215723**	**8949787**

नोटः मानक ए.एस–17 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुरूप खंड रिपोर्टिंग के उद्देश्य से बैंक के व्यवसाय को चार खंडों में वर्गीकृत किया गया है जोकि अ. राजकोष परिचालन ब. कारपोरेट/थोक बैंकिंग सी. फुटकर बैंकिंग डी. अन्य बैंकिंग परिचालन हैं।

कॉरपोरेट/थोक तथा फुटकर बैंकिंग खंड के संबंध में खंडीय राजस्व, परिणाम, आस्ति तथा देयताओं को इन खंडों में दिए गए ऋणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है।

जहाँ खंडों से संबंधित आस्ति तथा देयता आबंटित की गई हो तथा जहाँ पर ये प्रत्यक्षतः उनसे संबंधित न हो, उनका आबंटन यथा अनुपात खंड राजस्व के आधार पर किया गया है।

10.5 AS 17 – Segment Reporting

Part A : Business Segment :

(Rs. in Lakhs)

Particulars	31.03.15 (Audited)	31.03.14 (Audited)
1. Segment Revenue		
a) Treasury	226994	200556
b) Corporate/ Wholesale Banking	469691	476456
c) Retail Banking	204946	162868
d) Other Banking Operations	99	119
Total	**901730**	**839999**
2. Segment Result		
a) Treasury	7724	1429
b) Corporate/ Wholesale Banking	74400	83591
c) Retail Banking	32463	28575
d) Other Banking Operations	99	119
Total	**114686**	**113714**
3. Unallocated Expenses	37141	33659
4. Operating Profit	**77545**	**80055**
5. Provisions & Contingencies	62733	55421
6. Income Tax	2677	-5429
7. Extra Ordinary Profit/ Loss	0	0
8. Net Profit	**12135**	**30063**
Other Information:		
9. Segment Assets		
a) Treasury	2727518	2884926
b) Corporate/ Wholesale Banking	4856357	4841480
c) Retail Banking	2119040	1654968
d) Other Banking Operations	0	0
e) Unallocated Assets	72425	69541
Total Assets	9775340	9450915
10. Segment Liabilities		
a) Treasury	2586797	2746402
b) Corporate/ Wholesale Banking	4605804	4609010
c) Retail Banking	2009713	1575503
d) Other Banking Operations	0	0
e) Unallocated Liabilities	13409	18872
Total Liabilities	9215723	8949787

Note: For the purpose of segment reporting in terms of AS-17 of ICAI and as prescribed in RBI guidelines, the business of the Bank has been classified into four segments i.e. a) Treasury Operations, b) Corporate/Wholesale Banking, c) Retail Banking and d) Other Banking Operations.

Segmental Revenue, Results, Assets & Liabilities in respect of Corporate / Wholesale and Retail Banking segment have been bifurcated on the basis of exposure to these segments.

Assets & Liabilities wherever directly related to segments have been accordingly allocated to segments and wherever not directly related have been allocated on the basis of pro-rata segment revenue.

भाग खः भौगोलिक खंड

बैंक की विदेश में कोई भी शाखा नहीं है , इसलिए भौगोलिक खंड की जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है।

10.6 लेखा मानक 18 – संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

मुख्य प्रबंधन अधिकारी

(1.) श्री जतिंदरबीर सिंह	दिनांक 04.02.2014 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(2.) श्री मुकेश कुमार जैन	दिनांक 05.08.2013 से कार्यकारी निदेशक
(3.) श्री किशोर कुमार साँसी	दिनांक 31.12.2014 तक कार्यकारी निदेशक

क. प्रमुख प्रबंधन अधिकारियों को दिया गया पारिश्रमिक

रु. लाखों में

नाम एवं पदनाम	2014–15	2013–14
श्री डी.पी. सिंह, भूतपूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	–––	15.05
श्री पी.के. आनन्द, भूतपूर्व कार्यकारी निदेशक	–––	2.87
श्री जतिंदरबीर सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	20.03	2.84
श्री किशोर कुमार साँसी, कार्यकारी निदेशक	12.46	10.12
श्री मुकेश कुमार जैन, कार्यकारी निदेशक	16.61	10.67

ख) प्रमुख प्रबंधन अधिकारियों एवं उनके संबंधियों को दिए गए ऋणः

विवरण	दिनांक 31.03.2015	दिनांक 31.03.2014
बकाया ऋण	शून्य	शून्य

ग) सम्बन्धित पार्टी का नाम – सतलुज ग्रामीण बैंक (सहयोगी)

एस–18 के पैरा 9 में सम्बन्धित पार्टी के प्रकटन में, जो राज्य नियंत्रित उद्यमों को अन्य सम्बन्धित पार्टियों, जो राज्य द्वारा ही नियंत्रित की जाती है, के साथ किए गए लेन–देन का प्रकटन करने से छूट देता है। अतः सहयोगी बैंक के साथ किए गए लेन–देन का प्रकटन नहीं किया गया है।

10.7 प्रति शेयर आय (एएस–20)

(रू. करोड़ में)

विवरण	2014–15	2013–14
इक्वटी शेयर धारकों हेतु कर के बाद कुल लाभ (रु. करोड़ में)	121.35	277.57
इक्वटी शेयरों की भारित औसत संखया (करोड़ में)	33.80	25.97
आधार एवं कम की गई प्रति शेयर आय (रु.)	3.59	10.69
प्रति शेयर अंकित मूल्य (रु.)	10.00	10.00

10.8 लेखा मानक 21– समेकित वित्तीय विवरणी

बैंक की कोई अनुषंगी नहीं है अतः लेखामानक 21 लागू नहीं है।

10.9 लेखा मानक 22 – आय पर करों हेतु लेखांकन

10.9.1 बैंक ने आयकर लेखा–जोखा में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 22, 'आय पर करों का लेखांकन' का अनुपालन किया है।

Part B : Geographical Segment :

Since the Bank does not have any overseas branch, reporting under Geographic Segment is not applicable.

10.6 **AS 18 – Related Party Disclosures**
Key Managerial Personnel:

(i)	Mr. Jatinderbir Singh	Chairman and Managing Director since 04.02.2014
(ii)	Mr. Mukesh Kumar Jain	Executive Director since 05.08.2013
(iii)	Mr. Kishore Kumar Sansi	Executive Director upto 31.12.2014

a) Remuneration Paid to Key management personnel :

(Rs. in lacs)

Name and Designation	2014-15	2013-14
Mr. D.P. Singh, Ex-Chairman & Managing Director	-	15.05
Mr. P.K. Anand, Ex- Executive Director	-	2.87
Mr. Jatinderbir Singh, Chairman & Managing Director	20.03	2.84
Mr. Kishore Kumar Sansi, Ex- Executive Director	12.46	10.12
Mr. Mukesh Kumar Jain, Executive Director	16.61	10.67

b) Loans granted to Key Managerial Personnel & their relatives:

Particulars	As on 31.03.2015	As on 31.03.2014
Loans outstanding	NIL	NIL

c) Name of Related Party - Satluj Gramin Bank (An Associate)

Para 9 of AS 18 - Related Party Disclosures exempts state controlled enterprises from making any disclosures pertaining to their transactions with other related parties which are also state controlled. Hence, the transactions with the associated bank have not been disclosed.

10.7 AS 20 - Earning Per Share

(Rs. in crore)

Particulars	2014-15	2013-14
Net Profit After tax available for equity Shareholders	121.35	277.57
Weighted Average Number of Equity Shares in crore	33.80	25.97
Basic and Diluted Earning per Share (Rs.)	3.59	10.69
Nominal Value per Share (Rs.)	10.00	10.00

10.8 AS 21 – Consolidated Financial Statement
The Bank does not have any subsidiary and as such AS 21 is not applicable.

10.9 AS 22 – Accounting for Taxes on Income

10.9.1 The Bank has accounted for Income Tax in compliance with Accounting Standard-22 'Accounting for taxes on Income' issued by ICAI.

10.9.2 आस्थगित कर अस्तियों/ देयताओं के मुख्य घटक निम्नानुसार हैः

(रु. करोड़ में)

	विषय	आस्थगित कर आस्तियाँ		आस्थगित कर देयताएं	
		31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014
1.	स्थायी आस्तियों पर मूल्यह्रास		शून्य	3.04	2.32
2.	उपचित ब्याज लेकिन प्रतिभूतियों पर देय नही		शून्य	168.40	166.16
3.	धारा 36 1(8) के अंतर्गत विशेष रिज़र्व		शून्य	24.89	23.50
4.	वेतन संशोधन हेतु प्रावधान	94.91	55.43		शून्य
5.	अग्रसरित हानियाँ	0.00	59.61		शून्य
	कुल	**94.91**	**115.04**	**196.33**	**191.98**

10.9.3 विधिक–कर विशेषज्ञों की राय के आधार पर लेखा आय तथा प्रतिभूतियों के मूल्य पर आय कर की गणना के स्थायी अंतर पर बैंक ने विचार में किया है तथा तदनुसार रुपए 379.26 करोड़ (पूर्व वर्ष के रु. 403.80 करोड़) की राशि की आस्थगित कर देयता के निर्माण को आवश्यक नहीं माना गया।

10.9.4 विधिक विशेषज्ञों की राय तथा अनुकूल न्यायिक अधिघोषणाओं को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा आयकर, फ्रिंज बैनिफिट कर तथा आस्थगित कर के प्रावधान को पर्याप्त माना गया।

10.9.5 अपील प्राधिकारियों की निर्णायक निर्णय प्रणाली तथा कर विशेषज्ञों की राय के अनुसार विवादित आयकर, ब्याज कर की कुल राशि रुपए 239.19 करोड़ (पूर्व वर्ष में रु. 477.79 करोड़) की मांग के प्रावधान को आवश्यक नहीं माना गया है।

10.9.6 कर परामर्शदाताओं के अनुसार बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए आयकर हेतु प्रावधान की संगणना के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1)(VII) के अंतर्गत कटौतियों का दावा किया है जो कि रु. 249.17 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 216.70 करोड़) के गैर–ग्रामीण अग्रिमों को समायोजित किए बगैर बट्टे खाते डालने के संबंध में है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1)(VII) में स्पष्टीकरण 2 के साथ पठित धारा 36 (1)(VII,) के अनुसार गैर–ग्रामीण अग्रिमों को अशोध्य ऋण बट्टे खाते में डालने से संबंधित है, लागू नहीं है। परिणामस्वरूप कर के पश्चात् न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) क्रेडिट पात्रता रु.74.27 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 68.10 करोड़) तथा आस्थगित कर देयता रु.59.61 करोड़ (पिछले वर्ष आस्थगित कर देयता रु. 59.61 करोड़) बनाने पर प्रतिफल के रूप में लाभ में वृद्धि हुई है। कर संबंधी कानूनी कार्रवाई में ऊपर संदर्भित कटौती के दावे पर बल देने के लिए प्रबंधन आशावादी है।

10.10 लेखा मानक 23– समेकित वित्तीय विवरणियों में सहायक संस्थाओं में निवेश हेतु लेखांकन

बैंक के पास किसी प्रकार की अनुषंगी नहीं है। अतः एएस 23 लागू नहीं है।

10.11 लेखा मानक 26–अमूर्त आस्तियाँ

बैंक में प्रयोग किया जा रहा एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर बैंक में ही तैयार किया गया है जो कि निश्चित समयावधि में विकसित किया गया है। अतः सॉफ्टवेयर की लागत बैंक के परिचालन व्यय का आवश्यहक हिस्सा है, जैसे कि मजदूरी आदि तथा लाभ–हानि खाते में संबंधित व्यय शीर्ष में लेखांकित किया गया है।

10.12 लेखा मानक 28– आस्तियों के अनर्जक होने संबंधी लेखांकन

लेखा मानक 28– में परिभाषित बैंक द्वारा धारित स्थिर आस्तियों को "निगमित आस्तियाँ " माना गया है न कि "नकदी निर्मित इकाइयां"। प्रबंधन की राय के अनुसार 31.03.2015 तक आईसीएआई द्वारा जारी एएस–28 की शर्तों के अनुसार समग्र राशि में स्थिर अनर्जक आस्तियाँ कोई नहीं है। अन्य आस्तियों के अनर्जक होने की स्थिति में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विशेष नियमों के तहत प्रावधान कर दिए गए हैं।

10.13 लेखा मानक–29 –प्रावधानों, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां

10.13.1 लेखा मानक – 29 के अनुसार, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी प्रावधानों में आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों हेतु बैंक ने निम्न के लिए कोई प्रावधान नही किया हैः

(क) पूर्व घटनाओं द्वारा उत्पन्न कोई संभाव्य देयता जिसका घटना या न घटना भविष्य में होने वाली किसी अनिश्चित घटना पर निर्भर है, पूर्णतः बैंक के नियंत्रण में नहीं है। और

(ख) पिछली घटनाओं से उत्पन्न कोई वर्तमान देयता जिसको पहचाना नहीं गया है क्योंकि

*यह संभव नहीं है कि संसाधनों के बहिर्गमन से आर्थिक लाभ के दायित्वों का निपटान किया जा सके या

*देयता राशि का सटीक अनुमान आंका नहीं जा सका है।

10.9.2 Major components of deferred tax assets/liabilities are as under:

(Rupees in crore)

Head		Deferred Tax Assets		Deferred Tax Liabilities	
		31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014
1	Depreciation on Fixed Assets		Nil	3.04	2.32
2	Interest accrued but not due on securities		Nil	168.40	166.16
3	Special Reserve u/s 36(1)(viii)		Nil	24.89	23.50
4	Provision for wage revision	94.91	55.43		Nil
5	Brought forward losses	0.00	59.61		Nil
	Total	**94.91**	**115.04**	**196.33**	**191.98**

10.9.3 Based on the opinion of tax expert, the bank has considered the difference between accounting income and computation of taxable income on valuation of securities as permanent and accordingly, deferred tax liability of Rs 379.26 crore (Previous Year Rs.403.80 crore) has not been considered necessary.

10.9.4 Provision for Income Tax, Deferred Tax and Fringe Benefit Tax held by the Bank is considered adequate taking into account the opinion of legal experts and favorable judicial pronouncements.

10.9.5 No provision has been considered necessary in respect of disputed demands of Income Tax, Fringe Benefit Tax and Interest Tax aggregating to Rs. 293.19 crore (Previous year Rs.477.79 crore) in view of decisions of appellate authorities / judicial pronouncements / opinions of legal experts.

10.9.6 In computing the provision for Income Tax for the current Financial Year, based on the opinion of tax consultant, the bank has claimed the deduction under section 36(1)(vii) of the Income Tax Act 1961 in respect of write off of non-rural advances of Rs.249.17 crore (previous year Rs.216.70 crore) without adjusting the same with the unexhausted provision outstanding under section 36(1)(viia) of the Income Tax Act 1961 holding that proviso read with Explanation-2 to section 36(1)(vii) is not applicable to the bad debts written off of non-rural advances. This has resulted into increase in Profit after Tax, MAT credit entitlement by Rs.74.27 crore (previous year Rs.68.10 crore) and creation of Deferred Tax Liability of Rs.59.61 crore (previous year Deferred Tax Asset of Rs.59.61 crore). The management is hopeful of enforcing its claim of above referred deduction in tax litigation.

10.10 **AS 23 – Accounting for Investments in Associates in consolidated Financial Statements**

The Bank does not have any subsidiary and as such AS 23 is not applicable.

10.11 **AS 26 – Intangible Assets**

The application software in use in the Bank has been developed in house and has evolved over a period of time. Hence ,the costs of software is essentially part of Bank's operational expenses like wages etc. and as such are charged to the respective heads of expenditure in the Profit and Loss Account.

10.12 Accounting Standard 28 - Impairment of Assets

Fixed Assets possessed by Bank are treated as 'Corporate Assets' and not 'Cash Generating Units' as defined by AS-28. In the opinion of the Management, there is no impairment of the 'Fixed Assets' of material amount as of 31.03.2015, requiring recognition in terms of AS-28 issued by the ICAI. The impairment of other assets has been provided for as per Prudential Norms prescribed by the Reserve Bank of India.

10.13 **Accounting Standard 29 - Provisions, Contingent Liability and Contingent Assets**

10.13.1 As per AS-29 - Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognizes no provision for -

a) Any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Bank, or

b) Any present obligation from the past events but is not recognized because

- It is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; or
- A reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

ऐसी देयताओं को आकस्मिक देयताओं के रुप में रिकार्ड किया गया है। इनका आकलन निरंतर किया जाता है और देयताओं के केवल वह भाग जिनमें आर्थिक लाभ का परिलक्षण होता है का प्रावधान किया गया है सिवाय विशेष परिस्थितियों में जहाँ विश्वसनीय अनुमानों की पहचान नहीं हो सकी।

वित्तीय विवरणियों में आकस्मिक आस्तियों की पहचान नहीं की गई है क्योंकि ये कभी पहचान में न आने वाली आय में परिवर्तित हो सकती हैं।

10.13.2 आकस्मिक देयताओं संबंधी प्रावधानों में घट-बढ़

(रु. करोड़ों में)

विवरण	प्रारंभिक शेष		वर्ष के दौरान परिवर्धन		वर्ष के दौरान कटौती		अथ शेष	
	2014–15	2013–14	2014–15	2013–14	2014–15	2013–14	2014–15	2013–14
जिन्होंने बैंक ऋण की अभिस्वीकृति नहीं दी है, के विरूद्ध दावा	26.61	18.16	0.75	8.70	0.61	0.25	26.75	26.61
इन्वोक्ड बैंक गारंटी	6.44	3.87		3.00	6.38	0.43	0.06	6.44
हस्तांतरित साख–पत्र	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

10.13.3 अन्य महत्वपूर्ण प्रावधानों को लेखों के नोट वाले हिस्से में उपयुक्त स्थान पर प्रकट किया गया है।

11.1 अतिरिक्त प्रकटीकरण

(रु. करोड़ों में)

लाभ-हानि खाते के व्यय शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान और आकस्मिक व्ययों का ब्यौरा	2014–15	2013–14
गैर–निष्पादित अग्रिमों हेतु प्रावधान	436.62	512.91
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान	143.25	11.19
अंकित मूल्यों में कटौती हेतु प्रावधान पुनर्गठित (मानक)	63.62	9.01
गैर–निष्पादित निवेशों हेतु प्रावधान	1.71	8.42
निवेशों में मूल्यह्रास हेतु प्रावधान	–14.22	–3.11
अन्य प्रावधान	–3.65	15.79
कर–निर्धारण हेतु प्रावधान		
वर्तमान कर	144.64	186.54
आस्थगित कर	24.48	–57.25
संपत्ति कर	0.80	0.48
न्यूनतम वैकल्पिक कर ऋण पात्रता	–143.15	–186.54
अन्य	0.00	2.48
कुल	**654.10**	**499.92**

11.2 अस्थाई प्रावधानों में घट-बढ़

(रु. करोड़ों में)

	2014–15	2013–14
अथ शेष	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान परिवर्धन	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान आहरण से गिरावट	शून्य	शून्य
इति शेष	शून्य	शून्य

11.3 आरक्षित निधि से आहरण

पुरानी प्रविष्टियों के दावेदारों को भुगतान करने के लिए सामान्य आरक्षित निधि खाते से रु. 0.00 लाख (पिछले वर्ष रु. 0.00 लाख) की राशि का आहरण किया गया।

Such obligations are recorded as contingent liabilities. These are assessed continually and only that part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

Contingent Assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realized.

10.13.2 **Movement of Provision against Contingent Liabilities:**

(Rs. in crore)

Particulars	Opening Balance		Additions during the year		Reduction during the year		Closing Balance	
	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
Claims against the Bank not acknowledged as Debt	26.61	18.16	0.75	8.70	0.61	0.25	26.75	26.61
Invoked Bank Guarantees	6.44	3.87		3.00	6.38	0.43	0.06	6.44
L.C Devolved	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	NIl

10.13.3 Movement of other significant provisions has been disclosed at the appropriate places in the Notes forming part of the accounts.

11.1. **Additional disclosures:**

(Rs. in crore)

Break up of 'Provisions & Contingencies' shown under the head Expenditure in Profit & Loss Account	2014-15	2013-14
Provision for Non Performing Advances	436.62	512.91
Provision for Standard Assets	143.25	11.19
Provision for diminution in FV Restructured (Standard)	63.62	9.01
Provision for Non Performing Investments	1.71	8.42
Provision for Depreciation in the value of Investments	-14.22	-3.11
Other Provisions	-3.65	15.79
Provision for Taxation:		
Current Tax	144.64	186.54
Deferred Tax	24.48	-57.25
Wealth Tax	0.80	0.48
MAT Credit Entitlement	-143.15	-186.54
Others	0.00	2.48
Total	**654.10**	**499.92**

11.2 **Movement of Floating Provisions**

(Rs. in crore)

	2014-15	2013-14
Opening Balance	Nil	Nil
Additions during the year	Nil	Nil
Draw down during the year	Nil	Nil
Closing Balance	Nil	Nil

11.3 **Draw down from Reserve**

A sum of Rs. Nil lacs (previous year Rs. Nil lacs) has been drawn from the General Reserve on account of payment to the claimant of old entries.

11.4 ग्राहक शिकायतें

		2014–15	2013–14
क)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	35	96
ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	1432	1810
ग)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	1374	1871
घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	93	35

11.5 बैंकिंग लोकपाल द्वारा निर्णीत मामले

		2014–15	2013–14
क)	वर्ष के आरंभ में गैर–क्रियान्वित निर्णयों की संख्या	2	1
ख)	वर्ष के दौरान बैंकिग लोकपाल द्वारा निर्णीत मामलों की संख्या	6	5
ग)	वर्ष के दौरान क्रियान्वित निर्णयों की संख्या	7	4
घ)	वर्ष के अंत में लंबित गैर–क्रियान्वित निर्णयों की संख्या	1	2

11.6 जमाओं, अग्रिमों, जोखिमों एवं एन.पी.ए. का केंद्रीकरण

11.6.1 जमाओं का केंद्रीकरण

(रु. करोड़ों में)

	31.03.2015	31.03.2014
सबसे बड़े 20 जमाकर्ताओं की कुल जमा	16798.44	22177.88
बैंक की कुल जमा में सबसे बडे 20 जमाकर्ताओं की जमा का प्रतिशत	19.37%	26.17%

11.6.2 अग्रिमों का केंद्रीकरण

(रु. करोड़ों में)

	31.03.2015	31.03.2014
सबसे बड़े 20 ऋणियों/ग्राहकों को कुल अग्रिम	17050.49	14203.61
बैंक के कुल अग्रिम में सबसे बड़े 20 ऋणियों/ग्राहकों को अग्रिम का प्रतिशत	26.31%	24.56%

11.6.3 जोखिमों का केंद्रीकरण

(रु. करोड़ों में)

	31.03.2015	31.03.2014
सबसे बड़े 20 ऋणियों/ग्राहकों पर कुल जोखिम	17760.38	16248.41
बैंक के ऋणियों/ग्राहकों पर कुल जोखिम में सबसे बडे 20 ऋणियों/ग्राहकों पर कुल जोखिम का प्रतिशत	27.41%	28.09%

11.6.4 एन.पी.ए. का केंद्रीकरण

(रु. करोड़ों में)

	31.03.2015	31.03.2014
सबसे बड़े चार एन.पी.ए. खातों पर कुल जोखिम	384.76	488.90

11.4 **Customer's Complaints:**

		2014-15	2013-14
a)	No. of Complaints pending at the beginning of the year	35	96
b)	No. of Complaints received during the year	1432	1810
c)	No. of Complaints redressed during the year	1374	1871
d)	No. of Complaints pending at the end of the year	93	35

11.5 **Awards Passed by the Banking Ombudsman:**

		2014-15	2013-14
a)	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	2	1
b)	No. of Awards passed by Banking Ombudsman during the year	6	5
c)	No. of Awards implemented during the year	7	4
d)	No. of unimplemented Awards pending at the end of the year	7	2

11.6 **Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs**

11.6.1 **Concentration of Deposits**

(Rupees. In crore)

	31.03.2015	31.03.2014
Total Deposits of twenty largest depositors	16798.44	22177.88
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits	19.37%	26.17%

11.6.2 **Concentration of Advances**

(Rupees. In crore)

	31.03.2015	31.03.2014
Total Advances to twenty largest borrowers	17050.49	14203.61
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances	26.31%	24.56%

11.6.3 **Concentration of Exposures**

(Rupees. In crore)

	31.03.2015	31.03.2014
Total Exposure to twenty largest borrowers/ customers	17760.38	16248.41
Percentage of Exposure to twenty largest borrowers/ customers to Total Exposure of the bank on borrowers/ customers	27.41%	28.09%

11.6.4 **Concentration of NPAs**

(Rupees. In crore)

	31.03.2015	31.03.2014
Total Exposure to top four NPA Accounts	384.76	488.90

11.7 क्षेत्रवार एन.पी.ए.

(रु. करोड़ों में)

क्र. सं.	क्षेत्र*	31.03.2014			31.03.2015		
		बकाया कुल अग्रिम	कुल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में एन.पी.ए. का प्रतिशत	बकाया कुल अग्रिम	कुल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में एन.पी.ए. का प्रतिशत
क.	**प्राथमिकता क्षेत्र**						
1.	कृषि एवं संबंधित गतिविधियाँ	6083.90	201.83	0.35	6787.37	322.53	0.50%
2.	प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के रूप में पात्र औद्योगिक क्षेत्र को अग्रिम	3184.92	478.36	0.83	3236.62	439.53	0.68%
3.	सेवा क्षेत्र	4102.92	322.21	0.56	4880.47	526.59	0.81%
4.	व्यक्तिगत ऋण	2493.73	155.08	0.27	3052.84	170.01	0.26%
	उप-योग (क)	**15865.47**	**1157.48**	**2.00**	**17957.3**	**1458.66**	**2.25%**
ख	**गैर-प्राथमिकता क्षेत्र**						
1	कृषि एवं संबंधित गतिविधियाँ	0.00	0.00	0.00	3.19	0.20	0.00
2	उद्योग	24154.75	1043.09	1.80	23141.50	1187.87	1.83
3	सेवा क्षेत्र	16335.29	284.71	0.49	22105.62	359.49	0.55
4	व्यक्तिगत ऋण	1502.24	68.25	0.12	1588.84	75.97	0.12
	उप-योग (ख)	**41992.28**	**1396.05**	**2.41**	**46839.15**	**1623.53**	**2.51**
	कुल (क+ख)	**57857.75**	**2553.53**	**4.41**	**64796.45**	**3082.19**	**4.76**

**बैंक उक्त प्रारूप में उस उप क्षेत्र के कुल अग्रिमों से बकाया अग्रिम 10% से अधिक हैं, का प्रकटीकरण कर सकता है। उदाहरणार्थ, यदि खनन क्षेत्र को बैंक का कुल बकाया उद्योग क्षेत्र के कुल अग्रिम से 10 प्रतिशत से अधिक है तो बैंक को उद्योग क्षेत्र को अग्रिम के अंतर्गत खनन क्षेत्र में अलग से उक्त प्रारूप में प्रकट करना चाहिए।*

11.8 एन.पी.ए. में उतार-चढ़ाव

(रु. करोड़ों में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
1 अप्रैल को सकल एनपीए. (अथ शेष)	2553.52	1536.90
वर्ष के दौरान परिवर्धन (नए एनपीए.)	1242.42	1619.61
उप-योग (क)	**3795.94**	**3156.51**
घटा : i) उन्नयन	260.59	187.19
ii) वसूलियाँ (उन्नयन खातों से की गई वसूली के अतिरिक्त)	189.88	108.92
iii) बट्टे खातों में डालना	263.28	306.88
उप-योग ख,	**713.75**	**602.99**
31 मार्च को सकल एनपीए.(इति शेष) (क-ख)	**3082.19**	**2553.52**

11.7

Sl. No.	Sector*	31.03.2014			31.03.2015		
		Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
A	**Priority Sector**						
1	Agriculture and allied activities	6083.90	201.83	0.35	6787.37	322.53	0.50%
2	Advances to industries sector eligible as priority sector lending	3184.92	478.36	0.83	3236.62	439.53	0.68%
3	Services	4102.92	322.21	0.56	4880.47	526.59	0.81%
4	Personal loans	2493.73	155.08	0.27	3052.84	170.01	0.26%
	Sub-total (A)	**15865.47**	**1157.48**	**2.00**	**17957.3**	**1458.66**	**2.25%**
B	**Non Priority Sector**						
1	Agriculture and allied activities	0.00	0.00	0.00	3.19	0.20	0.00
2	Industry	24154.75	1043.09	1.80	23141.50	1187.87	1.83
3	Services	16335.29	284.71	0.49	22105.62	359.49	0.55
4	Personal loans	1502.24	68.25	0.12	1588.84	75.97	0.12
	Sub-total (B)	**41992.28**	**1396.05**	**2.41**	**46839.15**	**1623.53**	**2.51**
	Total (A+B)	**57857.75**	**2553.53**	**4.41**	**64796.45**	**3082.19**	**4.76**

**Banks may also disclose in the format above, sub sectors where the outstanding advances exceeds 10 percent of the outstanding total advances to that sector. For instance, if a bank's outstanding advances to the mining industry exceed 10 percent of the outstanding total advances to 'Industry' sector it should disclose details of its outstanding advances to mining separately in the format above under the 'Industry' sector.*

11.8 **Movement of NPAs**

(Rs. in crore)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
Gross NPAs as on 1st April (Opening Balance)	2553.52	1536.90
Additions (Fresh NPAs) during the year	1242.42	1619.61
Sub-total (A)	**3795.94**	**3156.51**
Less: (i) Up-gradations	260.59	187.19
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from up-graded accounts)	189.88	108.92
(iii) Write-offs	263.28	306.88
Sub-total (B)	**713.75**	**602.99**
Gross NPAs as on 31st March (closing balance) (A-B)	**3082.19**	**2553.52**

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
1 अप्रैल को तकनीकी/प्रुडेंशल बट्टा खातों का प्रारंभिक शेष)	957.09	700.36
जमा : वर्ष के दौरान तकनीकी/प्रुडेंशल बट्टा खाते	263.27	306.80
उप-योग (क)	**1220.36**	**1007.16**
घटा : वर्ष के दौरान पिछले तकनीकी/प्रुडेंशल बट्टा खातों से की गई वसूली (ख)	42.06	50.07
31 मार्च को (इति शेष) (क-ख)	1178.30	957.09

11.9 विदेशी आस्तियाँ, एन.पी.ए. एवं राजस्व

(रु. करोड़ों में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
कुल आस्तियाँ	259.55	148.57
कुल एन.पी.ए.	0	0
कुल राजस्व	0.37	0.57

11.10 तुलन-पत्र से इतर प्रायोजित एस.पी.वी.

(रु. करोड़ों में)

प्रायोजित एस.पी.वी. का नाम			
घरेलू		विदेश	
31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014
	शून्य		शून्य

11.11 अंतर्समूह जोखिम

क्र.सं.	विवरण	31.03.2015	
		संस्वीकृत ऋण/लिमिट राशि	शेष बकाया
(क)	अंतर्समूह जोखिम की कुल राशि	5.64	0
(ख)	शीर्ष 20 अंतर्समूहों के जोखिम की कुल राशि	5.64	0
(ग)	उधारियों/ग्राहकों पर बैंक के कुल जोखिम में अंतर्समूह जोखिम का प्रतिशत	0.01	0
(घ)	अंतर्समूह जोखिम पर सीमा भंग का विवरण तथा उन पर की गई विनियामक कार्रवाई, यदि कोई हो तो	शून्य	शून्य

11.12 जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि (डीइएएफ) हेतु अंतरण

(रु. करोड़ों में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
डीइएएफ हेतु अंतरित राशि का प्रारंभिक शेष	शून्य	शून्य
जमा : वर्ष के दौरान डीइएएफ हेतु अंतरित राशि	96.61	शून्य
घटा : डीइएएफ द्वारा दावों के लिए प्रतिपूर्ति की गई राशि	शून्य	शून्य
डीइएएफ को अंतरित राशि का इति शेष	96.61	शून्य

11.13 वर्ष के दौरान, भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र दिनांक 15.01.2014 संख्या डीबीओडी.नं.बीपी.बीसी.85/21.06.200/2013-14 की शर्तों के अनुसार बैंक ने संघटकों द्वारा दिए गए विवरणों के अनुसार अरक्षित विदेशी मुद्रा जोखिम हेतु रु. 0.51 करोड़ की राशि उपलब्ध की है।

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
Opening balance of Technical / Prudential written-off accounts as at April 1	957.09	700.36
Add : Technical / Prudential write-offs during the year	263.27	306.80
Sub-total (A)	1220.36	1007.16
Less : Recoveries made from previously technical / prudential written-off accounts during the year (B)	42.06	50.07
Closing balance as at March 31 (A-B)	1178.30	957.09

11.9 **Overseas Assets, NPAs and Revenue**

(Rs. in crore)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
Total Assets	259.55	148.57
Total NPAs	0	0
Total Revenue	0.37	0.57

11.10 **Off-Balance Sheet SPVs sponsored by Banks**

(Rs. in crore)

Name of the SPV sponsored			
Domestic		Overseas	
31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014
	NIL		NIL

11.11 **Intra-Group Exposures**

S.No.	Particulars	31.03.2015	
		Sanc Loan/limit	Balance O/s
(a)	Total amount of intra-group exposures	5.64	0
(b)	Total amount of top-20 intra-group exposures	5.64	0
(c)	Percentage of intra-group exposures to total exposure of the bank on borrowers / customers	0.01	0
(d)	Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any.	NIL	NIL

11.12 **Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)**

(Rs. in crore)

Particulars	31.03.2015	31.03.2014
Opening balance of amounts transferred to DEAF	NIL	NIL
Add : Amounts transferred to DEAF during the year	96.61	NIL
Less : Amounts reimbursed by DEAF towards claims	NIL	NIL
Closing balance of amounts transferred to DEAF	96.61	NIL

11.13 During the year, in terms of RBI Circular No. DBOD.No. BP.BC.85/21.06.200/2013-14 dt. 15.01.2014, the Bank has provided an amount of Rs. 0.51 cr. towards Unhedged Foreign currency Exposure Based on the details furnished by the constituents.

12. **चलनिधि व्याप्ति अनुपात**

(रु. करोड़ों में)

		31.03.2015	
		कुल भाररहित 3 मूल्य (औसत)	**कुल भारित मूल्य 4 (औसत)**
उच्च गुणवत्ता चल आस्तियाँ			
1	कुल उच्च गुणवत्ता चल आस्तियाँ (एचक्यू एलए)		7198.86*
नकदी प्रवाह			
2	रिटेल जमा तथा लघु व्यवसाय ग्राहक से जमा, जिसका :	38494.51	3811.30
(i)	स्थिर जमा	763.08	38.15
(ii)	घटा स्थिर जमा	37731.43	3773.14
3	अरक्षित थोक निधीयन, जिसका :		11980.22
(i)	परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्षकार)	0.00	0.00
(ii)	गैर–परिचालन जमा(सभी प्रतिपक्षकार)	26958.12	11980.22
(iii)	अरक्षित ऋण		
4	संरक्षित थोक निधीयन		
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिसका :	10194.33	1305.98
(i)	व्युपत्पन्न जोखिमों से संबद्ध बहिर्गमन तथा अन्य संपार्श्विक आवश्यकताएं	0	0
(ii)	ऋण उत्पादों पर निधीयन कमी से संबद्ध बहिर्गमन	0	0
(iii)	ऋण एवं चलनिधि सुविधाएं	10194.33	1305.98
6	अन्य संविदात्मुक निधीयन दायित्व		
7	अन्य आकस्मिक निधीयन दायित्व		
8	कुल नकदी प्रवाह		17097.50
नकदी प्रवाह			
9	प्रतिभूति सहित ऋण (यथा–रिवर्स रेपो)	58.33	58.33
10	पूर्ण अर्जक जोखिमों से आय	13341.42	6681.59
11	अन्य नकदी आय	0.00	0.00
12	कुल नकदी आय	13399.75	6739.92
			कुल समायोजित 5 मूल्य
21	कुल एचक्यूएलए		7198.86
22	कुल शुद्ध नकदी प्रवाह		10357.58
23	चलनिधि व्याप्ति अनुपात (%)		69.50

13. बैंकों के प्रबंधन का प्रतिनिधित्व कर रही भारतीय बैंक संघ और कामगार यूनियनों तथा अधिकारियों की एसोशिएसन का प्रतिनिधित्व कर रहे प्राधिकृत प्रतिनिधियों के मध्य वेतन–वृद्धि पर दिनांक 23.02.2015 को हुए द्विपक्षीय समझौते के दृष्टिकोण से बैंक ने नवम्बर, 2012 से प्रभावी वेतन संशोधन के खाते पर उदित आस्तियों की प्राप्ति के लिए रु 116.16 करोड़ (गत वर्ष 131.63 करोड़ रूपए), के तदर्थ (एड–होक) प्रावधान किए गए हैं। अपेक्षित सूचना के अभाव में, देयता का पता नहीं लगाया जा सका तथा अस्थाई रूप से उपलब्ध कराया गया है।

12. **Liquidity Coverage Ratio**

(Rs. in crore)

		31.03.2015	
		Total Unweighted[3] Value (average)	Total Weighted[4] Value (average)
High Quality Liquid Assets			
1	Total High Quality Liquid Assets (HQLA)		7198.86
Cash Outflows			
2	Retail deposits and deposits from small business customers, of which:	38494.51	3811.30
(i)	Stable deposits	763.08	38.15
(ii)	Less stable deposits	37731.43	3773.14
3	Unsecured wholesale funding, of which:		11980.22
(i)	Operational deposits (all counterparties)	0.00	0.00
(ii)	Non-operational deposits (all counterparties)	26958.12	11980.22
(iii)	Unsecured debt		
4	Secured wholesale funding		
5	Additional requirements, of which	10194.33	1305.98
(i)	Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	0	0
(ii)	Outflows related to loss of funding on debt products	0	0
(iii)	Credit and liquidity facilities	10194.33	1305.98
6	Other contractual funding obligations		
7	Other contingent funding obligations		
8	**Total Cash Outflows**		17097.50
Cash Inflows			
9	Secured lending (e.g. reverse repos)	58.33	58.33
10	Inflows from fully performing exposures	13341.42	6681.59
11	Other cash inflows	0.00	0.00
12	**Total Cash Inflows**	13399.75	6739.92
			Total Adjsuted[5] Value
21	**TOTAL HQLA**		7198.86
22	**Total Net Cash Outflows**		10357.58
23	**Liquidity Coverage Ratio (%)**		69.50

13. In view of MOU dated 23.02.2015 signed between Indian Bank's Association representing Management of Banks and the authorized representatives of Workmen Unions and Officers' Association on wage revision. The Bank has made a provision of Rs 116.16 crore (previous year Rs. 131.63 crore) towards wage revision effective from November 2012. Since modalities are yet to be finalized, the actual liability could not be ascertained.

14. एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की शर्तों के अनुसार प्रकटीकरण

सूक्ष्म और लघु उद्यमों से क्रय की गई चल सम्पत्ति से संबंधित सूचना का विवरण

क्र.सं.	विवरण	2014–15		2013–14	
		मूल राशि	ब्याज	मूल राशि	ब्याज
1.	मूलधन तथा उस पर देय ब्याज (अलग से दर्शाया जाए) किसी आपूर्तिकर्ता को अप्रदत्त है।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	आपूर्तिकर्ता को वर्ष के दौरान नियत दिन के अलावा किए गए भुगतान की राशि के साथ एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार खरीददार द्वारा प्रदत्त ब्याज की राशि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	भुगतान में हुई देरी की अवधि के लिए देय तथा बकाया ब्याज (जो अदा कर दिया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत तिथि के अलावा) लेकिन इस अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट ब्याज को शामिल किए बिना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	उपचित ब्याज तथा शेष अप्रदत्त राशि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	उत्तरवर्ती वर्षों में देय तथा अतिरिक्त शेष ब्याज की राशि, जहाँ तक कि उपयुक्त देय ब्याज वास्तव में लघु उद्यमी को अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के उद्देश्य से अदा कर दिया जाता है।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

15. जहाँ सूचना उपलब्ध नहीं थी, को छोड़कर और जहां आवश्यक था पिछले वर्ष के आंकडों को पुनः व्यवस्थित/पुनः वर्गीकृत किया गया है।

नोटः यह मूल अंग्रेजी पाठ का हिन्दी अनुवाद है।

14. **Disclosures in Terms of MSMED Act 2006**

Details of information relating to purchase of moveable property from Micro and Small Enterprises:

S. No.	Particulars	2014-15		2013-14	
		Principal Amount	Interest	Principal Amount	Interest
1	The principal amount and the interest due thereon (to be shown separately) remaining unpaid to any supplier.	NIL	NIL	NIL	NIL
2	The amount of interest paid by the buyer in terms of section 16 of the MSMED Act, along with the amount of the payment made to the supplier beyond the appointed day during the year.	NIL	NIL	NIL	NIL
3	The amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which have been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under this Act;	NIL	NIL	NIL	NIL
4	The amount of interest accrued and remaining unpaid.	NIL	NIL	NIL	NIL
5	The amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprise , for the purpose of disallowance as a deductible expenditure under section 23 of the Act.	NIL	NIL	NIL	NIL

15. The figures of the previous year have been re-grouped / re-arranged wherever necessary except where information was not available.

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार नकदी प्रवाह विवरणी

((000छोड़कर))

(क) परिचालन गतिविधियों के अंतर्गत नकदी प्रवाह	2014-15	2013-14
लाभ–हानि खाते के अनुसार निवल लाभ/(हानि)	1213483	3006264
समायोजन हेतु		
प्रावधान और आकस्मिक व्यय	6541015	4999155
मूल्यह्रास (निवल)	462077	237688
आस्तियों की बिक्री पर लाभ	-402	-1505
बांड, पीसीपीएस तथा आईपीडीआई पर ब्याज	1489709	1727740
आस्थगित कर देयताएं	0	-234960
कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि	0	-20000
कार्यशील पूंजी में परिवर्तनों से पूर्व परिचालन लाभ	**9705882**	**9714382**
समायोजन हेतु		
निक्षेपों में वृद्धि/(कमी)	19845512	140886623
उधारों में वृद्धि/(कमी)	11431877	-2350084
अन्य देयताओं में वृद्धि/(कमी)	-2074772	-2654398
निवेशों में (वृद्धि)/कमी	15549283	-57569407
अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	-71318530	-63213305
अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी	-2955424	-128311
परिचालन गतिविधियों (क) से नकद प्रवाह	**-19816172**	**24685500**
(ख) निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
अचल आस्तियों में वृद्धि	-845286	-581667
आस्तियों की बिक्री पर लाभ	402	1505
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह (ख)	-844884	-580162
(ग) वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
नकदी हेतु इक्विटी शेयरों (अंकित मूल्य) को जारी करना	304362	212630
उस पर प्राप्त शेयर प्रीमियम	1495638	787370
सार्वजनिक निर्गम व्यय	-8121	-2188
गौण बांड जारी करना	0	0
गौण बांड का मोचन	-400000	0
गौण बांडों पर ब्याज, पीसीपीएस एण्ड आईपीडीआई	-1489709	-1727740
पीएनसीपीएस व इक्विटी पर लाभांश	-240247	-785625
लाभांश आबंटन कर	-54167	-133517
वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह (ग)	-392244	-1649070
परिचालन गतिविधियों से नकदी	-19816172	24685500
निवेश गतिविधियों से नकदी	-844884	-580162
वित्तीय गतिविधियों से नकदी	-392244	-1649070
नकदी व नकदी समतुल्य में वृद्धि	**-21053300**	**22456268**
बैंक शेष व नकदी (प्रारंभिक)	63248375	40792107
बैंक शेष व नकदी (अंतिम)	42195073	63248375

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31st March, 2015

(000'S OMITTED)

A. Cash Flow from Operating Activities	2014-15	2013-14
Net Profit as per Profit & Loss Account	1213483	3006264
Adjustments for:		
Provisions & Contingencies	6541015	4999155
Depreciation	462077	237688
Profit on sale of Assets	-402	-1505
Interest on Bonds, PCPS and IPDI	1489709	1727740
Deferred Tax Liability	0	-234960
Corporate Social Responsibility Fund	0	-20000
Operating Profit before working capital changes	**9705882**	**9714382**
Adjustments for:		
Increase / (Decrease) in Deposits	19845512	140886623
Increase / (Decrease) in Borrowings	11431877	-2350084
Increase / (Decrease) in Other Liabilities	-2074772	-2654398
(Increase) / Decrease in Investments	15549283	-57569407
(Increase)/ Decrease in Advances	-71318530	-63213305
(Increase) / Decrease in Other Assets	-2955424	-128311
Cash Flow from Operating Activities (A)	**-19816172**	**24685500**
B. Cash Flow from Investing Activities		
Increase in Fixed Assets	-845286	-581667
Profit on sale of Assets	402	1505
Cash Flow from Investing Activities (B)	-844884	-580162
C.Cash Flow from Financing Activities		
Issue of Equity Shares (Face Value) for cash	304362	212630
Share Premium received thereon	1495638	787370
Public Issue Expenses	-8121	-2188
Issue of Subordinated Bonds	0	0
Redemption of Subordinated Bonds	-400000	0
Interest on Bonds, PCPS and IPDI	-1489709	-1727740
Dividend on Equity & PNCPS	-240247	-785625
Dividend Distribution Tax	-54167	-133517
Cash Flow from Financing Activities (C)	-392244	-1649070
Cash from Operating Activities	-19816172	24685500
Cash from Investing Activities	-844884	-580162
Cash from Financing Activities	-392244	-1649070
Increase in Cash & Cash Equivalents	**-21053300**	**22456268**
Cash and Bank Balances (Opening)	63248375	40792107
Cash and Bank Balances (Closing)	42195073	63248375

अनुबंध "A"

पंजाब एण्ड सिंध बैंक,

(भारत सरकार का उपक्रम)
प्रधान कार्यालय 21, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली 110008
(पाँचवीं वार्षिक सामान्य बैठक 29.06.2015)

फार्म 'बी'
प्राक्सी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरा और हस्ताक्षर किया जाए)

मैं/हम..निवासी............................ जिला............................का/की/के राज्य..पंजाब एण्ड सिंध बैंक के शेयर/धारक होने के नाते एतद्वारा श्री/श्रीमति ....निवासी .... जिला..................................राज्य...................................को अथवा उनके उपस्थित न हो सकने पर श्री/श्रीमति............................के निवासी श्री/श्रीमती...को सोमवार, दिनांक 29 जून 2015 को प्रातः 10.00 बजे पंजाब एण्ड सिंध बैंक की वार्षिक आम बैठक में जोकि इंडिया इंटरनैशनल सेंटर, 40–मैक्समूलर मार्ग, लोदी एस्टेट,नई दिल्ली–110003 में आयोजित होगी तथा इसके अधिस्थगन होने की स्थिति में मेरी/हमारी ओर से मेरे/हमारे लिए मत देने के लिए प्रॉक्सी– नियुक्त करता हूँ/हैं।

.... माह के .... दिन 2015 को हस्ताक्षरित
पंजीकृत फोलियो न./ग्राहक का आईडी.न.
शेयरों की संख्या

कृपया रसीदी
टिकट
चिपकाएं

....
प्राक्सी के हस्ताक्षर
नाम व पता: ....
....

....
प्रथम/एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर
नाम व पता: ....
....

प्रॉक्सी फार्म हस्ताक्षर करने एवं दर्ज करने सबंधी अनुदेश

1. कोई भी प्रॉक्सी प्रलेख वैध नहीं होगा जब तक कि:
   क) व्यक्तिक शेयर धारक के मामले में, यह उसके द्वारा या उसके अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित होगा तथा जिसे लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत किया जाएगा।
   ख) संयुक्त शेयर धारक के मामले में यह रजिस्टर में प्रथम शेयर धारक द्वारा या उसके अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित होगा तथा जिसे लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत किया जाएगा।
   ग) निगमित निकाय के मामले में उसके अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए या अटार्नी विधिवत् लिखित रूप में होनी चाहिए।
2. प्रॉक्सी प्रलेख शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षरित होगा जोकि किसी कारण से अपना नाम नहीं लिख पाता है, यदि उस पर इसका चिह्न है तथा न्यायधीश, मजिस्ट्रेट, आश्वासन रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार या सरकारी राजपत्र अधिकारी या पंजाब एण्ड सिंध बैंक के अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित है।
3. प्रॉक्सी के साथः
   क. अटार्नी अधिकार या अन्य प्राधिकार (यदि कोई है तो) जिसके अंतर्गत हस्ताक्षर किए गए हैं या
   ख. नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित अटर्नी अधिकार की प्रति पजांब एण्ड सिंध बैंक, प्रधान कार्यालय शेयर कक्ष, प्रथम तल, 21–राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली–11008 को वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् बुधवार 24 जून 2015 (5.00 बजे सायंकाल) को कार्यसमय समाप्त होने से पूर्व या उस तिथि को प्रस्तुत करनी होगी।
4. यदि संबंधित अटर्नी अधिकार पंजाब एण्ड सिंध बैंक में या शेयर ट्रांस्फर एजेंट के पास पहले से पंजीकृत है तो अटार्नी अधिकार का रजिस्ट्रेशन संख्या तथा उसकी तिथि का उल्लेख किया जाए।
5. यदि प्रॉक्सी प्रलेख फार्म "B" पर नहीं है तथा विधिवत् स्टाम्प नहीं है तो वह वैध नहीं माना जाएगा।
6. बैंक में जमा प्रॉक्सी प्रलेख अप्रतिसंहरणीय तथा अंतिम होगा ।
7. यदि प्रॉक्सीअ प्रलेख विकल्प के रूप में दो व्यक्तियों के पक्ष में जारी किया जाता है तो एक से अधिक फॉर्म पर विचार नहीं किया जाएगा ।
8. जिस शेयरधारक ने प्रॉक्सी प्रलेख निष्पादित किया है उसे वार्षिक सामान्य बैठक में वोट देने का अधिकार नहीं होगी जिससे वह प्रलेख संबंधित है ।
9. पजांब एण्ड सिंध बैंक के किसी कार्मिक या अधिकारी को प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी नियुक्त करने का अधिकार नहीं होगा ।

Punjab & Sind Bank

Annexure-'A'

(A Government of India Undertaking)
Head Office : 21 – RAJENDRA PLACE, NEW DELHI -110008

{FIFTH ANNUAL GENERAL MEETING}: 29.06.2015

FORM 'B'

PROXY FORM

[To be filled and signed by the Shareholder]

I/We……………………………………………………………………………………………………..Resident of……………………………………………………………..in the district of ……………………………………………………… in the State of …………………………………………… being a shareholder /shareholders of the Punjab & Sind Bank, hereby appoint Shri/Smt ………………………………………………………………………… resident of…………………………………………..in the district of ………………………………in the State of ……………………………………or failing him/her, Shri/Smt ………………………………………………………………… resident of ………………………………… in the district of …………………………………… in the State of ……………………………………… as my / our proxy to vote for me/ us and on my / our behalf at the Fifth Annual General Meeting of the Shareholders of Punjab & Sind Bank to be held on **Monday the 29th June, 2015** at 10.00 A.M. at India International Centre, 40-Max Mueller Marg, Lodi Estate, New Delhi – 110 003 and at any adjournment thereof

Signed this ………………… day of ……………… 2015

Regd. Folio No./Client ID:

No. of Shares

Please affix Revenue Stamp

………………………

Signature of Proxy

Name & Address: ………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………………

Signature of the sole / first named shareholder

Name & Address: ……………………………………….

……………………………………………………………

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. No instrument of proxy shall be valid unless,
   a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing,
   b) in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing,
   c) in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.
2. An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his / her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Punjab & Sind Bank.
3. The proxy together with :
   a) the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
   b) a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited with Punjab & Sind Bank, **HO Shares Cell, 1st Floor, 21-Rajendra Place, New Delhi-110 008** not less than **FOUR DAYS** before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours of Wednesday, the 24th day of June, 2015 (5.00 p.m.)
4. In case the relevant Power of Attorney is already registered with Punjab & Sind Bank or Share Transfer Agent, the registration Number of Power of Attorney and the date of such registration may be mentioned.
5. No instrument of Proxy shall be valid unless it is in Form 'B' and duly stamped.
6. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
7. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
8. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting to which such instrument relates.
9. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Punjab & Sind Bank.

अनुबंध "बी"

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय–21 राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली 110008

उपस्थिति पर्ची
पाँचवीं वार्षिक सामान्य बैठक

इंडिया इंटरनैशनल सेंटर, 40 मैक्स मूलर मार्ग,

लोधी एस्टेट, नई दिल्ली–110003

सोमवार, जून 29, 2015 प्रातः 10.00 बजे

(कृपया उपस्थिती पर्ची को पूर्ण रूप से भर दें एवं बैठक हॉल के पंजीकरण काउंटर पर उसे सौंप दे)

डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी पंजीकृत फोलियो			
शेयरधारक का नाम			
शेयरों की संख्या			
शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय – 21 राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली 110008

प्रवेश पास
पाँचवीं वार्षिक सामान्य बैठक

इंडिया इंटरनैशनल सेंटर, 40 मैक्स मूलर मार्ग,

लोधी एस्टेट, नई दिल्ली–110003

सोमवार, जून 29, 2015 प्रातः 10.00 बजे

डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी पंजीकृत फोलियो			
शेयरधारक का नाम			
शेयरों की संख्या			
शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			

नोट– चुनाव की स्थिति में मतपत्र केवल प्रवेश पास पर जारी किया जाएगा।

Annexure-'B'

Punjab & Sind Bank

(A Government of India Undertaking)

Head Office : 21 – RAJENDRA PLACE, NEW DELHI -110008

ATTENDANCE SLIP
FIFTH ANNUAL GENERAL MEETING

INDIA INTERNATIONAL CENTRE, 40-MAX MUELLER MARG,

LODI ESTATE, NEW DELHI – 110 003

MONDAY, JUNE 29, 2015, 10.00 a.m.

[Please fill in the Attendance slip and hand it over at the Registration counter]

Regd. Folio/ DP & Client ID s			
Name of the Shareholder			
Number of Shares			
Signature of Shareholder / Proxy / Authorised Representative			

Punjab & Sind Bank

(A Government of India Undertaking)

Head Office : 21 – RAJENDRA PLACE, NEW DELHI -110008

ENTRY PASS

(To be retained throughout the meeting)

FIFTH ANNUAL GENERAL MEETING

INDIA INTERNATIONAL CENTRE, 40-MAX MUELLER MARG,

LODI ESTATE, NEW DELHI – 110 003

MONDAY, JUNE 29, 2015, 10.00 a.m.

Regd. Folio/ DP & Client ID s			
Name of the Shareholder			
Number of Shares			
Signature of Shareholder / Proxy / Authorised Representative			

Note : Ballot Paper for polling will be issued against the entry pass only.

NOTES

महाप्रबंधक / General Managers

श्री आई.एस. भाटिया
Sh. I.S. Bhatia

श्री एम.जी. श्रीवास्तव
Sh. M.G. Srivastava

श्री दीपक मैनी
Sh. Deepak Maini

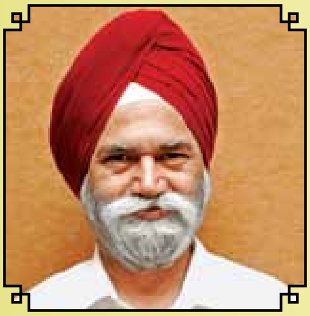

श्री एस.पी.एस. कोहली
Sh. S.P.S. Kohli

श्री जी.एस. ढ़ल्ल
Sh. G.S. Dhall

श्री डी.डी. शर्मा
Sh. D.D. Sharma

श्री वीरेन्द्र गुप्ता
Sh. Varinder Gupta

श्री एस.सी. क्वात्रा
Sh. S.C. Kwatra

श्री आर.पी.एस. खुराना
Sh. R.P.S. Khurana

श्री जी.एस. नारंग
Sh. G.S. Narang

श्री हरविन्दर सिंह
Sh.Harvinder Singh

HOME LOAN

CAR LOAN

CONSUMER LOAN

EDUCATION LOAN

Devraha Printed at : MP Printers (A Unit of DB Corp. Ltd.) Noida 201 305

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय: 21, राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली – 110008

Punjab & Sind Bank

(A Govt. of India Undertaking)

Head Office : 21, Rajendra Place, New Delhi - 110 008

Website : www.psbindia.com

Listing Agreement : Clause 31

FORM A

Format of covering letter of the annual audit report to be filed with the stock exchanges

1.	Name of the Company:	**PUNJAB & SIND BANK**
2.	Annual financial statements for the year ended	**31st March 2015**
3.	Type of Audit observation	**Un-qualified**
4.	Frequency of observation	**Not Applicable**
5.	For B. K. Shroff & Co. Chartered Accountants (L. K. Shroff) Partner M. No. 060742 FRN : 302166E For Tiwari & Associates Chartered Accountants (Krishan Kumar) Partner M. No. 085415 FRN : 002870N Dated : May 12, 2015. New Delhi	For R. Kothari & Co. Chartered Accountants (Rajesh Kumar) Partner M. No. 090865 FRN : 307069E For Dhillon & Associates Chartered Accountants (Rajesh Malhotra) Partner M. No. 090661 FRN : 002783N (I.S.Bhatia) Chief Financial Officer (Mahesh Kumar Gupta) Chairman Audit Committee (Jatinderbir Singh) Chairman & Managing Director